खण्ड-402, अंक-6
बुधवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1913
(7 अगस्त, 1991 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 402 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	1–38
–नियम 311 के अंतर्गत सूचनाएं....	39
– भूतपूर्व विधायक श्री विक्रमा राय पर हुये कातिलाना हमले के संबंध में नियम 311 के अंतर्गत चर्चा की मांग.....	39–40
– समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 311 के अंतर्गत चर्चा की मांग.....	41–51
– जगदीशपुर (सुल्तानपुर) के खाद कारखाने में श्रमिक हड़ताल से उत्पन्न विषम स्थिति के संबंध में नियम 311 के अंतर्गत चर्चा की मांग.....	51–53
– नियम 301 के अंतर्गत सूचनायें.....	53–54
– जनपद लखीमपुर खीरी के निधासन क्षेत्र में रेंज अधिकारियों द्वारा कीमती लकड़ी के अवैध कटान के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	54–55
– बाराबंकी जनपद के सफदरगंज थानान्तर्गत रामपुर कटरा में पुलिस साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना.....	55
– जनपद बाराबंकी के सिरौली गौसपुर हायर सेकेन्ड्री स्कूल में शिक्षा सत्र प्रारम्भ न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना...	55–56
– जनपद मुजफ्फर नगर में स्वीकृत 33/11 के०वी० विद्युत उप संस्थान कुटवा, टाण्डा, कुरावा के अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना.....	56
– जनपद बदायूं में उसहत के सौतन नदी पर बनाये जा रहे पुल को शीघ्र पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना.....	56
–सहारनपुर जिलान्तर्गत सरसांवा क्षेत्र में यमुना नदी के कटान से उत्पन्न तबाही के सम्बंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना.....	57
– दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर, शाहजहांपुर द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना.....	57
– नियम 311 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 के अंतर्गत लिये जाने तथा सुने जाने का सुझाव.....	57–58
– औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें.....	58

–सदन के स्थगन के पश्चात् नियम 311 के अंतर्गत उठी पूर्व की सूचनाओं को पुन: न लिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न..... 58–61

– नियम 311 के अंतर्गत सूचनाओं को नियम 56 में सम्मिलित करके न सुने जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न..... 61–63

– सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिये सदस्यों से श्री अध्यक्ष का अनुरोध..... 63–64

– सदन सचालन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न..... 64–69

– श्री डी० पी० यादव की गिरफ्तारी से संबंधित पूरे प्रकरण की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराये जाने की मांग..... 69–71

– प्रदेश में किसानों के बकायें गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न..... 71–72

– श्री राज्यपाल के अभिभाषण में दिये गये संशोधन प्रस्ताव को आक्षेपात्मक कह कर सम्मिलित न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न... 72–73

– उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 1991 (पटल पर रखा गया) 73

– उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 1991 (पटल पर रखा गया).... 73

– उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991..... (पटल पर रखा गया) 73

– विधान सभा उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु प्राप्त नामों का विवरण..... 73–74

– विधान सभा उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया निरस्त करके आगे की तिथि निर्धारित करने की मांग.... 74–76

– कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव... (स्वीकृत).. 76–78

– कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें... (जारी)... 78–89

– कार्य स्थगन प्रस्तावों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास.. 89–90

– कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें.(जारी).. 90–92

– श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) 92–121

– वित्तीय वर्ष 1991–92 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों का विवरण (प्रस्तुत किया गया).... 121

– कार्य मंत्रणा समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव (स्वीकृत).... 121–122

– विधान सभा की विभिन्न समितियों में कार्य करने के लिये विधान सभा सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत).... 122–123

– नियम 51 के अंतर्गत सूचनायें..... 123

– नत्थियां 124–200

उत्तर प्रदेश विधान संभा

बुधवार दिनांक 7 अगस्त, 1991

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
कृष्ण चन्द्र, श्री	पिथौरागढ़
कृष्ण स्वरूप, श्री	बदायूं
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
पतिराज, श्री	आजमगढ़
पूरन चन्द्र शर्मा, श्री	अल्मोड़ा
प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री	सिद्धार्थनगर
फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
ब्रहमदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
मन्नूलाल कुरील, श्री	बांदा
रामपाल, श्री	हरदोई
राम प्रसाद सिंह, श्री	बांदा
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हरनरायन सिंह, श्री	रायबरेली

सत्यमेव जयते

बुधवार दिनांक 7 अगस्त, 1991

विधान सभा की बैठक सभा मण्डल लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नोत्तर

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

एक सदस्य–

मान्यवर, मैंने नियम 311 में एक सूचना दी है..(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह प्रश्नकाल के बाद लें ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में खाद्यानों एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण

****1–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित–**

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति क्या है और उनमें किन-किन सुधारों पर शासन विचार कर रहा है ?

खाद्य एवं रसद तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री ऐजाज रिजवी)–

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश में खाद्यानों व आवश्यक वस्तुओं के वितरण नीचे उल्लिखित दरों से किया जाता है :–

	मैदानी शहरी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
गेहूं	8 किग्रा० प्रति यूनिट प्रतिमाह।	10 किग्रा० प्रति यूनिट प्रतिमाह।
चावल	6 किग्रा० प्रति यूनिट प्रतिमाह।	8 किग्रा० प्रति यूनिट प्रतिमाह।
चीनी	शहरों में एक किग्रा० प्रति यूनिट प्रतिमाह। गांव में 250 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह।	एक किग्रा० प्रति यूनिट प्रतिमाह।
मिट्टी तेल	10 लीटर राशनकार्ड प्रतिमाह।	5 लीटर प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह।

खाद्यानों व आवश्यक वस्तुओं की सामान्य उपभोक्ताओं को पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में जन वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है । अतः जन वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिये सरकार कटिबद्ध है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न देखने की कृपा करें, मेरा प्रश्न यह था कि वर्तमान नीति क्या है और इस नीति में क्या कोई सुधार करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? माननीय मंत्री जी ने गेहूं से लेकर चीनी तक किसको कितना दे रहे हैं, बता दिया । यह बात किसी से छिपी नहीं है कि चाहे गेहूं हो या चीनी हो आबादी के हिसाब से इन्होंने जो निर्धारित मात्रा की है, वह भी देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

वर्तमान नीति क्या है वितरण प्रणाली की और इसमें सुधार का प्रश्न शासन के समक्ष विचाराधीन है या नहीं ?

श्री ऐजाज रिजवी–

मान्यवर, मैने जो यहां उत्तर पढ़ा उसमें किस प्रकार से हम प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार पर खाद्यान, मिट्टी के तेल की आपूर्ति कर रहे हैं, यह बहुत ही स्पष्ट था ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य का अनुपूरक प्रश्न यह था कि शासन की इस संबंध में नीति क्या है और किसी सुधार पर आप विचार कर रहे हैं या नहीं ? इस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री ऐजाज रिजवी–

मान्यवर, शासन किस प्रकार से खाद्यान आदि का वितरण कर रहा है, वह मान्यवर मैंने बताया । नीति यही रही कि जनता को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न आदि मिले । जो मैंने पहले बताया उसी मात्रा से दे रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मूल प्रश्न यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान नीति क्या है और यही अनुपूरक प्रश्न माननीय वर्मा जी ने कहा है और माननीय खाद्य मंत्री जी ने दुकानों के बाहर जो रेट बोर्ड लगा हुआ है उसको इसमें उतार दिया है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति क्या है और उसमें सुधार लाने के लिये जैसे मिट्टी का तेल शहरों में 10 लीटर प्रति राशन कार्ड मिलता है और गांवों में 5 लीटर प्रति राशन

कार्ड मिलता है । शहरों में तो बिजली की सुविधा है मगर गांवों में बिजली की सुविधा नहीं है वहां पर लोग मिट्टी के तेल से लैम्प जलाते हैं तो क्या यह सरकार गांव में 5 लीटर मिट्टी का तेल और उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ?

श्री ऐजाज रिजवी–

मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति के अंतर्गत हम लोग यह प्रयास करते हैं कि जनता में पर्याप्त मात्रा में चीजें उपलब्ध हो जायें, इसके लिए व्यवस्था की जाये और यही व्यवस्था मैंने आपके बीच में बतायी थी यही नीति है । इसी के आधार पर सारी वितरण प्रणाली चल रही है । जहां तक चीनी, मिट्टी के तेल की बात है तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि यह दोनों चीजें हमें केन्द्र से उपलब्ध हो पाती हैं और इस समय जितनी हमारी मांग है उतनी मात्रा में हमें उपलब्ध नहीं हो पाता तो इसके लिए हमें कभी-कभी कटौती करनी पड़ती है । इसी के अनुसार यह कभी घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है ।

(व्यवधान)

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो आंकड़े दिये हैं यह सही नहीं हैं । मेरे पास अभिलेख हैं । मैं इनको चैलेन्ज करता हूं । मान्यवर, महाराजगंज के अन्दर एक गांव है जिसकी जनसंख्या दो हजार चार है और न तो वहां पर मिट्टी का तेल मिलता है और न ही चीनी मिलती है ।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । अतः इसे नहीं लिया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री से यह पूछा गया है कि वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति क्या है और उसमें क्या-क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं तो इन्होंने उसका उत्तर तो नहीं दिया है बल्कि बदले में यूनिट गिना दिया है । प्रश्न तो यह था कि वितरण प्रणाली की नीति क्या है और उसमें क्या-क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं ? मान्यवर, इनसे नीति पूछी जा रही है और यह बता रहे हैं कि हम किस तरह से लोगों तक चीजें सुगमता से पहुंचा रहे हैं ? जनता के लिये नीति निर्धारित करनी है उसको आप बतायें ?

ऐजाज रिजवी–

मान्यवर, मैंने पूर्व में बताया था कि हम जनता तक चीजें मुहैया कराने के लिये प्रयास कर रहे हैं और जितनी भी चीजें हम उपलब्ध करा सकते हैं उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं और उसी के अनुसार नीति बनायी गयी है । जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि शहरी क्षेत्र में 8 किग्रा० प्रति यूनिट प्रतिमाह गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं । मैं उन्हें और

सरल किये देता हूं। मान्यवर, यह बतायें कि जो चीजें जनता तक पहुंचा रहे हैं इन चीजों का जनता के बीच किस तरह से वितरण किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

इनका सीधा सा प्रश्न है यह चीजें आप किस तरह से जनता के बीच उपलब्ध करायेंगे इसकी आपने नीति बनायी है उसे कृपया स्पष्ट कर दें ।

श्री ऐजाज रिजवी–

मान्यवर, जनता में आवश्यक चीजें आसानी से उपलब्ध हों इसके लिये सरकार ने राशन कार्ड सिस्टम बनाया है और इसमें घर-घर जाकर यह जानकारी प्राप्त की है कि किसके घर में कितने लोग हैंउसी के अनुसार यूनिट का निर्धारण किया है । इस प्रणाली के अंतर्गत बहुत से राशनकार्ड बोगस बन गये हैं इसके लिये एक अभियान शुरू किया गया है और यह पूरे प्रदेश में राशन कार्डो की चैकिंग का काम फिर से कराया जा रहा है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जो मुख्य बात पूछी गयी थी, वह नहीं आयी । मंत्री जी ने यह बता दिया कि वितरण कराया जायेगा और राशन कार्डो की चैकिंग करायी जायगी । मैं यह जनना चाहता हूं कि वितरण का कार्य किन एजेन्सियों के माध्यम से कराया जायेगा और किन लोगों से तथा किस तरह से कराने की सरकार ने व्यवस्था की है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त) वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री–

मान्यवर, वितरण प्रणाली के बारे में माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जानना चाहा है । मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन को बताना चाहूंगा कि वितरण की हमारे पास दो व्यवस्थायें हैं । एक तो कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा और दूसरे निजी कोटेदारों को कोटा दे रखे हैं । इन कोटेदारों की नियुक्ति दो हजार से 4 हजार यूनिट के बीच की जाती है और ग्रामीण अंचल में, जैसा कि वर्मा जी जानते हैं कि गांव सभा के आधार पर कोटेदार की नियुक्ति होती है । जितनी खाद्यान्न की आवश्यकता है, उतना कोटा हमें केन्द्र सरकार से नहीं मिल पाता है । हालांकि हमारी ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है और सूखे की स्थिति को देखते हुये हमने अधिकारियों को दिल्ली भेजा है, बात करने के लिये, कि हमारा कोटा बढ़ाया जाय । कोटे की उपलब्धता के आधार पर हम वितरण करते हैं । अभी एक माननीय सदस्य ने किसी विशेष स्थान की जानकारी दी है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह हमको पूरी जानकारी दे दें, हम उसे दिखवा लेगें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में चीनी और मिट्टी के तेल वितरण के मामले में विभेद है, उसको दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ? यही सवाल मैंने पहले भी पूछा था, मंत्री जी ने बता दिया कि सब वस्तुयें केन्द्र सरकार से मिलती हैं । मैं कहना चाहता हूं कि क्या वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश भी केन्द्र सरकार ने ही दिये है कि शहरों को ज्यादा दें और गांवों को कम दें । दूसरी बात

जानना चाहता हूं कि इस विषय पर क्या सरकार विचार करने जा रही है कि गांव और शहर के बीच चीनी और मिट्टी के तेल का वितरण समान कर दिया जाय ?

श्री ऐजाज रिजवी–

मान्यवर, देहात और शहर में चीनी के सिलसिले में पहले भी मैंने अर्ज किया है कि जितनी मात्रा में हमको चीनी चाहिये, उतनी चीनी हमको मिल नहीं पाती केन्द्र से । इसके लिये हमारे माननीय साथियों से, विधायकगणों से पूर्व में परामर्श करके यहां व्यवस्था बनायी गयी थी । शहर क्षेत्र में यह देखा गया है कि लोग घरों में शक्कर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिये नगर क्षेत्र में...

(इस बीच विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने के कारण शोर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, नियमावली के नियम-49 के अंतर्गत आप इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा लगा दें अथवा इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूं ।

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

***1–श्री सुरेश कुमार खन्ना–**

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

उ० प्र० राज्य चीनी निगम में कार्यरत यूनिटों की संख्या की जानकारी एवं इकाइयों के पूर्व मालिकों को वापस देने की मांग

***2–श्री नरेश अग्रवाल–**

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम के अन्तर्गत इस समय कितनी यूनिट कार्य कर रही हैं ? क्या यह सही है कि अधिकांश चीनी मिल भारी घाटे में चल रही हैं और इनको इनके पूर्व मालिक वापस लेना चाहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन चीनी मिलों को लौटाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री हनुमन्त सिंह) गन्ना विकास मंत्री–

35 –

जी हां ।

कुछ पूर्व मालिक/निजी क्षेत्र के उद्यमी लेना चाहते थे ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत इकाइयों को पूर्व मालिकों को लौटाया जाना जनहित में नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, माननीय गन्ना मंत्री जी हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं और उनकी भावनाओं से मैं परिचित भी हूं । सत्ता में बैठकर उनकी यह मजबूरी है कि वह सरकारी आंकड़ों को ही पढ़ेंगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से गन्ना मंत्री जी से दो प्रश्न करना चाहता हूं । पहला, यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा भी है कि 35 यूनिटें चीनी निगम में कार्य कर रही हैं । इन 35 यूनिटों में प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है और सरकार उस घाटे की प्रतिपूर्ति कहां से कर रही है ?

दूसरा, यह है कि कितने निजी मालिकों/उद्यमियों ने प्रार्थना-पत्र सरकार को दिये हैं कि उन्हें यह मिलें वापस कर दी जांय और उनके उन प्रार्थना-पत्रों में क्या-क्या शर्तें हैं ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, निगम के अन्तर्गत जितनी भी मिलें कार्य कर रही हैं, उनमें अधिकांशत: घाटे में चल रही हैं । उस घाटे की प्रतिपूर्ति कैसे की जाय, शासन को लिखा गया है । उसके लिये मेरा प्रयास भी जारी है । दूसरा, प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है, पिछले शासन काल में, जनता शासन काल में उनके मैनिफेस्टो में यह दिया गया था कि जो घाटे वाले उद्यम हैं उनको निजी क्षेत्र में कैसे दिया जाय । इसके बारे में पिछले शासन काल में विचार भी हुआ था । इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे निगम के अन्तर्गत चलने वाली मिलों के बारे में भी चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि हमारी जो निगम की मिलें हैं उनको पुन: निजी क्षेत्र में वापस करना जनहित में नहीं होगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा अनुपूरक प्रश्न दूसरा है और माननीय मंत्री जी दूसरा जवाब दे रहे हैं । मेरा, पहला प्रश्न यह था कि चीनी निगम के अन्तर्गत जो 35 यूनिटें कार्य कर रही हैं, उनसे प्रतिवर्ष सरकार को कितने करोड़ रुपये का घाटा बर्दाश्त करना पड़ रहा है और उस घाटे की प्रतिपूर्ति किस मद से की जाती है । कितने निजी मालिकों/उद्यमियों ने कितनी मिलों को लेने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं और उनकी क्या-क्या शर्तें हैं ? इसे माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्य ने जो पहला प्रश्न पूछा है कि कितनी यूनिटें घाटे में चल रही हैं और उसके लिए क्या प्रयास हो रहा है और उसको कैसे दूर किया जाय । माननीय सदस्य का कोई ऐसा सवाल नहीं था । यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मैं बता चुका हूं ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपको चुनौती है ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें सूचना की आवश्यकता है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि अधिकांश मिलें घाटे में चल रही हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सूचना की आवर्श्यकता है, इसलिये मेरा इसी संबंध में एक अनुपूरक प्रश्न है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रक्रिया यह है कि मेरे अनुपूरक प्रश्नों का पहले जबाब आना चाहिये । यदि आप मेरे प्रश्नों के संबंध में दिये गये उत्तर से संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है । पहले मेरे अनुपूरक प्रश्नों का तो सही जबाब आ जाना चाहिये, तब दूसरे अनुपूरक प्रश्न हो सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय आप आदेश दे दें कि चूंकि सूचना की आवश्यकता है, इसलिये इसे बाद में लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री अग्रवाल जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रश्न में सूचना की आवश्यकता है । आपने 35 चीनी मिलों के बारे में अनुपूरक प्रश्न किया कि कितनी मिलें घाटे पर हैं और प्रति वर्ष उनमें कितना घाटा आ रहा है और सरकार उस घाटे की प्रतिपूर्ति कहां से करती हैं । इसमें बहुत विस्तृत जानकारी करनी होती है, यह आप भी महसूस कर रहे होंगे । चूंकि इसमें मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना की आवश्यकता है, इसलिये इसे फिर लिया जायेगा इसे स्थगित किया जाता है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं सुन नहीं पाया । आपने क्या इस प्रश्न को स्थगित कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष–

हां, मैंने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया है ।

जनपद हरदोई की जलालपुर-छिबरामऊ विद्युत लाइन एवं मल्लावां गौसगंज विद्युत लाइन के जीर्णोद्धार की मांग

***3–श्री राम आसरे वर्मा–**

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की जलालपुर-छिबरामऊ लाइन, जो परसोला तेरवाकुल्ली, मटियामऊ, राधोपुर आदि अनेक गांवों तक फैली हुयी है, कब बिछायी गयी थी और कितने दिनों तक इस लाइन से विद्युत प्रदान की गयी ? यदि विद्युत प्रदान नहीं की गयी तो उसके कारण क्या हैं तथा उन कारणों को दूर कर लाइन के जीर्णोद्धार न किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त लाइन की ही भांति इसी जनपद की मल्लावां-गौसगंज लाइन भी बेकार पड़ी है ? यदि हां तो उसे कब तक ठीक कराकर विद्युत वितरण सुनिश्चित कर दिया जायगा ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रवि कान्त गर्ग)–

प्रश्न गत 11 के०वी० लाइन का निर्माण वर्ष 1973 में किया गया था जो वर्ष 1976 तक चालू रही ।

उपरोक्त 11 के०वी० लाइन के कुछ ग्रामों का एल०टी०ू० लाइन बिछाकार विद्युतीकरण इसी अवधि में किया गया था वर्ष 1976 में उपरोक्त लाइन के 20 किलोमीटर लम्बी लाइन का तार चोरी चला गया जिसे तदन्तर नया तार लगाकर पुनः चालू किया गया परन्तु वर्ष 1977 के अंत में तार की पुनः चोरी हो गयी जिसे संसाधनों की कमी के कारण पुनः स्थापित नहीं किया जा सका ।

जी हां ।

संसाधनों की कमी के कारण इस लाइन के तार का पुनः स्थापित करना सम्भव नहीं हो पाया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि तार लगाये गये, लाइन बिछायी गयी लेकिन तार चोरी चले गये और इसके कारण वहां पर उस पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं दी जा सकी । मैंने अपने प्रश्न में दो लाइनों का जिक्र किया है जलालपुर-छिबरामऊ लाइन और मल्लावां गोसगंज लाइन, दोनों लाइनों के संबंध में मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि विभाग के ही कर्मचारी तारों को चाहे चोरी कर ले या तार न बिछाकर बना हुआ दिखा दे, ऐसा करते हैं । लाइन चालू नहीं होती है, कागज में दिखा दी जाती है । 1977 की जिस चोरी का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है, क्या उसके संबंध में किसी थाने में या कहीं पर कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी ? यदि नहीं, तो कर्मचारियों ने कागजों में हेराफेरी करके क्षेत्र की जनता को धोखा दिया है ।

श्री रविकान्त गर्ग–

इस संबंध में दिनांक 17-11-77 और 27-11-77 को संबंधित थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखायी गयी थी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में विद्युत लाइनों की समस्या बहुत पहले से है । जिन लाइनों से तार चोरी चला गया है, क्या वहां की कोई समय सीमा है कि कितने दिनों में उन लाइनों को पुनः स्थापित कर देगें ?

श्री रविकान्त गर्ग–

शासन बराबर प्रयास करता है चोरी को रोकने का और जहां पर चोरी हो जाती है वहां पर पुनः नयी लाइनों को स्थापित करने के लिये प्रयास किया जाता है किन्तु संसाधनों की जो कमी है उसके कारण अतिशीघ्र उसको कर पाना असंभव होता है । इस विषय में पूर्व में लाइन डाली गयी थी, पुनः तार चोरी हुआ, 1976 में पुनः लाइन बिछायी गयी ।

(घोर व्यवधान)

इस संबंध में कोई समय सीमा निश्चित करना असंभव है लेकिन अतिशीघ्र प्रयास किया जायगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन् 77 में बिजली के तार की चोरी की रिपोर्ट लिखायी गयी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राणा जी, अभी आप बैठ जायं । आप अवस्थी जी के बाद प्रश्न कर लीजियेगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उर्जा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जनपद हरदोई मात्र में उल्लिखित लाईन के अतिरिक्त और कितनी लाईनों की चोरी हुई है, क्या इसकी जानकारी आपके पास है और उसको दुबारा बिछाने में कितने रुपये का व्यय होगा ?

श्री अध्यक्ष–

यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं कहा है कि सन् 1977 में विद्युत तार की चोरी हो गयी और उसकी रिपोर्ट भी लिखायी गयी । इसके बाद इतने वर्ष बीत गये और इतने वर्षो में दुबारा लाईन नहीं बिछायी गयी । अभी माननीय प्रश्नकर्ता ने अपने प्रश्न में कहा था कि वहां विद्युत लाईन की चोरी नहीं हुई बल्कि कागजों के बीच यह कार्यवाही हो गयी और फिर उसकी चोरी दिखा दी गयी तो यह जो मा० प्रश्नकर्ता की शिकायत है क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि लाईन वास्तव में बिछाई गयी थी या फिर कागजों में ही हेरा फेरी दिखा दी गयी ? दूसरे सन् 77 से आज तक यह प्रकरण लम्बित है इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि इस संबंध में सन् 77 के बाद से आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई और अब कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री रविकान्त गर्ग–

अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, लाईन शीघ्र बिछाई नहीं जा सकी इसका एक कारण यह भी है कि इतनी बड़ी लाईन पर आज तक किसी ग्राम वासी के द्वारा या उपभोक्ता के द्वारा एक भी कनेक्शन नहीं लिया गया । तीन साल के दौरान एक भी कनेक्शन किसी ग्रामवासी या उपभोक्ता के द्वारा नहीं लिया जा सका । जबकि प्राविधान यह है कि जब लाईन बिछायी जाती है तो उसके व्यय का 15 प्रतिशत लाभ मिलना चाहिये, यह विद्युत बोर्ड के लिये आवश्यक है । लाइन के तार चोरी हो जाने के बावजूद भी पु

लाइन बिछायी गयी । जहां तक इसके संबंध में दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों की बात है मा० सदस्य ने कहा है । मैंने कल ही इसके संबंध में शासन द्वारा निर्देश दिया है कि यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति पायी गयी और इसके संबंध में जो दोषी पाये जायेगें उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये जायेगें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अभी मा० मंत्री जी ने कहा है कि कनेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं आये । लाईन है नहीं और कनेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र मांग रहे हैं । जब पहले लाईन बिछा दी गयी थी, अभी यह बात माननीय मंत्री जी ने सम्मानित सदन के सामने कही है कि दो बार लाईन बिछाई गयी तो इतने लम्बे समय से जब वहां लाईन पड़ी हुई है तो उस लाईन के जीर्णोद्धार की व्यवस्था माननीय मंत्री जी कब तक करा देगें ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अभी एक प्रश्न माननीय वर्मा जी ने पूछा है कि वहां के लाईन के जीर्णोद्धार की व्यवस्था आप कब तक करा देंगे । आप इसका उत्तर दे दें तब माननीय बाबूराम यादव जी आपसे प्रश्न पूछेंगे ।

श्री रविकान्त गर्ग–

संसाधन की कमी के कारण वहां पर अभी लाईन का बिछाया जाना असंभव है । जब संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे हम अति शीघ्र इसे करा देगें ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उस क्षेत्र के लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया । मैं जानना चाहता हूं कि कनेक्शन के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? दूसरे मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी इन्होंने कहा है कि चोरी को रोकने के लिये कड़े निर्देश जारी कर दिये हैं वह क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष–

संभवतः इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

प्रदेश में बिजली की चोरी की सूचना जितनी इनको होगी वह यहां पर बैठे हुये लोगों को नहीं होगी ।

श्री राम औतार शास्त्र–

अध्यक्ष महोदय आपने कहा था कि नये सदस्यों को सदन में वरीयता दी जायेगी , मैं नया सदस्य हूं लेकिन मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रक्रिया नियमावली को पढें । मैं समय दूंगा ।

श्री रामऔतार शाक्य–

मान्यवर, यहां पर बिजली का प्रकरण शुरू हुआ कि बिजली के तारों की चोरी की जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि बिजली का मामला समूचे प्रदेश का है । जनता बिजली न मिलने से परेशान हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली का हवाला दिया है उसमें है कि अनुपूरक प्रश्न जो पूछे जायें वह मूल प्रश्न से संबंधित हों, लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा है वह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

(सदस्य के खड़े रहने पर)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

प्रदेश में सूखा की स्थिति से निपटने हेतु विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु उठाये गये कदमों की जानकारी

4*–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भीषण सूखा से निपटने के लिये विद्युत आपूर्ति में सरकार क्या सुधार कर रही है ? क्या सरकार प्रथम स्तर पर विभिन्न जनपदों में जले हुये 25 व 63 व 100 के० बी० ए० ट्रान्सफारमर की मरम्मत तथा बदलने के लिये युद्ध स्तर पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

रविकान्त गर्ग–

कम वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुये शासन तथा विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं :–

1– विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से अधिकाधिक विद्युत उत्पादन का प्रयास ।
2– राजकीय नलकूपों के विद्युत दोषों को प्राथमिकता से दूर किया जाना ।
3– राजकीय एवं निजी नलकूपों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराने का प्रयास ।
4– अगस्त 1991 से दिसम्बर, 1991 तक 10,000 निजी नलकूपों के उर्जीकरण का लक्ष्य ।
5– सिंचाई की अतिरिक्त विद्युत मांग को पूरा करने के लिये उर्जा संरक्षण कार्यक्रम पर बल दिया जाना ।

विभिन्न जनपदों में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत तथा बदलने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है । यह एक निरन्तर प्रक्रिया है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 20 जुलाई, 1991 से 31 जुलाई, 1991 तक कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ और आज उसकी क्या स्थिति है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, 1 अप्रैल, 1991 से 31 जुलाई, 1991 तक बिजली का कुल उत्पादन 6702.890 मिलियन यूनिट हुआ है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि 20 जुलाई, 1991 से 31 जुलाई, 1991 तक बिजली का कुल कितना उत्पादन हुआ और आज उसकी क्या स्थिति है और उसकी पूर्ति की क्या स्थिति है ? यह प्रश्न मैंने किया था ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, वही तो मैंने बताया था । 1 अप्रैल से निरन्तर उत्पादन के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

डा० बृजभान यादव–

सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या किया जा रहा है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुमति आपको नहीं दी है माननीय सदस्य शर्मा बोलें ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं इस प्रदेश के अंदर 25, 63 और 100 के०बी०ए० के कितने ट्रांस्फारमर जले हुये हैं और उनको बदलने की शासन की क्या नीति है और क्या उस नीति का शासन के द्वारा पालन कराया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, अलीगढ़ में कासिमपुर यूनिट पांच वर्षो से बंद पड़ी है...

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं यह रिकार्ड नहीं होगा । मंत्री जी का उत्तर आने दें ।

श्री रविकांत गर्ग–

मान्यवर, प्रदेश में 31 मार्च, 1991 तक 25,63 और 100 के०बी०ए० क्षमता के जले हुये ट्रांस्फारमरों की संख्या 4094 थी तथा उसके पश्चात् 1.4.91 से 30.6.91 के मध्य जले हुये ट्रांस्फारमरों की संख्या 4177 है जो कुल मिलाकर 8271 हो गयी थी जिसमें से पूर्णक्षमता का उपयोग करके ट्रांस्फारमरों की युद्धस्तर पर मरम्मत कराकर विभागीय कार्यशाला और निजी कार्यशालाओं से 5323 ट्रांस्फारमरों की मरम्मत कराकर कार्ययोग्य बनाया गया है तो वर्तमान में 8271 में से 2948 है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) मैं आप लोगों को अवसर दूंगा मेरा प्रयास है कि नये सदस्यों को अधिक मौका दूं ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष–

पर्याप्त उत्तर दे दिया है । (व्यवधान)

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ गया है (व्यवधान) यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री बलवीर सिंह–

मान्यवर, अलीगढ़ में कासिमपुर यूनिट पिछले तीन सालों से पूरी तरह से बंद है क्या उसको चालू करने की व्यवस्था करा रहे हैं ? तथा माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में 2 हजार कनेक्शन के एग्रीमेंट फार्म भर कर पड़े हुये हैं वहां आज तक लाइन नहीं खींची गयी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है आप भाषण कर रहे हैं यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है ।

श्री० वृजभान यादव–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस शताब्दी के सबसे भीषण सूखे को देखते हुये उत्तर प्रदेश में क्या पड़ोस के राज्यों से जहां वृष्टि हुई है वहां से बिजली उधार लेने के लिये शासन ने क्या व्यवस्था किया है ? यदि कोई व्यवस्था किया है तो किन राज्यों से और कितनी यूनिट बिजली लेने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री रविकांत गर्ग–

मान्यवर, एक और हम अपने उत्पादन में वृद्धि का पूरा प्रयास कर रहे हैं और दूसरी और अपने उत्पादन केन्द्रो में गुणवत्ता की स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं । इसके साथ ही हम प्रयासरत हैं कि अन्य प्रदेशों से और राष्ट्रीय विद्युत उत्पादन निगम से आयात किये जाने वाली विद्युत की मात्रा को बढ़ाया जाये ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि 25,63 और 100 के०वी०ए० के जो ट्रान्सफारमर जले हैं उनसे कितने नलकूप प्रदेश में प्रभावित हुये हैं और आज की स्थिति में प्रदेश में कितने नलकूप पानी दे रहे हैं ?

श्री रविकांत गर्ग–

मान्यवर, मा० सदस्य ने जो पूछा है उसके संबंध में सूचना की आवश्यकता है । परन्तु इसी से संबंधित एक जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं कि माह जुलाई 1991 के प्रारम्भ में कुल 27,296 राजकीय एवं विश्व बैंक के नलकूपों में से 1,558 यानि 5.60 नलकूप दोष के कारण खराब पड़े थे जिनको सुधारने के प्रयास किये गये और इससे अब यह संख्या बढ़कर 1179 यानि 4,32 प्रतिशत रह गयी है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो दो हजार ट्रान्सफारमर अब भी जले पड़े हैं उनकी मरम्मत का कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

दूसरा प्रश्न क्या बहुत जगहों से विद्युत लोड ज्यादा होने के कारण अधिक क्षमता के ट्रान्सफारमर लगाने की मांग आयी है और उसकी पूर्ति करने का कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

तीसरा प्रश्न कुछ थरमल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको चालू करने हेतु अधिक स्टाफ नियुक्ति करने की मांग बोर्ड से क्या की गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

आपके यह प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर हैं और आप एक प्रश्न करें ?

श्री लाल जी वर्मा–

विद्युत उत्पान बढ़ाने के लिये यह जो परियोजनायें हैं उनमें और अधिक यूनिट चालू करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री रवि कान्त गर्ग–

मान्यवर, हमारे सभी विद्युत गृहों में कार्य प्रगति पर हैं जिससे भविष्य में इसमें काफी वृद्धि होगी । विद्युत आपूर्ति के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मथुरा जनपद में जो मथुरा रिफाइनरी है । मान्यवर, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया)

(घोर व्यवधान)

श्री भोला सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने ट्रान्सफारमर रिपेयर करवाये हैं वह कितने दिन चले हैं । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं

कि कितने गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण कागज पर ही हुआ है वास्तव में वहीं पर एक भी खम्भा नहीं लगा हुआ है । क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है ? आप कब तक वहां पर खम्भा लगवाकर विद्युतीकरण करवा देंगे ? यह दो बातें मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पहली बात का उत्तर दे दें । दूसरी बात के उत्तर के लिये काफी विवरण की आवश्यकता होगी ।

श्री रवि कान्त गर्ग–

मान्यवर, मैंने अभी कहा कि ट्रान्सफारमर को ठीक कराने का, उनके रख-रखाव का कार्य और उनको बदलवाने का निरन्तर प्रयास किया जाता है और यह सदैव चलता रहता है । हमारे आंकड़ों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि जो ट्रान्सफारमर जल जाते थे उनके बदलने मेंकितना समय लगता थ उसमें भी जल्दी कार्य किया है । उसकी मात्रा कम की है । आठ हजार की संख्या को घटाकर दो हजार पर लाकर यह सिद्ध कर दिया है कि हम इसमें प्रयासरत हैं ।

जनपद गोण्डा की चीनी मिल नवाबगंज एवं बभनान पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु कृत कार्यवाही

***5–श्री छेदी लाल–**

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की शुगर फैक्ट्री नवाबगंज एवं बभनान पर गन्ना किसानों का वर्ष 1987–88 का कितना पैसा बकाया है ? अभी तक गन्ना किसानों का बकाया भुगतान को दिलाने के लिये सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जनपद गोण्डा की चीनी मिल नवाबगंज एवं बभनान पर गन्ना किसानों का वर्ष 1987–88 का क्रमशः रु० 82.83 लाख एवं 54.19 लाख रुपया बाकया है ।

गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु बभनान चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया तथा नवाबगंज चीनी मिल का अभिग्रहण शासन द्वारा किया जा चुका है । देय प्रतिकर वितरण हेतु कार्यवाही विहित प्राधिकारी के समक्ष दायर किये गये वाद के अंतर्गत विचाराधीन है । विहित प्राधिकारी के निर्णय के उपरांत बकाया भुगतान की कार्यवाही सम्भव हो पावेगी ।

(घोर व्यवधान और हंगामा के मध्य प्रश्न सं० 5 लिया गया तथा मंत्री जी ने मूल उत्तर पढ़ा ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये । शान्ति रखिये आप लोग । कृपया बैठें । बल्कि नियमानुसार सदन की कार्यवाही चलेगी । आप लोग बैठ जाइये ।

श्री अखिलेश–

सदन को पहले आप व्यवस्थित करें, उसके बाद ही यहां कोई कार्यवाही चले । आप प्रश्न आदि लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप शान्त रहें ।

एक सदस्य–

आपके ध्वनि विस्तारक यंत्रों में आवाज नहीं आती, हमारा गला खराब हुआ जा रहा है । पहले आप उन्हें ठीक कराइये । यह पक्षपात हो रहा है, उपर से जब बोलते हैं तो हमारे कान फटने की नौबत आ जाती है और इधर से हमारी बात सुनाई नहीं पड़ती है ।

श्री छेदीलाल–

इस चीनी मिल का अधिग्रहण किया जा चुका है । दूसरी मिल का बकाया है, उसका भुगतान वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाय । यह सालों से बकाया धनराशि का मामला है । आप प्रश्न को गम्भीरता से लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप ठीक से फिर से प्रश्न कर लें ।

श्री छेदी लाल–

पहली चीनी मिल के संबंध में जो उत्तर आया है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिग्रहण के समय सरकार इस बात को सुनिश्चित करती है कि किसानों की बकाया धनराशि को दिलाया जायगा या नहीं ?

श्री हनुमंत सिंह–

आपके माध्यम से मैं अपने सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ही गांव और गरीब तक पहुंचने की बात है । किसानों की समस्याओं.....

श्री अखिलेश–

यहां मेरा एक आरोप है,....(घोर व्यवधान)

श्री हनुमंत सिंह–

मैं अपने सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं....

(घोर व्यवधान)

...जो बकाया धन है उसको दिलाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायगी ।

श्री छेदीलाल–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ना मिलों को शासन क्या कोई लोन देता है ?

(व्यवधान)

श्री हनुमंत सिंह–

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसके लिये ऋण नहीं देती है ।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों के बकाया भुगतान के लिये जो मूल घोषणा पत्र था, उसको ध्यान में रखते हुये यह सुनिश्चित करेंगे कि जो गन्ना मिलों पर किसानों का बकाया पैसा है उसको भुगतान कराने की कृपा करेंगे । या मिल मालिकों को प्रतिबंधित करेंगे ? किसानों के ऊपर अगर कुछ बकाया रहता है तो किसानों के धन की कुड़की कर दी जाती है, तो क्या किसानों के भुगतान के लिये मिल मालिकों को भी बाध्य किया जायगा और किसानों के धन पर ब्याज सुनिश्चित करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री हनुमंत सिंह–

हमारी सरकार की घोषणा है-

एक सदस्य–

माइक पर बोलिए सुनाई नहीं दे रहा ।

श्री हनुमंत सिंह–

किसानों की समस्या का सरकार समाधान करेगी । मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही हो रही है । वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं उसके आधार पर रिकबरी होगी और गन्ना किसानों को बकाया धन दिलाने का प्रयास किया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी फिर से अपनी बात स्पष्ट कर दें आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

प्रथम बात तो यह है कि किसानों का भुगतान जो बकाया है गन्ना मिलों के ऊपर, उस पर किसानों को ब्याज दिलाना सुनिश्चित करायेंगे । दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि युद्ध स्तर पर बकाया धनराशि भुगतान करने की बात कही जा रही है, तो कब तक युद्ध स्तर पर किसानों को बकाया भुगतान दिला दिया जायगा ।

श्री हनुमंत सिंह–

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसका प्रौसेस है बकाया प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं । हम नियमों के तहत गन्ना किसानों को भुगतान कराने का प्रयास करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मैं मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं जो बकाया धनराशि किसानों की है उस पर सरकार किसानों को ब्याज दिलाने का कष्ट करेगी ?

दूसरी बात युद्ध स्तर पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो कब युद्ध स्तर पर निर्णय यह सरकार करेगी और कितने दिन में भुगतान सुनिश्चित करेगी ?

श्री हनुमंत सिंह–

सरकार के समक्ष कोई ब्याज देने का विचार नहीं है ।

(व्यवधान)

वसूली पत्र जारी किये जा चुके हैं, उसके आधार पर किसानों का भुगतान कराया जायगा ।

श्री विजयपाल सिंह तोमर–

मान्यवर, किसानो का जो बकाया है उसका भुगतान इसलिये नहीं हो पा रहा है क्योंकि फर्जी परची बनाकर बाबुओं ने रुपया ले लिया है । किसानों का बकाया दिलाने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ? ऐसेकितने सेंटर्स हैं जहां किसानों का बकाया है ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको प्रश्न पूछने का अवसर दें । जो पुराने सदस्य हैं वह कृपया हमारे नये सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अवसर दें ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, उत्तर दिलवा दें ।

श्री हनुमंत सिंह–

मान्यवर, वह कौन से किसान हैं और वह कौन से सेंटर्स हैं माननीय सदस्य इसकी सूचना दे दें । मैं उसकी जांच कराके नियमानुसार कार्यवाही करा दूंगा ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

(शोर)

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय गन्ना मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चीनी मिल तिलहर शाहजहांपुर में कितने किसानों का पैसा बकाया है और किन स्थितियों में उसका भुगतान नहीं किया गया है । क्या यह सही है कि जो पैसा किसानों को मिलना चाहिये वह ठेकेदारों को दे दिया गया है और अन्य सामानों को खरीदने में खर्च करं दिया गया है ?

श्री हनुमंत सिंह–

मान्यवर तिलहर चीनी मिल पर किसानों का कितना बकाया है इसके लिये मुझे सूचना प्राप्त करनी होगी ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोआपरेटिव के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में और निगम के क्षेत्र में, इन तीन सेक्टरों में गन्ने के मूल्य के बारे में माननीय मंत्रीजी अलग अलग बतायें कि निजी क्षेत्र में गन्ना किसानों का कितना बकाया है, निगम और कोआपरेटिव के क्षेत्र में कितना-कितना बकाया है और इन क्षेत्रों में कैसे गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्रीजी, आपके पास ब्रेक अप हो तो बता दें ।

श्री हनुमंत सिंह–

मान्यवर, मैं सदन को पहले ही बता चुका हूं कि चीनी निगम के अंतर्गत अधिकांश फैक्ट्रियां घाटे पर चल रही हैं । इन्होंने पूछा कि निजी क्षेत्र, कोआपरेटिव व फेडरेशन की चीनी मिलों पर कितना बकाया है, इसके लिये सूचना प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि वर्ष 1987-88 में कुल गन्ना किसानों को, बमन गांव के, कितना बकाया था और उसके लिये वसूली के आदेश कब जारी किये ?

(प्रश्न का उत्तर नहीं आया)

(तारांकित प्रश्न सं० 6 के प्रश्नकर्ता का नाम पुकारे जाने पर, माननीय निरवेन्द्र कुमार उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

जनपद लखीमपुर में थारू क्षेत्र के बरवटा गांव के बंद राजकीय नलकूप को चालू करने की मांग

श्री निरवेन्द्र कुमार–(अनुपस्थित)

6*– क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र 72-निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में थारू क्षेत्र के गांव बरबटा में काफी समय से नलकूप बंद एवं जर्जर हालत में है, जिससे थारू जनजाति के किसानों की फसल की सिंचाई न होने से वे भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके है ? क्या सिंचाई विभाग द्वारा जर्जर एवं बंद पड़े नलकूपों को ठीक कराकर थारू जनजाति के कृषकों को सिंचाई की समुचित व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, न्याय तथा विधि मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

निर्वाचन क्षेत्र 72 निघासन खीरी में थारू क्षेत्र के गांव बरबटा में निर्मित नलकूप सं०-16 निघासन समूह एक नवीन नलकूप है, जो माह अप्रैल, 1991 से सिंचाईरत हुआ हो लेकिन इसकी जल वितरण प्रणाली को अभी पूरा किया जाना है ।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरांत प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

जी हां ।

थारू जनजाति क्षेत्र में 11 राजकीय नलकूप कार्यशील हैं । 3 नलकूपों पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिन्हें आगामी रबी फसल तक कार्यशील कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में "टी० एण्ड वी०" योजना का क्रियान्वयन

1—श्री सुरेश प्रताप गांधी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रशिक्षण एवं भ्रमण "टी० एण्ड वी०" योजना का वास्तविक क्रियान्वयन कब तक होगा ? क्या जनपद अलीगढ़ में इस योजना के अंतर्गत अधिकांश पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां कर, योजना को व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)—

प्रत्येक 55 मैदानी जनपदों में योजना का क्रियान्वयन क्षेत्रीय कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है । जनपद अलीगढ़ में इस योजना के अंतर्गत 185 स्वीकृत पदों में से 76 पद भरे हुये हैं । रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में आम की फसल को बीमारी से बचाने हेतु व्यापक योजना

2—श्री सुरेश प्रताप गांधी—

क्या उद्यान मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1991 में आम की फसल को प्रारम्भिक अवस्था (माह अप्रैल) में बीमारी से व्यापक प्रकोप से विशेष क्षति पहुंची है ? यदि इस बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिये कोई योजना उद्यान विभाग ने बनायी है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जी हां ।

बीमारी का आंशिक प्रभाव हुआ था । आम का खर्रा रोग ।

जी हां ।

आम के भुनगा कीट, खर्रा रोग एवं शाखागांठ कीट व्याधियों के नियंत्रण हेतु वर्ष 1991-92 में 175.91 लाख रुपये की विस्तृत योजना तैयार कर मई 1991 में पौधरक्षा सलाहकार वनस्पति रक्षा, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद (हरियाणा) के माध्यम से भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी गयी है जिसकी स्वीकृति अभी उनसे अपेक्षित है ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों का उर्जीकरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था

3—श्री सुरेश प्रताप गांधी—

क्या उर्जा मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु निजी नलकूपों

को ऊर्जीकृत करने तथा ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर धन एवं आवश्यक संसाधन ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युत विभाग को उपलब्ध करायेंगे ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि विगत वर्षो में संसाधनों के अभाव में ग्रामीण विद्युतीकरण में गतिरोध उत्पन्न हुआ है तथा निर्धारित लक्ष्य भी पूरे नहीं किये जा सके ? यदि हां, तो गतिरोध को दूर करने के हेतु त्वरित कार्यवाही कब तक की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

जी हां । ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण तथा ग्रामों के विद्युतीकरण सहित सभी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यो के लिये आवश्यक संसाधन योजना आयोग, भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं । अभी हाल में राज्य सरकार द्वारा भी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण कार्य को प्राथमिकता देते हुये 20 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ।

संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से आवंटित धनराशि अवमुक्त कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री राम सरन निगम, सेवा निवृत्त मैकेनिक कार्यालय कृषि रक्षा अधिकारी, कानपुर का पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण एवं देयों का भुगतान

4–श्री राम पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतेलायेंगे कि श्री राम सरन निगम सेवा निवृत्त मैकेनिक, कार्यालय कृषि रक्षा अधिकारी, कानपुर का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित करके वेतन एरियर नकदीकरण का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? कृपया यह भी बतायेंगे कि उनकी ग्रेच्युटी, पेंशन संशोधित दर पर भुगतान के लिये अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र क्या महालेखाकार को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक भुगतान करवाना सुनिश्चित करेगी ? उक्त कार्यालय में कुल कितने कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान भी वेतन निर्धारित करके वेतन एरियर का भुगतान किया गया है तथा कितने कर्मचारियों का भुगतान अभी तक लम्बित है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

श्री निगम का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण कर सम्पूर्ण अवशेष का भुगतान रु० 2513.50 दिनांक : 6–1–90 को किया जा चुका है । संशोधित अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र सेवा पुस्तिका सहित महालेखाकार, इलाहाबाद को संशोधित दर पर ग्रेच्युटी, पेंशन भुगतान करने हेतु कृषि रक्षा अधिकारी, कानपुर के कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक 2802 दिनांक 23–1–90 द्वारा भेजा जा चुका है । कार्यालय के 85 कर्मचारियों का वेतन

निर्धारण कर बकाया का भुगतान किया जा चुका है । किसी भी कर्मचारी का भुगतान लम्बित नहीं है ।

जनपद देवरिया, भटनी चीनी मिल द्वारा केन यूनियन भाटपार रानी को पुल निर्माण हेतु प्रदत्त धन की जानकारी

5–श्री हरिवंश सहाय–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990 में कितना धन भटनी चीनी मिल, जिला देवरिया द्वारा केन यूनियन भाटपार रानी, जिला देवरिया को पुल बनाने के लिये दिया गया ? क्या यह पुल अब तक बना ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री हनुमंत सिंह–

प्रश्नगत सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर-विक्रय केन्द्र कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी अवैधानिक नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

6–श्री हरिवंश सहाय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री जे०-एन० पाण्डेय, विक्रय केन्द्र कार्यालय जौनपुर की कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति डा० आर० पी० श्रीवास्तव तत्कालीन अपर निदेशक के आदेश संख्या-डी०-एच०-8511-13/स्था०-3/दिनांक 19-1-88 द्वारा किसी वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत की गयी है ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस अवैधानिक नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विरुद्ध सी०सी०ए० नियमों के अंतर्गत शीघ्र अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के नलकूपों के कलस्टर लगाये जाने की जानकारी

7–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद में विश्व बैंक परियोजना के नलकूपों के कलस्टर लगाये जाने का कार्य गत तीन वर्षों से पूर्णतया बंद है ? क्या नलकूप निर्माण मण्डल (विश्व बैंक) अलीगढ़ से स्थानान्तरित कर गाजियाबाद ले जाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस सर्किल को स्थानान्तरित करने के कारण क्या हैं ? क्या अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ विकास खण्ड व हसायन में नलकूप कलस्टर लगाने का सर्वेक्षण वर्ष 1988 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण के अनुरूप स्वीकृति जारी कर कलस्टर के नलकूप लगवाने की कार्यवाही शीघ्र करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं कार्य गत 3 वर्षों में चलता रहा ।

जी नहीं । नलकूप निर्माण मण्डल (विश्व बैंक) अलीगढ़ से स्थानान्तरित कर गाजियाबाद नहीं बल्कि सहारनपुर ले जाया जा रहा है क्योंकि विश्व बैंक नलकूप परियोजना का कार्य 31.3.91 को समाप्त हो गया है ।

जी हां । प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था किन्तु विश्व बैंक परियोजना 31.3.91 को समाप्त की जा चुकी है । अतः अब स्वीकृति निर्गत करने तथा नलकूपों के निर्माण की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के कतिपय विकास खण्डों में स्वीकृत राजकीय नलकूपों की संख्या एवं चयनित स्थानों का विवरण

8–श्री श्रीराम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कालपी तथा विकास खण्ड जालौन एवं विकास खण्ड कुठौन्द, जनपद जालौन में वर्ष 1990–91 में कितने राजकीय नलकूप स्वीकृत किये गये हैं और उक्त क्षेत्रों में कहां-कहां लगाये गये हैं ? क्या जिला स्तर पर होने वाली सिंचाई विभाग की बैठक में उक्त क्षेत्रों में लगे हुये या वर्तमान में लगाये जा रहे नलकूपों की विधिवत् स्वीकृति ली गयी थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1990–91 में जनपद जालौन की तहसील कालपी में 14, विकास खण्ड जालौन में 5, एवं विकास खण्ड कुठौन्द में 2 राजकीय नलकूप स्वीकृत किये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत 21 नलकूपों से में 17 नलकूप निम्नांकित स्थान पर लगाये गये हैं :–

क्र०	नलकूप सं० एवं समूह	ग्राम व विकास खण्ड का नाम
1.	203 कालपी,	सोहरापुर, महेवा
2.	204 कालपी,	निपनिया, महेवा
3.	206 कालपी,	बिनौरा बैठा, महेवा
4.	207 कालपी,	रिनिमापेदपुर, महेवा
5.	209 कालपी,	मुसमरिया, महेवा
6.	210 कालपी,	सिम्हारा काभीरा रामपुर, महेवा
7.	211 कालपी,	अटरा-कलां, महेवा
8.	205 कालपी,	काशीरामपुर, कदौरा
9.	208 कालपी,	उदनपुर खुर्द मिल्ली, कदौरा
10.	213 कालपी,	पथरेहरा, कदौरा

11.	118 जालौन,	इरहिया, जालौन
12.	119 जालौन,	शहजादपुरा, जालौन
13.	120 जालौन,	नगरी-नगरा, जालौन
14.	121 जालौन,	हथाना,बुजुर्ग, जालौन
15.	122 जालौन,	हजरत हरी, जालौन
16.	115 जालौन,	पीपरी नीरेजपुर, कुठौन्द
17.	103 जालौन,	विजवासा, कुठौन्दू

तहसील कालपी के ब्लाक महेवा के ग्राम उरकराकलां, मानपुर, मंडैया-अकबरपुर एवं नरहान में 4 नलकूपों का छिद्रण कराया जाना प्रस्तावित है ।

जी हां । जनपद योजना के अंतर्गत स्वीकृत 6 नलकूपों की विधिवत स्वीकृति दी गयी थी, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र०	नलकूप सं० व समूह	स्थल चयन अनुमोदन की तिथि
1.	203 कालपी	11.9.90
2.	204 कालपी	29.1.91
3.	205 कालपी	29.1.91
4.	118 जालौन	13.8.90
5.	119 जालौन	11.9.90
6.	115 जालौन	13.8.90

शेष 15 नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत दी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

9–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद लखीमपुर खीरी में मोहाना नदी स हा रह कटान की रोकथाम की मांग

10–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहाना नदी जो कि जनपद लखीमपुर-खीरी में भारत नेपाल सीमा पर बह रही है द्वारा तेजी से भूमि कटान के कारण

नि० कोटा बनकटी, नि० बेरिया गांव केलापुर सुवा गंगानगर, सूरतनगर आदि गांवों की हजारों एकड़ खेती की जमीन कट गयी है ? यदि हां, तो क्या शासन ने इस संबंध में नदी का कटान रोकने हेतु कोई व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । नि० कोटा (निकोटा) बेरिया केलापुर सुआ (बेलापुर सुआ) गंगा नगर, सूरतनगर आदि गांवों की कृषि योग्य भूमि कट रही है । इस कटान को रोकने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

इससे पूर्व समस्या प्रकाश में नहीं आई थी परन्तु प्रारम्भिक जांच करने से यह ज्ञात हुआ कि तकनीकी दृष्टि से नदी की लगभग 40 कि०मी० की लम्बाई में किसी प्रकार का कटान रोधक कार्य का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं होगा ।

जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा एवं कौड़ियाल नदियों से हो रहे कटान को रोकने की मांग

11–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी एवं कौड़ियाला नदी पर स्थित शारदा बांध एवं कैलाशपुरी बांध के कारण नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है, जिसके फलस्वरूप नदी की गहरायी कम होने से बाढ़ ज्यादा आ रही है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि बाढ़ में नदी की बालू निरन्तर बाहर फैलने से नदी का कटान निरन्तर जारी है ? यदि हां, तो शासन ने नदी से होने वाले कटान को रोकने हेतु क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न में उल्लिखित शारदा बांध से तात्पर्य कदाचित जनपद लखीमपुर-खीरी में शारदा नदी पर निर्मित शारदा-बैराज और कैलाशपुरी बांध से कदाचित जनपद बहराइच में घाघरा नदी पर निर्मित गिरिजा बैराज से हैं । इन बैराजों के निर्माण के कारण अधिकतम बाढ़ के समय लगभग 1.5 मीटर का पानी का उछाल (एफलक्स) होता है, जिसका प्रभाव बैराज स्थल के केवल 6–7 कि०मी० ऊपर तक रहता है, परन्तु यह सही नहीं है कि बैराजों के निर्माण के कारण नदी की गहराई कम हो गयी है, जिसके कारण बाढ़ ज्यादा आ रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के शारदा नहर खण्ड में व्याप्त अनियमितताओं की जांच के फलस्वरूप की गयी कार्यवाही का विवरण

12–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के शारदा नहर खण्ड में व्याप्त अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के संबंध में क्षेत्रीय कृषकों व जन-प्रतिनिधियों

की शिकायत पर जांच सिंचाई विभाग के मुख्यालय से गये मुख्य अभियंता श्री एस० के०-भार्गव के द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त जांच के फलस्वरूप अवर अभियंताओं व सहायक अभियंताओं के स्थानान्तरण तो कर दिये गये, परन्तु शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर के अधिशासी अभियंता के स्थानान्तरण को विभाग ने लम्बित कर रखा है ? क्या उक्त खण्ड में नहरों का प्रायः टूटना, कट जाना, बंद रहना अभी जारी है ? यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय कृषकों की परेशानी को देखते हुये उक्त अधिशासी अभियंता का स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अवर अभियंताओं, सहायक अभियंताओं एवं अधिशासी अभियंता का भी स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

इस खण्ड में शाहजहांपुर ब्रांच एक बार स्वयं मई में टूट गयी थी । इसके अतिरिक्त छोटी-छोटी नहरें लगातार सूखे के कारण अनाधिकृत पानी लेने और अपनी फसलें बचाने हेतु कृषकों द्वारा काटी जाती रहीं हैं जिनकी मरम्मत तत्परता से मौके पर करा दी जाती रही है ।

रोस्टर के अतिरिक्त कोई नहर बंद नहीं रही है । 1399 फसली में पानी की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक रही और सींच पिछले वर्ष की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक रही है ।

चूंकि अधिशासी अभियंता, शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण कर दिया गया है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद लखीमपुर खीरी, तेलियावार स्थान पर स्थापित गन्ना क्रय केन्द्र का किराया भूस्वामी को देने की मांग

13–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद लखीपुर खीरी के अंतर्गत सरजू सहकारी चीनी मिल बेलरायां के गन्ना क्रय केन्द्र तेलियार को जिस स्थान पर वर्ष 1990-91 के पेराई सत्र में स्थापित किया गया था क्या उस भूमि का किराया भूस्वामी को अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हनुमंत सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण

14–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के जिन ग्रामों में विद्युतीकरण वर्ष 89-90 व 90-91 में कराया जाना प्रस्तावित था उन ग्रामों

में विद्युतीकरण मौके पर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इन ग्रामों में विद्युतीकरण कब तक कराया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत वर्षो में चयनित किये गये 19 ग्रामों में से 9 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है । शेष 10 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रचलित नीति के अनुसार 1991-92 में जिला सलाहकार समिति के द्वारा चयन करने के पश्चात् संसाधनों को उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

खीरी जनपद के ग्राम राजपुर में सरयू नदी द्वारा हो रहे कटान की रोकथाम

15–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या सिचाई मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद खीरी के पलिया क्षेत्र में ग्राम राजपुर दरेरी में सरयू नदी पर बांध टूट चुका है जिससे किसानों की खेती योग्य जमीन को अत्यधिक हानि हुई है ? यदि हां, तो शासन ने उक्त ग्रामों में भूमि कटान को रोकने के क्या प्रबंध किये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

ग्राम राजपुर देररी में सुहेली नदी (सरयू नदी) तथा बोझिया नाले के बीच निर्मित बांध गतवर्ष क्षतिग्रस्त हो गया था । यह बांध इस उद्देश्य से बनाया गया है कि बाढ़ के समय सुहेली नदी का पानी बोझिया नाले में होकर न बहने लगे क्योंकि ऐसा होने से शारदा-सहायक योजक नहर पर बने बोझिया ड्रेन के साइफन को खतरा हो सकता है । यह बांध जमीन कटान को रोकने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है । क्षतिग्रस्त बांध को वर्षा के बाद ठीक कराये जाने का प्रस्ताव है । ग्रामों में भूमि कटान को रोकने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

जनपद लखीमपुर खीरी में सुहेली नहर तथा शाखाओं को सिचाई हेतु पर्याप्त पानी देने की मांग

16–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या सिचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी की निघासन तहसील में सुहेली नहर तथा सुहेली नहर की शाखाओं में पानी नहीं आता है तथा शाखायें अधिकांश जगह पर कटी पड़ी है ? यदि हां, तो मंत्री जी उक्त नहरों को ठीक करवाते हुए इस के लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखीमपुर खीरी की निघासन तहसील में सुहेली मुख्य नहर के कि०मी० ०० से 30.00 कि०मी० तक व इस मुख्य नहर से निकलने वाले झंडी राजबहा, बरौठा माइनर,

रकेहरी माइनर व दरेरी माइनरों से खरीफ की सिंचाई होती है । मुख्य नहर के इस पूरे भाग में व ऊपर वर्णित तीनों माइनरों में खरीफ में पानी दिया जाता है । झंडी राजबहा की कुल लम्बाई 18.4 कि०मी० है परन्तु 5.00 कि०मी० व 8.50 कि०मी० के पास क्रमश: 230 मीटर व 100 मीटर के गैप छूटे हुये हैं क्योंकि न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण इन भागों की भूमि अध्यापित नहीं हो पायी है । इसलिये इस राजबहे में केवल 5 कि०मी० तक ही पानी दिया जाना संभव हो पाता है ।

सूखे की स्थिति के कारण कृषकों ने नहरों को जगह-जगह पर काटकर सिंचाई की है । ज्ञात होने पर कटिंग भरकर आगे पानी दिया जाता है । अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखीमपुर खीरी जनपद के विकास खण्ड निघासन में स्थित नाले की मरम्मत तथा टूटी पुलियों का निर्माण

17—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड निघासन जनपद लखीमपुर खीरी से बना नाला झुलहू से मुन्नु पुरवा तक वर्षो से बंद पड़ा है तथा इसकी दो पुलिया टूटी पड़ी है ? क्या मंत्री जी उक्त नाले की सफाई व टूटी पुलिया बनवाने की कृपा करेंगें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचन सुविधा विस्तार योजना के तहत बुन्देलखण्ड में स्वीकृत नलकूपों को लगाये जाने की मांग

18—श्री श्रीराम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में वर्ष 90-91 में पूर्व कृषि मंत्री चौ० शंकर सिंह ने 334 कालपी विधान सभा क्षेत्र में सिंचन सुविधा विस्तार हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि से कुल कितने नये नलकूप लगाये जाने हेतु स्वीकृति दी थी और इनमें से कितने लग चुके हैं ? क्या यह सही है कि अब तक मात्र दस नलकूपों का बोर हो सका है शेष पांच या अधिक पर अभी भी काम होना शेष है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या शेष नये नलकूपों के निर्माण स्थलों के चयन में सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुये इसमें क्षेत्रीय विधायक का सहयोग लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

19—श्री सुरेश कुमार शर्मा—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

हरदोई जनपद के विकास खण्ड भरावन एवं अतरौली में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

20—श्री राम पाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई विकास खण्ड भरावन, अतरौली में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण काफी समय से लम्बित है जबकि भवन आदि का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां ।

प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य वर्ष 1991-92 के कार्यक्रम में सम्मिलित है और यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

संसाधनों की कमी विलम्ब का कारण है ।

जनपद जालौन में रबी की फसल की रक्षा हेतु कृषि रक्षा रसायनों पर व्यय धनराशि

21—श्री श्रीराम—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन को वर्ष 1990-91 में रबी की फसल की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा कितनी धनराशि की कीटनाशक दवायें उपलब्ध करायी गयी थी तथा वह कीटनाशक दवायें कौन-कौन थीं तथा उनका उपयोग क्या जिले के सभी विकास खण्डों में किया गया था ? यदि हां, तो कौन-कौन ग्रामों में किन-किन फसलों पर किया गया ? सम्पूर्ण जनपद में इन कीट नाशक दवाओं का प्रयोग न करके सीमित ग्रामों में प्रयोग करने का क्या औचित्य रहा है ? क्या इसकी विभागीय जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं हो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जनपद जालौन में वर्ष 1990-91 में रबी की फसल की सुरक्षा हेतु रु०-16,15,192.90 के विभिन्न कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराये गये थे ।

रसायन की संख्या -25 थी । इससे संबंधित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है । इन्हें आवश्कतानुसार जनपद के सभी कृषि रक्षा इकाईयों को उपलब्ध कराकर प्रयुक्त कराया गया ।

विकास खण्डवार ग्रामों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है । रसायन का चना, मटर, मसूर, गेहूं, राई, सरसों, अरहर एवं आलू आदि की फसलों पर प्रयोग कराया गया । रसायन का प्रयोग जनपदों के सभी विकास खण्डों में आवश्यकतानुसार कराया गया न कि सीमित ग्रामों में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 124 पर)

वाराणसी जनपद की चरिया तहसील में विभिन्न अनुरक्षण कार्यो पर व्यय धनराशि का विवरण

22–श्री राजेश कुमार–

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकिया तहसील जनपद वाराणसी में वित्तीय वर्ष 1988–89, 1989–90, 1990–91, 1991–92 में कितनी सिचाई योजनायें प्रस्तावित थीं व कितनी पूरी हुई ? अलग-अलग वित्तीय वर्षो में शासन के द्वारा कितना धन स्वीकृत हुआ ? उपर्युक्त वित्तीय वर्षो में अनुरक्षण मद में कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी तथा इससे अनुरक्षण के कौन-कौन से कार्य सम्पन्न हुये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चकिया तहसील में कथित वर्षो में नेबाजगंज पम्प नहर की क्षमता वृद्धि परियोजना तथा चालू नरायनपुर पम्प नहर की क्षमता वृद्धि परियोजना के तहत कर्मनाशा प्रणाली की कुछ नहरों की क्षमता वृद्धि तथा नई नहरों का निर्माण प्रगति में रहा । ये दोनों ही परियोजनायें अभी पूरी नहीं हुई हैं तथा प्रगति में है ।

अलग-अलग वर्षो में इन दोनों परियोजनाओं पर निम्नानुसार धन व्यय हुआ ।

वर्ष	नेवाजगंज पम्प नहर पर ला० रु० में	नरायनपुर पम्प नहर पर ला० रु० में
88–89	5.42	56.42
89–90	41.08	42.46
90–91	1.38	32.05
91–92	–	93.60
(कुल आवंटन)		(प्रस्तावित आवंटन)

चकिया तहसील के सभी सिचाई कार्यो के अनुरक्षण हेतु विभिन्न वर्षो में निम्नलिखित व्यय हुआ ।

वर्ष	नहरों पर ला० रु०	बंधियों पर ला० रु०	जलोप्सारण कार्यो पर ला० रु०	नलकूपों पर ला० रु०
88–89	41.71	2.97	7.88	0.45
89–90	37.65	11.71	6.96	0.45
90–91	52.29	9.13	0.81	0.45
91–92 (आवंटन)	12.00	-	1.46	0.45

चकिया तहसील में कथित वर्षो में 586.00 कि०मी० नहरें, 94 अदद बन्धियां 99.30 कि०मी० नालों तथा 9 अदद राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण कार्यो पर उपरोक्त धनराशि व्यय की गयी ।

23–श्री छेदी लाल–

[3 रे गुरू में अता० प्र० सं० 33 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जालौन में नहरों की खुदाई एवं सफाई पर व्यय धनराशि का विवरण

24–श्री श्रीराम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में वित्तीय वर्ष 1990–91 में नहरों की सफाई एवं खुदाई हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो कितनी और जनपद में किस-किस माइनर की सफाई और खुदाई की गयी तथा किस-किस माइनर की खुदाई व सफाई हेतु कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जनपद जालौन में वित्तीय वर्ष 1990–91 में नहरों की सफाई एवं खुदाई हेतु रुपये 23.37 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी , जिसके अंतर्गत बेतवा नहर प्रखण्ड-2 उरई के अधीन कुठौंद शाखा प्रणाली पर नहरों की सफाई/खुदाई के कार्य तथा उक्त नहर प्रखण्ड-प्रथम (हमीरपुर शाखा) की नहरों की सफाई एवं खुदाई के कार्य कराये गये । इस प्रकार इस जनपद के अंतर्गत 130 माइनरों की सफाई एवं खुदाई का कार्य कराया गया ।

हरदोई जनपद में समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

25–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के बिलग्राम माइनर और उससे सम्बद्ध सदरपुर माइनर की जीर्ण स्थिति के कारण किसानों को समुचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाता तथा उनके किनारे जीर्ण स्थिति में हैं ? क्या मंत्री जी जांच कराकर समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने तथा माइनरों के किनारे ठीक कराने का कष्ट करेंगे

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद हरदोई में बिलग्राम नामक कोई माइनर नहीं है । कदाचित प्रश्नकर्ता का आशय बिलग्राम रजवहा से है । इस रजवहे तथा इससे निकलने वाली माइनरों को उपलब्ध जलराशि एवं रोस्टर के अनुसार जल उपलब्ध कराया जाता है, किन्तु ऊपर के कृषकों द्वारा अवैधानिक सींच किये जाने के कारण नीचे के कृषकों को सिंचाई हेतु समुचित पानी नहीं मिल पाता, फिर भी सिंचाई सुविधा में गत फसलों की तुलना में कोई उल्लेखनीय कमीं नहीं हुई है ।

कृषकों द्वारा अवैधानिक रूप से सिंचाई किये जाने के कारण नहरों के किनारे क्षतिग्रस्त हो गये हैं ।

जी हां ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम बेलहरी (बहरौली) में विद्युतीकरण की मांग

26–श्री राम ललित

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मजरा-बहरौली ग्राम-बेलहरी जनपद-बाराबंकी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उक्त हरिजन बाहुल्य ग्राम में विद्युतीकरण हेतु कोई योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या ग्रामवासियों के सामूहिक हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना-पत्र 28–5–87 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस मजरे बहरौली में विद्युतीकरण की योजना कब तक बनाकर विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

बाराबंकी जनपद में मजरों के विद्युतीकरण की कोई योजना अभी प्रस्तावित नहीं है । इस कारण मजरा बहरौली का विद्युतीकरण अभी संभव नहीं है ।

जिला कृषि अधिकारी गोण्डा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

27–श्री छेदी लाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र 5-7-91 को उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में जिला कृषि अधिकारी के रिक्त पद भरने की मांग

28–श्री छेदी लाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में जिला कृषि अधिकारी का पद कितने दिनों से रिक्त है ? उक्त पद पर अभी तक नियुक्ति न करने का औचित्य क्या है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा का पद यद्यपि दिसम्बर, 1990 से रिक्त है परन्तु इस पद का कार्य समकक्ष अधिकारी-उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, मनकापुर कर रहे हैं ।

अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद पर तैनाती नहीं की जा सकी है तथा प्रश्नगत रिक्त पद पर यथाशीघ्र अधिकारी की तैनाती के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

गन्ना विकास समिति सिसवा बाजार महाराजगंज के माध्यम से घोसी एवं सठियांव चीनी मिलों पर कृषकों के बकाये का भुगतान

29–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास समिति सिसवा बाजार जनपद महाराजगंज के माध्यम से गन्ना कृषकों का कितना-कितना धन घोसी और सठियांव चीनी मिलों पर विगत पेराई सत्र का बाकी है ? क्या इसे किसानों में वितरित कराने की कोई निश्चित तिथि निर्धारित करेंगे ? क्या भुगतान के विलम्ब के कारण ब्याज की रकम भी दिलाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमंत सिंह–

सहकारी गन्ना विकास समिति सिसवा बाजार जनपद-महाराजगंज के माध्यम से किसान सहकारी चीनी मिल घोसी तथा सठियांव को विगत वर्ष 90-91 में पूर्ति किये गये गन्ने का मूल्य क्रमशः रु० 95.61 लाख रुपये तथा 25.48 लाख रुपये अवशेष है ।

अगला पेराई सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व उक्त अवशेष को भुगतान कराने का प्रयास किया जायेगा ।

नियमों के प्राविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं हैं ।

गन्ना शोध परिषद् सेवरही, देवरिया की निचलौल, जनपद महाराजगंज शाखा में नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी

30–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गन्ना शोध परिषद् सेवरही (देवरिया) की एक शाखा निचलौल जनपद महाराजगंज में स्थापित की गयी है ? यदि हां, तो उस शाखा हेतु कितने पदों की व्यवस्था की गयी है तथा वर्तमान में उसके कर्मचारियों द्वारा कार्य सम्पादन हेतु किस प्रकार की प्रबंध की व्यवस्था है तथा किसके अधीन है ? क्या इसमें स्थानीय लोगों का सेवा में योगदान लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमंत सिंह–

जी हां ।

गन्ना बीज सम्वर्धन एवं प्रशिक्षण केन्द्र निचलौल, महाराजगंज में निम्न पद स्वीकृत हैं :–

		पदों की संख्या
1–	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बीज)	1
2–	वैज्ञानिक अधिकारी (प्रजनन एवं शस्य)	3
3–	वरि० वैज्ञानिक सहायक (फार्म)	1
4–	वैज्ञानिक सहायक	2
5–	लिपिक/टाईपिस्ट	2
6–	ट्रैक्टर चालक	3
7–	जीप चालक	1
8–	नलकूप चालक	1
9	फार्म मिस्त्री	1
10–	स्वीपर	1
11–	हलवाहा/चौकीदार	8

सलाहकार एवं निदेशक गेंदा सिंह प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान सेवरही, देवरिया, के अधीन उनके निर्देशन में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य का सम्पादन किया जाता है ।

जी नहीं । नियुक्तियों पर लगी रोक के कारण स्वीकृत पद अभी भरे नहीं गये हैं । अतः अन्य केन्द्रों से कुछ कर्मचारियों एवं एक अधिकारी को स्थानान्तरित करके कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है ।

जनपद गोण्डा में बन्द राजकीय नलकूपों को चालू कराये जाने की मांग

31–श्री छेदी लाल–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में कितने दिनों से, कितने राजकीय नलकूप बंद पड़े हैं ? उन्हें चालू करने के क्या प्रयास किये गये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद गोण्डा में 31 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 36 नलकूप विद्युत दोष से विभिन्न तिथियों से बंद हैं, जिनका विवरण संलग्न है ।

यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद नलकूपों को त्वरित गति से चालू करने हेतु सिंचाई एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठकें कर आवश्यक कार्यवाही कराई जा रही है ।

कृषि संवर्धन प्रक्षेत्र कस्तुआ जनपद गोण्डा द्वारा बीज प्रमाणीकरण कार्य का विवरण

32–श्री छेदी लाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि राजकीय कृषि सम्बर्धन प्रक्षेत्र कस्तुआ, जनपद गोण्डा में वर्ष 88–89, 89–90 एवं 90–91 कुल कृषि उत्पादन फसलवार क्या रहा है ? बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा कितना बीज योग्य घोषित किया गया ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

कस्तुआ प्रक्षेत्र पर कुल उत्पादन

वर्ष 88–89 में-

धान- 451–98–000 कुं०

गेहूं- 291–70–000 कुं०

वर्ष 89–90 में-

धान- 486–50–000 कुं०

गेहूं- 162–25–000 कुं० तथा

वर्ष 90–91 में-

धान- 526–70–000 कुं०

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 128 पर)

जौ- 4-30-000 कुं०
राजमा- 0-31-000 कि०
राई वरूणा- 59-0-80-000 कि०
गेहूं- 353-98-000 कुं०
रहा है ।

बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा
वर्ष 88-89 में-
धान- 121-32-000 कुं०
गेहूं- 249-20-000 कुं०
वर्ष 89-90 में-
धान- 311-27-000 कुं०
गेहूं- 101-00-000 कुं० तथा
वर्ष 90-91 में-
धान- 200-00-000 कुं०
बीज योग्य घोषित किया गया है । रबी वर्ष 90-91 में उत्पादित स्टाक का विधायन होना अवशेष है ।

जिला कृषि अधिकारी गोण्डा द्वारा आहरण वितरण की धनराशि का ब्योरा

33-श्री छेदी लाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि माह अप्रैल, 91 में जिला कृषि अधिकारी गोण्डा को 2401 एवं 4401 मदों के आहरण वितरण का अधिकार था ? यदि हां, तो उक्त अवधि में आहरण वितरण की धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हां, संशोधित शासनादेश सं०-2241/12-1-91-2224/90 दिनांक 16-5-91 के अंतर्गत जिला कृषि अधिकारी गोण्डा को लेखा शीर्षक 2401 एवं 4401 के आहरण वितरण अधिकार थे ।

माह अप्रैल, 91 में लेखा शीर्षक 2401 में 1,75,425.82 तथा 4401 में 65,984.63 आहरित एवं वितररित किया गया ।

जनपद महाराजगंज में गण्डक नहर प्रणाली की गनेशपुर माइनर में किसानों की अधिगृहीत भूमि के मुआवजा का अविलम्ब भुगतान करने की मांग

34-श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज की गण्डक नहर प्रणाली की गनेशपुर माइनर में कोहड़ौल, पिपराबाजी रौतार आदि गांव के ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहीत हुयी है ? यदि हां, तो उसका मुआवजा कितने दिन से नहीं दिया गया ?

क्या ग्रामीणों को मुआवजा देने का सरकार विचार क' रही है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या विलम्ब के लिये दोषी व्यक्तियों, अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

ग्राम कोहडौल, रामेश्वर, विधवा तथा चंदनपुर ग्रामों की भूमि अभिगृहीत की गयी है । ग्राम औराटार (नक्शा रौतार) ग्राम निचलौल एवं नक्शा बकसा की भूमि चकबंदी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है । ग्राम पिपरा काजी एवं ग्राम बहरौली उर्फ भरबलिया के भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर को भेजा गया है ।

जो भूमि अधिगृहीत हो चुकी है उसका प्रतिकर वितरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा किया जा चुका है, तथा जो भूमि चकबंदी द्वारा उपलब्ध करायी गयी है उसका प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता है । केवल पिपराकाजी व बहरौली उर्फ भरबलिया, जिनके अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है, प्रतिकर अवशेष है ।

जी हां ।

भूमि अध्याप्ति कार्यवाही पूर्ण होने पर शीघ्र मुआवजा वितरित कर दिया जायेगा ।

ग्राम पिपराकाजी में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण धारा 52 के प्रकाशन में विलम्ब होने के कारण प्रस्ताव भेजने में भी विलम्ब हुआ है फिर भी इस संबंध में समय से कार्यवाही करने के कारण संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को सचेत कर दिया गया है ।

रामगढ़ लिफ्ट कैनाल, गाजीपुर में अलग से फीडर बनाने का प्रस्ताव

३७-- श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगढ़ लिफ्ट कैनाल जनपद गाजीपुर में अलग से फीडर बनाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जेल सिंह--

जी हां ।

निर्माण दिसम्बर, 1992 तक पूरा हो जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नन्दगंज सिहोरी चीनी मिल शुगर कारपोरेशन लि०, गाजीपुर पर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान

३८-* सुरेन्द्र सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नन्दगंज सिहोरी चीनी मिल शुगर कारपोरेशन लि० जनपद गाजीपुर पर गन्ना कृषकों की कितनी धनराशि बकाया है ? इसके लिये कौन से अधिकारी जिम्मेदार है तथा बकाया धनराशि का कब तक भुगतान किया जायेगा ?

श्री हनुमंत सिंह–

उ०प्र० राज्य चीनी मिल निगम लि०, नंदगंज सिहोरी चीनी मिल जनपद गाजीपुर का वर्ष 1990–91 के गन्ना मूल्य का 154.74 लाख रुपया अवशेष है । मिल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जा सका है । अत: उसके लिये किसी अधिकारी के जिम्मेदार होने का औचित्य नहीं बनता । अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद गोण्डा में टिकरी बाजार से अरंगा झील तक का विद्युतीकरण से लाभान्वित ग्रामों की जानकारी

37–श्री छेदी लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में टिकरी बाजार से अरंगा झील तक का विद्युतीकरण किस योजना के अंतर्गत हुआ है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्युतीकरण से कितने गांव लाभान्वित हुये हैं ?

श्री लाल जी टण्डन–

टिकरी बाजार से बहादुरा तक 11 के०वी० लाइन एस०एन० पी० योजना के अंतर्गत बहादुरा से अरंगा झील तक 11 के०वी० लाइन आर०ई०सी० योजना के अंतर्गत बनायी गयी ।

उक्त विद्युतीकरण से चार ग्राम लाभान्वित हुये हैं ।

जनपद गोण्डा के कतिपय ब्लाकों में आर०ई० योजनान्तर्गत विद्युतीकरण का विवरण

38–श्री छेदी लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बजीरगंज, मनकापुर, छपिया ब्लाक में वर्ष 87–88, 88–89, 89–90 में आर०ई० योजना के अंतर्गत कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है और वे कौन-कौन से गांव हैं ?

श्री लाल जी टण्डन–

जनपद गोण्डा के बजीरगंज, मनकापुर, छपिया विकास खण्डों में वर्ष 1987–88, 1988–89, तथा 1989–90 में आर०ई० योजना के अंतर्गत कुल 28 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ।

उपरोक्त विद्युतीकरण किये गये ग्रामों की **सूची संलग्न है** ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 132 पर)

मनकापुर, गोण्डा में 132 के० वी० विद्युत सब स्टेशन निर्माण खण्ड गोरखपुर के अंतर्गत निर्मित आवासी भवनों पर व्यय धन की जानकारी

39—श्री छेदी लाल—

क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84–85, 85–86 में मनकापुर, जनपद गोण्डा में 132 के० वी० विद्युत सब-स्टेशन, निर्माण खण्ड, गोरखपुर के अंतर्गत कितने आवासीय भवन स्वीकृत थे ? क्या उक्त आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य पर कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री लाल जी टण्डन—

कुल 24 आवास स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से केवल 2 अदद भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । इस कार्य पर कुल रु० 1,43,732 व्यय हुये हैं ।

विद्युत निर्माण खण्ड गोरखपुर के अंतर्गत 132 के० वी० सब-स्टेशन मनकापुर, गोण्डा में ठेकेदारों के बकाये के भुगतान की मांग

40—श्री छेदी लाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत निर्माण खण्ड गोरखपुर के अंतर्गत 132 के० वी० सब-स्टेशन मनकापुर, गोण्डा के अंतगत वर्ष 85–86, 86–87 में ठेकेदारों द्वारा भवनों की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो उनका भुगतान अभी तक न कराये जाने का कारण क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां । कार्य की कुल लागत रुपये 1,94,148.53 में रुपये 1,82,573.53 का भुगतान किया जा चुका है तथा केवल रु० 11,575.00 का भुगतान धन वगै अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका है ।

खीरी पीलीभीत सहकारी गन्ना विकास समिति, लि० सम्पूर्णानगर (खीरी) द्वारा हरितक्रांति श्री कृष्ण विद्यालय समिति सुमेरनगर के प्रबंधक श्री राम रेख यादव पर फर्जी भुगतान का आरोप

41—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का निर्वाचन क्षेत्र-72 निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में हरित क्रांति श्री कृष्ण विद्यालय नामक एक फर्जी विद्यालय के नाम गन्ना विभाग-सम्पूर्णानगर द्वारा श्री रामरेखा यादव को मु० 4000 रु० की धनराशि वर्ष 1990–91 में दी गयी है जबकि ग्राम-सुमेरनगर में हरित क्रांति श्री कृष्ण विद्यालय के नाम से कोई भी विद्यालय संचालित नहीं है ? यदि हां, तो क्या किसानों की समिति के धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमंत सिंह—

खीरी पीलीभीत सहकारी गन्ना विकास समिति लि० सम्पूर्णानगर (खीरी) द्वारा हरित क्रांति श्री कृष्ण विद्यालय समिति सुमेरनगर, पत्रालय बिसेननगर, जिला खीरी के प्रबंधक श्री राम रेख यादव को वर्ष 1990–91 में किसी धनराशि का कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 311 के अंतर्गत सूचनायें ले रहा हूं । मैं सम्मानित सदस्यों की वरिष्ठता के क्रम में सूचनायें ले रहा हूं । पहली सूचना माननीय रेवती रमण सिंह ने दी है । दूसरी सूचना माननीय श्री बाबूराम यादव तथा माननीय श्री राम औतार शाक्य ने दी है । तीसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी ने दी है तथा चौथी सूचना श्री इम्तियाज अहमद ने दी है । अब ग्राह्यता के संबंध में मैं माननीय रेवती रमण सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं ।

भूतपूर्व विधायक श्री विक्रमाराय पर हुये कातिलाना हमले के संबंध में नियम 311 के अंतर्गत चर्चा की मांग

***श्री लाल जी वर्मा–**

मान्यवर, हमारे दल के नेता जो महामंत्री भी हैं, भूतपूर्व विधायक भी हैं विक्रमाराय, उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया, वह बहुत ही बाल-बाल बचे हैं, वह काफी घायल हो गये हैं, उसके बावजूद भी पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय है, हमलावरों के खिलाफ आज तक किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गयी, इसलिये मैं चाहूंगा कि यह चूंकि लोकमहत्व का विषयहै, वह जनता दल के महामंत्री हैं भूतपूर्व विधायक हैं और उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया, जिससे पूरी जनता में आक्रोश और रोष व्याप्त है । अतः इस अविलम्बनीय, लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं यह चाहूंगा कि आज सभी नियमों को शिथिल करके इस पर चर्चा कराई जाय ।

***कुंवर रेवती रमण सिंह–**

मान्यवर, मौजूदा सरकार जब से शासन में आई है, तब से बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण इस बात का ढ्ढिोरा पीट रहे हैं कि प्रदेश में अमन-चयन कायम करने के लिये हमने कानून-व्यवस्था को ठीक किया है । मान्यवर, आज स्थिति बिल्कुल उलटी है, कानून व्यवस्था नाम की चीज गांवों तथा शहरों में रह नहीं गयी है, उसी का प्रतीक है कि जनता दल के महामंत्री श्री विक्रमाराय के ऊपर, उनके गांव से एक किलो मीटर दूर दूसे गांव पर सवा 9 बजे 29 जुलाई को हमला किया गया और प्राण घातक हमला किया गया । उनके ऊपर 4–5 बम फेंके गये, संयोग से एक ही बम फटा जिससे वे बुरी तरह घायल हो गये । उनके पैर में काफी चोट लगी हैं, मान्यवर, आज तक न तो नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और न तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी । मान्यवर,यह सरकार की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है । यह सरकार कहती कुछ है और उसका परिणाम कुछ और हैं । मान्यवर, आप खुद जानते हैं इलाहाबाद में, चूंकि यह विषय से अलग है, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह सरकार अखबारों में बयान दे रही है कि शांति-व्यवस्था ठीक है, लेकिन प्रदेश के लोग आज अपनी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि ऐसे गम्भीर विषय पर, विक्रमाराय के साथ जब ऐसी घटना घट सकती है, तो आम लोगों के साथ जो घटनायें हो रही हैं, उनकी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की जाती है, और न कोई कार्यवाही की जाती है, ऐसे मामले पर सदन में चर्चा कराई जाय और आपकी तरफ से सरकार को स्पष्ट निर्देश होना चाहिये और सरकार की तरफ से जवाब भी आना चाहिये कि कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है । अगर अमन-चयन कायम करने की बात सरकार कहती है, तो ऐसे ही अमन-चयन कायम होगा ? आज गांव का रहने वाला अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है । मैं आपके माध्यम से मान्यवर, जानना चाहूंगा कि अभी तक क्या कार्यवाही की गयी और अभी तक अभियुक्तों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ?

***वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–**

मान्यवर, पूर्व विधायक माननीय विक्रमाराय के बारे में जो जानकारी दी गयी, उसे मैं दिखला लूंगा । इस पर बिल्कुल सही कार्यवाही होनी चाहिये और उस कार्यवाही की जानकारी माननीय रेवती रमण सिंह को दे दी जायगी । लेकिन मान्यवर, नियम 311 की कुछ व्यवस्थायें हैं, उसके कुछ प्रतिबंध हैं । नियम 311 का तात्पर्य जहां तक मैं समझता हूं यह है कि सारे सदन की कार्यवाही को रोक कर उस विषय पर चर्चा हो । जो परिपाटी पड़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि छोटे-छोटे मामले भी नियम 311 में दिये जा रहे हैं जिससे सदन का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है । मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मान्यवर, और भी नियम हैं, नियम 56 है, नियम 300, नियम 301 है, नियम 51 है, इनमें सूचना दी जा सकती है । मैं आपके माध्यम से माननीय नेतागण से भी प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया इस पर विचार कर लें ।

मान्यवर, माननीय नेताओं से हमने प्रार्थना की है कि इस पर विचार कर लिया जाय अन्यथा इससे सदन का बहुत बहुमूल्य समय 311 में निकल रहा है जिसे अन्य नियम में ला सके हैं । मान्यवर, जैसा माननीय रेवती रमण जी और माननीय लाल जी वर्मा ने कहा है उसको दिखवा लूंगा । मान्यवर, यह तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इधर विधि और व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है, बड़ा गुणात्मक सुधार हुआ है फिर भी कोई घटना होती है तो उसको दिखवा लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अपना वक्तव्य समाप्त करते समय माननीय रेवती रमण जी ने अपेक्षा की थी कि त्वरित कार्यवाही होनी चाहिये, क्या कार्यवाही की गयी है उसके संबंध में संसदीय कार्यमंत्री जी ने शासन की ओर से पक्ष रख दिया है कि शीघ्र कार्यवाही की जायेगी, इसी आशा के साथ उस सूचना को निरस्त करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 311 के अंतर्गत चर्चा की मांग

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना बाबू राम जी की है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के, समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उनके समर्थकों पर और उनसे संबंधित जो भी लोग हैं उनके ऊपर एकदम अत्याचार का पहाड़ टूटा हुआ है । सरकार संगठित होकर, गुण्डों को साथ लेकर, पुलिस को साथ लेकर उनकी हत्यायें करा रही है ।

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि शांतिपूर्वक दूसरे के विचार सुनें, अगर किसी माननीय सदस्य को विचार रखने होंगे तो मैं समय दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, हत्यायें करायी जा रही हैं और पुलिस मदद कर रही है, सरकार निर्देश दे रही है, मंत्रिगण निर्देश दे रहेहैं कि फलां कार्यकर्ता को गोली से उड़ा दो । ऐसी प्रत्येक जिले में घटना हुई है । इस बिंदु को पिछले 3–4 दिनों से माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता था लेकिन समय न मिलने के कारण इधर दो आदमी और मारे जा चुके हैं । अगर पहले दिन ही समय मिल जाता तो हो सकता था कि इस बेलगाम सरकार पर भी लगाम लगती और लोगों की हत्यायें रुकती । मान्यवर, बड़े खेद और दुःख की बात है कि आज तक इतना उत्पीड़न कार्यकर्ताओं का दलगत आधार पर कभी भी नहीं हुआ है इस उत्तर प्रदेश के इतिहास में ।

(शोर)

मान्यवर, यह सब योजना के तहत हो रहा है । मैं सबसे पहले इटावा जनपद की बात कर रहा हूं । मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह अविलम्बनीय और लोकमहत्व का इसलिये भी है कि प्रतिदिन कोई न कोई हत्या करा दी जाती है माननीय मंत्रीगण के इशारे पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर और मान्यवर, आपको पता है कि सारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है । मान्यवर, इटावा जनपद में श्री राम सिंह जी जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की है और अजय सिंह जो बहुत ही प्रतिष्ठित और हमेशा से बहुत ही सम्मानित रहे है । राम सिंह जी सहकारिता आंदोलन के बहुत बड़े नेता हैं और उनकी 50–65 वर्ष की उम्र है उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर सरकार के निर्देश पर जेल भेजा

गया है । मान्यवर, सुन लें इतने बड़े पद पर बैठकर अगर आलोचना नहीं सुन सकते हैं तो इनको इतने बड़े पद पर नहीं बैठना चाहिये । (व्यवधान) मान्यवर, राम सिंह जी के ऊपर 307 का मुकदमा झूठा लगाया गया है और अजय सिंह जी जो काफी प्रतिष्ठित हैं उनको बंद किया गया और दूसरी तरफ मानिक चन्द जो अपराधी है जिस पर 13 मुकदमें हैं और 4 हत्या के विचाराधीन हैं, वह माननीय मंत्रियों से मिलता है और उसकी गिरफ्तारी रोक दी गयी । मान्यवर, आप दोनों पक्षों को सुनते जाइये । श्रीराम अवतार जी इनके पुराने विधायक को हराकर आये हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, वहां बसें चेक हुई हैं कि अगर किसी बस से राम औतार जी निकलें तो बस से निकालकर खींच कर मार दिया जाय । यह मैनपुरी की बात कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, जिस दिन चुनाव रिजल्ट डिक्लेयर हुये हैं, उसके दूसरे दिन राम औतार शाक्य जी के जो प्रमुख चुनाव संचालक थे ओंकार सिंह, उनको गोली से मार दिया गया । माननीय मुख्यमंत्री जी ने मामला सी०आई०डी० में भेज दिया, पुलिस गुंडों को गिरफ्तार नहीं कर पायी ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री बाबूराम यादव-

राम औतार शाक्य जी के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा था जो पहले एम०एल०ए० थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जिनको हराकर राम औतार जी वहां से जीते हैं...

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री बाबू राम यादव–

विपक्ष पर कितना अत्याचार वर्तमान समय में हो रहा है, यह सबसे बड़ी बात है, यह गंभीर विषय है । मौजूदा विधायक राम औतार शाक्य जी के खिलाफ एक भी मामला नहीं है, जबकि उनसे हारे पूर्व विधायक श्री शिवराज सिंह के खिलाफ 32 मुकदमें हैं, उनके छोटे भाई के खिलाफ 42 मुकदमें हैं, उनसे छोटे भाई के खिलाफ 9 मुकदमें हैं उनसे छोटे भाई के खिलाफ 11 मुकदमें हैं । यह चार भाई हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांत रहें ।

श्री बाबूराम यादव–

इसके अतिरिक्त जो हत्यायें हुई हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध मुकदमा होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सी०आई०डी० जांच के आदेश होते हैं, सी०आई०डी० जांच की बात ओंकार सिंह के मामले में भी हुई है सी०आई०डी० जांच हो जाने पर पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार नहीं करती । मान्यवर, इस तरह से अगर विभिन्न मामलों में सी०आई०डी० जांच की बात न की गयी होती, तत्काल कार्यवाही की बात होती तो 12 हत्याओं में से 11 हत्यायें रोकी जा सकती थी ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांत रहें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, सारे उत्तर प्रदेश में इस तरह से सुनियोजित ढंग से लोगों की हत्यायें करायी जा रही है । मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं । वे इससे पहले भी कई बार इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे । उनके साथ भी मुझे इससे पहले बैठने का अवसर मिला है । उस समय वे बड़े सुशील थे और शिष्ट थे । लेकिन, उस कुर्सी पर बैठते ही पता नहीं कौन से कीटाणु घुस गये हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें ।

श्री बाबू राम यादव–

जो अपराधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं । मैं श्री ओम प्रकाश गुप्त का मामला यहां पेश करना चाहता हूं । सारे प्रदेश में आज भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठें । माननीय यादव जी कृपया समाप्त करें ।

श्री बाबू राम यादव–

श्री ओम प्रकाश गुप्त जी के पीछे पूरे लोग लगे हुये हैं, गुंडे लगे हुये हैं । श्री ओम प्रकाश गुप्त जी चेयरमैन थे नगरपालिका सीतापुर के, नगरपालिका को रद्दास्त कर दिया गया है, उसके बाद इनकी हत्या करायी जा रही है । डी०पी० यादव जी जो भूतपूर्व विधायक थे उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें ।

श्री बाबू राम यादव–

मेरे पास रिकार्ड मौजूद हैं । मेरठ बुलन्दशहर, गाजियाबाद के तीन एस०पी० को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि एक हफ्ते के अंदर डी० पी० यादव को खत्म करके आयें, उनको बरबाद करके आयें । पिछली 27 तारीख को श्री डी०पी० यादव अदालत में दरख्वास्त देते हैं कि मेरे खिलाफ यदि कोई मामला हो तो हिरासत में ले लिया जाय । 27 तारीख को ही सूचना आ जाती है कि इनके खिलाफ कोई मामला नहीं है । फिर उसके बाद 30 तारीख की शाम को उनके घर की कुर्की कर दी जाती है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिये निर्देश दिया ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, डी०पी० यादव ने उसके विरोध में अपने अधिकारों को लेकर शांति पूर्ण ढंग से जलूस निकाला तो पुलिस ने जलूस पर गोली चलायी जिसके फलस्वरूप दो छात्र मारे गये और मान्यवर, 15 लोग आज लापता है, पांच-छः आदमी आज भी अस्पताल में भर्ती हैं । मान्यवर, इसके अतिरिक्त 30 प्रधानों को लेकर उनके सिर मुड़वा दिये गये । तो मान्यवर, यह सरकार उनकी हत्या में लगी हुई है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि वे इस प्रकार की कार्यवाही न करायें ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाबूराम यादव जी आप कृपया बैठ जायं ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, यह सरकार उनके साथ अत्याचार कर रही है, उनकी हत्या के लिये पीछे लगी हुई है । यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है बड़ा ही अविलम्बनीय लोक महत्व का है । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर आप चर्चा करायें । यह हमारी जिन्दगी से जुड़ा हुआ है । आज हमारी जिन्दगी सुरक्षित नहीं रह गयी है ।

(शोर)

मान्यवर, हमारे गनर छीन लिये गये हैं, हमें जो सुरक्षा गार्ड मिले थे उनको छीन लिया गया है, सारे अपराधियों को खुला छोड़ दिया गया है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है इसलिये मान्यवर, आप माननीय मुख्य मंत्री जी को निर्देश दें कि वह इस प्रकार की बदले की कार्यवाही न करें ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया बैठ जायें । माननीय नेता सदन बोलने जा रहे हैं, उनकी बात को सुनें ।

*मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य, श्री बाबूराम यादव जी की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपराधियों के संरक्षण देने के लिये इससे बड़ा संरक्षक और कोई नहीं हो सकता है। मान्यवर, जब हम सत्ता में आये थे तो हमने संकल्प लिया था कि हम इस प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनायेंगे । पिछले दिनों में मान्यवर, पिछले डेढ़ सालों में जो भंयकर अपराधीकरण इस प्रदेश में हुआ है उसने इस प्रदेश की जनता की जिन्दगी को नर्क बना दिया है । आज यह सरकार ने संकल्प किया है कि वह अपराधियों को किसी की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगी । आज लोगों की जिन्दगी नर्क इसलिये बन गयी है क्योंकि अपराध जगत में शातिर किस्म के लोग अपनी काली छाया से इस प्रदेश को डस रहे हैं । इसलिये इस सरकार ने यह फैसला किया है कि इस तरह के लोगों को तथा जो माफिया गैंग से संबंधित हैं, उनके गैंग को समाप्त करेंगे । क्योंकि अपराधी अपराधी होता है ।

(शोर)

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सत्य बड़ा कड़ुवा होता है । मैंने बड़े धैर्य के साथ सारे आरोप सुने हैं और मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि मैं जब उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं तो मेरा उत्तर उसी धैर्य के साथ सुना जाये । मान्यवर, शासन की मंशा यह नहीं है कि वह बदले की भावना से कार्यवाही करे । लेकिन अगर वह समाज विरोधी तत्व है, अपराधी है, माफिया गैंग का है, तो वह हमारी नजरों में गिरा हुआ है, न उसका कोई धर्म है, नजाति है, न ही उसकी कोई इज्जत है वह अपराधी ही माना जायेगा । क्योंकि उसने अपराध किया है । हमारी नजरों मे माफिया माफिया है, अपराधी अपराधी है ।

...कौन नहीं जानता , अरूण शुक्ला, अन्ना को, जिसका नाम लेकर यह बात कर रहे हैं, जिसने पूरे लखनऊ की जिन्दगी को नरक बना दिया ।

(सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

कौन नहीं जानता, डी०पी० यादव को, जिसके खिलाफ संगीन अपराध के 29 मामले हैं, मेरे पास रिकार्ड मौजूद है । कौन नहीं जानता तुलाना पंडित को, जिसके खिलाफ हत्याओं के अभियोग दर्ज हैं, जिसका आतंक जिले में ही नहीं, प्रदेश में बढ़ गया था । आज इस आतंक की काली छाया से हम प्रदेश को मुक्त करना चाहते हैं । मैं चाहता था कि आप लोग अपराधियों को संरक्षण नहीं देगें, जिससे राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगेगा ।

आप डी०पी० यादव की बात कर रहे हैं, कौन नहीं जानता, उसके ऊपर बड़े संगीन किस्म के 29 मामलें हैं । कौन नहीं जानता, इस बात को कि रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और अदालत से आदेश लेकर कुर्की की गयी । बाद में यह माना गया कि दूसरा आदेश कुर्की का सामान वापस लौटा दिया जाय । शासन ने अपील की डिस्ट्रिक्ट जज, गाजियाबाद के यहां । जिला जज ने इस आदेश को स्टे कर दिया और कहा कि जो कुर्की हुई है, उसे यथावत माना जाय, जब तक मैं दूसरा फैसला न दे दूं, क्या इसको एप्रूव करेगें, अनुमोदन करेगें ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हां करेगें ।

(समाजवादी जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि कड़ुवा सत्य और नग्न वास्तविकता को यह कलेजा थाम कर सुने । 5 तारीख को जब गाजियाबाद का जिला जज फैसला देता है कि कुर्की का आदेश अभी यथावत रहेगा, जब तक कोई अन्य फैसला न दे दूं, तो आप लोगों के इशारे पर, आपके वकील नारायण शंकर यादव के इशारे पर, जिला जज के चेम्बर में उसे कुर्सी मारते हैं ।

(सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

आज वह जिला जज छुट्टी लेकर चले गये हैं, आज उनकी जान को खतरा बना हुआ है । मैं इस आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं कि हम जुडीशियरी को पूरी निश्पक्षता के साथ काम करने के लिये पूरी स्वतंत्रता देगें । आज हमने प्रशासन तंत्र से कहा है कि पूरी निर्भीकता से काम करेगा, प्रशासन तंत्र किसी के दबाव में नहीं आयेगा । सारा प्रशासन तंत्र पूरी निर्भीकता, निष्पक्षता और न्यायप्रियता के साथ काम करेगा, यह हमारा सूत्र है । अपराधी कोई भी हो, अपराधी अपराधी है । गुन्डा गुन्डा है । हमने इस प्रदेश को दंगा मुक्त और भयरहित बनाने का संकल्प लिया है और हम इस प्रदेश से माफिया गैंग की काली छाया को मिटाना चाहते हैं तथा सभी की जान माल की सुरक्षा हमारा पहला दायित्व है और उसे हम निभा रहे हैं । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बदले की भावना से यह सरकार न कोई कार्यवाही कर रही है और न करेगी ।

...यह आरोप लगा देना कि हम किसी की हत्या कराना चाह रहे हैं, बिल्कुल गलत है । यह जिन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों को संरक्षण दिया है और जिनके अपराधों से उत्तर प्रदेश का जन-जीवन नर्क बन गया है यह हत्या कराने की राजनीति उनकी हो सकती है, हमारी नहीं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से समूचे सदन से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह प्रदेश की एक ज्वलन्त समस्या है, इसमें कोई दलगत मत-भेद नहीं है । शांति व्यवस्था कायम रहे और हर नागरिक के जान-माल की सुरक्षा करनी है, इसमें कोई सैद्धान्तिक मत-भेद नहीं हो सकता है । आप लोग स्वयं फैसला लीजिये और अपराधियों को संरक्षण नहीं दीजिये तो हम आपका साथ देंगे । मान्यवर, इस प्रकरण को यह समाप्त कीजिये । मुझे नहीं बोलना चाहिये था, परन्तु श्री बाबू राम यादव जी ने कुछ इस प्रकार के निराधार व बेबुनियाद आरोप लगा दिये, जिस नाते मुझे स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी और मुझे अपनी बात करने के लिये खड़ा होना पड़ा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी ही सहजता से अपराध, अपराधी, माफिया को खत्म करने का दावा किया । यह हर सरकार का कर्तव्य रहा है और होना भी चाहिये । इसमें कहीं मत-भेद नहीं है । लेकिन जिन शब्दों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बयान दिया है, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ईमानदारी से उस पर अमल करने का साहस करें तो बहुत अच्छा होगा और हम भी उनको सहयोग करेगें । लेकिन ऐसी भावना से कि यह व्यक्ति हमारी पार्टी का नहीं है, इसलिये इसके बारे में विधान सभा में बयान दिया जायेगा, तो यह अच्छी बात नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह ध्यान नहीं दिया कि उनके ही मंत्रीमंडल में कितने हत्या के अभियुक्त हैं और कितने ऐसे सदस्य हैं जो इस समय चुनकर आये हैं हत्या के अभियुक्त हैं उनके बारे में भी माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां पर अपना बयान देना चाहिये था । जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है उनमें से भी अगर वह एक के अपराधीं का यहां पर उल्लेा कर देते तो हम सब उनका समर्थन करते । परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यहां पर बयान दिया है, वह एक तरफा है और यह स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बदले की भावना से ग्रस्त है । हम जानते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही होनी चाहिये, परन्तु किसी मंत्री या मुख्य मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दे कि फलां व्यक्ति को फर्जी इनकाउन्टर करके उसे जाने से मार दिया जाय । हमें सूचना मिली है और मिल रही है कि इस तरीके से निर्देश दिये जा रहे हैं ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंह से कोई असंसदीय शब्द निकले, यह भी शोभा नहीं देता है । यह परम्परा भी नहीं रही है कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य आज न हो, कल तक वह इस सदन का सदस्य ही नहीं अपितु मंत्रिमंडल का सदस्य रहा हो, उसका नाम लेकर उसके अपराधों के बारे में कहा जाय, जब तक कि उसके खिलाफ अपराध न्यायालय में सिद्ध न हो जाये । ऐसी बात यहां पर नहीं होनी चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी तो इस विधान सभा के 1986 से सदस्य रहे हैं ।....

और एक आदमी का नाम लेकर आप उसको अपराधी कहते हैं, इस तरह से आप किसी का नाम नहीं ले सकते हैं । अगर डी०पी० यादव का मामला है, यह हमारे दल से संबंधित है, आप कैसे यह कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, यह हमारे सामने सूचना है । आप बैठें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यदि आप केवल माननीय बाबू राम की नोटिस पर सुन रहे होते तो और बात थी लेकिन अगर आप माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहेंगे तो यह भी पूंछता हूं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षंग नहीं किया ।

शिवराज सिंह जो कि इनका उम्मीदवार रहा है और जो इनके एम०पी० और एम०एल०ए० जो हैं और हत्या के अभियुक्त हैं, चुन कर आये हैं उनके बारे में ये क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह जो कुछ आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, यह कोई बात लिखी नहीं जायेगी ।

श्री बाबू राम यादव–

इनका घमंड जनता चूर कर देगी । इस तरह की बातों को हम बरदाश्त नहीं करेंगे

विस निवोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैंने माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुना ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अब ये क्यों बोल रहे हैं ? जब इस प्रश्न पर मुख्य मंत्री बोल चुके हैं, अब ये क्यों खड़े हुये हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी माननीय बाबू राम यादव जी की बात का माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया उसके पश्चात् जब आप बिना अनुमति के बोले तो क्या मैं नहीं खड़ा हो सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाबू राम यादव की बातों का माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था उसके पश्चात् आपने जो बातें कहीं हैं उस पर मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को ग्राह्यता के बारे में बोलने का मौका दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी को बोलने का मौका दिया जब कि सूचना में उनका नाम नहीं था । उन्होंने जो आरोप लगाये वह मनगढन्त है, बेबुनियाद हैं और असत्य है । माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में एक बात कही गयी है –

नोट-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री बलराम यादव द्वारा व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्री जी बड़े विनम्र, बड़े शिष्ट और बड़े ही सुशील व्यक्ति हैं, लेकिन भावनाओं से ऊंचा कर्तव्य होता है । आज उनके ऊपर यह कर्तव्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनायें । उसके साथ ही एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्रीमन्, कृपा करके आप नियमों को देख लें जो विषय आज मा० बाबू राम यादव ने उठाया है, इस पर 6 तारीख को चर्चा थी और उसे आपने अस्वीकार कर दिया है । बार-बार उसी विषय को उठाना कहां तक न्याय संगत है । जहां तक नियम 311 का ताल्लुक है, यह किसी भी तरह से इस परिधि में सही प्रतीत नहीं होता है । इसे आप खारिज कर दें । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ लोगों के नाम लिये उस पर एतराज व्यक्त किया गया । सूचना में अन्ना का नाम दिया हुआ है तो उसका नाम यहां लेना पड़ेगा । लखनऊ की पूरी जनता उसके बारे में जानती है । यादव जी ने स्वयं ही सूचना में नाम पढ़ा हुआ है । आप कृपा करके इस सूचना को अग्राह्य कर दें ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस प्रदेश को भय मुक्त किया जायेगा। मैं इस सदन का सदस्य जिस दिन से हुआ हूं, उसी दिन से [xxx xxx xxx xxx xxx xxx] मेरी जाने के पीछे पड़ गये हैं और मुझे मारने की धमकी दी है । मान्यवर, मैंने इसकी सूचना मुख्य मंत्री जी को भी दी है, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ है उनके मंत्री मंडल के एक सदस्य जिनके घर पर मेरे मारने की साजिश की गयी है, अगर आप कहें तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूं । मेरे एक साथी के ऊपर 2.8.1991 को शिवराज सिंह ने अपनी जीप चढ़ा दी है और उस घटना की रिपोर्ट भी नहीं लिखी गयी है और इस पर कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है । मेरे एक साथी का कत्ल कर दिया गया है और दो अन्य साथियों को मार दिया गया है, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

(व्यवधान)

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, उनकी पार्टी के लोग हमारी पार्टी के लोगों को मार रहे हैं और इसकी न कोई जांच की जा रही है और न ही कोई कार्यवाही की जा रही है ।

(शोर)

मान्यवर, जहां तक ग्राह्यता का प्रश्न है, जब विधायक जिन्दा ही नहीं रहेगा और उसके समर्थक मारे जायेंगे तो क्या होगा और यह प्रश्न अगर आप ग्राह्य करेंगे तो कानून और व्यवस्था और खराब होगी । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह मामला बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर आप कम से कम दो घंटे की चर्चा करावें ।

नोट-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

अब अपनी बात को समाप्त करें ।

***श्री शिव कुमार बेरिया–**

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बड़ा सार गर्भित भाषण दिया जिसमें उन्होंने समूचे विपक्ष पर आरोप लगाया है और उन्होंने जो भाषण दिया है, उससे ऐसा लगता है कि सारे माफिया और सरगना विपक्ष में ही बैठते हैं और जब हम लोगों ने यह जानना चाहा था कि सत्ता पक्ष में ऐसे कितने लोग है जिन पर आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं और माफिया संगठनों से संबंधित हैं । [xxx xxx xxx xxx] जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन पर 32 से अधिक आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं और उनके भाई के ऊपर करीब 27 मुकदमें दर्ज हैं और उनके ससुर पर 40 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो आपेक्षात्मक अंश हैं, उनको निकाल दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री शिव कुमार बेरिया–

[xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पहले आप सदन को व्यवस्थित करें ।

(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस पर चर्चा आमंत्रित नहीं की थी एक सूचना पर कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त कर दी और शासन ने उत्तर दे दिया (व्यवधान) मैं इस पर व्यवस्था दे रहा हूं कि नियम 311 में इस सूचना को मैं निरस्त कर रहा हूं और अगली सूचना ले रहा हूं ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

जब तक इस सदन के अंदर सत्ता पक्ष में ऐसे लोग बैठे हुये हैं जिनका क्रिमिनल रिकार्ड रहा है उस का उत्तर नहीं देगें सदन कैसे चलेगा ?

जगदीशपुर (सुल्तानपुर) के खाद कारखाने में श्रमिक हड़ताल से उत्पन्न विषम स्थिति के संबंध में नियम 311 के अंतर्गत चर्चा की मांग

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री नरेश अग्रवाल को बुलाया है ।

(व्यवधान)

***श्री नरेश अग्रवाल–**

श्रीमन्, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सरकार बदले की भावना से हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के क्षेत्र में दूसरा भोपाल कांड करवाने जा रही है । आज 15 दिन हो गये जगदीशपुर के इंडोगल्फ खाद के कारखाने के श्रमिक हड़ताल पर चल रहे हैं । उसकी कुछ जायज मांगे थी लेकिन सरकार के सहयोग से प्रबंधकों ने 31 ता० में लाक-आऊट कर दिया है । गंभीर प्रश्न तब शुरू होती है जब इस समय 25 सौ टन अमोनियां गैस मौजूद है उसको द्रव के रूप में रखने के लिये माइनस 3 डिग्री तापमान की जरुरत होती है तभी वह द्रव के रूप में रह सकती है । चूंकि हड़ताल शुरू हो गयी हैं वर्तमान में वहां पर कोई कार्य नहीं कर रहा है बाहर भीषण गर्मी पड़ रही है तो उससे ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि किसी भी समय वह अमोनियां द्रव गैस के रूप में बन कर रिसाव हो सकता है जिससे वहां के कर्मचारियों सहित 15 कि०मी० के दायरे में ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें कोई नागरिक नहीं बच पायेगा । यह एक गंभीर मामला है और अति लोक महत्व का है । मेरा निवेदन है कि इसकी गंभीरता को देखते हुये चूंकि सरकार की तरफ से और न ही उद्योग विभाग की तरफ से कोई व्यक्ति गया है और न श्रम विभाग की तरफ से कोई गया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को नहीं भेजा है इससे लगता है कि सरकार इस बात पर तुली हुई है कि वहां पर दूसरा भोपाल गैस कांड हो जाय और उससे वह राजनीतिक लाभ ले लें । इस पर आप चर्चा की अनमति दे दें और सरकार को निर्देश दे कि वह अविलम्ब कार्यवाही करे ताकि निर्दोष लोगों की जान जाने से बच जांय ।

***श्री सुरेन्द्र नाथ–**

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कल्याणकारी राज्य की कल्पना करने वाले कल्याण सिंह मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आने वाली इस भाजपा सरकार से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जो विषय यहां पर है उसकी ग्राह्यता को और स्पष्ट करूंगा क्योंकि मेरा व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्र इसकी परिधि में आता है । जब वहां पर गैस का रिसाव होगा तो मेरे हैदरगढ़ क्षेत्र के पशु पक्षी और आम आदमी को जो परेशानी भुगतनी पड़ेगी वह भोपाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गैस त्रासदी से ज्यादा दुखद होगी । इस संपूर्ण इंडोगल्फ फैक्ट्री में 9400 आदमी लगे हुये हैं जिसमें से मात्र 100 तकनीकी ट्रेनीज को जबरन फैक्ट्री परिसर में रोक रखा है । फैक्ट्री में लाक आऊट है लोग धरने पर बैठे हुये हैं सारी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है कैंटीन और दवाखाना भी बंद कर दिया गया है । संपूर्ण परिसर बंद पड़ा है किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है । आज हड़ताल के 10 दिन बीत गये हैं परन्तु सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि, प्रबंधकों की तरफ से कोई प्रतिनिधि या उद्योग विभाग से कोई सक्षम अधिकारी मजदूरों से बात करने नहीं गया है और न ही प्रबंधकों से बात की जा रही है । मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि पूंजीपतियों के धन पर आई हुई सरकार किस प्रकार पूंजीपतियों को प्रश्रय दे रही है । इस सरकार में आम आदमी और मजदूर की कोई सुनवाई नहीं है ।...

...मेरा अनुरोध है कि तत्काल सदन की कार्यवाही रोककर इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर आप चर्चा करायें जिससे समस्या का निदान हो सके ।

***श्री इम्तियाज अहमद–**

मान्यवर, जो अभी मामला उठा है, इंडोगल्फ का, उसके संबंध में मैंने भी नियम 311 में दिया था । यह महत्वपूर्ण लोमहत्व का सवाल है । इंडोगल्फ कारखाना में यूरिया का उत्पादन प्रतिदिन होता है प्रतिदिन और 1350 टन अमोनिया का उत्पादन प्रतिदिन होता है।

वस्तु स्थिति यह है कि प्रबंधकों ने उसमें 30 तारीख से तालाबंदी की घोषणा कर दिया है और जबरन पुलिस के जरिये मजदूरों को मारकर वहां से भगा दिया गया है । इस कारखाने में जनता की 49 प्रतिशत पूंजी लगी है । गल्फ कंसल्टेटिव इंडस्ट्रीज की पूंजी 40 प्रतिशत लगी है और 29 प्रतिशत शेयर बिरला को बेच दिया गया है तथा पिकअप का इसमें पैसा लगा हुआ है । मान्यवर, जब से कारखाने में 1987 से उत्पादन प्रारम्भ हुआ उसके 5 साल बीतने का है, साजिश करके वह चाहते हैं कि करों से बचा जाये इसलिये उन्होंने तालाबंदी की घोषणा किया है । परिणाम है कि मजदूरों के हजारों परिवार दरदर ठोकरे खा रहे हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर चर्चा तुरन्त करायी जाय ।

वित्त निगोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं पहले निवेदन करना चाहता हूं कि कोई आरोप लगाये इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आरोप लगायेंगे उसका हम जवाब देंगे । लेकिन हमारी नियमावली में नियम 289 (क) है जिसे आप देख लें और आरोप लगाने के पहले इस नियम की प्रतिबद्धता को पूरा कर दिया जाये तो आरोप को सुनने में खुशी होगी ।

मान्यवर, जहां तक ताल्लुक है इंडोगल्फ के कर्मचारियों के मामले को लेकर, उनके आवास भत्ते को लेकर हमारे श्रमिकों ने हड़ताल कर दी जिसका परिणाम हुआ कि इंडोगल्फ के प्रबंधकों ने वहां 30 तारीख से तालाबंदी की घोषणा कर दी । सरकार ने उसमें तत्काल हस्तक्षेप किया और मैं स्वयं जानता हूं कि वहां के कर्मचारी यहां आये थे और मेरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनसे मुलाकात हुई थी और वह लोग श्रम मंत्री जी से मिले थे । 3 तारीख को द्विपक्षीय वार्ता के लिये श्रम आयुक्त ने उन्हें बुलाया था । लेकिन मेरी जानकारी नहीं है कि श्रमिकों के प्रतिनिधि वार्ता के लिये फिर क्यों नहीं आये ? 5 तारीख को उनकी वार्ता फिर सचिव के यहां हो गयी लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल सका । मान्यवर, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये पूरी तरह से सजग है । मुझे विश्वास है कि श्रमिकों को उनके पसीने की पूरी पूरी कमाई मिलनी चाहिये और उनका हक उन्हें मिलना चाहिये, इसके लिये सरकार पूरी तरह से सजग है । 5 तारीख को कोई हल नहीं निकल सका लेकिन आगे हल निकालने के लिये व्यवस्था की जायेगी जिससे वहां की तालाबंदी समाप्त हो ।

इस प्रकार मान्यवर, यह मामला नियम 311 में कहीं कहीं बनता है । इस पर आप विचार करें कि यह मामला दूसरे नियमों के तहत चाहे कार्य स्थगन में ले आयें या नियम 51 में उठायें और तब आप व्यवस्था देने की कृपा करें । मेरे मतानुसार यह मामला नियम 311 में नहीं बनता है । जहां तक मजदूरों के हितों का सवाल है मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि उनके हितों को पूरा करने के लिये सरकार पूरी तरह से सजग है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें । मैं व्यवस्था दे रहा हूं । जगदीशपुर स्थित खाद के कारखाने में हड़ताल के संबंध में जो श्री सतीश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ श्री इम्तियाज अहमद ने सूचना दी है उसके आधार पर नियम 311 में नियमों का निलम्बन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

नियम 301 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अंतर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

(समय 1 बजे)

पहली सूचना श्री बाबू खां की है-जनपद लखीमपुर खीरी के निवासन में रेंज अधिकारियों द्वारा कीमती लकड़ी के अवैध कटान के संबंध में । दूसरी राधेश्याम वर्मा की है बाराबंकी जनपद के सफदरगंज थानान्तर्गत रामपुर कटरा में पुलिस द्वारा फैलाये जा रहे कथित साम्प्रदायिक तनाव के संबंध में । तीसरी श्री बेनी प्रसाद वर्मा की सूचना जनपद बाराबंकी के सिरौली गारूपुर राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल में शिक्षा सत्र प्रारम्भ न कराये जाने के संबंध में । चौथी हरेन्द्र सिंह जी की सूचना है जनपद मुजफ्फरनगर में स्वीकृत 33/11 के०वी० विद्युत उप संस्थान, कटुवा, टांडा, कुरावा (जो अधूरे हैं) को पूरा

कराये जाने के संबंध में । पांचवी है श्री बनवारी सिंह की जनपद बदायूं में उसहत पर सौतन नदी पर बनाये जा रहे पुल को पूरा करने के संबंध में । छठी श्री मोहम्मद हसन जी की सूचना है जनपद सहारनपुर के सरसांवा क्षेत्र में यमुना नदी के कटान से उत्पन्न तबाही के संबंध में, और सातवीं सूचना है श्री देवेन्द्र पाल सिंह जी की दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । दो सूचनायें जो श्री संत श्रीराम द्विवेदी और श्री स्वामीनाथ यादव को प्राप्त हुयी थीं, उनको प्रतीक्षा सूची में रखा गया है । और जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं । सर्वश्री भोला शंकर मौर्य, श्री पूरन चन्द्र, श्री धनीराम वर्मा, श्री यदुनाथ सिंह, श्री छोटे लाल यादव, श्रीमती ज्ञानवती सिंह, श्री गिरधारी लाल, श्री पवन कुमार पाण्डेय, श्री विजयपाल सिंह, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री राममूर्ति सिंह, श्री बी० आर० वर्मा, श्री राम ललित , श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री किशन गोपाल और श्री किशोरी लाल (जौनपुर) ।

अब श्री बाबू खां जी अपनी सूचना पढ़ें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब माननीय राधेश्याम वर्मा, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा...

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप इन सभी सातों सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है सारी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की स्वीकृति से सातों सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयीं)

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में रेंज अधिकारियों द्वारा कीमती लकड़ी के अवैध कटान के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री बाबू खां–

[मान्यवर, आप के संज्ञान में लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं ।

जनपद लखीमपुर खीरी निघासन तहसील क्षेत्र निर्वाचन 72 में पलिया फारेस्ट रेंज सम्पूर्ण नगर रेंज मफगई रेंज तथा बेलरायां रेंज में रेंज अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा लाखों रुपयों के सागोन, शीशम तथा साल के पेड़ो का धन लेकर अवैध कटान कराया है तथा निरन्तर जारी है ।

गत वर्ष पलिया रेंज के सुरेर नगर बीट के बन रक्षक श्री शिवानंद यादव के विरुद्ध अवैध कटान के संबंध में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जांच के आदेश दिये परन्तु जांच नहीं हुई ।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः आप के माध्यम से शासन से मांग है कि उच्च स्तर से उस से जंगल की कुम्बिंग करा दी जाय जिससें जंगल का कटान रुक सके] –

बाराबंकी जनपद के सफदरगंज थानान्तर्गत रामपुर कटरा में पुलिस द्वारा साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राधे श्याम वर्मा–

[मान्यवर, 23 जुलाई, 91 को बाराबंकी जनपद के ग्राम रामपुर कटरा गांव में ताजिया निकालने के रास्ते में एक चबूतरा बन जाने से थोड़ा विवाद पैदा हुआ । पुलिस द्वारा समझौता करवा दिया गया और चबूतरा जो कि आम रास्ते में बना लिया गया था, काट कर ताजिया निकलवा दी गयी । 26 जुलाई को कुछ साम्प्रदायिक तत्वों ने स्थानीय पुलिस पर दबाब डलवाकर रिपोर्ट दर्ज करवायी और 107/117 की कार्यवाही 32 अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के विरुद्ध प्रारम्भ कर दी गयी ।

स्थानीय पुलिस पर फिर साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा दबाव डलवाकर 147/148/149/452 आई०पी०सी० की रिपोर्ट दर्ज करवाकर फिर कार्यवाही शुरू की गयी तथा पुलिस पर दबाव डलवाकर गांव के सैकड़ों अल्पसंख्यकों को डराना धमकाना शुरू कर दिया गया । पुलिस साम्प्रदायिक तत्वों के इतना दबाव में है कि आये दिन घरों में घुस कर निरपराध लोगों को मार पीट कर किसी न किसी मुकदमें में बंद कर रही है । उक्त गांव गरीब बुनकरों की अधिकांश आबादी है । हथकरघा का काम पुलिस उत्पीड़न के कारण बंद हो गया है । उक्त गांव में साम्प्रदायिक तत्वों के इशारे पर पुलिस द्वारा की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाही से पूरे जनपद के अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना फैल रही है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये तुरन्त अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद बाराबंकी के सिरौली गौसपुर हायर सेकेन्डरी स्कूल में शिक्षा सत्र प्रारम्भ न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[मान्यवर, वर्ष 1990 में जनपद बाराबंकी में सिरौली गौसपुर हायर सेकेन्डरी स्कूल स्वीकृत हुआ तथा भवन निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है । इस क्षेत्र में छात्रों के प्रवेश की गम्भीर समस्या पिछले कई वर्षो से रहती है । जुलाई मास में शिक्षा सत्र न प्रारम्भ करने तथा छात्रों का प्रवेश न प्रारम्भ करने से क्षेत्रीय जनता में असंतोष फैल रहा है ।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त विद्यालय में तत्काल छात्रों का प्रवेश प्रारम्भ किया जाय ।]

जनपद मुजफ्फरनगर में स्वीकृत 33/11 के०वी० विद्युत उप संस्थान कुटबा, टाण्डा, कुरावा के अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सभ्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में कुछ वर्ष पूर्व यहां की आवश्यकताओं को देखते हुये ग्राम कुटुवा, टाण्डा तथा कुरावा में 3/11 के उप संस्थान स्वीकृत हुये थे तथा उन पर निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया था परन्तु अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया इस प्रकार उप क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गयी है तथा किसानों को सिचाई हेतु बिजली नहीं मिल पा रही है । फसले सूख गयी है किसानों में राहत हो सके । इसके लिये उनका निर्माण अत्यन्त आवश्यक है अब तक केवल कुटबा के निर्माण में प्रगति हुई कुराता तथा टोडा पूर्ववत् हुये हैं । क्षेत्र के किसान में भंयकर रोष व्याप्त है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के विषय को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर तत्काल विद्युत उप संस्थान कुटबा, टोडा तथा कुरावा को पूर्ण कियें जाने की मांग करता हू ।]

जनपद बदायूं में उसहत के सौतन नदी पर बनाये जा रहे पुल को शीघ्र पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री जनकारी सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका तथा माननीय सदन का ध्यान जनपद बदायूं के अंतर्गत उसहत (बदायूं) पर सौतन नदी पर निर्माण निगम द्वारा बनाये जा रहे पुल की ओर आकर्षित करते हुये यह जानकारी चाहूंगा कि क्या लोक निर्माण मंत्री जी इस संबंध में निकट भविष्य में तथा चालू वित्तीय सत्र में उपरोक्त पुल को जो बीच में बनने से रोका गया उसे बनवाने के आदेश अपने स्तर से संबंधित अधिकारी को निर्देश देंगे ? पुल के निर्माण कार्य रुक जाने से वहां के निवासियों को आने जाने की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर शासन से आग्रह है कि इसे शीघ्र बनवाने का आदेश प्रदान करेंगे ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सहारनपुर जिलान्तर्गत सरसावां क्षेत्र में यमुना नदी के कटान से उत्पन्न तबाही के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री मोहम्मद हसन–

[मान्यवर, जनपद सहारनपुर के सरसावां क्षेत्र में यमुना नदी के कटान से लगभग 40 गांव उजड़ने की कगार पर हैं । ढिक्का, दबकौरा, घौलाहिड़ी, कुतबपुर आदि प्रमुख गांव तक उसकी चपेट में हैं । अनेक गांव क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं । हजारों बीघे भूमि दरिया बुर्द हो चुकी है , और इससे भी ज्यादा भूमि दरियाबुर्द होने को है । किसान बेजमीन हो गये हैं और ठोकरें खाने को विवश हो गये हैं ।

लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

दि किसान सहाकारी चीनी मिल तिलहर, शाहजहांपुर द्वारा किसानों के गन्ना मूल्यों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न असंतोष के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग सूखे की चपेट में आ जाने के कारण कृषक परेशान हैं । सरकार कृषकों के गन्ने का भुगतान शीघ्र करने के लिये प्रयासरत है । वहीं दूसरी ओर प्रदेश की चीनी मिलों के अधिकांश अधिकारी अपना व्यक्तिगत लाभ देकर ठेकेदारों का भुगतान तथा अन्य आवश्यक अपव्ययों में धन लगाकर कृषकों का शोषण कर रहे हैं ।

जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) है, वहां के पूर्व प्रधान प्रबंधक ने कृषकों को लगभग दो करोड़ चालीस लाख की बकाया रकम का भुगतान न करके स्थानान्तरण के समय ठेकेदारों के बकाया का भुगतान केवल कमीशन प्राप्त करने के लालच में कर दिया । जिससे क्षेत्र के कृषकों में भारी जनाक्रोश व्याप्त है ।

मैं, इस समस्या पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।]

नियम 311 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं के नियम 56 के अंतर्गत लिये जाने तथा सुने जाने का सुझाव

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत औचित्य के प्रश्न की.....

श्री विजय सिंह राणा–

यह नियम 311 की परम्परा जब से की है, यह नियम 56 में हमें मिल अधिकारों का अपवंचन हो रहा है (व्यवधान) तो उस पर हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं कि इस तरह नियमों का सहारा लेकर एक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जायगा और एक महत्वपूर्ण घटना गौण हो जायेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है ।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

राणा जी ने जो सुझाव दिया है....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह जो परम्परा रही है, 311 की सूचना आपकी पीठ से 56 में ही शामिल कर सुनी जानी है । हम राणा जी की बात का समर्थन करते हैं आप 56 और 311 की सूचनायें एक में करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं भी समझता था कि नियम 311 बहुत ही अपवाद की स्थिति का प्रश्न है ।

श्री यदुनाथ सिंह–

डाला सीमेंट फैक्ट्री के बारे में आपसे आपके कक्ष में चर्चा हुई थी, लेकिन मैं....

श्री अध्यक्ष–

अभी थोड़ी देर में आप हमारे कक्ष में आ जाना, वहां पर इस पर कोई निर्णय ले लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

कल इस पर चर्चा हुई नहीं, इसलिये आप नियम 49 में ही....

श्री अध्यक्ष–

अभी उसका कोई हल निकल आयगा, आप बैठिये ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

तीन सूचनायें औचित्य के प्रश्न के रूप में प्राप्त हुयी हैं....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आज उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद का चुनाव होना है । श्रीमन् यह तो शून्य प्रहर है ।

श्री अध्यक्ष–

शून्य प्रहर समाप्त होने वाला है ।

नियम-300 के अंतर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं । यह सूचनायें माननीय हृदय नारायण दीक्षित, माननीय राम गोविंद चौधरी, माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय हरेन्द्र सिंह , माननीय महेंन्द्र सिंह भाटी, माननीय नरेन्द्र सिंह भाटी और माननीय मुनव्वर हसन जी की है ।

सदन के स्थगन के पश्चात् नियम 311 के अंतर्गत उठी पूर्व की सूचनाओं को पुनः न लिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में कल नियम 311 की सूचनाओं पर चर्चा चल रही

थी । नियम-311 में कई माननीय सदस्यों ने अपनी सूचनायें दी थीं और आपने उनके नाम भी पुकारे । इसी बीच सदन में अव्यवस्था हो गयी । इस शोर हंगामे के बीच माननीय सदस्य आपकी बात सुन नहीं पाये जिनके नाम आपने पुकारे थे । सदन में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये नियम-299 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि "अध्यक्ष" व्यवस्था स्थापित रखेंगे । अब यह आपके ऊपर है कि किसी भी प्रकार व्यवस्था बनाये रखकर आप कार्यवाही चलाते हैं । मान्यवर, आपने जब शोर शराबा हो रहा था उसी के मध्य कार्य सूची की पद संख्या 3 से मद संख्या-17 तक की कार्यवाही सम्पादित करवा दी । मान्यवर, यह गलत परम्परा है । और प्रक्रिया के विरुद्ध है । इस तरह के हंगामे व शोर गुल के बीच कार्यवाही की गयी । मान्यवर, नियमावली के नियम 297 में व्यवस्था है कि आवाजें संग्रहीत होने के बाद किसी भाषण का न होना । एक प्रश्न पर "हां" – और "नहीं" की आवाजें संग्रहीत हो जाने के पश्चात् भी आपने श्री राम गोविन्द चौधरी को सुना । मान्यवर, मैं कल की इस कार्यवाही के प्रकरण पर यह औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं । कृपया व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इस सदन की प्रक्रिया नियमावली के अनुसार चलाना आपकी जिम्मेदारी है, और आपका सहयोग करना सदन में तमाम बैठे हुये लोगों की जिम्मेदारी है । मैंने जो यह औचित्य का प्रश्न दिया है यह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, यह नियम 300 के अंतर्गत औचित्य का प्रश्न बनता है । यह सदन की कार्यवाही से संबंधित है । मान्यवर, कल नियम-311 नियम पर आप सुन रहे थे । कुछ माननीय सदस्यों की बजह से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया । आपने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी और अपने कक्ष में चले गये । कक्ष में जाने के बाद दल के नेताओं को बुलाकर उनसे बात की और कहा कि नियम-311 के अंतर्गत जिन्होंने कहा है उसको सदन में जाकर सुनेंगे ।

...श्रीमन उनको सुना नहीं और अगली मद को ले लिया । आपने 311 पर कांग्रेस (आई) के सदस्यों को सुना । 311 में माननीय बलराम यादव और माननीय बाबूराम यादव जी ने मामला उठाया था, जिस पर सदन स्थगित हुआ । पूर्व सदस्य डी०पी० यादव के संबंध में यह मामला था उसको आपने नहीं सुना, और अपने कक्ष में आपने कहा था कि हम सुनेंगे मान्यवर, फिर कांग्रेस (आई) के सदस्य आपकी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हुये, माननीय संसदीय कार्यमंत्री की बातों से असंतुष्ट होकर कुछ माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और सदन अव्यवस्थित हो गया । सदन को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी आपकी है । नियमावली में आपको शक्ति प्रदान की गयी है कि आप सदन को व्यवस्थित करें । अगर सदन मे माननीय सदन बेल में जाते हैं तो आप मुंगरी बजाकर उसको रोक सकते हैं । आप सदस्यों को इंगित कर सकते हैं । संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव रख सकते हैं । प्रस्ताव के द्वारा माननीय सदस्यों को सदन से निकाला जा सकता है । पूरी शक्ति आपको मिली हुई थी,

लेकिन आपने उस शक्ति का प्रयोग न करके सदन के अव्यवस्थित रहते, कार्यवाही समाप्त कर दी । 311 में जो बात मा० सदस्यों को कहनी थी वह अपनी बात नहीं कह पाये, वह अपनी मंशा सदन के सामनें नहीं रख पाये । 311 के अंतर्गत जब यह मामला आया तो मंत्री जी ने अनर्गल प्रलाप शुरू कर दिया ।

डी० पी० यादव के संबंध में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कुड़की हुई मुकदमा दाखिल था । डी०पी० यादव ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया कि हम मुकदमें में वांछित हैं हिरासत में ले लिया जाय । जुडीशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं आपकी किसी भी थाने में कोई अपराध दर्ज नहीं है इसलिये हिरासत में रहने के आदेश निरस्त किये जाते हैं । इसके बाद कुड़की के आदेश ले लिये गये । कोर्ट ने आदेश किये कि दरोगा ने गलत शपथ पत्र भरकर कुड़की के आदेश लिये हैं, इसके खिलाफ कार्यवाही की जाय ? अगर वह दरोगा कोई मुलजिम है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश किये जाने चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जायगा । पुलिस प्रशासन जानबूझकर किसी व्यक्ति को मुलजिम करार देता है, तो इस बात को हाउस में उठाने का पूरा अधिकार हम लोगों को है । इसमें आपका संरक्षण होना चाहिये । यह सारे प्रकरण झूठ और फरेब को प्रकट कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी की चुनौती को स्वीकार करते हैं । डी०पी०यादव अपराधी हैं तो अपराधी की तरह उनके साथ ट्रीट किया जाना चाहिये । जब हम लोगों की बात हुई तो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी भी उपस्थित और आप स्वयं भी उपस्थित थे मैंने कहा था कि आप इस सारे प्रकरण की जांच सी०आई०डी० से करा दें । अगर डी०पी० यादव अपराधी हैं तो उनको जेल जाना चाहिये । वह जेल जायें और उनकी कुड़की हो अगर सी०आई०डी० उनको मुलजिम करार देती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य के प्रश्न में नहीं आता है ।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । कानून को कानून की तरह से चलाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य के प्रश्न की परिधि में नहीं आता है ।

श्री [illegible] गोविन्द चौधरी–

कल यह मामला चल रहा था ल हमें बोलना था आपने अव्यवस्थित सदन में सब पास कर दिया । आपने कहा था कि हम सुनेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ गये इसलिये हमने औचित्य का प्रश्न उठाया है ।

मान्यवर, कोर्ट ने कहा है कि आप किसी मामले में अपराधी नहीं हें, वांछित नहीं है उसके बावजूद भी दरोगा गलत शपथ पत्र भरकर कुर्की का आदेश लेता है । कोर्ट ने भी कहा है कि कुर्की का आदेश गलत है और कोर्ट ने उसकी प्रताड़ना की है । कोर्ट ने उसके खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश पारित किया है । यह सारा मामला उहापोह में पड़ा हुआ है । कल आपके सामने तय हुआ था कि हम मामले की जांच सी०आईडी० से करवायी जायगी । इस मामले में हो रहे प्रदर्शन पर पुलिस फायरिंग के कारण 3 व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है, कई लोग घायल हो गये हैं और पचीसों लोग लापता हैं, इनका पता नहीं चल रहा है । इस सारे प्रकरण की जांच सी०आई०डी० से करायें और सी०आई०डी० की जांच के बाद जो स्थिति होगी वह सामने आ जायगी । मैं आपकी व्यवस्था मानने के लिये तैयार हूं । मैं आपकी व्यवस्था चाता हूं कि आपने जो सारे प्रकरण की जांच सी०आई०डी० से कराने का निर्देश दिया था वह जांच कितने दिनों में यह सरकार पूरी करायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम आसरे वर्मा जी की एक सूचना नियम 300 के अंतर्गत, कल सदन की कार्यवाही के संबंध में है, माननीय चौधरी और माननीय हृदय नारायण दीक्षित ने जो प्रश्न उठाया है उस पर व्यवस्था देने से पहले मैं श्री राम आसरे वर्मा को आमंत्रित कर रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वर्मा जी के बाद एक मिनट मुझे सुन लीजियेगा ।

नियम 311 के अंतर्गत सूचनाओं को नियम 56 में सम्मिलित करके सुने न जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी जो सूचना है उसका स्वरूप दूसरा है । मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में जब अव्यवस्था पैदा होती है तो कभी-कभी आपका और सदन का जो महान दायित्व सदन में व्यवस्था रखने का है उसमें भी खलल पड़ता है । 2 अगस्त की कार्य सूची के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत होना था । सदन में उस दिन जिस प्रकार की अव्यवस्था पैदा हुई उससे धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।

श्री अध्यक्ष–

धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कल धन्यवाद का प्रस्ताव जिस अव्यवस्था के बीच प्रस्तुत हुआ है उसको बताने की जरुरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

कल प्रस्ताव का समर्थन हुआ है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं कहना चाहता हूं कि अव्यवस्था के कारण सदन की कार्यवाही में जो खलल पैदा हुआ उस पर अंकुश लगाने के लिये कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा । मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव 2 तारीख को सदन में प्रस्तुत होना था वह अव्यवस्था के कारण नहीं हो सका ।

श्री अध्यक्ष–

धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

कल यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है । वह जिन परिस्थितियों में प्रस्तुत हुआ वह आप जानते हैं ।'

श्री अध्यक्ष–

कल समर्थन हुआ है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सदन में उस प्रस्ताव पर अनास्था व्यक्त हो चुकी है । जब अनास्था व्यक्त हो चुकी है । जब अनास्था व्यक्त हो चुकी है तो सदन में उस पर चर्चा करने का औचित्य नहीं बनता है । इस पर मैं आपका निर्णय चाहूंगा । दूसरी बात भी राणा जी ने एक महत्वपूर्ण चाहूंगा । दूसरी बात अभी राणा जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया नियम 311 का 1 नियम 311 जब बहुत गंभीर स्थिति पैदा होती है तब सारे विरोध पक्ष के नेताओं की सहमति से उठाया जाता है । लेकिन अब ऐसा लगता है कि नियम 56 की कोई जरुरत नहीं रह गयी है । जो मसला माननीय सदस्यों की समझ में गंभीर आया उसको नियम 311 में दे दिया जाता है । नियम 311 के बारे में जिस तरह की परिपाटी अब तक चलती आयी थी उसका पालन सदन में किया जाना चाहिये । नियम 311 के अंतर्गत वही सूचनायें ग्राह्य की जांच जिन पर सभी विरोध पक्ष के माननीय नेताओं के हस्ताक्षर हों । अन्य सूचनायें अगर आती हैं तो उनके बारे में जिस तरह से माननीय बेनी प्रसाद वर्मा ने सुझाव दिया कि उनको काम रोको प्रस्ताव के साथ जोड़कर वरीयता के आधार पर उन्हें सुनें । सदन को व्यवस्थित करने के लिये माननीय सदस्य जिम्मेदार हैं । कल जिस समय सदन के अंदर यहां अव्यवस्था पैदा हो गयी थी...

...इसी सदन में माननीय सदस्यों को यह कहते हुये सुना गया कि अपने अपने मुद्दों को लेकर कुछ माननीय सदस्यगण अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं तथा इससे दूसरे माननीय सदस्यों के अधिकारों का भी हनन होता है । विपक्ष के माननीय सदस्यों का सबसे बड़ा अधिकार प्रश्नप्रहर होता है । विपक्ष के माननीय सदस्य प्रश्नों के प्रति अपने दायित्वों को न समझें और स्वयं नियम 311 के प्रस्ताव को लेकर प्रश्न प्रहर को समाप्त करावें, तो मैं तो

समझता हूं कि विपक्ष अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी से अपने पैर काट रहा है । माननीय सदस्य अपने अपने उत्तर दायित्व निभायें , लेकिन इसके साथ-साथ व्यवस्था संबंधी कुछ निर्देश आपकी ओर से होने चाहिये और उन निर्देशों का, सदन में व्यवस्था बनी रहे, इसके लिये कड़ाई से पालन होना चाहिये ।

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, अभी जो चर्चा यहां पर चली, इस पर मैं आपके निर्देशों के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता । इन सूचनाओं पर जिस तरह से आपका कार्य विन्यास रहा, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन यह सही है कि जैसा कि माननीय राम आसरे वर्मा जी ने कहा कि पिछले तीन-चार दिन से जो सदन में हो रहा है, वह दुखद है । मैं बहुत विस्तार से इस आदरणीय सदन के सामने नहीं कहना चाहता । लेकिन इतना जरुर कहूंगा कि आप चाहे नेताओं को बैठा लें या और कोई रास्ता निकालें, ताकि नियमावली में, संविधान में जो संगत धारायें हैं, उनके अंतर्गत हिसाब से सदन चले । यह सही है कि प्रश्न प्रहर सबसे महत्वपूर्ण होता है । हमसे लोग कुछ बातें पूछना चाहते हैं, हम उत्तर देते हैं । हम उत्तर नहीं दे पायेंगे तो कुछ सीखेंगे । जो संगत नियम है, उनके अनुसार कार्य चले, इसके लिये हम इस आदरणीय सदन को सहयोग देने के लिये तैयार हैं । आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ विचार विमर्श कर लें जिससे सदन शांतिपूर्वक चले ।

सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चाने के लिये सदस्यों से श्री अध्यक्ष का अनुरोध

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय हृदय नारायण जी, राम गोविंद चौधरी जी, राम आसरे वर्मा जी और संसदीय कार्य मंत्री ने जो सदन की कार्यवाही के संबंध में भावनाएं व्यक्त की हैं, उनसे सहमत हूं । यह स्मरण दिलानेकी आवश्यकता नहीं है कि जिस समय लोगों ने मुझे अध्यक्ष पद पर आसीन किया था और मेरे सवाल में कुछ शब्द कहे थे, उस समय मैंने कहा था कि सदन गम्भीर विचार-विमर्श का स्थान बने, यह मेरी आकांक्षा है । मुझे प्रसन्नता है कि मुझे सभी दलों का सहयोग मिल रहा है । जो दृश्य उपस्थित हुये, मेरे विचार में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये कोई बहुत उचित नहीं थे । यहां पर जब इस सदन में आयें तो मैं अपने सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उत्तेजना और भावुकता को त्यागकर यथार्थ के आधार पर गम्भीर वातावरण में अपनी बात संयत भाषा, अनुशासन और नियमों के अंतर्गत जिस विषय से संबंधित रखें, स्पष्ट रूप से रखें, तभी शासन और सदन शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य सम्पादित कर सकेगा । इसमें सभी दलों के नेताओं से सहयोग की अपेक्षा है जो मिल भी रहा है । सदन की कार्यवाही में कैसे सुधार किया जाय, इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श आज या कल कर लूंगा । आज मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको । जिस प्रकार के व्यवस्थित वातावरण में आज कार्य सम्पादित हुआ, मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रतिदिन इसी प्रकार कार्य सम्पादित हो । मेरी स्वयं ही धारणा है कि सदन के

सम्मानित सदस्य जो भी विषय उठाना चाहें, उनको अपनी बात कहने की अनुमति होनी चाहिये । मैं तो कहूंगा कि आवश्यकता हो तो दिन में सदन के बैठने का समय पांच बजे के बाद भी बढ़ा दिया जाय । अपने विचारों को व्यक्त करने के लिये समय की कमी नहीं रहनी चाहिये । मुझे केवल इतना ही कहना है कि नियमों के अंतर्गत कार्यवाही चले ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 जो है, वह असाधारण परिस्थितियों में लागू होता है । जैसा माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, उसे मैंने ध्यान से सुना । मैं निवेदन करूंगा कि वे आवश्यकता और विषय के अनुसार उसके लिये जो दूसरे नियम हैं, उसमें वे सूचनायें दें और उसमें यथाविधि कार्यवाही हो जायेगी ।

सदन संचालन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने और माननीय सदस्यों ने जो नियम 311 के बारे में कहा, अगर आप नियमावली को देखें, उसमें यह बात की व्यवस्था है कि सदन 90 दिन तक चलना चाहिये, स्थिति यह है कि 35 दिन, 40 दिन, 42 दिन चलता है और वह भी पूरे साल में जितने सदस्य हैं सम्मानित इस सदन में अपनी बात कह नहीं पाते हैं, अल्पकाल का सदन चलता है, उसमें उनको अपनी बात कहने का समय ही नहीं मिलता है । मान्यवर, विद्वान सदस्य ने यह बात कही कि नियम 311 में न उठाया जाय । नियम 56 में 5 से ज्यादा आप स्वीकार नहीं करेंगे । आप कहते हैं कि सदन नियमों के अनुसार ही चले, लेकिन यह बात कैसे हो पायेगी कि एक हफ्ता, 10 दिन के सदन में सभी बातें आ जायें, फिर यह सदन कब बैठेगा, उसका कुछ पता नहीं, जब आप उठेंगे, तो आप कह देंगे कि अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं । और यह भी निश्चय हो जाय कि 90 दिन तक सदन चलेगा, तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि विपक्ष के सभी लोग आपका पूरा-पूरा सहयोग देंगे । मान्यवर, ताली दोनों हाथ से बजती है । सरकार का जो दायित्व है, उस पर वह खरा न उतरे, तो सदन कैसे चले । मैं इस पर यह चाहूंगा कि आप कृपा पूर्वक सरकार से परामर्श करके इस बात का भी प्राविधान करा लें कि नियमावली में ही लिखा हुआ है कि 90 दिन तक सदन चले और वह भी कम से कम 90 दिन तक चलने का प्राविधान है । आप तो विद्वान हैं और भिज्ञ भी हैं । लेकिन मान्यवर, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हाउस आफ कामन्स रोज बैठता है, प्रतिदिन बैठता है, इसलिये इस सदन में भी ऐसा ही प्राविधान कर दिया जाय, कोई जरुरी नहीं है कि सदन 90 दिन ही चले । आप उसका समय बदल सकते हैं । यह व्यवस्था कर दें कि यह सदन निरंनर चलता रहे, तो यह जो प्रक्रिया आप देखते हैं, इस तरह की कोई भी अव्यवस्था पैदा नहीं होगी ।

***श्री प्रमोद कुमार–**

मान्यवर, आपने अभी जो प्रक्रिया अवगत कराई और अपनी राय व्यक्त की और सदन की भावनाओं को जाना । मान्यवर, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को बोलने का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अवसर नहीं मिल पाता है, उसका कारण यह है कि सदन का समय सीमित होता है । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं नहीं समझता हूं कि एक-डेढ़ दिन से ज्यादा का समय बचा है और इस बीच लोग महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात कर पाये हैं । इसमें नेता विरोधी दल, नेता सदन और अन्य नेताओं को भी बोलना है । मान्यवर, डेढ़ दिन तो इन्हीं लोगों के बोलने पर निकल जायगा । हमारे बहुत से माननीय नये सदस्य चुन कर आये हैं, जो अभी तक नहीं बोले हैं, वे भी उस पर बोलना चाहेंगे । लेकिन इस कम समय में नहीं बोल पायेंगे, उनका भी आपको ध्यान रखना है । मान्यवर, सदन 90 दिन चलने की बात उठी, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी इधर बैठते थे, तो लगातार कहते थे कि सदन 90 दिन तक चलना चाहिये ।

...अगर 90 दिन बैठे तो बहुत सदस्यों को मौका मिल जायेगा और वह अपनी बात को नियमानुसार रखने का प्रयास करेगें । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है । पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर 5 दिन की चर्चा होती रही है पता नहीं कौन सा तूफान आ गया कि उसे 4 दिन कर दिया गया । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि एक पूरा दिन इसके लिये निश्चित कर दें और उस दिन जो पहली बार सदस्य चुनकर आये हैं वहीं बोलेगें, कोई वरिष्ठ सदस्य नहीं बोलेगा, ऐसी व्यवस्था कर दें इससे सब लोगों को मौका मिल जायेगा ।

मैं आपको अपने दल की ओर से और विपक्ष की ओर से आश्वासन देता हूं कि जो दुबारा चुनकर आये हैं वह नहीं बोलेंगे । मान्यवर, एक आग्रह करूंग कि आप कार्यवाही निकालकर देख लें कि यह सदस्य असंतुष्ट क्यों होते हैं यह सदस्य असंतुष्ट इसलिये होते हैं कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य आये हैं, मुख्यमंत्री जी ने चुनचुनकर जो महारथी रखें हैं उनको न तो मान्यवर, विषय का ज्ञान रहता है (व्यवधान) मान्यवर, प्रश्न कुछ होता है और उत्तर कुछ देते हैं । इससे होता यह है कि शोर शराबा होने लगता है जब हम सब जीरो आवर में आवाज उठाते हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब सरकार की तरफ से नहीं देते हैं, यह जरूर देख लेते हैं कि कुछ ऐसी तड़क भड़क फैलायी जाय और उसी बात को दोहराते रहेगें, दोहराते रहेंगे जब तक उनकी बात के छपने का इंतजाम पूरा न हो जाय, विषय क्या है उसके महतव, उसके गम्भीरता का इन्हें पता नहीं रहता है । मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी मुख्य मंत्री नहीं रहते हैं तो कुछ इस तरह से बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कहते है कि सरकार की बदनामी हो जाय पता नहीं क्या बात है इनके अंदर, मैं नहीं जानता । मान्यवर, मुख्यमंत्री जी शरीफ आदमी हैं संसदीय कार्य मंत्री जी से इनको बचाइये ।

नेता विरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)–

मान्यवर, नियम 311 और 56 के बारे में बड़े विस्तार से बात यहां आई है । मैं प्रमोद जी से निवेदन करता हूं कि जो पहली बार नहीं आये हैं क्या उनको समय नहीं दिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने केवल एक ही दिन के लिए कहा है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

एक दिन की बात कर रहे हैं तो मैं तो सहमत ही था । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाना अति आवश्यक है । बहुत सारे मामले ऐसे पड़े हुए हैं जिन पर माननीय सदस्यों के विचार नहीं आ सके । पहली तारीख के बाद 13 तारीख को सदन स्थगित हो जायगा । मैं समझता हूं कि इतना कम समय हम लोगों को मिल पाया है कि इसमें बहुत सारे मामले रह गये हैं । मेरा निवेदन होगा कि इस कम समय का ज्यादा उपयोग हम कर सकें इसलिये आज आप सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाकर अपने कक्ष में बात कर लें और नियमों की परम्परा की एक ऐसी नियमावली हम लोग बना लें ताकि सदन व्यवस्थित रूप से चल सके ।

मान्यवर, यही समस्या हमारे सामने भी है, पीछे से माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि पहली बार आये हैं और हमारी ओर अध्यक्ष जी मुखातिब नहीं हो रहे हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनकी तरफ भी आप देख लिया करें ताकि इनका उत्साहवर्द्धन हो सके और यह अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख सकें । दूसरी बात यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बड़ी आपाधापी में माननीय शुक्ला जी ने प्रस्ताव रख दिया । मैं यह समझता था कि 20 -25 मिनट में प्रस्ताव रखकर कुछ मुद्दे उठायेंगे और कुछ ऐसे मुद्दे हमारे सामने रखेंगे जिस पर मुझे भी बोलने का अवसर मिलेगा और किसी ने सुना नहीं, और समर्थन भी कर दिया गया और समर्थन में मिनट आधा मिनट में अपनी बात कह दी । मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने समय हम लोगों के लिए कुछ ज्यादा देने का सोचा होगा इसलिये मैं चाहता हूं कि जो 5 मिनट का समय हमारे सदस्यों को देना चाहते हैं उसको बढ़ाकर के 7 मिनट कर दें और साथ ही विपक्ष के माननीय नेताओं को जो बोलना चाहें उनको आधा घंटे का समय दे दें । आशा है इस पर विचार करेंगे और जो कम समय हम लोगों के पास बचा हुआ है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम लोग कर सकेंगे ।

***श्री राम लखन–**

मैं नेता विरोधी दल की बातों का समर्थन करते हुये आपसे आग्रह करता हूं कि श्रीमन् जो हमारे सम्मानित नये सदस्य चुनकर आये हैं, आपने अपनी तरफ से आश्वासन भी दिया है कि हम उनका विशेष ध्यान देंगे..

लेकिन मान्यवर कुछ लगता है कि आपका ध्यान उनकी तरफ कम जा रहा है । तो मान्यवर मैं अपनी तरफ से अपने दल की तरफ से आपसे आग्रह करूँगा, चाहूँगा कि आप उन पर विशेष ध्यान दें चूंकि वे पहली बार आये हैं उनकी भावनायें आप तक नहीं पहूंच पा रही हैं सदन तक नहीं पहूँच पा रही हैं, वे अपनी बात यहां तक नहीं रख पा रहे हैं । समय के लिये जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल या अन्य नेता गण चाह रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना रह गयी है, उसके बारे में कह दूँ ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मुझे सुन लें । यह परम्परा रही है कि ऐसे विषयों पर सब दलों के नेता को सुन लिया जाता है ।

श्रीमन्, माननीय रेवती रमण सिंह व अन्य ने जो यह कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है उस पर आप सब को सुन रहे हैं । सबसे पहले मैं पूरे विपक्ष की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज विपक्ष की तारीफ की कि सदन को व्यवस्थित चलने दिया । मान्यवर, हमने बराबर सहयोग दिया है और देंगे, असहयोग मिलने की आशंका उधर से ही रहेगी । संसदीय कार्य मंत्री जी से भी यह कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि विपक्ष को विश्वास में लेकर किसी बात का उत्तर दें और ऐसा लगे कि जिससे कि वे पूरे सदन के संसदीय कार्य मंत्री हैं न कि भारतीय जनता पार्टी के । मान्यवर यह परम्परा रही है कि संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष को पूरे विश्वास में लेकर चलते हैं । अगर किसी मामले में शासन को कोई नुकसान की बात नहीं होती है तो उसको छिपाया भी नहीं जाता है । सदन को 90 दिन चलाने की जो बात कही गयी, माननीय गुप्त जी जब इधर बैठते थे तो लगातार इसे उठाते रहें हैं, हमारा इस पर जोर नहीं रहा लेकिन जो व्यवहारिक हो 100दिन व्यवहारिक हो तो 100 दिन चले जो इस नियमावली में हो ।

मान्यवर, जब हमारी नियमावली का ठीक से पालन नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे । 90 दिन व्यवहारिक हो, 100 दिन व्यवहारिक हो या जितने दिन व्यवहारिक हो उतने दिन सदन चले और उसका प्राविधान इसमें उस तरह से रखा जाय और उसका कड़ाई से पालन कराया जाय । उसमें एक दिन भले ही ज्यादा हो जाय, एक दिन उसमें कम न चलाया जाय । मान्यवर, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने 300 में से एक औचित्य का प्रश्न उठाया था, कल इस सम्बन्ध में आपसे कुछ वार्ता भी हुई थी उस सम्बन्ध में जो कार्यवाही अपेक्षित है, आप उसमें निर्देश दे देंगे तो जो उसी सम्बन्ध में नियम 56 में माननीय सदस्यों की सूचना है उसमें माननीय सदस्यों से कहूँगा कि उस पर प्रश्न नहीं करेंगे

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, नियमावली के संबंध में ही यहां पर बातें हो जाती है, क्षेत्र की समस्याओं आदि के संबंध में समय नहीं मिल पाता है । मैं निवेदन करूँगा कि आप माननीय नेता गण की एक बैठक प्रतिदिन अपने कक्ष में एक घंटे के लिये बुला लिया करें ताकि यह नियमावली आदि की बातें माननीय नेतागण से वहीं पर हो सके और यहां पर सदस्यों को क्षेत्र की समस्याओं आदि को रखने का मौका मिल सकें ।

वित्त, नियोजन एवं संसदीयकार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर माननीय बेनी प्रसाद जी ने जो अपने अनुभव से हमें लाभांवित करने का प्रयास किया है, मैं उसके लिये उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वे सब सरकार में रह चुके हैं और सदन कितने कितने दिन चला है इसकी जानकारी सभी पुराने माननीय सदस्यों को है। हम नयी नयी सरकार में आये हैं, इसका पहला सत्र चला है, अपने द्वारा किये गये कार्य के आधार पर इसका मूल्यांकन न करें। हम पूरा पूरा विश्वास देना चाहते हैं कि हम इस सदन को, विपक्ष का पूरा पूरा सहयोग मिले, अधिक से अधिक दिनों तक चलायेंगे। हम विश्वास दिलाते हैंकि माननीय सदस्यों को अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी। सामने बैठे हुए साथियों से मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने वाक्य चातुर्य के नाम पर, छिद्रान्वेषण करने का प्रयास न करें।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वाक्य स्वतंत्र को आजादी रहेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे तो यह स्वतंत्रता मान्यवर आप देंगे या यह देंगे।

श्री अध्यक्ष-

सभी को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आप लोग बैठे।

मैं सभी सम्मानित सदस्यों की चिन्ता देख रहा हूँ कि सदन व्यर्वास्थत ढंग से चले, अधिक से अधिक दिवसों तक चले, नियमों में इसका प्रविधान है, माननीय वर्मा जी ने भी ध्यान आकृष्ट किया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है आश्वासन एक तरह से दे दिया कि सदन अधिक से अधिक समय तक चलेगा। पिछली सरकार के समय किसी विशेष परिस्थिति वंश 40-42 दिन सदन चल पाया। वह परिस्थितियां सदैव रहेंगी, ऐसा नहीं है परिस्थितियां बदली हैं। जो लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अपेक्षा करेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन इस दिशा में भी हो, सदन अधिक से अधिक दिनों तक चले, अधिक से अधिक समय तक चले। माननीय नेता विरोधी दल ने सुझाव दिया है कि 7 मिनट माननीय सदस्यगण बोलें और आधा घंटा माननीय नेतागण विपक्ष के बोलें। हमारे बहुत से माननीय सदस्य नये निर्वाचित होकर आयेहैं उनमें बड़ी प्रतिभा दिखायी पड़ी है तो मैं यह प्रयास कर रहा हूँ। मैंने इस प्रयास को प्रारम्भ भी किया है। मैंने अधिक से अधिक नव निर्वाचित सदस्यों को बोलने का मौका दिया है। माननीय वर्मा जी के सुझाव से मैं सहमत हूँ वह इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वह इसे अन्यथा नहीं लेंगे। अब मैं नियम 300 के अंतर्गत प्राप्त दोनों सूचनाओं का निस्तारण करता हूँ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कृपया सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जायें। पहले मेरी बात सुन लें। अब शेष जो प्रक्रिया देनी है उसके

संबंध में अभी थोड़ी देर के पश्चात् जब माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा समाप्त हो जायेगी, परामर्श कर लें और उसमें माननीय राम गोविन्द चौधरी जी को भी आमंत्रित कर लूँगा । और उनकी समस्या का भी समाधान हो जायेगा ।

श्री डी० पी० यादव की गिरफ्तारी से संबधित पूरे प्रकरण की सी० आई० डी० द्वारा जाँच कराये जाने की मांग

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कल नेता विरोधी दल और हम सब लोग आपके कक्ष में आये थे तब आपने इस प्रकरण पर स्पष्ट निर्देश दिये थे । मान्यवर, उन स्पष्ट निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है । मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि किसी के खिलाफ मुकदमा वापस न लिया जाये । हम निष्पक्ष जाँच चाहते हैं । मैं वहां की बात यहां नहीं कहूँगा लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सरकार की नियत साफ नहीं है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से घटनायें हुई उसमें एक मामला न्यायालय के विचाराधीन है और बाकी सभी पर सी० आई० डी० जाँच के निर्देश दिये थे । तो यह सरकार जितने घटनाक्रम हैं उन पर सी० आई० डी० जाँच के निर्देश दिये थे, उसका पालन करें । इससे यह होगा कि जो इधर के लोग बैठे हैं उन्हें आदर मिलेगा, उन्हें सम्मान मिलेगा । कृपया इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दें ।

श्री अध्यक्ष-

इस घटना के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया को छोड़कर जो गोलीकाण्ड हुआ तथा जो चक्का जाम हुआ उन सभी प्रकरणों पर सी० आई० डी० जाँच करने की बात थी तो वही निर्देश दिये गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूँ । कल आपने अपने कक्ष में व्यवस्था दी थी । जो पूरा प्रकरण है, जो गोली काण्ड हुआ, चक्का जाम हुआ वह क्यों हुआ वह डी० पी० यादव को लेकर हुआ था और आप इस पूरे प्रकरण की सी० आई० डी० जाँच कराने के लिए सहमत भी हो गये थे और इस संबंध में आपने स्पष्ट निर्देश भी दिये थे लेकिन आज आपने दूसरी बात कह दी ।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रकरण अब समाप्त हुआ । अब मैं अगली सूचना ले रहा हूँ ।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, आपने जो निर्णय दिया था.....

श्री अध्यक्ष-

अब यह प्रकरण समाप्त हो गया है । मैंने दोनों सूचनाओं को निरस्त कर दिया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपके निर्देशों को हम लोग मानेंगे । लेकिन आप यह स्पष्ट कर दें कि पूरे प्रकरण की सी०आई०डी० जांच होगी ? अगर ऐसा है तो हम अपने साथियों से कह देंगे कि वह अब इस प्रकरण को न उठायें ।

श्री अध्यक्ष–

सी०आई०डी० की जांच के संबंध में कल भी बात हुई थी और मैंने तब भी यही कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया को छोड़कर गोलीकांड, रास्ता जाम करने के संदर्भ में पुलिस की सम्पूर्ण भूमिका के बारे में सी०आई०डी० जांच होगी, यही निर्देश में आज भी दे रहा हूं ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो आपका निर्देश है, वह हमारे लिये शिरोधार्य है । श्री डी०पी० यादव की गिरफ्तारी के कारण तथा उसके घर की कुर्की के कारण, उसके विरोध में कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की । बुलन्दशहर गाजियाबाद मार्ग पर काफी बड़ी तादाद में लोग इकटठे हो गये । इस घटना में एक नौजवालन की मृत्यु हुई । हम आपके निर्देशानुसार न्यायिक प्रक्रिया को छोड़कर, जो वहां पर रास्ता जाम हुआ, गोली चली, एक नौजवान मार गया, इतने अंश की सी०आई०डी० द्वारा जांच करा लेंगे, शेष के बारे में सी०आई०डी० से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । वहां पर एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि दो की मृत्यु हुई है, जिसमें एक इन्टरमीडिएट पास था तथा दूसरा ग्यारहवीं कक्षा का छात्र था । माननीय मुख्यमंत्री जी आज सदन में सब सूचनायें असत्य दे रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

सी०आई०डी० की जांच जब होगी, तब सारे तथ्य सामने आ जायेंगे कि एक मरा या दो । जितना अंश मैंने पहले बताया है, उसकी हम सी०आई०डी० जांच करा लेंगे, बाकी डी०पी० यादव से संबंधित मामले में सी०आई०डी० का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था ।

(एक अखबार दिखाते हुये)

मैं यह अखबार आपके पास भेज रहा हूं, आप इसे देख लें, इसके बाद सारे प्रकरण की जांच सी०आई०डी० से कराने में मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैंने नियम 300 में एक सूचना दी है, उसे सुन लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह

माननीय अध्यक्ष जी, लाल जी वर्मा ने पहले से आपको सूचना दी हुई है, इनको आप सुन ले ।

प्रदेश में किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी यह सदन नियमों से चलता है और इसी के तहत मैंने और मेरे साथियों श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, मनव्वर हसन साहब ने एक सूचना नियम 300 में दी थी ।

...मान्यवर, यहां दूसरा विषय ले लिया गया था । हो हल्ले के बीच में आप उन करोड़ों गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के संबंध में हमें नहीं सुन पाये । इस गम्भीर विषय पर हम सदन का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाये हैं, इसलिये आप हमें सुनें ।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो आज सूचना दी है, उसी पर आप बोलें । ग्राह्यता पर बोलें ।

(श्री लाल जी वर्मा जी के खड़े होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने नियम-30 के अंतर्गत आपको सूचना दी है, आप उन्हें सुन लें । यदि आपको उनकी सूचना नहीं मिल पा रही हो तो आप बिना सूचना के भी उन्हें अनुमति दे सकते हैं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने जो आपको सूचना दी है, वह गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है । माननीय मुख्य मंत्री जी किसानों के हित की बात करते हैं, दूसरी ओर बकाये का भुगतान नहीं कर रहे हैं, यह विरोधाभास है । एक ओर तो किसानों की मेहनत से कमाये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान यह सरकार नहीं कर पा रही हैं तो दूसरी ओर उनसे जबरिया वसूली की जा रही है और खाद पर ब्याज देना पड़ रहा है । अगर कोई कसान सोसाइटीज से खाद लेता है तो उसे कम से कम 6 महीने का ब्याज देना पड़ता है । अगर किसान 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करता है तो 15 वें दिन उस पर ब्याज लगा दिया जाता है । मेरे जनपद में चीनी मिल मंसूरपुर, श्यामली , खतौली, मवाना, मोरना, दोराला, रोहाणा, लक्सर तथा देवबन पर किसानों का करोड़ों रुपये बकाया है । आज गन्ना किसान परेशान है । इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का जो 100 करोड़ रुपये बकाया है, उसमें से प्राइवेट चीनी मिल पर तो 40 करोड़ है परन्तु सरकार की जो चीनी मिलें हैं उन पर 60-70 करोड़ रुपये बकाया है । आज गन्ना किसान अन्धकारमय जीवन व्यतीत कर रहा है । यह सरकार इस गम्भीर सूखे में उन्हें कोई राहत तो नहीं दे रही है परन्तु उन्हें परेशान अवश्य कर रही है । आज प्रदेश के हवालात भरे हुये हैं यह सरकार चीनी मिलों से गन्ना क्षेत्र के विकास हेतु धनराशि नहीं दिला पाई है ।

मंसूरपुर चीनी मिल पर 90 लाख रुपये ब्याज सहित किसानों का बकाया है । इसलिये आप सरकार को निर्देशित करें कि बकाये का भुगतान किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें । यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है । स्थगन क्यों किया जाय , इस पर आपको बोलना चाहिये ।

(हरेन्द्र सिह मलिक अपने स्थान पर बैठ गये और बोले नहीं)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में दिये गये संशोधन प्रस्ताव को आक्षेपात्मक कहकर सम्मिलित न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैंने नियम 300 के अंतर्गत ही अपनी सूचना दी है । विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 19 के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय सदन में अपना भाषण देते हैं । नियमावली के नियम 19 (5) के अनुसार उसमें माननीय सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है । मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो संशोधन के प्रस्ताव रखे थे, वह 13 बिंदु थे, परन्तु जो कार्यवाही छप कर आई हैं, उसमें केवल 12 बिंदु हैं, एक बिंदु यह करकर दिया गया कि वह आक्षेपात्मक है । मान्यवर, मैं उस बिंदु को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जो नहीं छापा गया है । "उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में आर०एस०एस० के द्वारा प्रशासन चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में" । अब आप ही मुझे बतायें कि इसमें कौन सा शब्द है जो आक्षेपात्मक है । जिसके कारण उसे निकाल दिया गया । यही औचित्य का प्रश्न मैं लाना चाहता हूं ।ऐसा करके हमारे अधिकारों का हनन किया गया है । मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस बिंदु को संशोधन के प्रस्ताव में जोड़ने का काम किया जाय ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने से व्यवधान उत्पन्न हुआ)

वित्त नियोजन एवं संसदीय एवं कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, क्या इस विषय पर चर्चा चालू हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं चर्चा चालू नहीं हुई है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या केवल "आर०एस०एस०" शब्द आ जाने से संशोधन अमान्य कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे दिखलवा लूंगा । अब महत्वपूर्ण विषय आ रहे हैं । .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मलिक जी ने गन्ना मूल्य के बारे में महत्वपूर्ण बात कही थी मैं उनका आभारी हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उस सूचना को निरस्त कर दिया है नियम 300 में नहीं आता है ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991†

सचिव,विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) द्वितीय विधेयक, 1991, जैसा प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 1991†

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 1991†

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(सदन 2 बजे)

विधान सभा उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु प्राप्त नामों का विवरण

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता, विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यों । जैसा कि आपको विदित है आज का दिन नियत किया गया है उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के संबंध में, दिनांक 6 अगस्त, 1991 के मध्याहन 12 बजे तक नामांकन आ जाने चाहिये थे । जो नामांकन प्राप्त हुये हैं उनका विवरण इस प्रकार है :–

अभ्यर्थी का नाम	प्रस्थापक	समर्थक
1–श्री भगवन्त प्रसाद	श्री मथुरा प्रसाद	श्री भागीरथी
2–श्री महेन्द्र सिंह भाटी	श्री नरेन्द्र सिंह भाटी	श्री जैदान सिंह
3–श्री राम आसरे वर्मा	श्री नरेश अग्रवाल	श्री सुरेन्द्र नाथ
4–श्री राम आसरे वर्मा	श्री बरखू राम वर्मा	श्री अंगद यादव
5–श्री राम आसरे वर्मा	श्री हृदय नारायण	श्री क्षेत्र पाल वर्मा

†छापा नहीं गया

6-श्री राम आसरे वर्मा	श्री लाल जी वर्मा	श्री राम खिलाड़ी यादव
7-श्री राम आसरे वर्मा	श्री निरवेन्द्र कुमार	श्री बाबू खां
8-श्री सुन्दर लाल	श्री उदल	श्री राम स्वरूप वर्मा
9-श्री सुन्दर लाल	श्री दीनानाथ सिंह यादव	श्री प्रमोद तिवारी
10-श्री सुन्दर लाल	श्री कैलाशनाथ सिंह यादव	श्री बेनी प्रसाद वर्मा
11-श्री सुन्दर लाल	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त	डा० दिनेश जौहरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्रया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 (4) में उपबंधित है कि निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई भी अभ्यर्थी, जो नाम निर्देशित हुये हों, मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम वापस ले सकते हैं । तदनुसार कोई अभ्यर्थी यदि चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं ?

(किसी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न किये जाने पर)

विधान सभा उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया निरस्त करके आगे की तिथि निर्धारित करने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि विषय महत्वपूर्ण है आज इसे स्थगित करके कल मतदान करा लें ।

वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जो विचार माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त किया है मेरी उससे सहमति है । मैं चाहता हूं कि कोई एक ही नाम रह जाय और चुनाव सोहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि तिथि अभी न रखी जाय क्योंकि सदन की परम्परा रही है कि जब भी यह विषय आया है तो सर्वसम्मति से ही तय हुआ है । इसमें आपको अधिकार दे दिया जाय, आप चयन कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है । अगर ऐसा नहीं हो तो भी अभी इस पर चुनाव न कराया जाय । इसमें बातचीत के द्वारा नाम तय होने के बाद ही , मैं समझता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया चलानेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस समय इसे स्थगित कर दिया जाय ।

श्री राम लखन–

मान्यवर, सदन की परम्परा रही है कि जब भी उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है, सर्वसम्मति से हुआ है । आपके सामने 4 नाम आये हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि आज इसको स्थगित कर दिया जाय और अगर उचित समझें तो यह अधिकार आपको है । आज अपनी सूझबूझ से जिसको चाहें मनोनीत कर दें । मेरा यह सझाव और अनुरोध है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यव, मेरा कहना यह है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि नहीं हो पा रहा है तो इसके लिये अभी कोई तिथि निर्धारित न करें । आज इसे स्थगित कर दें जैसा कि आग्रह किया है लेकिन जो तिथि निर्धारित करें, नेताओं की राय लेकर निर्धारित करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय नेता, विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है कि स्थगित कर दिया जाय वह उचित है ।यह परम्परा भी रही है कि सर्वसम्मति से ही इस आसन पर लोग बैठते रहे हैं । चुनाव हो, यह हमको भी शोभा नहीं देता है । मेरा अनुरोध है कि इस प्रत्रिया को निरस्त करके आगामी तारीख रखी जाय । नेता, विरोधी दल और नेता, सदन जो भी नाम दे देंगे, हम उससे सहमत होंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं जानकारी चाहूंगा कि यह सदन क्या तय करेगा ? चुनाव को स्थगित कर दिया जाय या पूरी प्रक्रिया ही स्थगित कर दी जाय ?

(विपक्ष की ओर से "पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दी जाय" की आवाज आने पर)

ठीक है ।

(श्री उपाध्यक्ष के चुनाव की पूरी प्रक्रिया निरस्त की गयी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, चूंकि शासन दल ने फैसला किया है कि उपाध्यक्ष प्रतिपक्ष का ही होगा और प्रतिपक्ष के नेता माननीय नेता, विरोधी दल है, इसलिये उनका जो भी विचार हो, मेरी उससे सहमति है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

माननीय सदस्यों ने जो विचार रखा है, उचित है लेकिन एक प्रश्न है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन महत्वपूर्ण है लेकिन यह भी आवश्यक है कि आपकी सहायता के लिये उपाध्यक्ष का निर्वाचन शीघ्र हो । आज के स्थगन के लिये जो माननीय सदस्यों का अनुरोध है, मैं भी उससे सहमत हूं । केवल यह बात रह गयी है कि चुनाव प्रक्रिया को बाद में किया जाय । मैं निवेदन करूंगा कि इसे लम्बा न खींचा जाय कल की तिथि निर्धारित कर दें । और कल की तिथि में ही यह कार्यवाही पूरी करें । माननीय तिवारी जी से मैं निवेदन करूँगा कि कल कहीं वे जा रहे हैं, कल के दिन अवश्य रुक जायें ताकि यह कार्यक्रम पूरा हो सके और अपना जाने का कार्यक्रम वे किसी और दिन रख लें । उचित यही होगा जिससे कि आगे की कार्यवाही इस संबंध में सुचारू रूप से संचालित की जा सके ।

श्री अध्यक्ष-

इसमें प्रक्रिया संबंधी कठिनाई आयेगी । निर्वाचन की जो कार्यवाही हो चुकी है उसे

यदि सम्पूर्ण रूप से निरस्त करेंगे तो कल चुनाव नहीं हो सकेगा क्योंकि पहले नाम निर्देशन की तिथि निर्धारित होगी, फिर नाम वापस लेने की तिथि होगी उसके बाद चुनाव प्रक्रिया की बारी आयेगी । इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मैंने पूछा था कि क्या प्रक्रिया निरस्त करनी है या फिर मात्र आज की ही कार्यवाही ।

विपक्षी नेतागण (एक साथ)-

पूरी प्रक्रिया ही निरस्त करनी है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश ग्यारहवां विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु मैंने 7 अगस्त, 1991 की तिथि निर्धारित की थी । तदनुसार उक्त निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र भी प्राप्त हो गये हैं । इस बीच माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य दलों के नेताओं ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं निर्वाचन निरस्त कर दूँ ताकि उपाध्यक्ष के पद हेतु विभिन्न दलों में आम सहमति हो सके । नेताओं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए मैं दिनांक 7 अगस्त, 1991 को होने वाला निर्वाचन एवं प्राप्त सभी नाम-निर्देशन-पत्र निरस्त करता हूँ । निर्वाचन की अगली तिथि बाद में घोषित की जायेगी ।

मद संख्या 6 व 7में कुछ नहीं है । मद संख्या 8 में विशेषाधिकार की अवेहलना का भी कोई प्रश्न नहीं है । अब हम मद संख्या 9 लेते हैं ।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 6 अगस्त 1991 में सदन के वर्तमान सत्र के दिनांक 7 अगस्त, 1991 से 13 अगस्त 1991 तक के उपवेशनों के अनुमोदित कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधत रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

7 बुधवार	(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (तीसरा दिन) (2) 5.00 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 1991/92 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।
8 गुरूवार	(1) निम्नलिखित विधायी कार्य:– (क) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (सन्देह निवारण और वैधीकरण) विधेयक 1991 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा । (ख) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा ।

(2) वित्तीय वर्ष 1991-92 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार तथा मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुनःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण (आधा दिन) ।

9 शुक्रवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (चौथा एवं अन्तिम दिन) ।

10 शनिवार बैठक नहीं होगी ।

11 रविवार ,, ,,

12 सोमवार (1) असरकरी दिवस (असरकारी संकल्प) (आधा दिन)
(2) विधायी कार्य (आधा दिन)
(3) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अमरेश चन्द्र पांडेय, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना तथा उस पर आधे घंटे की चर्चा :-

''इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद मऊ में त्वरित विकास के लिये वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाय ।''

13 मंगलवार (1) असरकारी दिवस (असरकारी विधेयक) (आधा दिन)
(2) विधायी कार्य (आधा दिन)
(3) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अमरेश चन्द्र पांडेय, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :-

''यह सदन भारत सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर जनपदों को मिला कर 'पूर्वान्चल' नाम से एक पृथक प्रदेश गठित किया जाय ।''

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अभी कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने किया है, सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 10में मंत्रियों द्वारा कोई वक्तव्य नहीं है ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या 11 आज दिनांक 7-8-1991 को नियम 56 के अन्तर्गत 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से निदेश संख्या 15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गयी हैं –

-- 1- श्री सुखदेव प्रसाद की जनपद आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र के विधायक श्री सुख देव प्रसाद राजभर के विरूद्ध थाना मेढनाजपुर की पुलिस द्वारा हत्या एवं संगीन मुकदमें लगाये जाने की साजिश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

2- श्री अकबर की जनपद मुरादाबाद के कस्बा कुंदरकी में दिनांक 17-7-91 को हुई डकैती, लूटपाट तथा फायरिंग में एक व्यक्ति की हत्या एवं कई लोगो के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

3- डा० बृजभान यादव की उत्तर प्रदेश मेडिकल कालेजों में अन्य राज्यों के 5 प्रतिशत मेडिकल छात्र छात्राओं द्वारा प्रवेश प्राप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

4- श्री हृदय नारायण दीक्षित और बनवारी सिंह की राज्य कर्मचारी पुलिस परिषद् व अन्य कर्मचारी संगठनों में मुजफ्फरनगर के पुलिस कर्मियों को बन्धक बनाने, पुलिस कर्मी की हत्या करके शव कई दिन तक न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

5- श्री बेनी प्रसाद वर्मा की दिनांक 13-7-1991 को पीलीभीत जनपद में 11 सिख तीर्थ यात्रियों की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में हत्या के संबंध में ।

6- श्री दुलारे लाल एवं श्री यदुनाथ सिंह की सोनभद्र स्थित डाला सीमेंट फैक्ट्री को दिये जाने से वहां के श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के संबध में ।

7- श्री नरेश अग्रवाल एवं श्री सुरेन्द्र नाथ की हरदोई रेलवे स्टेशन पर सुरसा गांव की हरिजन युवती के साथ जी० आर० पी० हरदोई के थानाध्यक्ष एवं पुलिस द्वारा बलात्कार किये जाने के संबंध में ।

8- श्री चन्द्रभान मौर्य एवं श्री हरेन्द्र सिंह की जनपद आगरा एवं मुजफ्फर नगर में उत्पन्न पेय जल संकट के संबंध में ।

9- श्री विजय सिंह राणा और विजय पाल सिंह की आगरा में किसानों की फसलों के लिये जलापूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

10– श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री बलराम यादव की जनपद बुलन्दशहर के कस्बा गुलावटी में समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शान्ति पूर्ण प्रदर्शन किये जाने पर पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग से तीन व्यक्तियों की मृत्यु एवं अन्य कई के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबध में ।

चूंकि श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री सोमांश प्रकाश और श्री विजय पाल सिंह तोमर की सूचना इसी से संबन्धित थी, इसलिये उनके नाम भी इसी से जोड़ दिया गया है ।

इनमें से 5 सूचनाओं को सुना जायेगा तथा शेष 5 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष-

श्री सुखदेव जी, आप अपनी सूचना की ग्राह्यता के संबंध में बोलें।

(श्री सुखदेव प्रसाद के अनुपस्थित होने के कारण)

***श्री अकबर-**

मान्यवर, सारे प्रदेश में जैसा कि आप देख रहे हैं और माननीय सदस्य देख रहे हैं जब से इस पार्टी की सरकार आयी है तब से लूटपाट, राहजनी, डकैती और कत्ल की घटनायें बढ़ गयी हैं । बड़े बड़े शहरों में चैन खींचने की घटनायें हो रही हैं । यह बड़ी आम बात हो गयी है । पूरे प्रदेश की घटनाओं को देखते हुए मेरी सचना बहुत छोटी पड़ जाती है, लेकिन इस क्रम में पूरा प्रदेश आतंकित है और जन मानस में भय व्याप्त है । मैं अपनी घटना को संक्षेप में कहना चाहता हूं । मुरादाबाद जिले के कस्बा कुंदरकी में 13 तारीख को एक दुकानदार को लूटा गया और उस दुकानदार के चोटें आयीं और जब थाना में रिपोर्ट लिखायी तो जुर्म मिनिसाइज कर दिया गया और दफा 323 में लिखी गयी और उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसी कारण 13 तारीख को 2 दुकानदारों को लूटा गया और तीसरी दुकान पर जब लुटेरे गये और दुकानदार ने प्रतिरोध किया तो लुटेरों ने फायरिंग शुरू कर दी । फायरिंग की आवाज सुनने के बाद चूंकि कस्बे का मामला था बहुत सारी जनता इक्ट्ठा हो गयी और बदमाशों को घेर लिया । थाना वहां से 500 मीटर की दूरी पर है लोगों के बार बार सूचना देने पर भी थानाध्यक्ष टस से मस नहीं हुए पौन घंटे के बाद दो पुलिस कर्मी वहां पहुंचे तब तक एक बदमाश जो पकड़ रखा था लोगों ने उसे पीट-पीट कर मारा तो वह मर गया । पुलिस और थानाध्यक्ष की लापरवाही को देखकर लोगो ने थाने को घेर लिया और करीब 5, 6 हजार की भीड़ वहां इक्ट्ठी हो गयी तब एस० एस० पी०, ए० डी० एम० और डी० एम० वहां पहुंचे । जो लोग थाने में बैठकर सुलह सफाई करा रहे थे उन्हीं के नाम दफा 147, 353 आदि न जाने कौन कौन सी धारायें है लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया । मैं चाहता हूं कि इसकी सी०आई०डी० से जांच करायी जाय । पुलिस ने इसे प्रेस में साम्प्रदायिक घटना बताकर छाप दिया । उन्होंने छाप दिया कि पुलिस सूत्रों के अनुसार यह दो सम्प्रदायों के बीच का झगड़ा है जो एकदम गलत सूचना थी । मैं चाहता हूं कि आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार को निर्देश दें कि इस पूरे प्रकरण की जांच सी०आई०डी० से करायी जाय और उसके बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, यह सूचना जो प्राप्त हुई है यह कार्यस्थगन का कोई मामला नहीं है । जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार यह सही है कि 13.7.91 को सांय 6 बजकर 15 मिनट पर एक अपराधी दूल्हाजान और उसके साथी ने मुकेश कुमार नामक व्यक्ति और उसके साथ के दो लड़कों को घायल कर दिया । घटना के कारण शहर में उत्तेजना थी, लोगों में रोश था यह कहना सही नहीं है कि 5,6 हजार लोग इकट्ठे हो गये दो तीन हजार लोगों की भीड़ ने थाना घेर लिया था वहां के एस०पी० आर्य और ए०डी०एम० घटना स्थल पर सूचना मिलते ही पहुंच गये । वहां स्थिति अब सामानय है कोई तनाव नहीं है । अपराधियों के खिलाफ मुकदमा सं० 194/91 धारा 307/384 आई.पी.सी., धारा 25 आर्म्स ऐक्ट, धारा 5 विस्फोटक अधिनियम के अतिरिक्त धारा 153/147/353/504/506/342 आई०पी०सी० में दर्ज करा दिया गया है । तो इस प्रकार मामले में अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है इसलिये सी०आई०डी० की जांच की आवश्यकता नहीं है । वहां कोई साम्प्रदायिक तनाव की बात नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा है यह सही है कि वह सांप्रदायिक घटना नहीं है । मैं माननीय सदस्य और पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी ।

श्री अकबर–

मैं भी यह कह रहा हूं कि वह सांप्रदायिक घटना नहीं है । लेकिन जो लोग सुलह सफाई करा रहे थे उन्हीं के खिलाफ विभिन्न धाराओं के मुकदमें दर्ज किये गये हैं जिसमें आपके एक सुरेन्द्र कुमार और श्री जैन आदि लोग हैं जो जिला शांति कमेटी के मेम्बर हैं ।

श्री अध्यक्ष–

गृह राज्य मंत्री जी के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो गयी है यह कार्यस्थगन का मामला नहीं बनता है मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूं ।

श्री अकबर–

सी०आई०डी० जांच के बारे में कुछ कह दें ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगली सूचना डा० ब्रजभान यादव की है । (श्री ब्रजभान यादव के खड़े होने पर) वह हैं नहीं । तो मैं श्री हृदय नारायण जी की सूचना को ले रहा हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक बड़ा गंभीर मामला प्रस्तुत करने जा रहा हूं । अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि बुलन्दशहर में सड़क जाम कर रहे लोगों पर हुई फायरिंग में एक मरा है मेरा निवेदन है कि निहत्थे प्रदर्शकारी नारे लगाते हुये

जा रहे थे अपने नेता के ऊपर हुये अत्याचार के संबंध में तो उन पर फायरिंग से दो लोगों की मृत्यु हुई लेकिन एक की मृत्यु को मा० मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है । मान्यवर, ऐसी ही घटना मुजफ्फरनगर में हुई और हथियार बंद लोगों ने पुलिस कर्मियों को घेरकर मारा और उनको बंधक तक बना लिया एक पुलिस कर्मी की लाश सड़ती रही । मान्यवर, इस प्रकरण में कोई कार्यवाही करना तो दूर उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद् के एक सदस्य वहां गये और हथियारबंद लोगों का मनोबल बढ़ाया और उनसे समझौता किया । एक और निहत्थे समाजवादी जनता पार्टी के लोग जो प्रदर्शनकारी थे, जिनको भारतीय संविधान से विचार स्वातंत्र्य का अधिकार मिला है उन पर गोली चलायी जाती है, और दूसरे ओर पुलिस को हथियारबंद लोग घेरकर मारतें हैं । तो सरकार ने आत्म समर्पण कर दिया इससे राज्य कर्मचारी पुलिस परिषद् में और अन्य कई संगठनो में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गयी है । पुलिस की जिम्मेदारी है कि शासन को वह विधि व्यवस्था के अनुसार शासन चलाने में सहयोग दे किन्तु आज वही पुलिस विद्रोह पर उतारू हो गयी है, पुलिस व्यवस्था यदि ठीक नहीं होगी तो यहां अराजकता की स्थिति पैदा हो जायेगी । इसलिये मैं सदन में इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जहां पुलिस बल विद्रोह पर उतारू है और शांति एवं कानून व्यवस्था शून्य हो गयी है तो इन परिस्थितियों में क्या उत्तर प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज रह गयी है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज शासनविहीनता की स्थिति हो गयी है । जब कि मुख्य मंत्री कहते हैं कि हम भयविहीन राज्य की स्थापना करेंगे और दंगा रहित प्रदेश बनायेंगे । इसलिये यह गंभीर मामला है कि क्योंकि संगठित गिरोह पुलिस कर्मियों को मार

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री जदल पीठासीन हुये)

दें उनको बंधक बना लें और वह लोग सरकार को उठा लेंगे और फिर सरकार के आदमी जायेंगे तो वह आत्म समपर्ण कर देगें जो एक तरह से अराजकता के सामने आत्म समपर्ण है । इस तरह प्रदेश में आज कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है । पुलिस के लोग आज तो अनुशासित लोग हैं आंदोलन की मांग कर रहे हैं । (पोस्टर दिखाया) इसलिये विपक्ष के हम लोग आपसे अनुरोध करेंगे और पुलिस बल से अनुरोध करेंगे कि वह कोई आंदोलन न करे और हम उनकी लड़ाई यहां लड़ेंगे । इसलिये मान्यवर, आज जब प्रदेश में विधि का कोई शासन नहीं रह गया है और सरकार विहीनता की स्थिति पैदा हो गयी है, इसलिये मैं चाहता हूं कि आज का जो कार्यसूची का कार्य है उसे रोककर इस पर चर्चा करायें ।

अतः मान्यवर, इस पर आप चर्चा करायें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, जो यह सूचना प्राप्त हुई है, यह कार्य स्थगन की परिधि में नहीं आती है । 16 जुलाई की यह घटना है और उसमें मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जैसा इस संवेदनशील विषय को माननीय सदस्य ने इस प्रकार आरोपित किया यह उचित नहीं होगा । पूरे प्रदेश में कहीं भी पुलिस कर्मियों में या राज्य कर्मचारियों में कोई

विद्रोह या विक्षोभ जैसी स्थिति नहीं है । (व्यवधान) कोई इस तरह के पोस्टर्स छपवाकर रखा जाय तो इससे इस तरह का कोई प्रश्न नहीं बनता है । इस संबंध में जनपद मुजफ्फरनगर ग्राम घौलड़ी से समाचार पुलिस को मिला था । इस पर कुंवर पाल वर्मा अपने 12 पुलिस कर्मियों के साथ उक्त गांव में पहुंचे, और जब पुलिसजन वहां पहुंचे, तो कुछ लोग, ग्रामीण लोग लाठी, बल्लम और फर्शे लेकर घरों से निकल जाय, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि शायद यह डाकू दल के लोग हैं । जिससे एक पुलिसकर्मी की उसमें मृत्यु हो गयी और चार पुलिस कर्मियों को ग्रामीण जनों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन्हें वहां पर रोक लिया । उसके बाद राज्यमंत्री को वहां भेजा गया था । उन्होंने बातचीत कर समस्या का समाधान निकलवा दिया तब से शांति है । जैसी कोई स्थिति नहीं है सरकार पूर्ण प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप यह तो बतायें कि इस घटना की एफ० आई० आर० में क्या दर्ज है और इसमें किन-किन लोगों को नामजद किया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं आपसे मान्यवर, जानना चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करा रहे हैं या केवल घटना विषयक हमसे जानकारी जवाब दिलवा रहे हैं । (व्यवधान) सरकार पूर्णतया सतर्क और जागरूक है और इसी कारण हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने सहकारिता मंत्री जी को तत्काल घटनास्थल पर भेजा और उन्होंने वहां जाकर बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला और घटना के लिये जो जिम्मेदार थे (व्यवधान) उनके विरुद्ध मुकदमा अंकित किया गया है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

यह मेरे क्षेत्र का मेरे जनपद का मामला है । माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि...

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री राम आसरे वर्मा–

अब माननीय मंत्री जी बैठ गये हैं । यहां मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । परम्परा यह रही है कि कोई गंभीर मसला खड़ा होता है और वह किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र का है तो उसमें उस माननीय सदस्य को भी सुन लिया जाता है । यह मसला मलिक जी के क्षेत्र का है, इसलिये आपसे निवेदन करूंगा कि आप इनको भी इस पर सुन लें । उसके बाद मंत्री जी अपनी बात कहें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है इसके लिये मंत्री जी के जबाव देने के पहले आप को उठना चाहिये था । (व्यवधान)

अभी आपको कुछ और कहना है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि उस पूरी घटना की जांच सी०आई०डी० को सुपुर्द कर दी गयी है और वह जारी है । ऐसे में यदि आप इस पर यहां पर चर्चा कराते हैं तो तथ्यों

पर असर पड़ेगा । इसलिये इसकी रिपोर्ट का तब तक इंतजर किया जाय । यह ऐसा संवेदनशील विषय है कि इससे पुलिसजनों के बीच और उत्तेजना भी फैल सकती है । इसलिये मैं नहीं चाहूंगा और विपक्ष के सदस्य भी यह नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी बात कही जाय, जिससे संवेदनशीलता बढ़े । इसलिये यह कार्यस्थगन का विषय नहीं बनता है और सरकार का पक्ष आपके बीच में आ चुका है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हृदय नारायण जी ने इस विषय को उठाया है । मैं उनसे 2-1 बातें सुनूंगा, उसके बाद (व्यवधान) आप बैठें ।

श्री विजय सिंह राणा–

उसके बाद आप हमें भी सुनें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

गृह राज्य मंत्री जी ने कहा कि यह विषयं नियम 56 में आता नहीं है , क्योंकि यह बहुत पहले का है । मैं घटना के बारे में नहीं कह रहा हूं । पुलिसजनों में इससे जो विद्रोह जैसी मानसिकता बनी है, उसके बारे में कह रहा हूं । आप देखें नियम 56 के बाद नियम 58 है और उसकी धारा 3 में यह साफ साफ दिया हुआ है । मैं घटना में नहीं जा रहा हूं । इस घटना के संबंध में पुलिस जो असंतोष और विद्रोह जैसी स्थिति थी, उसके चलते आई०जी० पुलिस, मिस्टर माथुर पर चप्पलें तक फेंकी गयी । चूड़िया फैंकी गयी और हजारों पुलिस वालों की औरतें उनके सामने आ गयी । इसलिये मैं इस पर कार्यस्थगन हेतु बल दे रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह घटना कब की है, किस तारीख की है, आप बता सकते हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह घटना 16 जुलाई की है ।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)–

मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है कि किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र का मामला हो तो उसे बोलने का समय अवश्य दिया जाता है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि क्षेत्र के जिम्मेदार और प्रतिष्ठित लोगों से सम्पर्क किया गया था । जिम्मेदार लोगों में विधायक का नम्बर तो पहला होना चाहिए और विधायक की बात सुनने के बाद ही कोई निर्णय होना चाहिए । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप माननीय हरेन्द्र सिंह जी की बात सुन लें । उन्हें भी बोलने का मौका दें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह दुःखद घटना 16 जुलाई की रात को घटी थी....।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । सदन की परिपाटी यह रही है कि जिन सदस्यों के हस्ताक्षर कार्य-स्थगन की सूचना पर होते हैं, उन्हें ही सुना जाता है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

परिपाटी मंत्री जी अवश्य है । चूंकि नेता विरोधी दल खड़े हो गये और उन्होंने यह कहा कि संबंधित क्षेत्र के संबंधित विधायक की बात सुननी चाहिए इसलिये उन्हें सुन लिया जाय । माननीय मंत्री जी निर्णय करना मेरा काम है और क्योंकि नेता विरोधी दल के आग्रह को सुनना भी जरूरी था इसलिये मैंने श्री हरेन्द्र सिंह जी को कहा । व्यवस्था के प्रश्न पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह घटना 16 जुलाई को घटी थी । वहां पर अव्यवस्था पैदा करने का काम वहां के जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक का है । वहां किसी आदमी से सम्पर्क नहीं किया गया । माननीय मंत्री जी इस तरह से सदन को गुमराह न करें । कोई डेड बाडी लेने नहीं गया । 17 तारीख को पूरा दिन मैं वहां था । सहकारिता मंत्री जी इसके गवाह हैं, वह मुझे वहां मिले थे । उस क्षेत्र में तीन जाट परिवार हैं । इस गांव के 90 फीसदी वोट मुझे मिले हैं । वहां पर मुझसे ज्यादा जिम्मेदार और कौन रहा होगा । मान्यवर, वहां लाश सड़ रही थी । पुलिस वालों ने आई०जी०, डी०आई०जी० को मारा पीटा । मान्यवर, अगर आप वहां फंस गये होते तो आपके साथ भी शायद यही होता । मान्यवर यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ।

....उनको बराबर प्रताड़ित किया जा रहा है । ग्राम प्रधान उनके साथ गया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

ग्राम प्रधान को गोली लगी वह रिपोर्ट लिखाने गया । मान्यवर, मुजफ्फरनगर में जाति विशेष के कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का षडयंत्र यह सरकार कर रही है । एक जाति विशेष के लोगों का स्थानान्तरण किया जा रहा है । उसी जाति के सिपाही को मारा गया था ।

(व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जाएं मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । 13 जुलाई को यह घटना हुई पीलीभीत में, इस संवेदनशील मसले को श्रीमन् मैं कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यह संवेदनशील मसला है इस पर विचार करना चाहिए । यह मामला हमारे प्रदेश की समस्या नहीं है, न देश की समस्या है, यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है । इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों को पूरी ईमानदारी से कि इसमें क्या राजनैतिक लाभ मिल रहा है, क्या हानि मिल रही है इसको सोचे बगैर इसके निस्तारण के लिए कार्यवाही करनी चाहिए । इसमें हमें थोड़ा सन्देह सरकार की कार्यवाही पर है इसीलिये यह प्रश्न उपस्थित करने का मौका आपसे लिया ।

(किसी माननीय सदस्य के मा० अधिष्ठाता के पास जाकर कुछ बात करने पर)

मान्यवर, आपके और वक्ता के बीच में कोई दीवार नहीं बन सकता है । श्रीमन् 13 जुलाई को घटनास्थल पर मैं गया था वहां जो हमें जानकारी मिली है, वह बड़ी हृदय विदारक घटना है । पीलीभीत में एक सिख तीर्थयात्रियों का जत्था, मैं यह नहीं कहता हूं कि वह आतंकवादी थे या नहीं, मैं इस सफाई में नहीं जाना चाहता हूं उनका आपराधिक इतिहास था या नहीं ? यह तो सरकार बताएगी, तो मान्यवर जो तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे। पूरी बिरादरी में एलान करके जा रहे थे कि जीवन सुधारेंगे पश्चाताप करके जीवन सुधारेंगे ।

(शोरगुल)

पूरा बरादरी को यह ज्ञान मालूम हो गयी थी। पुलिस को भी मालूम हो गया, कि फलां बस से तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और फलां तारीख को जा रहे हैं। मान्यवर, बदायूं जिले के कसला घाट पर बस रोकी गई और तीर्थयात्रियों को बस से उतारा गया और पुलिस की गाड़ियों में भरा गया । मान्यवर, कसला घाट के सैकड़ों लोगों ने इसको देखा । रेल आने वाली थी फाटक बन्द था वहां पर भी सारे लोगों ने देखा । श्रीमन् 18 घंटे पुलिस ने उनको थाने में रखा उसके बाद कुछ को रात में और कुछ को सुबह 6 बजे पुलिस की गोली से उनको उड़ा दिया गया । मान्यवर, इसी तरह शीतलपुर गांव में चार लोग मारे गये हैं । जहां उन लोगों को मारा गया है वहां कोई छिपने की जगह नहीं थी और यह कहा गया कि मुठभेड़ में मारे गये । मान्यवर, अगर मुठभेड़ हुई होती और वहां कोई छिपने की जगह भी नहीं थी, तो दोनों तरफ के लोग मारे जाते लेकिन एक तरफ के लोग मारे गये और दूसरी तरफ के लोग नहीं मारे गये, तो अगर मुठभेड़ होती तो ऐसा नहीं हो सकता है । पुलिस के लोग नहीं मारे गये और सिख लोग मारे गये । हमारी चौकीदार और ग्राम प्रधान से बात हुई, और भी लोगों ने देखा, सुबह साढ़े पांच बजे मुंह पर पट्टी बांधकर लाया गया और गोली मार दी गई । यह मामला लोकसभा और राज्यसभा में भी विवाद का विषय बना था । गृहमंत्री का वक्तव्य होने जा रहा है शासन ने जो कार्यवाही की है उसमें हमें सन्देह है । माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पुलिस का साहस बढ़ायेंगे । मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है कि माननीय

मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पीलीभीत की घटना में पुलिस को बचाने के लिए कोई चारा नहीं था इसलिये न्यायिक जांच के आदेश दे दिये । पूरे पुलिस विभाग ने इस पर असंतोष व्यक्त किया श्रीमन् न्यायिक जांच बहुत बड़ी होती है इसमें न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए थी । यह एक आपराधिक मामला है....।

श्रीमन्, अगर पुलिस ने निरपराध लोगों की जान ली और मुठभेड़ दिखाकर उनको मार दिया तो ऐसी घटना की जांच सी०बी०आई० के जरिये होनी चाहिये । सी०बी०आई० की जांच आप नहीं करा सकते तो सी०आई०डी० की जांच करा दीजिये । सी०आई०डी० की चार्जशीट सीधे अदालत जाती है । न्यायिक जांच की रिपोर्ट करके सरकार के पास आयेगी और फिर सरकार रिफर करेगी । इसलिये मामले को लटकाये रखने के लिये और जिन लोगों ने फर्जी तरीके से लोगों की जान ली है उनको बचाने के लिए न्यायिक जांच का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है । हम यह जानते हैं कि ।। लोगों की जान ऐसी सरकार के कार्यकाल में जो कुछ दिन पहले पदारूढ़ हुई है, किसी पुलिस अफसर की हिम्मत नहीं है कि वह ।। लोगों को मारे जब तक मुख्यालय की अनुमति न हो । हमारी शंका है कि मुख्यालय की अनुमति लेकर इन ।। लोगों की जान ली गयी । आतंकवाद की समस्या प्रदेश, देश और दुनियां के सामने है । इस घटना को नजर अंदाज करके इसको बढ़ाने का काम किया गया है । इसको बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए था । यह मामला पुलिस की गोली और फौज की गोली से नहीं सुलझाया जा सकता है । इसमें प्यार का मरहम लगाने की जरूरत है । मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर, इसमें जल्दबाजी में काम न करें । इस मामले को सी०बी०आई० को रिफर करें । सी०बी०आई० पता लगाये कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ दिखाकर जान ली है या मुठभेड़ सही थी किसी को पकड़कर मारा तो नहीं गया है । इस मामले की जांच सी०बी०आई० से कराने के लिये हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है ।

(मुख्यमंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मुख्यमंत्री जी को बुला लिया है, आप बैठिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात सुन लें । मुख्यमंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद अगर भाषण करायेंगे तो उचित नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मुख्यमंत्री जी को बुला लिया है ।

(श्री कल्याण सिंह) मुख्यमंत्री–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो मुद्दा उठाया है....।

एक सदस्य–

(अधिष्ठाता जी आप [xxx xxx]

श्री अधिष्ठता–

यह बात आपत्तिजनक है । [xxx xxx] में जिनका नाम होगा उनको बुलाऊंगा ।

(शोर)

श्री बाबूराम यादव–

माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं, माननीय सदस्य को सुनना पड़ेगा । (शोर)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आपकी [x x x] चल रही है या सदन चल रहा है ।

श्री अधिष्ठता–

आप बैठिये ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने पीलीभीत के प्रकरण में कुछ मुद्दे उठाये हैं । उनका कहना है कि पीलीभीत में जो कुछ 12/13 के दिन घटना घटित हुयी वह मुख्यालय के इशारे पर हुयी । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह आरोप उनका बेबुनियाद है । मुख्यालय के इशारे पर कोई घटना घटित नहीं हुयी ।

दूसरी बात मान्यवर, उन्होंने उठायी कि अभी पुलिस अधिकारियों के बीच मेरा भाषण हुआ परन्तु ऐसी कोई बात नहीं हुयी कि किसी अधिकारी को, या किसी भी दोषी व्यक्ति को बचाने के लिये न्यायिक जांच की घोषणा की है, या कहा गया है । तीसरी बात जब इस संबंध में लोगों ने तरह तरह की बातें की तो शासन ने यह उचित समझा कि कहीं किसी के दिल में कोई भ्रम या दुविधा न रह जाय, इसलिये सम्पूर्ण प्रकरण की जांच हमने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुपुर्द की । मैं समझता हूं कि शासन का यह काम ऐसा था जिसको आपको पसन्द करना चाहिये था, क्योंकि इसी सदन में बार बार ऐसा कोई प्रसंग आता है तो न्यायिक जांच की मांग की जाती रही है । हमने बिना मांग का इंतजार किये, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाय, इसलिये न्यायिक जांच के आदेश दे दिया । मान्यवर, चूंकि न्यायिक जांच के आदेश हो गये हैं और आयोग गठित हो गया है, इस नाते से मामला सब-जूडिस हो गया है । इसलिये अब कोई टिप्पणी शासन या विपक्ष की ओर से उचित नहीं है । एक अंतिम बात कह कर मैं विराम दे रहा हूं । मैं माननीय बेनी प्रसाद जी का आभारी हूं कि उन्होंने आतंकवाद की समस्या को महसूस किया है । अब यह किसी प्रदेश की नहीं, राष्ट्र की समस्या बन चुकी है । ये कहेंगे कि आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद की समस्या हमारे समय की नहीं है, यह हमें विरासत में मिली है । बेनी प्रसाद जी भी किसी से विरासत में यह समस्या लाये थे । आपने भी किसी से विरासत में पायी थी, उसके पीछे के लोगों ने भी किसी से विरासत में पायी थी ।

नोट-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता हूं, लेकिन आतंकवाद की समस्या एक गम्भीर समस्या खतरा बनती जा रही है और जन-जीवन के सामने एक गम्भीर खतरा पैदा होता जा रहा है । यदि इसको समय रहते सुधारा नहीं गया तो हमारे देश की एकता, अखण्डता, आजादी बचेगी नहीं । इस समस्या के हल के लिये हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर इस समस्या का मुकाबला करने के लिये सन्नद्ध होना पड़ेगा । राजनीति के और भी तरीके हो सकते हैं, आलोचनायें हो सकती हैं, लेकिन आतंकवाद से निपटने के लिये सभी दल, विधायक, सदन सभी दलगत भावना से ऊपर उठकर इस समस्या के समाधान के लिये एक जुट हों । हम भी कुछ उपाय कर रहे हैं । कुछ दूरगामी और कुछ तात्कालिक उपाय सोच रहे हैं, अच्छे पुलिस अधिकारी तैनात कर रहे हैं । थानों में बल बढ़ा रहे हैं । जीपें हटाकर जिप्सी दे रहे हैं । हर जिप्सी पर वायरलेस सेट दे रहे हैं । दो प्वाइंट ऐसे हैं, जिनसे आतंकवादियों का आना जाना होता है । पंजाब की ओर से जब पंजाब की पुलिस आतंकवादियों पर शिकंजा कसती है तो ये प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं । हमने वह प्वाइंट चिन्हित कर लिया है, वहां पर दबाव बढ़ा दिया है । हम उनकी एन्ट्रेस और एग्जिट देख रहे हैं । यहां से वे नेपाल की ओर भागते हैं । वहां पर भी, जहां से नेपाल भागते हैं, हमारी व्यवस्था हो रही है । मैं इस मामले में अनुरोध करूंगा कि इस मामले के समाधान के लिये हम सभी लोग किसी को कसूरवार न मानते हुये इकट्ठा होकर बात करें । इस समस्या का समाधान एक जुट होकर करना है । हममें कहीं कोई खामी होगी तो ठीक की जायगी । इसमें वे आतंकवादी थे कि नहीं, आपने स्वयं कहा है कि आतंकवादी थे कि नहीं, यानी आपको स्वयं भी दुविधा है ।

वे आतंकवादी थे या नहीं थे, मैं उस प्रकरण पर नहीं जाना चाहता हूं । वहां की पुलिस ने जो सारा इतिहास लिखकर भेजा है, मैं उस पर भी कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मामला सब-जूडिस है । वह मुठभेड़ थी या नहीं थी, इसकी न्यायिक जांच के लिये संदर्भित कर दिया है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि आप सहमत होंगे, इस प्रकरण को यहां पर समाप्त किया जाना चाहिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर जो अभी बयान दिया है, उसके थोड़े से अंश तक तो हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन मान्यवर यह मामला आतंकवादी के साथ साथ सिक्खों का भी बन गया है । मान्यवर, सिक्खों के नेता प्रकाश सिंह बादल तथा पूरे संगठन ने भी मुझसे बात की, वह न्यायिक जांच को विलंब करना मान रहे हैं, वह सी०आई०डी० से जांच चाहते हैं । हम सभी लोग कहते हैं कि न्यायिक जांच खत्म करके सी०वी०आई० के सुपुर्द कर दिया जाय । इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से मान्यवर समाचार स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं अपनी सरकार की नीति मान्यवर, स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम समूचे समुदाय को आतंकवादी कभी नहीं मानते, कभी नहीं मानते, कभी नहीं मानते । आतंकवादियों की

कोई जाति नहीं होती है, आतंकवादी, आतंकवादी है । आतंकवादियों से जितना हम और आप परेशान हैं, जो हमारे सिक्ख भाई हैं, वे उससे ज्यादा परेशान हैं, इसलिये आतंकवाद को समूचे सिक्ख समुदाय से अलग करना पड़ेगा । जैसा मैंने निवेदन किया कि आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती है, उनको सिक्ख भाईयों से अलग करना पड़ेगा । आतंकवादियों से जितना आप लोग परेशान हैं , उससे ज्यादा हमारे सिक्ख भाई परेशान हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सी०बी०आई० की जांच की पूरे देश की मांग है । इसके बारे में मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर नहीं आया । इस मामले को इतनी सरलता से न लिया जाय । यह उत्तर प्रदेश का मसला है, उत्तर प्रदेश में घटना हुई है । इस मामले में सी०बी०आई० से जांच करायी जाय ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियम 56 के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री विजय सिंह राणा–

इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं आयेगा ।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सी०बी० आई० की जांच का आदेश न देने से के विरोध में मैं तथा मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 7 8 1991 को नियम-56 के अंतर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई है, जिनमें से निदेश संख्या-15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गयीं । (1) श्री सुखदेव प्रसाद की सूचना-अस्वीकार की गयी ।(2) श्री अकबर की सूचना–अस्वीकार की गयी ।(3) डा० बृजभान यादव की सूचना-अस्वीकार की गयी । (4) श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री बनवारी सिंह की सूचना-केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी ।

यह मैं आपके माननीय अध्यक्ष के निर्णय के आधार पर सुना रहा हूं ।

कार्यस्थगन प्रस्तावों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

(व्यवधान के मध्य)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न आप सुनिये उस पर आप अपनी व्यवस्था दें, वह आपका अधिकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने व्यवस्था दे दिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यव, मेरे व्यवस्था के प्रश्न को आप सुन लीजिये । नियम 56 के अंदर जितनी सूचनायें प्राप्त होती है उन सूचनाओं को शलाका के आधार पर डाला जाता है और उसमें से 10 सूचनायें स्वीकार हो जाती है । आज भी 10 सूचनायें स्वीकार हुई । लेकिन उसमे से यह नियम है कि 5 सूचनाओं को ग्राह्यता पर अवश्य सुना जायेगा । आप देखें कि पहले से 5 नम्बर तक जो आपने स्वीकार की हैं उसमें ग्राह्यता पर तीन को आपने सुना और सदस्य अनुपस्थित थे । लेकिन नियम यह है कि 5 सदस्यों को ग्राह्यता पर इस सदन में सुना जायेगा जिसमें से 3 को सुना गया और 2 सदस्य रह गये तो 2 सदस्यों को नियम 56 के कार्यस्थगन पर आपको सुनना पड़ेगा, उनकी ग्राह्यता पर। (व्यव धान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं व्यवस्था दे रहा हूं माननीय अग्रवाल जी, 2 माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे और यह मामला माननीय अध्यक्ष जी के सामने ही आ चुका था लिहाजा उसको सुनने का सवाल ही नही उठता ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जो सदस्य उपस्थित नहीं है उसकी सूचना तो स्वीकार ही नहीं होगी ।

(व्यव धान)

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय किया है कि बेनी प्रसाद वर्मा जी की, श्री दुलारे लाल व श्री यदुनाथ सिंह जी की, श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ की, श्री विजय पाल सिंह की, श्री राम गोविंद चौधरी, श्री बलराम यादव तथा श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री सोमांश प्रकाश, श्री विजय पाल सिंह तोमर की सूचना को मैं शासन को उचित कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं । तो अध्यक्ष जी ने निर्णय कर लिया है कि मैंने शासन को इन सूचनाओं को उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है । (व्यव धान)

(कई सदस्यों के द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यव धान)

(मद संख्या 12 पुकारे जाने पर)

नेता विरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिह यादव)–

मान्यवर, मदन को व्यवस्थित करायें तो मैं बोलूं ।

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल बोलने के लिये खड़े हुये हैं आप लोग बैठें । आप लोग उनको तो सम्मान दें ।

श्री यदुनाथ सिह–

मान्यवर, मेरा डाला फैक्ट्री के श्रमिकों से संबंधित था ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय किया था मैंने उसको पढ़कर सुनाया है । डाला फैक्ट्री के श्रमिकों का नियम 56 में था उसको भी हमने सरकार को भेज दिया है कार्यवाही के लिये ।

श्री यदुनाथ सिह–

मान्यवर, इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार थी ।

श्री अधिष्ठाता–

यह निर्णय माननीय अध्यक्ष जी करके रखे हुये हैं ।

श्री यदुनाथ सिह–

इस पर अध्यक्ष जी ने चर्चा स्वीकार कर ली थी ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिह यादव–

मान्यवर, पहले मदन को व्यवस्थित तो कीजिये तभी तो अपनी बात शुरू करूं ।

श्री अधिष्ठाता–

डाला सीमेंट फैक्ट्री/सीमेंट निगम का मामला महत्वपूर्ण हैं, माननीय यदुनाथ जी कल अपनी सूचना दे दीजियेगा, माननीय अध्यक्ष जी उस पर विचार कर लेंगे ।

(समय 3 बजे) (व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिह यादव–

मान्यवर, आप 2 मिनट में सुन लीजिये । उनका कुछ व्यक्तिगत मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल जी आप उन्हें किस नियम के अंतर्गत बोलवाना चाह रहे हैं ।

श्री कैलाश नाथ सिह यादव–

मान्यवर, मैंने समझा आपने संबंधित माननीय सदस्य का नाम लिया, तभी मैं बैठ गया था ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने उनका नाम नहीं लिया । मैंने यदुनाथ सिह जी से कहा कि डाला सीमेंट फैक्ट्री

का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, कल आप उस पर सूचना दें दीजियेगा, अध्यक्ष जी उस पर विचार करेंगे ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मैं समझता हूं कि यदुनाथ जी जो मामला उठाना चाह रहेहैं, उस मसले पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उन्हें उस पर समय अवश्य दिया जायेगा ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) †

नेता विरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में एक संशोधन रख रहा हूं । प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण मे निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

इस सरकार ने प्रदेश में धर्मोन्माद फैलाकर नफरत के बीज बोने के सिवा सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में दिशा विहीनता का परिचय दिया है तथा जन-जीवन अस्त व्यवस्त बना दिया है ।"

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, डाला सामेंट फैक्ट्री के मामले पर मुझे ठीक से नहीं सुना गया इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(यदुनाथ सिंह सदन का त्याग करके चल गये)

श्री अधिष्ठाता–

यह जितने अन्य संशोधन दलोंके नेताओं आदि ने दिये हैं, सब इसके साथ जुड़े माने जायेगें ।

(शेष संशोधन के लिये देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 133 पर)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, इसके पहले कि मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर कोई विचार रखूं, इस ग्यारहवीं विधान सभा में जो माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, मैं उन्हें अपनी ओर से और सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से बधाई देता हूं । मान्यवर, इस सरकार को बने अभी थोड़े दिन हुये यह सही है कि सरकार के सारे कारनामे एक महीने में सामने नहीं आ सकते । लेकिन यह भी सत्य है कि पूत के लक्षण पालने में दिखायी देते हैं । होनहार बिरवान के होत चिकने पात कमिंग इवेन्ट्स कास्ट दियर शैडोज बिफोर) । सरकार को बने थोड़े दिन हुये, हमें यह आशा थी कि ...

...प्रस्तावक श्री शुक्ल जी ने जो प्रस्ताव रखा है और दूसरे शुक्ल जी ने समर्थन किया है, मैं समझ रहा था कि सरकार के बारे में जो एक महीने के अंदर इनके कार्य कलाप

---

† दिनांक 2 अगस्त, 1991 की कार्यवाही से ।

है, इन सारे कार्य कलापों पर विचार के लिये रखते और तब मैं उस पर विवेचना करता । विपक्ष का यह उत्तर दायित्व है कि वह सरकार की नीतियों की समालोचना करे और जिन मार्गो पर गलत धारणायें बनाकर सरकार चल रही है उन पर सुधार करने के उपाय बतायें । मान्यवर, जनता ने इन्हें सत्ता में रहनेका जनादेश दिया हो तो इनका कर्तव्य है यह अपने कर्तव्यों का पालन करें और हमें विपक्ष में रखकर सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानें का अवसर जनता ने दिया है । मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाकर उस सरकार के लिये आगे का मार्ग प्रशस्त करूं ।(कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान होने पर) इससे पहले मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य अपने आवेदन-पत्र लेकर माननीय मंत्रियों के पास खड़े हैं, वे कृपया बैठ जायें, क्योंकि सदन की यह परम्परा रही है कि जब नेता विरोधी दल का भाषण रहा हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालता कोई टीका टिप्पणी न करे, कोई टोका-टाकी न करें । मान्यवर, जब भी कोई नयी सरकार बनती है, सरकार के मुख्य मंत्री का या सरकार की ओर से यह भाषण होता है , यह संदेश आता है कि इस नयी सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि यह सरकार प्रदेश में भूखमरी को दूर करेगी, यह सरकार गरीबी को मिटायेगी, यह सरकार नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देगी, सरकार का यह बयान होता रहा है कि वह प्रदेश के अन्दर कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लायगी, अगर कहीं आतंकवाद और उग्रवाद का बोलबाला हो, कहीं संकट के काले बादल या असुरक्षा की भावना जनमानस में छायी है तो उनको छांटने का प्रयास करेगी ।

परन्तु इन सबके विपरित इस सरकार ने सत्ता संभालते ही, जहां इन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की थी, वहां पहला कदम इन्होंने यह उठाया कि शाम को शपथ ग्रहण करने के बाद सवेरे के समय झुंड के झुंड बनाकर कारों और बसों से अयोध्या में राम लला के दर्शन करने को चले गये । मान्यवर, मैं मानता हूं कि धर्म का कार्य पूजा का कार्य हुआ करता है, आराधना व अर्चना का कार्य हुआ करता है । लेकिन एक सरकार जिसने यह शपथ ली हो कि हम गोपनीयता को रखेंगे, संविधान की सत्यता को अक्षुण रखेंगे, उस सरकार से यह अपेक्षा की थी कि अगर आपको जनादेश राम के नाम पर मिला हुआ है तो उसकी पूजा अर्चना न करें । लेकिन राम के नाम पर संविधान को तोड़ने का प्रयास न किया जाये । मान्यवर, सारे मंत्रिगण गये थे और मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि परिवहन विभाग से जो बसें गयी थीं वह बिल्कुल नई थीं उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था । मंत्रियों में तो ऐसी अफरा तफरी मची हुई थी कि जिस कार से वे लोग जा रहे थे वह आपस में टकरा रही थीं और उनमें इस बात की होड़ लगी हुयी थी कि कौन पहले अयोध्या जाकर राम लला के दर्शन करेगा।

तो जो मर्यादा आपको जनादेश मर्यादा पुरूषोत्तम राम के नाम पर मिला हुआ है इसका कृपया आप दुरूपयोग न करें । आज तक किसी ने भी राम के नाम का दुरूपयोग नहीं

किया है । वे एक महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं उनके बारे में मैं एक दोहा कहना चाहूंगा–

"राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है,
कोई कवि बन जाय, सहज-संभाव्य है।"

तो उस महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर जब इस सरकार ने शुरूआत की माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा था । उनमें पहला प्रस्ताव यह आया था कि शराब के ठेकों पर अंकुश नहीं लगाया जायेगा । महात्मा गांधी ने 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो यह कहा था कि अगर मुझे एक घंटे भी सत्ता सम्भालने का अवसर दिया गया तो मैं सबसे पहले शराब के ठेकों को बंद करा दूंगा । तो शराब के नशे में चूर होकर भगवान का नाम बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये । किसी ने भी कहा है कि–

"एहसास जब हुआ कि मयाब है हराम,
अल्लाहमया का नाम लिया, और और पी गये ।"

मान्यवर, अपने पूरे भाषण के अंदर महामहिम राज्यपाल महोदय के राम राज्य की बात कही है । मैं मान्यवर, इस संबंध में कहना चाहूंगा कि यह अच्छी बात है । मान्यवर, इस सरकार ने मंत्रियों की एक लम्बी चौड़ी लिस्ट बनायी है । मैं चाहूंगा कि उन सभी मंत्रियों का परिचय माननीय मुख्य मंत्री जी करा देते यह शिष्टाचार का नियम है परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । नतीजा यह हुआ कि इस सदन के अंदर बहुत सारे नये मंत्री बने हैं उनका नाम भी हम लोग नहीं जान पाये । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और बहुत सारे नेतागण जिनके साथ बैठकर काम करने का अवसर पहले हमें मिला है, मेरी यह इच्छा थी शुरू के दिनों में जो काम किये गये हैं उनका आंकलन नहीं किया जा सकता ।

लेकिन एक महीने का समय भी कम नहीं है । आपने उस मंदिर में जाकर दो प्रकार का काम किया । पहला काम यह आपने किया कि माननीय हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) में यह केस पड़ा हुआ है और उस दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में यह बयान दिया कि वहां कोई मस्जिद ही नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि अगर वहां मस्जिद नहीं हैं, तो इतना बखेड़ा क्यों है ? अगर वहां केवल राम का मंदिर ही होता, तो कोई विवाद ही क्यों होता ? माननीय अधिष्ठाता जी, जिस समय यह बात की गयी थी, उस समय माननीय अध्यक्ष जी उपस्थित थे और यह कहा गया था कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय । मैं समझता हूं कि अगर वहां मस्जिद नहीं है तो इन्हें राम के नाम पर वोट बटोरने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? हर आदमी अपने-अपने ढंग से मंदिर में, मस्जिद में पूजा आराधना करता है लेकिन जो केस अभी न्यायालय के भीतर है, जो अदालत आज भी पेंडिंग है, उस कोर्ट की इन्हें अवमानना नहीं करनी चाहिये । आपने कोर्ट की अवमानना की है, आप उसके दोषी हैं, आपकी सरकार उसकी दोषी है, इस दोष को आपके मत्थे ही जाना पड़ेगा ।

दूसरा गलत काम आपने किया, रामलला का दर्शन करके । मैं स्वयं उस स्थान पर गया हूं, इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । मैंने स्वयं यह प्रयास किया कि मैं वहां जाकर

अपनी आखों से देखूं। देखने के बाद एक बात मेरी समझ में आयी। एक किताब छपी हुई है, राम जन्म भूमि और बाबरी मास्जद। यह किताब बार कौन्सिल आफ इण्डया की ओर से प्रकाशित हुई है, इसके सम्पादक श्री बी०सी० मिश्रा है। मैंने उस किताब को पढ़ा, उसमें लिखा है कि सन् 1949 में वहां एक घटना घटित हुई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उस समय पहला व्यक्ति, जिसने एफ०आई०आर० दर्ज करायी थी, एक हिन्दू कान्सटेबल माता प्रसाद था। उस हिन्दू कान्स्टेबल ने एफ०आई०आर० दर्ज कराई कि रात को 50 60 लोग वहां पर आये और उन्होंने दीवार को फादा और वहां पर एक मूर्ति की स्थापना की। खैर यह तो जांच का विषय है और केस भी पेंडिंग है, इसलिये उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन इतना जरुर कहना चाहता हूं कि अगर मंदिर मस्जिद का सवाल होगा, वहा इसके नाते दोनों ही की भावनाओं का आदर अवश्य करना होगा। आज अल्पसंख्यक वर्ग को इस देश में हम चाहें, कि मुख्य धारा से काट दें, तो किसी भी अल्पसंख्यक को उतना ही इस देश में रहने का अधिकार है, जितना किसी हिन्दू भाई है। इस देश में पोषित, पल्लवित हुआ आदमी, जो यहां की मिट्टी में पैदा होता है और यहीं की मिट्टी में दफना दिया जाता है, जो इसी का अन्न खाकर पलता बढ़ता है, अपने शरीर को बढ़ाता है, उन सभी की ओर आपको गौर करना होगा।

राम के बारे में इकबाल शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं इसको आपके सामने रखूं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी।

"है राम के वजूद पर हिन्दुस्तां को नाज,
अहले नजर समझते हैं, उसको इमामे हिन्द।"

राम के लिये जितना आदर भाव हिन्दू भाईयों में हैं, वैसा ही आदर भाव मुसलमानों में भी है। लेकिन जो आदर भाव राम के प्रति पूरे विश्व के अंतर्गत है, उस भाव के परिपेक्ष्य में हमको देखना होगा। आपने नेता सदन ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम भयमुक्त समाज बनाना चाहते हैं। मैं स्वयं भी चाहता हूं कि भयमुक्त समाज बनना चाहिये।

...शुरूआत तो आपने अच्छी की है। मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र से कहते हैं कि सीता की खोज में लंका जाना है, आप हमारी मदद करो। तीन दिन तक वह प्रार्थना करते रहे, परन्तु समुद्र ने उनकी नहीं सुनी।

"विनय न मानत जलधि जड़ गये तीन दिन बीत,
बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति"।

आप राम के अनुयायी हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप राम के चित्र की पूजा करना छोड़ दें, चित्र की आराधना करना छोड़ दें, यदि आपको पूजा या आराधना करनी है तो राम के चरित्र की करें। राम का चरित्र सर्वोत्तम है। राम के राज्य में भी यह कहा गया है कि कोई दुखी नहीं होगा, कोई दीन नहीं होगा। राम के राज्य में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जलवारिधि से मांगने मात्र से ही पानी मिल जाता था। फिर वह कौन सा अपराध किया

इस सरकार ने जो राम राज्य की कल्पना की बात करती है किन्तु अषाढ़ के महीने में बादल नहीं बरसा । इस सरकार के आते ही पहला ही ऐसा कहर जनता के ऊपर बरपा कि वर्षा कहीं हुई ही नहीं और सूखे का संकट आ गया । आपने एक चौपाई का उद्धरण दिया है अगर आपने उसे पूरा किया होता तो मैं मानता कि आपने राम राज्य की कल्पना पूरी की है । आपके रामराज्य की अधूरी कल्पना को मैं पूरा किये देता हूं ।

"अल्पमृत्यु नहिं कवनिउं पीरा, सब सुन्दर सब निरुज शरीरा,
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना, नहिं कोउ अबुध न लक्षण हीना ।"

मैं यह बात इसलिये यहां पर रख रहा हूं कि राम राज्य में सूखा पड़े और लोग त्राहि-त्राहि करें, राम राज्य में गोलियां चलायी जायं और राम राज्य में कोई सुनवाई न हो । इसलिये मुझे तुलसीदास की चौपाइयों का उद्धरण पेश करना पड़ रहा है ।

"विधु महि पूर मयूखनन, रवि तप तेज न काज,
मांगे वारिद देहिं जल, राम चन्द्र के काज ।"

राम के राज्य जलवारिधि से केवल जल मांगने से ही जल मिल जाता था । सम्पूर्ण विपक्ष ने यह मांग की थी, महामहिम के अभिभाषण का सम्मान करते हुये हमने कहा भी था कि हमारी बात को सुना जाय । परन्तु पूरे प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित नहीं किया, इसलिये हम बहिष्कार करते हैं । किसानों की 60 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी है और गांव का आदमी भुखमरी के कगार पर आ गया है । हमने यहांपर सवाल किया कि पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय, परन्तु राजस्वमंत्री जी का जवाब आता है कि हम बाढ़ की तैयारी कर रहे हैं । शायद ऐसा लगता है कि राजस्व मंत्री जी कोई एस्ट्रोलजर हैं, जिन्हें ये मालूम है कि अब की बार बरसात ज्यादा होगी और बाढ़ आयेगी, इसलिये बाढ़ की तैयारी कर रहे हैं । इस उत्तर प्रदेश की कई विषम समस्यायें हैं । 62 जिलों का यह प्रदेश है । पूर्वांचल में सूखा पड़ा हुआ है । मिर्जापुर भी एक जिला है वहां कई ऐसी जगह हैं, जहां के रहने वाले लोग आज भी गोबर से गेहूं निकालकर पीस कर खाते हैं । जहां इस प्रकार की समस्या है, उन क्षेत्रों की ओर आपको ध्यान देना चाहिये ।

गरीबी को हम कैसे मिटायें, इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये । मगर आप प्राथमिकता देते हैं "दर्शन को । मेरे दल की यह मान्यता है, मैं उसे आज सदन में रख देना चाहता हूं और जैसा कि अखबारों में हमने पढ़ा है कि मंदिर हम बनायेंगे किसी भी समय मंदिर निर्माण का कार्य हम कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर मस्जिद तोड़ने का प्रयास किया गया या किसी प्रकार की आंच उसमें आयी तो जनता दल उसका विरोध करेगा । आपने कहा है कि आपस में विचार-विमर्श होना चाहिये, यह एक अच्छी बात है । विचार-विमर्श से किसी बात का निराकरण हो सकता है, तो उसमें हमें जाना चाहिये । मगर शायद आपके दिल में इतनी भी जगह नहीं है कि सूखे का सवाल यहां पर उठाया गया और आपने प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित नहीं किया । हमारे जो निरीह किसान हैं अगर अषाढ़ में पानी नहीं बरसा तो उन्हें 6 महीने तक आसमान की तरफ देखना पड़ता है और

इधर उनकी फसल नष्ट हो जाती है । दूसरी तरफ उनसे वसूलियां तेज कर दी जाती हैं और वे तहसीलों में बन्द लगते हैं, परन्तु उनको छोड़ने के लिये आपने कोई उपाय नहीं किया । किसान के घर में आटा नहीं होगा ।

किसान के घर में दाल नहीं होगी, खाने को नहीं होगा, केवल दो फसलें होती हैं, पूरा 5 महीने का समय गुजर जायगा, कोई काम नहीं कर सकता । हमने यह भी कहा था कि हमारे छात्र हैं, गांवों से आते हैं । महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि -

'श्रन त्वहम् कामये राज्यम् न स्वर्गम् न पुनर्भवम्''

जब काशी हिन्दू विश्व विद्यालय की स्थापना की तो कहा था कि गांव से जो लड़के पढ़ने आते है उनकी फीस के लिये मार्च का महीना रखा जाय क्योंकि खेती की कटाई के बाद किसानों के पास पैसा आता है, उसके बाद वह फीस देते हैं । मैंने कहा था कि इन छात्रों की फीस माफ करें जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों से आ रहे हैं लेकिन आपने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया अगर इन मांगों पर ध्यान देते तो पूरे विपक्ष को जो सूखे पर समस्या उठानी पड़ी नियम 311 / 301 में, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती ।

आज भी यह सवाल उठाया गया है । सरकार ने एक महीने में जो काम किया है उस पर अगर ध्यान दें तो मैं तो यही कहूंगा कि जो कड़वाहट हमारे बीच रही है उसको दूर करके एक सौहाद्रपूर्ण वातावरण में काम करना शुरू करें, तभी कुछ हो सकेगा । अगर हमारी बातें कुछ सुनी जायेंगी तभी सब किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे । मैं एक दिन नियोजन भवन में गया, आज तो खुशी हुई महात्मा गांधी की तस्वीर यहां दिखायी पड़ी लेकिन वहां पर दिखायी नहीं पड़ी । मैं समझता हूं कि ''साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल'' इस देश में महात्मा गांधी के नाम पर विवाद नहीं रहा । ठीक है, आप जय प्रकाश नारायण को रखें । मैं तो उनका अनुशासित सिपाही रहा हूं । उनके समय जेल में रहा हूं । वर्ष 1980 के बाद हमारा आपका साथ छूटा । हमनें यह समझकर काम करना शुरू किया था कि सहोदर भाई की हैसियत से मिले हैं । चूंकि राज्यपाल की कल्पना है इसलिये बाल्मीकि का उदाहरण रखूंगा । लक्ष्मण को जिस समय मूर्च्छा आ गयी तो भगवान राम विलाप करने लगे कि दुकेले आये थे, अकेले कैसे जायेंगे । इनका समर्थन दिल्ली में हमको प्राप्त था कैसे यह अलग हुये और इन्होंने हमारा साथ छोड़ा–

देशे-दशे कलत्राणि, देशे-दशे च बान्धवः
सन्तु देशे न पश्यामि, यत्र भ्राता सहोदरा ।

हमने तो यह समझा कि सहोदर भाई की हैसियत से काम करना शुरू किया है । देश में सुन्दर स्त्रियां मिल जायेंगी, बन्धु बान्धव मिल जायेंगे, सब मिल जायेंगे सहोदर भाई कम मिलेंगे । आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है ।

हमारी भावनायें आप तक पहुंचेंगी और आप उनका आदर करेंगे और उन भावनाओं के प्रतिपक्ष में कोई नई परिपाटी नहीं कायम करेंगे । जब महात्मा गांधी की तस्वीर आप अपने कक्ष में नहीं रखेंगे तो मुझे आशंका है कि अभी आज तक तो यहां सदन में महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है लेकिन आगे आने वाले दिनों में कहीं इसको भी यहां से भी न हटा दिया जाय । जो मान्य सिद्धान्त है, जो शाश्वत सत्य है जो चिन्तन की बातें हैं उन पर आप ध्यान दीजिये और आपको उस पर ध्यान देना चाहिये ।

आपने भयमुक्त समाज की बात कही है । यह अच्छी बात है लेकिन आपने जो लोगों को, माननीय सदस्यों (विधायकों) को गनर और शैडो देने का आश्वासन दिया था कि हम विधायकों की सुरक्षा करेंगे तो मैं चाहता था कि माननीय विधायकों के सम्मान की सुरक्षा आप करें । आज अभी जैसा कि लाल जी वर्मा और माननीय रेवती रमण सिंह जी कह रहे थे कि विक्रमराय जी जो कि हमारे सदन के सदस्य भी थे, दल के महामंत्री भी थे उन पर कातिलाना हमला किया गया । ऐसी घटनायें रोज हो रही हैं । मैं आपके माध्यम से नेता सदन से कहना चाहता हूं कि यह तो मात्र अभिभाषण है इसमें सारी बातें नहीं रखी जा सकती हैं। यह तो नीतियों का दस्तावेज है इसके जरिये से सारी बातें यहां पर नहीं रखी जा सकती हैं। यह बात सही है कि माननीय सदस्यों के मान और सम्मान की सुरक्षा होनी चाहिये।

एक बात और मेरी समझ में नहीं आती है जैसा कि आपने कहा कि हम बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे । अब किसी जाति विशेष का नाम लेना माननीय सदन में उचित नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपको कहीं तकलीफ पहुंची हो किसी व्यक्ति विशेष से, यह हो सकता है, किन्तु आपने तबादले के नाम पर बदले की भावना को त्याग कर कार्य नहीं किया है । जो आपने कहा कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, परन्तु इतने बड़े पैमाने पर, इतने लम्बे पैमाने पर आई०ए०एस० और पी०सी०एस० तथा आई०पी०एस० अफसरों के तबादले हुए, तबादले किये गये, मैं समझता हूं कि आप इस उद्योग नीति को पनपने नहीं देंगे । यह ठीक है कि एक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, नई व्यवस्था की शुरुआत हुई है । यह व्यवस्था कड़ी होगी लेकिन आप व्यवस्था को स्थानान्तरण से, तबादलों से न जोड़िये । आपको विचार करना चाहिये कि हम विकास के कार्यक्रमों को देंगे, न कि सारा ध्यान तबादलों पर ही केन्द्रित करेंगे । सारा दिन आप के यहां भीड़ लगी रहती है तबादलों के संबंध में । इससे अधिक यहां सदन में कहना उचित नहीं है । किसी जाति विशेष पर, किन्हीं ओर बातों पर ध्यान न देकर मैं मानता हूं कि आपके हृदय को कहीं पीड़ा पहुंची है लेकिन आपको अपनी उस पीड़ा का इलाज बदले की भावना से नहीं करना चाहिये ।

हो सकता है कि और भी वारदातें हुई हों लेकिन सिद्धान्त रूप में आप ईमानदारी पर ध्यान रखें । इतने लम्बे पैमाने पर आई०ए०एस० और पी०सी०एस० अधिकारियों के तबादले किये गये, क्या यह आवश्यक था ? जौनपुर के अन्दर हमारी पार्टी को सीट मिल गयी, वहां के लोगों का तबादला कर दिया गया । जहां आपकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली हैं वहां के लोगों को अच्छे से अच्छे स्थानों पर बैठाने का काम किया गया है और जहां सीट कम

मिल पायी हैं या नहीं मिल पायी हैं वहां से लोगों को हटा दिया गया है । देखिये अभी-अभी माननीय दल सिंगार यादव जी कह रहे हैं कि आजमगढ़ से सबको हटा दिया गया है, तो यह बात उचित नहीं है ।

वैसे माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं जानकार हैं, मैं तो यहां सूत्र में ही बातें कह रहा हूं, अधिक बातें यहां पर रखी नहीं जा सकती हैं । मैं तो केवल यहां सिद्धान्त की [illegible] कहना चाहता हूं कि स्थानान्तरण को उद्योग नीति का दर्जा देने का प्रयास न करिये । यद्यपि मैं जानता हूं कि आपने जानबूझ कर यह नहीं किया होगा, मैं आपके स्वभाव से परिचित हूं लेकिन यह हो ऐसा ही रहा है । मैं मानकर चलता हूं कि सत्य जो है स्वीकार करना चाहिये और सरकार पर उससे आंच नहीं आयेगी । आपने कहा अनजाने में किया होगा, आप इसको देख लें ।

मान्यवर, यह जानकर बड़ी हैरत होती है, जो मर गये हैं, रिटायर हो गये हैं उनके नाम ट्रान्सफर सूची में आ गये हैं । जो मृत हैं, दिवंगत हैं परलोक सिधार गये हैं और भगवान को प्यारे हो गये हैं, उनके नाम ट्रान्सफर सूची से हटा दिये जाने चाहिये । यह आपकी कठिनाई है, मैं मानता हूं जो सूचना आपको अधिकारियों ने दी होगी, उसी के आधार पर आपने किया होगा । आप उन अधिकारियों को देखें जिन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया है और उनका नाम सूची में है । आप उनका नाम सूची से हटा दें । उद्योग नीति की तिथि को 28 तारीख तक बढ़ा दिया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि जितना ही इसको आप आगे बढ़ायेंगे, उतना ही दवाब आप पर आता रहेगा और लोग ट्रान्सफर का दवाब आप पर डालेंगे । आप एक रेखा तय कर दीजिये, एक लक्ष्मण रेखा खींच दीजिये कि इस तारीख के बाद ट्रान्सफर नहीं होंगे । आप विशेष परिस्थितियों में करें, आपको विशेषाधिकार प्राप्त है । आप विशेष परिस्थितियों में किसी भी अधिकारी को कहीं पर भी और किसी समय हटा सकते हैं ।

मान्यवर, अब मैं गन्ने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये हैं । मैं किसान का बेटा हूं मेरे पास गन्ने का मूल्य पहुंचा नहीं मेरा बकाया है । गन्ने का जो मूल्य है, जो बकाया है, उस पर आप ब्याज भी नहीं दे रहें हैं और जो बकाया मूल्य है, उसको भी नहीं दे रहे हैं । आप देखें पूरे प्रदेश में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुतायत से होता है और वहां के किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है आप उसके भुगतान की व्यवस्था करावें, किसानों की माली हालत को सुधारें और आवश्यकता पड़ने पर उनको बकाये पर ब्याज भी दें । मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिये । हम चाहते हैं कि किसान जो पैदा करता है और जो मिलों में पैदा होता है, दोनों में सामंजस्य हो । किसान की जो लागत कीमत है कम है और जो मिलों की बनी हुई चीजें हैं, उनकी कीमत अधिक है । हमारा प्रयास होना चाहिये कि किसान को लाभकारी मूल्य दिया जाये, इस शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिये, जिससे किसान अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके ।

मान्यवर, कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा था कि विरासत में कानून और व्यवस्था उन्हें खराब मिली है । मैं उन चीजों का उल्लेख करना चाहता हूं जो इस शासन के आने के बाद हुई हैं । मैं पहले की बात नहीं करता हूं । मैं भी इस सदन में कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं और जब पिछली सरकार का प्रश्न आ जाये तो उत्तर देते समय पिछली चीजों को भी विचार में रखना होता है । यह कहना कि पिछली सरकार का दोष था, अपने उद्देश्य में पूरे नहीं हो सकते हैं । अगर पिछली सरकार में गड़बड़ियां हुई हैं, तो उनके सुधार का काम आप करें । पीलीभीत में जो कांण्ड हुआ है, उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी के बारे में कहा गया है, मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहूंगा जिससे किसी तरह से उसके जांच में व्यवधान उत्पन्न हो, लेकिन उसके कुछ तथ्य हैं, जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा । मेरी मंशा कदापि नहीं है कि जांच किसी प्रकार से भी प्रभावित हो, लेकिन कुछ तथ्य आने चाहिये । आतंकवाद की साया में पूरा तराई का इलाका पड़ा हुआ है और जब लोकतंत्र में आतंकवाद के काले बादल मंडरायें, तो उसका विनाश ही होगा । कल क्या था, उसको आधार बनाकर भविष्य की रूपरेखा बनायी जाये । आतंकवाद पंजाब से शुरु हुआ, इस देश में किसी और कौम के साथ ही साथ सिक्खों ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है । मैं एक उदाहरण दूंगा कि देश की आन, बान और शान को बनाये रखने के लिए गोलियों के सामने और युद्धों के मैदान में कौशल दिखाया है । अगर उन निरीह लोगों पर गोलियां चलायी जायेंगी, तो सारे देश का कलेजा हिल उठेगा....।

उनकी कौन सी मांगें हैं, वह क्या मांग कर रहे हैं इस पर मैं सदन में चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन पीलीभीत कांड का जो पूरा विवरण पढ़ा-देखा और सुना उससे आपका कलेजा दहल जायेगा । बस से यात्रा कर रहे यात्रियों को उतार दिया जाये और लाइन में खड़ा कर दिया जाय और गोलियों से भून दिया जाय और उसकी मां को अवसर न मिले कछ कहने का और फिर गोलियों से भूनने के बाद कहा जाये कि इनका पिछला इतिहास निकाला जाय और कहा जाय कि यह गुरदासपुर में किसी कांड में आतंकवादी रहे हैं। आप लोकतंत्र के पालक हैं, कानून के रक्षक हैं। मैं जानना चाहता हं अगर गोलियों से भून देना ही इसका उत्तर था तो फिर हमारी आई०पी०सी० और सी०आर०पी० सी० की मान्यता कहां गयी, कानून का सहारा लेकर, कानून के दायरे में रह कर संविधान का उल्लंघन न कर आप इसकी रिपोर्ट पंजाब से मंगा लेते लेकिन गोलियों से भून कर शिकार नहीं बनाते । मेरे पास रिपोर्ट आई है कि तीन स्थानों पर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर इन 10 सिक्खों को पुलिस ने गोली से भून दिया । हमारे पास इसकी जानकारी आई है । जिन तीन स्थानों पर जिसमें माधो टांडा में पताभेजी का जंगल, बिसंडा के पास अगनई घाट, बिलसंडा में, धमेलाकुंआ में कथित मुठभेड़ दिखाई गयी वहां जाकर लोगों ने देखा धमेलाकुंआ में तो साफ कर देखा गया और ऐसा लगा कि कुंए में कोई लाश बांधकर डाली गयी है । सारे कुंए का पानी रक्त रंजित था जो खून से रंगा था ।

बदायूं की ओर से आ रही तीर्थयात्रियों की इस बस को सिंचाई विभाग के वाईफरेक्शन गेस्ट हाउस में ले जाकर 13 लोगों को उतार दिया गया इस बस में कुल 29 लोग थे । कुछ लोगों को पकड़िया गुरुद्वारे के पास ले जाकर उतार दिया और कहा कि गुरुद्वारे में चले जाओ वहां जबान मत खोलना वर्ना मार दिए जाओगे ।बस का ड्राईवर मुसर्रफ काफी डरा हुआ था वह डर के मारे बस का परिचालन भी ठीक से नहीं कर पा रहा था । आपकी पार्टी के लोगों ने भी कहा है, उनकी भी राय है कि 8 लोगों की मुठभेड़ सही हो सकती है मगर दो लोगों की मुठभेड़ फर्जी है । तो लोकतंत्र में एक भी फर्जी मुठभेड़ में मृत्यु होती है तो वह गलत है । यह हो सकता है कि 8 लोगों की मृत्यु फर्जी मुठभेड़ में न हो लेकिन एक भी इस प्रकार मारा जाता है तो यह लोकतंत्र के खिलाफ है । इस फर्जी मुठभेड़ में एक 17 वर्ष का युवक सरदार लखमिन्दर सिंह पुत्र श्री गुलमेर सिंह, ग्राम अमरिया का रहने वाला है इसके बड़े भाई बलकार सिंह का मेडिकल स्टोर ठीक अमरिया थाने के सामने है । इस पर कोई पुलिस केस रजिस्टर्ड नहीं है कभी थाने में इसे नहीं बुलाया गया । इसी तरह शाहजहांपुर के पिस्तौर गांव के नरेन्द्र सिंह पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, सरदार तलमिन्दर सिंह जो पुलिस हिरासत में था गायब है उसका कोई अता पता नहीं है । वह मर गया है या क्या हुआ अगर जिंदा है तो कहां है बताया जाय । आपने जुडीशियल इंक्वायरी की बात कही है । सिक्खों के फैडरेशन ने भी तथा माननीय सदस्यों ने भी मांग की है कि इस मामले की सी०बी०आई० से जांच कराई जाय । यहां पर भी जब यह प्रकरण उठा था सी०बी०आई० से जांच की मांग की गयी....।

मेरा आपसे आग्रह है कि चूंकि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आप इसकी संस्तुति करें और दिल्ली सी० बी० आई० जांच के लिये भेजें । यदि सी० बी० आई० जांच करा दें तो मैं समझता हूं कि न केवल विपक्ष के लिये बल्कि सत्ता के लिये अच्छी बात होगी । इससे जो दोषी पाये जायेंगे वे दंडित होंगे और जो निर्दोष होंगे उनकी हम लोग रक्षा कर सकेंगे । कानून के अनुसार मनुष्य का दिमाग पहले गिल्टी होता है और इसके बाद क्राइम करता है । इसमें देखा जाये कि जिनकी हत्यायें हो रही हैं वह अपराधी थे कि नहीं । यदि अपराधी हैं तो मैं आपसे किसी बात की मांग नहीं करूंगा । यदि अपराधी नहीं हैं जिनका जीवन साफ-सुथरा है और सामान्य नागरिक की तरह जीना चाहते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतारना मुनासिब नहीं होगा । इस प्रकार इसमें जांच कराई जाये और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाये और आगे सदन को आश्वस्त करें कि सरकार द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाया जायेगा ।

मान्यवर, उन्नाव के संबंध में पहले भी सवाल उठाया था और आज विस्तृत रूप से बताऊंगा । मान्यवर, हरिजनों को जिन्दा जलाने की घटनायें आयीं । हो सकता है उस गांव में आपसी रंजिश के कारण ऐसा हुआ हो लेकिन कानून को अपना रुख अख्तियार करना चाहिये । मान्यवर, यह गांव तो ऐसा है जिसे मैं समझता हूं कि एक मंत्री जी के निकट का

गांव है और श्री मस्तराम जी वहां गये होंगे और इस घटना को देखा होगा । मेरे पास भी घटनाक्रम के बारे में रिपोर्ट आयी हैं जिन्हें सदन के सामने रख रहा हूं जिस पर आप विचार करें, जांच करायें और दोषी लोगों को दंडित करें ।

मान्यवर, घटनाक्रम के अनुसार 29 जुलाई की प्रातः 5-6 बजे करीब प्रेमचन्द रैदास व कानपुर के रिक्शा चालक किशन रैदास के साथ कानपुर जा रहा था ज्ञातव्य हो कि प्रेमचन्द भी कानपुर में रिक्शा चलाता रहा है रास्ते में नहर के पास मुस्तफाबाद निवासी पुराने कांग्रेसी व वर्तमान में भा० ज० पा० के सक्रिय कार्यकर्ता ठा० राजपाल सिंह व नन्हा सिंह ने रोककर कहा सुनी की, मारा तथा अवैध असलहों के बल पर दौड़ाया मृतक प्रेमचन्द भागकर अपने घर में घुस गया तथा मृतक किशन को भागते समय गोली मारकर घायल कर दिया ।

हत्यारे राजपाल सिंह वगैरह किशन को घायल अवस्था में अपने गांव मुस्तफाबाद पकड़ ले गये और अपने घर में बन्द कर दिया फिर लगभग 200 लोगों के साथ अवैध शस्त्रों से लैस होकर ग्राम चाड़नखेड़ा पर धावा बोल दिया ।

बेचारा प्रेमचन्द अपनी जान बचाये अपने घर में कोठरी में छुपा रहा । हत्यारों की फौज ने पूरे गांव में जमकर गोली चलाई फिर प्रेमचन्द के घर पर प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक गोलियां चलाते रहे । जब प्रेमचन्द घर से बाहर नहीं निकला तो उसके घर के चारों ओर आग लगा दी इतना ही नहीं मृतक प्रेमचन्द के भाई स्व० द्वारिका की बेवा के घर को भी आग लगाकर स्वाहा कर दिया ।

मृतक प्रेमचन्द और घर पर मौजूद औरतें जब आग से झुलसने लगीं तो जान बचाने की कोशिश में बाहर भाग निकलने के लिए जैसे ही ताक झांक की हत्यारों ने तत्काल दरवाजा तोड़कर मृतक तथा औरतों को बाहर खींच लिया और मृतक को 3-4गोलियां मारीं तथा मृतक को घायलावस्था में एक हाथ व एक पैर काट लिया इस पर भी हत्यारों की आत्मा को शान्ति नहीं हुई और खून से लथपथ प्रेमचन्द को खींचकर घर के पड़ोस में पड़े खर-पतवार के ऊपर डालकर उसे जिन्दा जला दिया । यह बड़ा जघन्य अपराध हुआ है । जिन्दा किसी को जलाना मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा अपराध है । इतनी नृशंस हत्या हुई और जब इतने से भी उनको चैन नहीं हुआ और उसके बाद सारा खून और लौथड़ा बटोरकर आग के हवाले कर दिया उसके बाद राजपाल आदि मृतक को पकड़कर घटनास्थल पर लाए और धू-धू करती चिता पर डाल दिया । आप इन घटनाओं पर रोक लगायें । ये वह घटनायें हैं जो आपके शासन-सत्ता सम्हालने के बाद की हैं । यदि इस प्रकार की अब घटनायें घटती हैं तो उन पर रोक लगाने का काम आपको करना चाहिये और यह ऐसी घटनायें हैं जिन पर अति शीघ्र काबू पाया जाना चाहिये, अन्यथा आपने जो अच्छी नीयत से काम करना शुरू किया है, उस पर ब्रेक लगेगा । आपसे आग्रह है कि आप इनकी जांच करायें और पीलीभीत की घटना की सी० बी० आई० से जांच कराने हेतु अपनी संस्तुति आप केन्द्र सरकार को भेजें ।

आपने मंडल आयोग के बारे में भी अभी कुछ बात कही है । मंडल आयोग सामाजिक न्याय का एक मुद्दा है । सदियों से इस देश के करोड़ों लोग सताए गये हैं, जिन्हें समाज में जीने का अधिकार नहीं मिला, जिन्हें समाज में चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं मिला और यह सम्मान नहीं मिला कि वह बड़े लोगों के सामने अपना सिर उठा सकें । इस देश की जाति व्यवस्था पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं यह निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि इस जाति व्यवस्था के चलते समाज के जिन पिछड़े लोगों को सताया गया, शोषित और पीड़ित लोगों को न्याय नहीं दिया गया, उनको न्याय देने के लिए कुछ कदम समय-समय पर उठाये गये । इनमें एक काका कालेलकर कमीशन बना, जो सन् 54 में बना था । यद्यपि उसमें कोई पिछड़ा हुआ आदमी चेयरमैन नहीं था और उसके चेयरमैन काका कालेलकर भी पंडित थे, फिर भी इसने समाज के दबे पिसे लोगों को ऊपर उठाने हेतु कुछ संस्तुतियां की थीं । लेकिन उन पर सरकार द्वारा कोई गौर न करके रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया । क्योंकि तत्कालीन दिल्ली के सत्ता पक्ष के मन में यह भाव नहीं था कि उस भाव को व्यक्त करके पिछड़ों के साथ न्याय करते । काफी अरसे बाद जब हम और सामने बैठे साथी सत्ता में आए, तो उस समय 1978 में एक मंडल कमीशन बना, जिसमें आपकी सहमति थी । आप मेरे साथ थे, आपका सहयोग था और मर्ज कर हमारी पार्टी में आप मिले थे । उस समय मंडल कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट आ गयी । किन्तु दुर्भाग्य यह रहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद ही हमारी वह सरकार गिर गई और तत्कालीन कांग्रेस के प्रधान मंत्री को इसमें समापन भाषण करना पड़ा । उस रिपोर्ट की कुछ विशेषताऐं थीं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां थीं, किन्तु 11 साल तक उसे ठंडे बस्ते में रखा गया, कोल्ड स्टोरेज में रखा गया ।

इस दरम्यान तमाम सारे लोग और दल उसे लागू करने की मांग करते रहे, और इसके लिए झंडे उठाये गये और आन्दोलन किये गये, लेकिन उनको जेल के सींखचों में बन्द कर दिया गया, इसमें हजारों लोगों ने अपनी-अपनी गिरफ्तारियां दीं । और इन सबका नतीजा यह हुआ कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का निर्णय लिया गया । संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है कि जो भी इस देश के अन्दर एजूकेशनली और सोशली-सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी । यह संविधान में उन्हें प्रदत्त अधिकार है । संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 में सभी नागरिकों को विधि एवं कानून के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया गया है । इक्वैलिटी बिफोर लॉ एण्ड इक्वल प्रोटेक्शन आफ लॉ सभी को प्राप्त है । इसमें कहा गया है कि नो पर्सन शैल वी डिप्राइव्ड ऑन दि बेसेस ऑफ रेस, कास्ट, सैक्स एण्ड रिलीजन एट सैटरा । अर्थात् इस देश में जाति, वर्ण, सम्प्रदाय और लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जायेगा ।

पिछड़ी जाति में पैदा होने वाले व्यक्ति, जिनको यह कहा गया कि इनको न्याय इसलिये नहीं दिया क्योंकि यह पिछड़ी जाति में पैदा हो गये, इनके नाम के पीछे पिछड़ी जाति

का संबोधन हो गया है। मान्यवर, आज आप उत्तर प्रदेश सरकार की कुर्सी पर बैठे हैं आपसे अपेक्षा की गयी है कि आप यहां पर पिछड़े वर्ग को उठाने में प्रयास करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करूंगा कि वास्तव में पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनका जीवन शोषितों की जिन्दगी जीने के लिये कहा जाता है उनके जीवन स्तर को ऊंचा बनायें। संविधान की धारा के तहत पिछड़े और कमजोर वर्ग के लिये जो न्याय है, जो उनका हक है वह उन्हें दिया जाय।

मंडल आयोग की सिफारिशों में जातिवाद को कोई स्थान नहीं दिया गया है। वर्गीकरण जातियों को लेकर होता है। मैं कहना नहीं चाहता, कभी मौका आयेगा तो कहूंगा हमारे कुछ साथी हैं जिनको सवर्ण जाति में कहा जाता है उनकी जाति का नाम भी मंडल की पिछड़ी जाति में आता है। जिन लोगों ने इस दिशा में कदम उठाये हैं मैं समझता हूं उसमें माननीय वी० पी० सिंह जी का नाम अग्रणी रहेगा। आज सात अगस्त है। आज का दिन मेरे लिये शुभ है। आज हम सामाजिक न्याय दिवस मना रहे हैं। आज हमारे दल का धरने का एक कार्यक्रम है। मेरा सौभाग्य है कि आज धरने का कार्यक्रम सामाजिक न्याय दिवस के लिये है और मैं सदन में भी इसी विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। श्री वी० पी० सिंह जी ने कहा था हमारे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खटिया-चारपाई में बैठने का मौका नहीं मिला, जिनको जिन्दगी जीने का सामान्य अवसर नहीं मिला, जिनको पिछली कतार में बैठा दिया गया। आगे आने का अवसर नहीं दिया गया उनके बारे में हमें सोचना चाहिये। शिक्षा में, नौकरी में आरक्षण दिया जाय। कहां से आई० ए० एस० पैदा हो जायेगा, कहां से पी० सी० एस० आ जायेगा। मान्यवर, जैसा कि आपको मालूम है मैं स्वयं एक किसान का बेटा हूं। मैंने तो गर्दन तक पानी में हेला हूं और प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पाई है।

आप सब बड़े लोगों के आशीर्वाद से और परिश्रम से मैं 13 करोड़ की आबादी का शिक्षा मंत्री भी बन गया था। आप तुलना करना चाहते हैं। प्राइमरी स्कूल के नाम पर स्कूल नहीं हैं। छत नहीं हैं, दीवारें हैं तो नीचे बैठने की जगह नहीं है। बैठने की जगह है तो मेज कुर्सियां नहीं हैं। बच्चे अपने बैठने के लिए घरों से टाट बोरे लेकर जाते हैं और वापस जाते हुए अपने घर ले जाते हैं। पीने के लिये पानी नहीं है। आप कैसे तुलना करेंगे। मान्यवर, इस दोहरी शिक्षा नीति को खत्म कर दें। मण्डल आयोग की सिफारिशें जो हों उसे आप स्वयं देखें। कर्पूरी ठाकुर एक महान नेता थे। उन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये लड़ाई लड़ी। मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि पिछड़े वर्ग को न्याय मिलना चाहिये जिस प्रदेश का नेता ही इस वर्ग से हो उससे तो अपेक्षाऐं की जाती हैं कि वह इस दिशा में विशेष ध्यान देंगे।

पिछड़ा होना बुरा नहीं है, न पिछड़ा कहना बुरा है इसलिये कह रहा हूं कि मंडल आयोग की सिफारिशों को जिस रूप में मंडल ने रखा है उसमें जो स्वयं आप कर सकते हैं वह करें। अपनी संस्तुतियों के साथ केन्द्र को भेजें ताकि मंडल आयोग की संस्तुतियां लागू की जा सकें। विश्वविद्यालय में शून्य सत्र के बारे में चर्चा उठी। जून के महीने में 16 जून को इण्टर का रिजल्ट आउट होना था परीक्षाफल आने चाहिये थे।

परीक्षाफल देर में आये जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी जिन्हें पी० एम० टी० और सी० पी० एम० टी०, आई० आई० टी० की परीक्षाओं में जाना था जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना था वह उसमें जाने से वंचित रह गये । विश्वविद्यालयों की एडमीशन की तिथि को भी नहीं बढ़ाया गया ।

इण्टरमीडिएट की परीक्षा के बाद जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय की शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उसमें व्यवधान परीक्षाफल के कारण आ गया । श्रीमन् देहात की चर्चा हुई बिजली मुख्य मुद्दा है सरकार ने आश्वासन दिया है कि 18 घंटे बिजली देंगे, लेकिन अगर इन्होंने 18 में से आठ घंटे भी गांव देहात को बिजली दी होती तो मैं आज सदन में उनकी तारीफ करता । दो-चार घंटे से ज्यादा गांव में बिजली नहीं मिलती है । अगर किसान का पम्पिंग सेट नहीं चलेगा डीजल सेट नहीं चलेगा, तो वह भुखमरी के कगार पर आ जायगा । महामहिम राज्यपाल के भाषण में इस बारे में बहुत थोड़ा कहा गया है । बिजली की कटौती जो हो रही है इसको बंद किया जाना चाहिये । माननीय उर्जामंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । मैं यह नहीं कहता कि शहरों को बिजली न मिलें शहरों को बिजली मिलनी चाहिये, लेकिन अगर किसानों की कोई समस्या है, किसानों की फसलों को बिजली की बजह से कोई समस्या हो रही है तो वहां बिजली की मात्रा ज्यादा कर देनी चाहिये । 18 घंटे आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो 14 घंटे ही आपको बिजली देनी चाहिये । नहरें सूख गयी हैं-"का वर्षा जब कृषि सुखाने" डाक्टर आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद औषधि का क्या लाभ होगा ? यह कहा गया कि जल्दी ही पानी बरसने वाला है, सूखा पड़ गया है, जब कोई मृत्यु के कगार पर खड़ा हो गया हो फिर उसके इलाज का क्या फायदा । मान्यवर, मैं बनारस गया था वहां सी०डी० ओ० से पूछा मैं नहीं जानता सूखा राहत संबंधी जी०ओ० कब हुआ, कब जी०ओ० निकला है, यह तो मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में बतायेंगे । तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी (जी०ओ०) की हमें जानकारी नहीं हैं ।

मेरे क्षेत्र में ट्यूबैल जो हैं उसका पानी काफी नीचे चला गया है, धरातल से काफी नीचे जल हो गया है, मैंने स्वयं अपनी समस्या को रखा था उन्होंने कहा कि अभी तक कोई आदेश नहीं आये तो वह आदेश कब हुये यह बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी, । मंडलों के मंत्री प्रभारी बना दिये गये हैं उनका कर्तव्य है कि उसको देखें । अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है मैं कहना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है टूटने के कगार पर है । अगर कोई ऐसी चीज है तो आपको प्रकाशित करना चाहिये । आपके पास खजाना खाली है पैसा नहीं है बिक्रीकर नहीं आया है सरलीकरण हो रहा है आपके पास कितना पैसा है क्या लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं विकास के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इस विषय पर आपको एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिये । सदन को और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बताया जाना चहिये कि खजाने में क्या है । विरासत में आपको क्या मिला है ? 340 करोड़ जो दिया गया वह कहां से आया, केन्द्र की सहायता क्यों नहीं ली गयी ? मैं रोज अखबार में पढ़ता हूं 340 करोड़ दिया है, इन सब चीजों के बारे में हमको जनता को जानने का अधिकार है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय नेता विरोधी दल भाषण दे रहे हैं और माननीय नेता विरोधी दल के भाषण की अहमियत सारे सदन को पता है । नेता विरोधी दल का भाषण हो रहा है और सरकार की ओर से न तो मुख्य मंत्री यहां बैठे हैं और न अन्य कोई जिम्मेदार मंत्री बैठा है । इससे हम क्या समझें । सदन की कुछ परंपरायें हैं । माननीय नेता विरोधी दल का भाषण कोई साधारण बात नहीं है । अगर इसी प्रकार से मुख्य मंत्री जी का भाषण हो रहा हो तो दूसरे दल के नेता चले जांय, माननीय सदस्य चले जांय...

(मुख्य मंत्री के आने पर)

(समय 4 बजे)

मुख्य मंत्री जी आ गये हैं उसके लिये धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मुख्य मंत्री जी अभी एक मिनट पहले किसी आवश्यक काम से लाबी में गये थे । मुख्य मंत्री जी शुरू से बैठे हैं, इसलिये आपका व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल का जब भाषण हो रहा हो, तो यह तो सच है कि वह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है । सबको रहना चाहिये । जब से भाषण प्रारम्भ हुआ है, मैं यहां बैठा था । किंतु अच्छा होता यदि माननीय राम आसरे वर्मा जी परंपरा का निर्वाह करते और वह भाषण के समय सदन छोड़कर न गये होते ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अगर मैं मौजूद नहीं था तो सवाल किसने उठाया ?

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

ठीक है मान्यवर, कोई नेचुरल काल होगी उसके लिये चले गये होगें । मुख्य मंत्री जी बैठे थे, मैं स्वयं देख रहा था । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि समस्याओं का समाधान बड़ी तत्परता के साथ होना चाहिये । कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं । मुझे एक सूचना मिली है, मुझे यह सूचना प्राप्त हुयी है, कि मान्यवर, भय मुक्त समाज बनाने में कहीं ऐसा न हो जाय कि किसी एक वर्ग की हम उपेक्षा कर दें, मुझे जो सूचना मिली है वह यह है कि आपके जो अल्पसंख्यक ड्राइवर लोग हैं, अल्पसंख्यक चपरासी लोग हैं, जो आपके पास हैं, और भी जगह हैं, मेरे पास बराबर सूचना आ रही है कि आप उनसे काम लेना पसंद नहीं कर रहे हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए । जब इस देश में कोई भेदभाव नहीं होता तो प्रदेश में भी नहीं होना चाहिए । ऐसे जो लोग आपके स्टाफ में रखे गये हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिये । किसी के साथ आप भेदभाव आप न बरतें । उनमें असुरक्षा की भावना पहले से है इससे और भी आ जायगी । इन लोगों को आप नेगलेक्ट कर रहे हैं. किसी को इग्नोर आप न करें । मान्यवर. मैं शिक्षा के बारे में निवेदन

कर रहा था। बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका विनियमितीकरण नहीं हुआ है । शिक्षा का दायरा इतना विशाल है कि उस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है मेरा शिक्षा जगत से 30 साल का संबंध है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइमरी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें ।

प्राइमरी एजूकेशन ऐसी है, जैसे अध्यापक उस प्रकार है जैसे कैप्टन आफ द शिप, जहाज का कप्तान जिस दिशा में जहाज ले जायेगा, जहाज उसी दिशा में जायेगा, ठीक उसी तरह से बालक होता है । अगर बालकों की शिक्षा को हम कारगर बनायेंगे, जो उनका पाठ्यक्रम होगा वैसे ही बालक की दिशा होगी । एम्स आफ एजूकेशन, शिक्षा का जो उद्देश्य है, जिन्होंने ट्रेनिंग की है, उसमें लिखा है, शिक्षा का पहला उद्देश्य है होमोजीनियस डेवलपमेंट आफ द चाइल्ड, बालक का संर्वागीण विकास । इस विकास के अंदर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास आ जाता है । मैं समझता हूं कि जो विद्यालय इस दिशा में खुले हैं, वहां पर चरित्र निर्माण की दिशा में कदम उठायें ।

आज देश में नेशनल कैरेक्टर नाम की कोई चीज नहीं है । राष्ट्रीय संकट है चरित्र का । मैने भी प्रयास किया था उस समय, आपने भी देखा होगा कि प्राइमरी एजूकेशन पर अधिक ध्यान देना ज्यादा जरुरी है । बच्चों को पढ़ाया जाय और शिक्षण का कार्य ठीक से चले । अध्यापक भूखे होंगे तो पढ़ायेगा कौन ? आपने देखा होगा कि बहुत सारे विश्वविद्यालय के अध्यापक, यूनीवर्सिटीज के शिक्षक धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं । उनका कहना है कि 3 साल से ज्यादा हो गये पढ़ाते हुये, उनका विनियमितीकरण किया जाय । आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग बना है । मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, आप भी देखते होंगे कि सफेद हाथी बन गये हैं, कोई भी कार्य आ जाय तो 4-5 साल रुक जाना मामूली बात है ।

श्री अधिष्ठता–

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय प्रमोद तिवारी जी से पूछिये, इसका बड़ा विरोध हुआ था ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर आप आदेश दे दें कि मैं वहां बैठ जाऊं तो सब बातों का जवाब दे दूंगा ।

श्री अधिष्ठता–

मैंने तो एक बात कही माननीय नेता विरोधी दल की बात पर ।

श्री कल्याण सिंह–

इधर बैठने के लिये अच्छे कर्म चाहिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हमारे कर्म अच्छे थे तो 40 वर्ष उधर बैठे । इनके तो मुश्किल से 6 महीने वाले कर्म हैं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, इस तरह के 25 हजार शिक्षक काम कर रहे हैं । उनका विनियमितीकरण होना चाहिये । मान्यवर, बहुत से ऐसे विषय हैं, मैं उन मुद्दों को रख रहा हूं जिनसे सरकार को चलाने में सहायता होगी । अध्यापक विज्ञान का चाहिये, काष्ठ कला का अध्यापक रख लिया जाता है । शिक्षा विभाग ने मानक बना लिया है कि इण्टर कालेज में सेक्शन से दुगुने तथा हाईस्कूल से डेढ़ गुने अध्यापक रखे जायेंगे । इस मानक को देखेंगे तो शिक्षक नहीं मिलेगा । शिक्षक नहीं होगा तो छात्र क्या पढ़ेंगे । भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी-शास्त्र, वनस्पति शास्त्र को पढ़ाने के लिये उसी विषय के अध्यापक चाहिये । इस पर विचार होना चाहिये । जिन विशेष विषयों के शिक्षक नहीं है उन पर विशेष ध्यान देकर शिक्षक रखने चाहिये । माननीय यदुनाथ जी ने डाला सीमेंट फैक्ट्री का सवाल उठाया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मैं समझता हूं कि समय दे दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप जितना समय चाहें ले सकते हैं, आपको छूट है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

बहुत बहुत धन्यवाद आपको । मैं समझता हूं कि डाला सीमेंट फैक्ट्री के बारे में, माननीय नेता सदन जब इस ओर रहे होंगे और जो भाषण दिया होगा, उसी पर कार्यवाही हो जाय तो मैं समझता हूं कि मेरा भाषण काफी अंश तक पूरा हो जायगा । मैं और भाषणों का उद्धरण दूंगा । वहां जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, कैसे लेनदेन हुआ, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है । मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं, किसी फैक्ट्री को कौड़ियों के मोल बेचना उचित नहीं है । वहां के श्रमिक बेकार हो गये हैं । बहुतों ने कहा कि श्रमिक नहीं थे गांव के निरीह प्राणी थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि जान जान हैं । मजदूर या किसी बड़े नेता की जान जाय, प्राण में किसी में भेद नहीं होना चाहिये । वहां पर जो श्रमिक मरे हैं, इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करायें तथा किन परिस्थितियों में लेनदेन हुआ, किन परिस्थितियों में जानें गयीं, इसकी जांच करायें । वहां के श्रमिक बेकार हो गये हैं । अगर श्रमिक फिर से काम पर नहीं लिये जाते हो उनके परिवार भुखमरी के शिकार हो जायेंगे । मैं चाहूंगा कि उस समय क्या परिस्थितियां थीं, उनको ध्यान में रखते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो विचार रखते आये हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में कुछ कार्यवाही करने की कृपा करें ।

एक सवाल मेरे सामने आया है, जैसा कि मैं समझता हूं ए०टी०एल० का सवाल है, आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, यह भी प्रतापगढ़ का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे संज्ञान में आया है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह मसला बड़ा ही गम्भीर हो गया है, एक तो डाला का मामला था ही, नीम तो नीम और करेले पर चढ़ी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नीम करेले पर नहीं चढ़ती है, करेला नीम पर चढ़ता है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मैंने अपनी भूल को सुधार लिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

सीमेंट निगम भी है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मैंने थोड़े में कह दिया कि सारे प्रकरणों की आप जांच करा दीजिये और कौड़ी के मोल बेचा गया, डाला है, तमाम निगम हैं, चुर्क भी है, इन सबकी आप विस्तृत जांच करा लीजिये, उसके भीतर सारी चीजें आ जायेंगी । मैं आटो टैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ के बारे में कह रहा था ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मैं नेता विरोधी दल से जानना चाहता हूं कि यह जो प्रतापगढ़ आटो टैक्टर्स लिमिटेड है, इसको किसने बेचा था ?

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

यह आपको खुद ही मालूम हो जायेगा । मान्यवर, सन् 1981 में प्रताप-284 टैक्टर्स बनना शुरू हुआ और 82–83 में आटोलैण्ड 4 हजार डीजल इंजन का उत्पादन शुरू हुआ । शासन द्वारा जो हानि की प्रतिपूर्ति होनी थी, उसकी बचन-बद्धता थी, वह भी नहीं पूरी की गयी । 86–87 में सरकार को धन उपलब्ध कराना था और भी औपचारिकतायें थीं, उसमें भी बड़ी उदासीनता बरती गयी । 21 नवम्बर, 1990 को इसको बंद कर दिया गया और समस्त 1300 जो इम्पलाई थे, उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं । 1986–87 से 1990 तक 6 टेक्निकल समितियां इसके सुधार के लिये बनीं, सरकार ने गठित किया, आख्या प्रस्तुत हुई, लेकिन सरकार द्वारा किसी पर कार्यान्वयन या अमल नहीं किया गया । आपका भी यह फर्ज बन जाता है कि पुरानी भूलों पर सुधार लायें । डीजल और इंजन की इतनी ज्यादा मांग थी कि उसकी पूर्ति नहीं हो पाती थी और विदेशों को 60 इंजन सप्लाई दिया गया था । 21 मार्च, 1991 को निवर्तमान सरकार ने उच्च न्यायालय के स्थान आदेश के बावजूद यहां पर एक पूंजीपति को, जिसका नाम तो सभी लोग जानते हैं, जो 6 करोड़ रुपये घाटे में था बेच दिया । वहां पर डालफिन और मोन्टीन कारें भी बनती थीं, लेकिन वह असफल रहीं । मान्यवर, जब से उनके हाथों में इसे सौंप दिया गया, तभी से संघर्ष जारी है । आपको याद होगा कि 1300 आदमी निकाल दिये गये । वह आज भी बाहर बैठे हुये हैं और अनशनरत हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है । मान्यवर, कई भाषण हैं, लेकिन एक-दो माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को कोट करूंगा ।

मेरे पास बहुत सारी कटिंग है, उनमें से चुनकर एकाध चावल निकालकर रखना चाहूंगा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने चुनाव सभा में कहा था आटो टैक्टर्स को एच०एम०टी० ने अच्छी कीमत में खरीदने का प्रस्ताव किया था, लेकिन फिर भी उस सरकार ने जो पीछे थी, व्यक्ति विशेष को सौंप दी । यह एक मिनी बोफोर्स काण्ड है और सरकार में आने पर अपनी पार्टी भा०ज०पा० से इसकी जांच करा कर इसके दोषियों को जेल भेजूंगा'' मान्यवर, मैं जो बात कहना चाहता हूं, वह मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन एक ही बात निकाल कर रख रहा हूं कि वह अवसर और शुभ कार्य में देर करना उचित नहीं होगा । मान्यवर, यह कारखाना 1 करोड़ रुपये में सौंपा गया और 152 एकड़ में यह फैला हुआ है । आज की वैल्यु निकाल लीजिये कि उसकी कीमत कितनी होती है, वह एक करोड़ रुपये में चली गयी, यह कैसे हम लोगों से छिपायेंगे ? यह कारखाना वर्तमान में 100 करोड़ पूंजी की लागत रखता है ।

और इससे भी ज्यादा हो सकता है इसलिये बड़ा गम्भीर मसला है । मैं चाहता हूं कि जो भी काम अवैधानिक विक्रय हुआ है इसके सारे अनुबंध को माननीय मुख्य मंत्री जी अपने स्तर से आप दिखवा लें और इसके बाद इसे रद्द करने की कोशिश करें । कारखाने को पुनः एक अवसर दीजिये कि उसके जो प्रबंधक हैं वह तकनीकी प्रतिनिधियों को रखकर देखें और घाटे के कारणों की जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाय । दूसरी मेरी मांग है इससे अलग एक विकल्प दे रहा हूं आप जैसा उचित समझें करें । एच०एम०टी० जो केन्द्रीय प्रतिष्ठान है और उसके लिये सबसे बड़ी चीज यह है कि आटो टैक्टर्स लि० उत्तर प्रदेश का ही एक उद्यम है, यहीं का तो उपक्रम है इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर कोई व्यवधान आ जाय, कोई आपत्ति आ जाती है तो आप इसे एच०एम०टी० से सम्बद्ध कराकर चलाने की कोशिश कर सकते हैं । इसको करके आप दिखवा लें ताकि समस्याओं का समाधान हो सके ।

मान्यवर, पेयजल का बड़ा संकट है । पूरे प्रदेश के अंदर पीने के पानी समस्या है और कुंओं की हालत खराब है उसकी मरम्मत नहीं होती कुंओं में लाल दवा नहीं डाली जाती है । लेकिन इतना है कि जब रोटी कपड़ा, मकान की बात करें तो वह साधारण पुरूष जो अपने सर पर बाल्टी रखकर या और भी बरतन रखकर मीलों से पानी लाता है उसे भी ध्यान में रखें । मान्यवर, यह दुर्भाग्य है कि 1947 के बाद आज इस परिस्थिति में बैठे हैं कि पानी भी हम अपने नागरिकों को नहीं मुहैया करा सके । इस पेयजल संकट पर आप विशेष रूप से ध्यान दें । चाहे हैण्डपम्पों को लगाना हो, नये कुंओं को खुदवाना हो, कुंओं की मरम्मत हो इस व्यवस्था को करके कम से कम नागरिकों को पीने के पानी की सुविधा मुहैया करायें । जो शहरों के हैं महानगर के हैं, कबाल्स टाउन के हैं, मान्यवर, मैं भी महानगर में रहता हूं उसके जो रहने वाले हैं । स्थिति यह है कि टैक्स पर आपने भी लड़ाई लड़ी थी और मैंने भी लड़ी थी, यह चौगुना जब टैक्स हुआ है, तमाम नगर के लोगों ने, आपकी पार्टी के लोगों ने, हम लोगों ने सामूहिक लड़ाई लड़ी थी कि यह चौगुना नहीं होना चाहिये । भीतरी हाल जो

बनारस का एक ऐसा स्थान है जहां टोटी खोल दीजिये तो सू-सू की आवाज आती है और वे 10-20 साल से टैक्स दे रहे हैं पानी नहीं मिलता है और भी दूसरी जगह यह बात होगी ! मान्यवर, इसकी व्यवस्था में आप सुधार करवाइये और जो लोग पानी का टैक्स देते हैं उन्हें पानी को मुहैया कराने का काम करें और आप इसकी जांच कराइये कि क्या कारण है । मान्यवर, जहां पीने का पानी गंगा का मुफ्त में मिलता है उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं । जो पानी मुफ्त है, जो निर्मल जल है उस भागीरथी में टैक्स लगाने का प्रयास न करें । स्वयं आपने टैक्स के लिये लड़ाई लड़ी है इसलिये आप इस दिशा में कम उठायें । मेरा कहना है कि अगर आवश्यकता हो तो 90 को आप बढ़ा दें लेकिन 90 से दूना नहीं होना चाहिये वर्ना इस मंहगाई के युग में लोगों की कमर टूट जायेगी ।

मान्यवर, बुनकरों की समस्या है, उनको रेशम नहीं मिलता, कालाबाजारी में लोग बेच दिया करते हैं हमारी तरफ तो यह बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में जो करघे चल रहे हैं उन्हें कच्चा माल नहीं मिलता, जिन्हें कच्चा माल नहीं मिलता वे आगे कैसे रेशम का काम करें, जो बिचौलिये हैं उनसे इसे रोका जाय । कोआपरेटिव की दुकानें हैं या आपके पास ऐसे साधन हैं जहां से इसे मुहैया किया जा सकता है, तो बिचौलियों को रोककर, वहीं से मुहैया करायें ताकि गरीब बुनकरों के हाथ में काम आये और उनके बच्चों का पालन-पोषण हो सके ।

पुलिस विभाग में जानकर बड़ा अचम्भा हुआ, वे भी हमारे नागरिक हैं अमारे अंग है, कांस्टेबिल को 950 रु०, हेड कांस्टेबिल को 975 रु० और सीधे दरोगा को 1640 रु० मूल वेतन मिलता है, मैं यह समझता हूं कि इसे आप दिखवाइये, 50 रु० के अंतर पर हेड कांस्टेबिल हो गया, ट्रेनिंग लेकर सारा काम वह करता है, अब इस तरह के वेतन से इतना बड़ा भेद पैदा हुआ है । वे हमारे अंग हैं हमारे समाज के अंग हैं उनके मनोबल को बढ़ाने की बात आपने कही है । मैं उनकी तरफ इनका ध्यान मान्यवर, आपके माध्यम से आकर्षित कर रहा हूं कि इस प्रकार की जो विसंगतिया हैं उनमें सुधार करायें, उनके पे-स्केल देखें, जो भ्रष्टाचार की आग में खुला निमंत्रण सा है कि भोजन करें, काम करें तो जो भोजन करने का काम हो रहा है, उसको रोकने का काम करें । आपने भय मुक्त समाज और व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है आप इसको भी उसमें देखें ।

कल यहां चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के बारे में सवाल उठा । यहां के मुख्यमंत्री चौधरी साहब रहे । स्वच्छ और कुशल प्रशासन चौधरी साहब का ही नारा था । उस नारे के तहत, आज मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, चौधरी साहब ने अपनी किताबों में लिखा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, गांव उठेगा देश उठेगा, मान्यवर, आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो इस सरकार का दस्तावेज पेश हुआ है उसमें भी यह लाईन आयी । मैं समझता हूं कि चौधरी साहब की नीतियों पर आप चलने का प्रयास करें, गांवों को

उठाने का प्रयास करें । गांव कब उठेगा ? एक मामूली प्रतिमा का सवाल उठा, स्वयं मैं जब दल का अध्यक्ष होने के बाद वहां गया तो सचिवालय के उस गेट पर ताला बंद था, किसी तरह से ताला खुलवाकर उस पर हमने माल्यार्पण किया । मैं जब उनकी प्रतिमा पर ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि मूर्ति हिल रही थी । यहां इतना बड़ा प्रशासन है, चौधरी साहब की यहां एक प्रतिमा लगी हुयी है, चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे, जिसके कारण किसान अपना गर्व महसूस करते थे और उन्हीं कारणों से लोग किसानों का नेता उन्हें समझते थे । इस महान व्यक्ति की प्रतिमा सामने लगी हो, लेकिन उसका कोई पुरसाहाल न हो, व्यक्ति की प्रतिमा सामने लगी हो, प्रतिमा हिल रही है, टूटने की स्थिति में है, उसको देखने की आवश्यकता है । जिस तरीके से आपने दूसरी प्रतिमाओं को लगाने का काम किया है, उसी तरह से किसानोंके मसीहा, इस देश के भू०पू० प्रधानमंत्री, यहां के भू०पू० मुख्य मंत्री इनकी प्रतिमा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करायें । इसमें तो शायद प्लास्टर आफ पेरिस लगाया गया है, अच्छी से अच्छी व्यवस्था करके उनकी प्रतिमा लगायी जाय, वे लगवा दें तो मैं समझता हूं कि जो आपने अपने दस्तावेज में लिखा है कि गांव उठेगा तो देश उठेगा, तो पहले चौधरी साहब की प्रतिमा वहां पर लगवायें उससे किसानों के अंदर एक भावना आयेगी, जो खेत-खलिहानों से मिट्टी से जुड़े हुये लोग हैं जिन्हें किसानों का दुख है, लोगों की भावनायें चौधरी साहब से जुड़ी हुयी हैं, आप उन्हें देखें उनकी प्रतिमा को लगवा कर उनके कामों को आगे बढ़ायें ।

मान्यवर, विकास का काम ठप्प पड़ा हुआ है, सारे काम तबादलों के हो रहे हैं । विकास का काम पहले होना चाहिये, गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम करें ।

मान्यवर, सड़कों से जोड़ने का काम हम लोगों ने 77-80 के बीच में किया था जब हम लोग साथ-साथ रहे थे । उस समय अन्त्योदय कार्यक्रम चलाया गया था । अन्त्योदय का अर्थ है अन्त से उठाने का काम अर्थात जो समाज में सबसे छोटा वर्ग है, जो सबसे गरीब है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको उठाने का काम सरकार ने किया था और उस समय हम भागीदार थे । मैं चाहता हूं कि आप अपनी पुरानी बातों को याद करके अन्त्योदय का कार्य चलायें ताकि समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें ।

मान्यवर, अभी मुजफ्फरनगर में एक घटना घटित हुयी । अभी हमारे एक सदस्य ने भी इसका जिक्र किया था । तो मान्यवर, हमें ला एण्ड आर्डर की स्थिति को भी देखना होगा उस पर विचार करना होगा और उसे सुधारना होगा । एक भीम सिंह प्रधान का मामला था उस पर प्राणघातक हमला किया गया था तो मान्यवर उसकी जांच करायी जाये और उसमें जो भी इन्वालव हो उसे सजा दिलायी जाये । मुझे यह भी बताया गया है कि कोई भा०ज०पा० का कार्यकर्ता इसमें इन्वालव है तो इसको आप दिखवा लें और इसकी जांच करा लें । मैं यह नहीं कहता कि सारे कार्यकर्ता एक जैसे होते हैं तो इसे आप दिखवा लें और इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयाय कीजिये । मान्यवर, मुझे बाध्य होकर कहना पड़ा

है कि हम लोगों के साथ जो शैडो और गनर हैं वह हटा लिये गये हैं। लेकिन मान्यवर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी गनर या शैडो मिले हुये हैं। कुछ को मिले हैं अभी सीतापुर का नाम आया है लेकिन मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह कौन है तो जो कोई भी आदमी है उसकी जांच करवा लें। अभी बुलन्दशहर में एक व्यक्ति जगदीश पुत्र कंचन, ग्राम-धमौड़ीकीरत जिला बुलन्दशहर की घटना घटी है। उससे उस आदमी को रा०सु०का० के अंतर्गत बंद किया गया। यह घटना जुलाई 1991, की है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, मैं इसलिये कह रहा हूं कि मुझे इसकी जानकारी है उसकी कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है, उसकी किसी थाने में कोई एफ०आई०आर० दर्ज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी आदमी को बंद करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

मान्यवर, मैं यह मानकर चलता हूं कि सारे लोग बराबर नहीं होते। अगर किसी के कहने पर उसे रासुका में बन्द कर दिया गया है तो यह उचित नहीं है। मान्यवर, कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण होना चाहिए। हम लोग स्वयं इस बात का प्रयास करते हैं कि हमारे सारे कार्यकर्ता नियंत्रित रहें। फिर भी यदि हमारे बीच में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है तो मैं यह आश्वासन देता हूं कि मैं उस व्यक्ति का साथ नहीं दूंगा। यह व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति है इसलिये इसको रिहा करने का प्रयास करें। मान्यवर, मेरे पास समय कम है। मैं कुछ और मुद्दों को उठाना चाहता था। अपराधों की यहां बाढ़ आई हुई है। मुजफ्फरनगर को ध्यान से देखें। अभी अखबार में एक घटना छपी थी कि माननीय मंत्री जी ने चरण छुए। यह मानकर कि कोई आदमी कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ले और माननीय मंत्री जी यह कहें कि मान जाओ तो मेरी मान्यता है कि वह चाहे कोई भी हो अगर वह कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है, तो यह उचित नहीं है। मुजफ्फरनगर एक गम्भीर विषय बना हुआ है। मान्यवर, चुनाव के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उसमें किस प्रकार की धांधली हुई है। जब मेरे यहां ही धांधली हुई है तो और जिलों में भी हुई होगी। आप तो स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं।

जाल वहां पर लगा दिया गया। जाल के भीतर एजेन्ट बिठा दिये गये, 15 फीट की दूरी पर, यह देखने के लिये कि किसका वोट किसको मिला है, किसका निशान चक्र पर है, किसका कमल पंर है। यहां पाठक जी बैठे हैं, अमरनाथ जी भी बैठे हैं, यह सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। एक तो वहां 22 कैन्डीडेट और उनके 22 एर्जेन्ट, उस पर उनका उचक-उचक कर देखना। जगह कम होने के कारण हर एजेन्ट व कैन्डीडेट एड़ी के बल खड़ा होकर देखता रहा। मैंने चुनाव के समय ही मांग किया, वहां के चुनाव अधिकारी से, जो जिलाधीश भी हैं उन्होंने जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, उनको एक तरफ बिठा दिया। पाठक जी अच्छी तरह जानते हैं, जब मैं चिरई गांव के पंडाल में था। मान्यवर, 15 फीट की दूरी से देखना, प्रत्याशियों को एक तरफ बैठा देना और इसके बाद काउन्टिंग में व्यवधान डालना, यह सब काम वहां हुआ। मैं यह सब बातें आगे के लिये कह रहा हूं। ऐसी

चुनाव की धांधलियां केवल एक जिले में नहीं और भी जगह हुई हैं, इसको आप ठीक से देखें ऐसे कई जगह अफसरों को हटा दिया गया, लेकिन आप जांच करवा लें कि अगर कोई किसी जगह नेता का रिश्तेदार चरण चुंम्बन करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी आप हटाने का काम करें । मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूं कि आप मुखिया हैं, आप संरक्षक हैं । मैं इसीलिये मान्यवर, आपके माध्यम से इन बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं ।

माननीय अधिष्ठाता जी, आप तो इस समय बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हुये हैं, लेकिन आप जब यहां आकर बैठेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मुखारबिन्दु से, श्रीमुख से अवश्य इन बातों को कहें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे अवगत हो सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

जो व्यवस्था आप बनारस की बता रहे हैं, उसके संबंध में मैंने और जगहों का भी पता लगाया, तो पता लगा कि और जगहों पर जाल जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ बनारस में ही थी ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, सरकार को जांच कराना पड़ेगा कि यह जाल का काम केवल बनारस में ही क्यों हुआ ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल, 5 बजने वाला है, आप 5 बजने के 5 मिनट पूर्व अपना भाषण अवश्य समाप्त कर दें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, आपने मेरा समय 20 मिनट और बढ़ा दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं आपकी व्यवस्था से सहमत हूं, हो सके तो मेरा भाषण कल कन्टीन्यू कर दीजियेगा । मैं तो स्वयं व्यवस्था के अन्तर्गत ही चलना चाहता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

अधिष्ठाता जी, यह आपने जो 5 बजे वाली बात कही है, यह आज के 5 बजे या कल वाले 5 बजे के लिये है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह आज के लिये है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में, जो सरकार द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज होता है, एक शब्द आया है, छद्म धर्मनिरपेक्षता । मैं भी हिन्दी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं । छद्म का अर्थ बनावटी है, कपटी है, यह मैं नहीं समझ सका । मैंने शब्दकोष भी देखने का प्रयास किया । मान्यवर, छद्म वेशभूषा में ही राम के राज्य में रावण ने सीता का हरण किया था ।

मान्यवर, धर्मनिरपेक्षता तो धर्मनिरपेक्षता है । सन् 1947 के बाद इसकी परिभाषा हुई है । दिनांक 26 जनवरी, 1950 को बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर जैसा व्यक्ति, डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसा व्यक्ति, पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसा व्यक्ति, इन सब लोगों ने मिलकर धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दी थी । उस परिभाषा का अर्थ यह नहीं कि धर्मनिरपेक्षता को किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ दिया जाय । सैकुलरिज्म का अर्थ यहां होगा कि इस देश के अन्दर हर एक को, अपनी आस्था और विश्वास के साथ पूजा-आराधना करने का अवसर मिले । यह छदम निरपेक्षता क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अपने जवाब में स्पष्ट करेंगे । राम राज्य के आदर्शों की स्थापना के पक्ष में जनता ने इनको जनादेश दिया ।

राम लला हम आये हैं, मन्दिर वहीं बनायेंगे । मैं तो जब चुनाव में चला तो एक नारा मेरे कानों में आया "जो हिन्दू हित का काज करेगा, वही देश पर राज करेगा ।" मैं यह कहना चाह रहा हूं कि क्या आपने एजाजत रिजर्वेशन का कन्वर्जन कर दिया है । यदि आपने ऐसा कर दिया है तो आपने संविधान के विरुद्ध कार्य किया है । कन्वर्जन करने से पहले आपको उनकी इजाजत लेनी चाहिये थी । मान्यवर, एक बात और सामने आयी । वह है "परिवर्तन का संस्कार जगाना" आप परिवर्तन की ओर नहीं जा रहे हैं । आपने लिखा है हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है । हम सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन का संस्कार जगायेंगे । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परिवर्तन का संस्कार आप क्या जगायेंगे, बल्कि परिवर्तन की भूमिका निभायेंगे । सत्ता में तो परिवर्तन आ गया, आप व्यवस्था में परिवर्तन करें ।

मान्यवर, ऐसी-ऐसी बातें कही गयी हैं, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । गाँधी, राम, कृष्ण, गौतम, बाल्मीकि, रहीम, रसखान आदि का उदाहरण इसमें दिया गया है । बड़े अच्छे उदाहरण दिये गये हैं । ये हमारे देश के बड़े लोग हैं, अच्छे कवि हैं, भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं । यह धरती गाँधी और गौतम की धरती है । आप इस गाँधी और गौतम की धरती में भेद-भाव नहीं बरतेंगे । अभी आपने गनर और शैडो में भेदभाव बरत दिया, चपरासी और पी० ए० में बरत दिया, ड्राईवर में बरत दिया, तो आगे क्या हाल होंगे । आप इतने बड़े लोगों की कल्पनाओं और आदर्शों को पूरा करने का काम करें । मान्यवर, दो जगह दो बातें की गई हैं । एक जगह तो यह कहा गया है कि दुर्भावना और फूट को पिछले दिनों बढ़ावा दिया । सामाजिक न्याय के नाम पर जातिगत कटुता पैदा की गई । मैं कहना चाहता हूं कि जातिगत कटुता क्या है ? अगर किसी कौम का आदमी किसी जगह पर बैठ जाय तो वहां पर क्या कोई जातिगत भावना चलाई जायेगी । यदि ऐसा होता है तो यह बिल्कुल अनुचित है । आज मुझे बाध्य होकर यह कहना पड़ रहा है। सारे प्रदेश के अन्दर अधिकारी वर्ग बहुत कम है । मैं नाम लेना नहीं चाहता । अगर किसी व्यक्ति की वजह से कोई बात हो गई हो तो उस पूरे समुदाय के साथ अनुदारता का भाव नहीं बरतना चाहिये । आप उदार बनें । मैं आशा करता हूं कि प्रदेश की जो समस्यायें

हैं, इस पर आप ध्यान देंगे । मान्यवर, बिचौलिये और दलालों की बात है । आपने कहीं बीच में अपने भाषण में कहा भी है कि 5.00 बजे के बाद व्यापारियों के यहां छापे नहीं पड़ेंगे, कोई कागज-पत्र नहीं देखा जायेगा, कोई जायेगा नहीं । जो इस समय मंहगाई बढ़ी है...।

यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो सामान नहीं मिल रहा है, इस बजट के आने के बाद सारे सामानों का जो अकाल पड़ गया है, इसको भी मद्दे नजर रखें । जो मुनाफाखोर हैं, दलाल हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठायें ताकि जनता के वे लोग जिन्हें सामान नहीं मिल रहा है, जरूरी वस्तुएं नहीं मिल रही हैं, उनको वे वस्तुएं मिलें । मैं कह रहा था कि हम लोगों के क्षेत्र में तो खैर खोया और दही मिलता है, लेकिन गांव में भी लोग अब चाय पिलाने लगे हैं । अब आपने चीनी की मात्रा कम की है तो वे चाय भी कहां से पिलायेंगे । मेरा कहना है कि गांव और शहर का भेद न करें । पहाड़ों में और भी कम है । मैं चाहूंगा कि पहाड़, गांव और शहर का भेद न हो । सबको एक समान व्यवस्थित रूप से चीनी आदि दें ।

बेरोजगारी के बारे में आपने कहा लेकिन बहुत साधारण तौर पर कहा । करोड़ों लोग आज बेरोजगार हैं । काम के अधिकार को संविधान में लाने की बात माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कही थी । बेकार नौजवान को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं होना चाहिये । मैं समझता था कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए ठोस प्रस्ताव आयेंगे लेकिन उसका जिक्र नहीं आया बल्कि यह समस्या शब्दों के जाल में लिपट कर रह गयी । भाई चारे की भावना रखना, देश की संस्कृति से सम्बद्ध रखना इस पर जोर दिया गया है मैं समझता हूं कि इसका बेरोजगारी से बहुत कम सम्बन्ध हो सकता है । पिछली सरकार ने नौकरियों पर रोक लगा दी थी । अगर रोजगार देना है नौजवानों को तो जैसा शिक्षकों के बारे में कहा है जहां जगहें हैं उन्हें भरिये, पोस्टों का क्रिएशन हो सकता है । नौकरियों पर से प्रतिबन्ध हटायें । चाहे पढ़ाई का काम हो या कार्यालयों का काम हो, जहां पर काम सही नहीं चल रहा है, उसे ठीक करें ।

रैंक तो आपने दे दी कैबिनेट मिनिस्टर की लेकिन अखबार पढ़ने को नहीं देंगे नेता, विरोधी दल को, सूचना विभाग से अधिकारी की मदद नहीं मिलेगी, तो कैसे चलेगा ? मैं माननीय अध्यक्ष जी को भी लिख रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी सब करा देंगे ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मैं तो इसलिये कह रहा हूं कि जब आप फिर से इधर आयेंगे तो आपको भी सुविधा होगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं इससे सहमत नहीं हूं अगर ये इधर आयेंगे भी तो–

(नेता, विरोधी दल की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए)

यहां नहीं आयेंगे ।

(हंसी)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

आपने नारी के सम्मान के संबंध में बहुत अच्छी भावना व्यक्त की है । इस देश में डा० लोहिया ने भी नर-नारी समानता की बात कही थी । वोट में भी उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी है । आपने शौचालय की बात कही, शौचालय जरूर बनने चाहिये । आज भी जब किसी गाड़ी की हैडलाइट पड़ती है तो सड़क पर शौच के लिये बैठी महिलायें खड़ी हो जाती हैं, यह स्थिति उचित नहीं है । आपका यह कदम बहुत अच्छा है लेकिन यह कहीं कागज में ही न रह जाय ।

कहा गया है–"यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता ।"

....नारियों के लिये स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि–"नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष श्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में ।" जब आपने यह दृष्टिकोण लिया है, नारी जो हमारे जीवन में अभिन्न अंग रही है वह केवल वोट देने के लिये ही न हो । आपने अगर हाईस्कूल तक की उसकी शिक्षा निःशुल्क की है तो मैं चाहूंगा कि लड़कियों की शिक्षा डिग्री कालेज तक निःशुल्क होनी चाहिये, यह हमारी मांग है । देश के अन्दर आप नारियों को समान मान कर चलिये । जब आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति को ही पढ़ाते हैं लेकिन अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरे परिवार को पढ़ाते हैं । आप एक कन्या को पढ़ा करके पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं । आपकी शिक्षित कन्या जब गृहणी बनकर किसी परिवार में जायेगी तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करेगी । तो आप पूरे परिवार को सुधारने का कार्यक्रम बनाइये ।

मान्यवर, अभी इन्होंने कहा कि अभी इनको आये पांच ही सप्ताह हुये हैं तो 5 सप्ताह ही जब हुये हैं तो अब मैं अधिक इनकी बखियां नहीं उधेड़ना चाहता हूं । एक बात और कही गयी गोली कांड के बारे में जो अयोध्या में हुआ था । बिना अयोध्या का जिक्र आये तो बात पूरी भी नहीं होगी तो अयोध्या में जो गोली काण्ड हुआ जिसमें निहत्थे, निरीह व्यक्तियों की मृत्यु हुयी तो इसके संबंध में पिछले शासन ने जांच के लिये एक आयोग बैठाया था । उन्होंने जो आयोग बैठाया था तो आप कृपया जब अपना भाषण दें तो उन परिस्थितियों का जिक्र जरुर करेंगे कि आपको क्या आवश्यकता पड़ गयी कि उसको हटा कर आपको दूसरा जांच कमीशन बैठाना पड़ा । या आपको ऐसी आशंका थी कि उसकी जांच निष्पक्ष नहीं होगी या आपको आशंका थी कि वह जांच आपकी भावना के अनुकूल नहीं होगी या फिर वह अपनी जांच एक तरफा करेगा ? मेरी समझ से तो जांच कमीशन कोई बैठाया जाय, कोई भी सरकार उसे बैठाये, उसका कार्य है जांच करना, उसे वह करेगा

जब सरकार के साथ ही साथ जांच कमीशन भी बदल जायेगा तो इस तरह से यह एक परिपाटी पड़ जायेगी अगर कल को कोई दूसरी पार्टी की सरकार आ गयी तो वह भी जांच कमीशन को बदलना चाहेगी । मैं चाहता हूं कि इस तरह की कोई परिपाटी न बनने दीजिये शासन में । नहीं तो शासन में जो भी आयेगा, जो काम करना चाहता है, वह काम नहीं कर पायेगा ।

सड़क बनेगी तो उस पर न केवल भा०ज०पा० चलेगी और न केवल जनता दल चलेगा बल्कि पूरा देश उस पर चलेगा । इसी तरह से अगर कुआं बनेगा तो सारे समाज के लोग उसका पानी पियेंगे । आपको अगर उस जांच आयोग से कोई कठिनाई हो या कोई बात उसके संबंध में आपके सामने आयी हो उसे भी आप हमारी जानकारी में दीजिये ताकि हम लोग भी उस पर विचार कर सकें । आपको आशंका कैसे पैदा हुयी इसको आप स्पष्ट करने की कृपा करें ।

किसानों के लिये विपणन के द्वारा उचित मूल्य की व्यवस्था आपकी नयी सरकार करने पर विचार कर रही है । आप यह देखिये कि जनता को क्या कठिनाई है, आप जनता के लिये विकास के कार्यक्रम लाइये । प्राथमिकता के आधार पर आप किसानों को लीजिये, कृषि को लीजिये, पेय जल-व्यवस्था को लीजिये, सिंचाई के साधनों को लीजिये । इन सब कार्यों को आप प्राथमिकता दीजिये । बिजली की कटौती दूर करके किसानों को बिजली मुहैया कराइये । बीज, खाद अच्छी किस्म की किसानों को उपलब्ध कराइये । आज खाद के दाम बढ़े हुये हैं, आपने शुरु में सबसीडी देने पर विचार किया था कि हम सबसीडी देंगे । हर काम के दो तरीके होते हैं । घर का कूड़ा साफ करने के भी दो रास्ते हैं कि कालीन पर से झाड़ू लगा करके कूड़ा बाहर फेंक दिया जाय या फिर झाड़ू लगा कर कूड़ा कालीन के नीचे ही दबा दिया जाय। लोगों को अगर सहारा देना है तो कूड़ा एक ही जगह पर इकट्ठा न होने दीजिये। खाद समस्या के बारे में गांधी जी की प्रतिमा के पास हम लोगों का धरना आज चल रहा है। इसी तरह से राजकीय नलकूपों के बारे में भी आपने लिखा हुआ है। मेरी समझ से आधे से अधिक नलकूप खराब पड़े हुये हैं । ट्रांसफारमर जल गये हैं । अगर 25 हार्स पावर का ट्रांसफारमर जल गया है तो उसकी जगह पर 100 हार्स पावार का ट्रांसफारमर लगा दिया जाता है जो कि शीघ्र ही फिर जल जाता है । ट्रांसफारमर खराब पड़े हुये हैं, ट्यूबैल चलते नहीं हैं आप युद्ध स्तर पर काम कीजिये पुराने ट्रांसफारमर बदलिये, नये ट्रांसफारमर भिजवाइये । सारे जिलों में यही स्थिति है अगर ट्यूबैल खराब पड़े रहेगें तो सिंचाई नहीं हो पायेगी ।

मैं अपनी आंखो देखी बात बताना चाहता हूं आपने नहरों से झाड़ झंकाड़, अनावश्यक जल भराव को दूर करने तथा नहरों की सफाई की बात कही है, हमारे यहां एक लेहरा मनेहरा ड्रैन है उसकी सफाई के लिये बहुत पैसा इश्यू हो गया जरा सा ऊपर से झाड़ झंकाड़ रहा होगा उसे हटा कर बाहर कर दिया और पेमेंट हो गया तो ऐसे ही झाड़ झंकाड़ दूर

करना है तो यह उचित नहीं होगा । इसको आप जरा देखें जहां इस प्रकार कार्य हो रहे हैं वहां पर उनकी गहराई भी देखी जाय और उसके रैगूलेटर छलके आदि ठीक से बन जायं ताकि पानी जा सके केवल शब्दों के जाल में न जायं, भाषा विज्ञान में न जायं क्योंकि राजनीतिक लोग इसका बड़ा अर्थ लगाते हैं । जो इसमें भ्रष्टाचार है उसे दूर करें उसे समूल नष्ट करें ।

मान्यवर, खेत में पानी नहीं पहुंचता है मैं भी किसान का बेटा हूं लेकिन जांच पड़ताल लग जाती है, किसान को आवपासी की किताब नहीं मिली उसमें पानी की पड़ताल हो गयी । इसका सारे लोग प्रमाण हैं । छोटी-छोटी बातें हैं जिनका समाधान होना चाहिये किसान को सुविधा मिलनी चाहिये । सड़कों के बारे में मांग है कि संपर्क मार्गों का निर्माण होना चाहिये । अच्छा है आप जिला परिषदों को संवैधानिक दर्जा देंगे उसके कर्मचारियों को आप सरकारी कर्मचारी बनायेंगे जिनको समय पर तनखा नहीं मिलती है । यह अच्छा है आप उनको सरकारी कर्मचारी बना दीजिये । मैं बनारस का अनुभव बताना चाहता हूं वहां पर शमशान घाट में एक लिपिक है जो जन्ममृत्यु का ब्यौरा रखता है जो जन्ममृत्यु लिपिक कहलाता है तो जब से वह आया जन्मभर उसी में रहेगा और मरने पर ही हटेगा । तो छोटे छोटे कर्मचारियों के बारे में सोचने की जरुरत है । हमारे जो नवयुवक हैं उनको रोजगर देने की कोई योजना बने । देश में जब नौजवान तरुणाई लेता है तो देश का इतिहास बदल देता है । 1974 का इतिहास साक्षी है जब जयप्रकाश नारायण जी का बिगुल बजा तो इतिहास बदल दिया । तो आप नवयुकों के लिये कोई ठोस प्रस्ताव लायें तो अच्छा होगा हम उसका समर्थन करेंगे । लेकिन इसमें एक परम्परा की बात कही गयी है, पुरानी बातें ही दोहरायी गयी हैं कुछ नया काम करने की बात नहीं है ।

माननीय भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा गया है कि कुछ विशेष सुविधायें देगें तो वह विशेष सुविधायें क्या हैं । जो विश्वविद्यालय बननौ उसे जल्दी बनायें । हम लोग भीमराव साहब को श्रृद्धांजलि अर्पित करते हैं । वह हमारे संविधान के निर्माता रहे हैं उनके बतायें कदम पर हम चले इसके लिये इनकी शताब्दी में हम कुछकर दिखायें जिससे लगे कि जो हमारे पिछड़े भाई हैं उनका हम उद्धार कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठता–

मैं चार मिनट आपको और दे रहा हूं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मैं आपकी आज्ञा मानकर चलूंगा औरों को भी चांस मिलेगा ।

श्री अधिष्ठता–

हमारें सदन की परम्परा रही है कि माननीय मुख्य मंत्री और नेता विरोधी दल के लिये कोई समय सीमा नहीं निश्चित है । पांच बजे तक चार मिनट और हैं आप बोलें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

...मान्यवर, आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था यह उत्तरांचल... ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जब समय नेता विरोधी दल के लिये निर्धारित नहीं है तो 5 बजे कैसे समाप्त करेंगे ?

श्री अधिष्ठता–

5 बजे वित्तीय वर्ष 1991–92 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा, इसलिये 4 मिनट नेता विरोधी दल आप और बोल लें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, 5 बजे मैं समाप्त करता हूं लेकिन कल तक के लिये इसे कान्टीन्यू कर दें ।

श्री अधिष्ठता–

आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मैं कह रहा था कि उत्तरांचल की आप स्थापना करेंगे जिसके हम भी पक्षधर हैं लेकिन मान्यवर, यह समस्या बड़ी गम्भीर है, इसमें आप अपना बचाव भी करें रहे हैं और जनता को खुश भी कर रहे हैं । आप संकल्प और प्रस्ताव लायेंगे और केन्द्र सरकार को भेजेंगे । लेकिन जैसे मंदिर के मामले में आप सोच रहे हैं, अभी एक जनादेश आपको मिला, अब अगला आपका भाषण होगा कि दिल्ली की सरकार मंदिर को बनबाने नहीं दे रही है, तो कहेंगे कि हमें दिल्ली भेजें । इसलिये आपको मंदिर का निर्माण नहीं करना है, इसी प्रकार उत्तरांचल नहीं बनाना है । यह तो केवल जनता को लुभावना नारा दिया है । तो खोखले नारे झूठ वायदे से काम नहीं चलेगा । उत्तरांचल की स्थापना की यदि सही मानों में आ की मंशा है तो वहां के लोगों से विचार विमर्श करें । पूर्वांचल के लोगों से विचार विमर्श व रें । प्रदेश बहुत विशाल है इसके विकास का कार्यक्रम बनाना है तो इस दिशा में यदि आप सामूहिक कदम उठायेंगे तो विकास के लिये हमारा विरोध पक्ष का रचनात्मक सहयोग मिलेगा ।

(इस समय 4 बजकर 58 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

...चूंकि प्रदेश के पूर्वांचल का इलाका बहुत पिछड़ा आज भी है और जहां के गरीब लोग आज भी गाय भैंस के गोबर से अनाज निकालकर खाने वाले लोग मिर्जापुर में मिलेंगे जब कि पूर्वांचल के विकास के लिये बजट में कुछ भी नहीं है । मान्यवर, हमारे यहां तो आम की गुठलियों को पीसकर लोग खाते हैं । लोगों के पास एक धोती है और पहनने वाले कई लोग है । खाने के लिये एक थाली है और खाने वाले कई लोग हैं । इसलिये जब एक भाई खा लेता है तो दूसरा उसके बाद खाता है । यदि परिवार में चार भाई हैं तो वे एक साथ खाना नहीं खा सकते हैं । गरीबी का यह आलम है । इसलिये कहना चाहता हूं कि जहां के लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उस पूर्वांचल के विकास के लिये अलग से विकास निगम की स्थापना करनी चाहिये ।

(समय 5 बजे)

मान्यवर, पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी बहुत समस्यायें हैं लेकिन यह जिले ऐसे हैं जो अछूते हैं। मध्यम के लिये श्री वर्मा जी कहेंगे। मान्यवर, इस प्रकार मैं उन विषयों पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मान्यवर, प्रदेश में चारे की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, इसलिये इसकी व्यवस्था की जाये।

5 बजे तक समय दिया गया है और मान्यवर, कल के लिये आप जैसी व्यवस्था दें। मैं इसे कल कान्टीन्यू करना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, कल आपका भाषण जारी रहेगा।

वित्तीय वर्ष 1991-92 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों का विवरण†

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1991-92 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण की प्रतियां सदन में माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में संशोधन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को सूचना दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समित ने अपनी बैठक दिनांक 7 अगस्त, 1991 में सदन के दिनांक 8 अगस्त, 1991 के अनुमोदित कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है-

1. निम्नलिखित विधायी कार्य–

(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधीकरण) विधेयक, 1991 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।

(2) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।

(3) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।

(4) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा।

---

†छापा नहीं गया।

(5) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार विमर्श एवं उसका पारण-आधा घंटा ।

2. वित्तीय वर्ष 1991-92 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार तथा मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण-आधा दिन ।

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना जो श्री अध्यक्ष ने दी है, उससे यह सदन सहमत है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना के संबंध में जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विधान सभा की विभिन्न समितियों में कार्य करने के लिए विधान सभा सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

नियोजन, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1991-92 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये, जिनके निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 1991 को सदन में दी गई है, यह सदन, सम्बन्धित नियमों एवं संकल्प के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 1991-92 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु और उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथा समय सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम निर्देशन करें और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन हम लोगों की भी राय ले ली जाय ।

नेता विरोधी दल (श्री कैलाश नाथ सिंह यादव)–

मैं सभी की राय के बाद करूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, सदन उससे सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत आज 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री सन्त-श्रीराम द्विवेदी और श्री लाल जी वर्मा की हैं, जो फैजाबाद जनपद में बीकापुर व हैदरगंज क्षेत्र में डाक्टरों की लापरवाही के कारण गैस्ट्रो तथा हैजे से सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इस पर मैं शासन को वक्तव्य देने के लिए निर्देश देता हूं । दूसरी सूचना श्री दुलारे लाल की है, जो वर्ष 1981 82 में पी०सी०एस० बैच के अधिकारियों को प्रोन्नति का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर मैं शासन को केवल वक्तव्य के लिये निर्देशित करता हूं । तीसरी सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की है जो उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम भटनी द्वारा किसानों का करोड़ों रुपये का भुगतान न किये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री देवेन्द्र पाल सिंह की रासायनिक उर्वरकों में भारी वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, पांचवी श्री किशन गोपाल की उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किये जाने के संबंध में, छठी सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की जनपद फैजाबाद के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में, सातवीं सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री गिरधारी लाल और श्री गामा राम शास्त्री की प्रदेश में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री नरेश अग्रवाल की है प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय अंचलों में उत्पन्न पेय जल समस्या के संबंध में । नवीं है श्री भोला शंकर मौर्य की, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति....।

श्री विजय सिंह राणा–

नियम 51 की इस तरह सब सूचनायें नहीं पढ़ी जाती हैं । जिन्हें आप स्वीकार करें, केवल उन्हें ही पढ़ा करें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, तब तो मैंने बता दिया है कि सर्वश्री सन्त श्रीराम द्विवेदी और लाल जी वर्मा की ही सूचना को स्वीकार किया गया है वक्तव्य के लिए ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ

7 अगस्त, 1991

प्रेम चन्द्र सक्सेना
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

विवरण – जनपद – जालौन

क्रमांक	नाम रसायन	उपलब्धता		विवरण	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कीटनाशक धूल					
1	बी०एच०सी० 10%	32700	245936.70	26597	61137.10
2	मैलाथीयान 5%	20375	79462.50	17777	69330.30
3	मिथाइल पैराथीयान	650	2275.00	650	2275.00
4	इकालक्स 1.5%	45547	355266.00	41891	326749.80
5	कार्बोराइल 10%	100	1700.00	100	1700.00
6	इन्डोसल्फान धूल	6000	63600.00	6000	63600.00
7	फयूराडान 3 जी	314	9153.00	150	4372.50
कीटनाशक तरल					
1	फास्फेमिडान	458	93546.05	448	91504.00
2	इकालक्स 25	46	7567.00	46	7567.00
3	न्यूवान	300	51600.00	51	8772.00
4	एल्डीन 30 ईसी	68	8408.20	68	8408.20
5	डाइमेथिएट 30	300	40935.00	270	36841.50
6	डेसिस	774	316179.00	698	284784.00
7	कार्बोराइल 50ईसी	200	22620.00	176	19905.60
8	मोनोकोटोफास	500	106975.00	500	106975.00
9	बी०एच०सी० 20ईसी	100	8800.00	78	6864.00
1	मैकोजेब 75%	556	57379.00	496	51187.20
2	कापर आक्सी क्लोराइड	77	5959.80	58	4489.20
3	काबेन्डाजिम 50%	217	74648.00	187	64328.00
4	स्ट्रेप्टोसाइडक्लीन	3.036	9386.30	1.212	3747.10
5	2-4 डी	171	12320.50	73	5259.00
6	आइसोप्रोट्यूरान	28	4776.80	28	4776.80
7	जिंक फास्फाइड	146	14439.40	83	7138.00
8	एल्युमिनियम फास्फाइड	510	22260.00	45	19740.00
	योग		1615192.90		1269487.30

परिशिष्ट -2

वर्ष 1990-91

नाम विकास खण्ड	नाम फसल	ग्रामों के नाम जिनमें रसायन प्रयोग की गई
1-कुठौंद 26	चना	जख, बाबली, रामपुरा, गोरा, राठौर, खेऊ, कनार, इगुर्रा, जुगराजपुर, पीपरी, लोहई, नाहिली, भदेव, नौरेजपुर, जलालपुरा, मिहौना, हाजीपुर, दौन, मदनेपुर, कुठोद, हदरुख, मवादा, नैनापुर,
2-कोंच 36	,,	शेंकरपुर, कुठीला, देवनपुरचा, इमरैली, परैथा, अमीटा,सिकरी, कोच, वरौद, खुर्दचमेड, पिडारी, सिमरिया, बस्ती, भदारी, चमरसैना, वसोव, दवकाई, रतनपुरा, चमरवा, कौशलपुर, पत्रीपुरा अन्डा, जखौली, डाड़ी, सतोह, भदेवरा, चांदनी, दिरावटी, पड़री, आसूपुरा, कैथी, हिगुटा, उमरी, किशनपुरा, विरगवां, भेप्ता, सामी, बिलाया, खैरी, मनहारी ।
3-रामपुरा 38	,,	रामपुरा, जायगा, जगम्मनपुर, उमरी, मल्हानपुरा, कुनियोपुरा, महटोली, धूता, सुल्तानपुरा, फसेपुरा, गुपालपुरा, सोनेपुरा, बाबूपुरा जाजेपुरा, छीन, पचोखरा, मानपुरा, अकबरपुर, डिकौली, कसबा, टीहर, जमालपुरा, भेलवली, हुकमपुरा, पूरनपुरा, मडइयां, नरौल, बुढेरा, फतहपुरा, वधाउली, लोधीपुरा, धर्मपुरा, जसुवापुर, सिछ्छपुरा, चांदनपुरा, मई, भीखनपुरा, हिम्मतपुर, बहराइच, मौजपुरा ।
4-नदीगांव 11	,,	रवा-कनासी, पीपरी कला, सलउवा, सीस, जरा, तजपुरा, सानी, कैलिया, भेड़, खैरई ।
5-माधोगढ़ 32	,,	कुंवरपुरा, मिगनी, अटागांव, ढिकौली, विरिया, अहेता, अमखेड़ा, सुरपुतपुरा, रुदपुरा, धमना, बुडपुरा, हरौली, सुरावली, मिर्जापुर, सुल्लापुरा, मिझौन, माधोगढ़, मिहौनी, निवावली, खुदादपुरा, सिरसा, दौगढ़ी, कुसेडा, ऊंचा, हैदलपुर, सिहारी, कैलोर, पड़कला अन्डाई, रसूलपुर, चाकी-पूरनपुरा, गढ़ा, गौहनी, पीपरी, ।
6-कदौरा	,,	कचनपुर, ववीना, जमरैही, जोराखेरा, कदौरा, बरही, गढ़ा, कठपुरवा, सुरैनी, नका, हरवन्द्रपुर, अकबरपुर, उदनपुर, इटौरागरु, सुजानप, उकासा, अलीपुर, बरखेरा, मरगाय, हरपूपुरआदा, निसवापर, बडागांव, दसहरी, ।
7-डकौर 50	,,	एट, सियौडी, नुनवई, डकोर, जमरोही, इगलालपुरा, धुरहट, खदानी, कुर-कुरु, कपसी, हरदोई, सैदनगर, ऐधापुर, पुर-पचोखरा

			भरसूडा, धगवां, खैरा, जखली, टिकरिइया, पिडारी, ममवई, सिकरी, कुठोदा, जैसारी, खुर्द, बैसारी, खुर्द, बडेरा, महावदावाद कुशमिलिया, गुढ़ा, रुरा अडडू बरसार, उकहरा, हजरतपुरा, गढ़हर जैसारी कला, रिनिया, गिरथान, उरई, धमनी, बुजर्ग, विनौरा, कैथेरी, रहइया एर, सरमोसी, इमलिया, मडौर, मोखरी, कोटरा, धरगवा, अटरिइया, चिल्ली, उमरग ।
8	जालौन	,,	सहाय, पहाड़पुरा, उरगांव, कुसमरा, जालौन, वीरपुरा, गायर, गैलापुर, गुलाबपुरा, सहसाजदपुरा, सारगपुर, लोना, हरदोई, राजा सेकपुर, सिकरी, राजा, धन्तौली, जगनेवा, एदलपुर, काजीपुरा, विरहरा, उदोदपुरा, दमापरवई, तावा, पमा, रनवा, सुडार, भदवा, धनौरा, खनुवा, भिटारा, मोहनपुर, कुदारी, वावई, लहचुरा, मामदी जीपुरा, परवतपुर, साधूपुरा, मऊ खुर्द, धमना, वुजर्ग, कोरीपुरा खरा, अकोड़ी दुबे, छिरिया, सलेमपुर, नवीपुर, दहगवा, सिहारी दाउदपुर ।
9	महेवा 11	,,	भगौरा, मगरौर, वीजापुर, वैरई, महेवा, गुढ़ाजास, कालपी देवकली धनौरा, सैदपुर, पर, ।
1	कुठोद 23	मसूर	नवादा, करतलापुर, सिहारी, पिपरी, नाहिलो, गोराराठोर, मदनेपुर रामपुरा, लालमपुर, कोटा, मस्तिकल, सैदपुरा, मदारीपुर, सेकपुर अहीम, हदरख, विजवापुर, जुगराजपुर, नैनापुर-सैवजापुर, कुठोद, निरवली, कुरेपुरा, ईटो, मिहौना ।
2	कौच 20	,,	चमेड, कौच, अमोटा, बरौदाखुर्द, इमरौली, छानी, चादनी, खाखरी चमरवा, वसोर्जापन्डारी, ताहरपुर, रतनपुर, बस्ती, पैरथा, सिकरी सिर्मारिया, दवकाई, डाडी, गैदोली, धमौरी, कौशलपुर ।
3	रामपुरा 11	,,	कर्रा, वधावली, उमरो, सुल्तानपुरा, पतराई, जाजैपुरा, डिकौली, पूरनपुरा, जायगा, वहराई, किलोहा ।
4	नदीगांव 3	,,	रुरा, कोउना, नदीगांव ।
5	माधोगढ़ 11	,,	सुल्तापुरा, चितौरा, मिर्जापुर, चिलौरी, हिगुटा-चितौरी, वुडपुरा, अमखेड़ा, मिझौना, कौरा, निवड़ी, हराली ।
6	कंदैरा 10	,,	इटौरा, जौरा, खेरा, रसूलपुर, मोहला, उकाला, सुजानपुर, आटा, नाका, क्वीना, अलीपुर ।
7	डकौर 25	,,	सियोड़ी कुर करना, हरदोई, हरदुवा, जयरोही, जखोली, क्लिगांव भरसूडा कुठोदा, रुरा अडड, उकौर, बरसार, गढहर, जैसारी, कली, कैथरी, गिरधान मिनौरा, हरदोई, गूजर, गोरा करसान, कपामी, मडोरा, मुहोमादावा ।

8-जालौन 32	,,	दमा, कुसमरा, सहाव, उरगांव, भिटारा, जालौन, गायर, जगेनेवा मोहनपुर, धन्तौली, नवीपुर, एदलपुर, भदवा, मिसपुर, पहाड़परा, पर्वतपुर, करकौती, सारगपुर, धनौरा, लौना, गूढ, रनवा, कौरीपुरा, गधेला, वावई, लहचूरा, सिकरी, राजा, कमालपुरा, छानी, कुवरपुरा औरेखी, वीरपुरा ।
9-महेवा 10	,,	सिकरी, रहमानपुर, बीजापुर, मरसई भिटारी, वैरई, मुसमरिया, धनौरा, खैरई, लोना ।
1-कुठौंद	अरहर	जुगराजपुर, शंकरपुर, जेरा शंकरपुर, करमुखा, कुरेपुरा, इगुर्रा, नवादा ।
2-कौंच	,,	चमरुवा, रतनपुरा, बन्डा, बस्ती, कौशलपुर, जखौली, बरौदा, उर्द पिन्डारी, अमीटा, पिरौना, बसोव ।
3-रामपुरा	,,	ऊमरी, जसुवापुर, कनियापुरा, पूरनपुरा, कसवा, अकबरपुरा, मई, सोनेपुरा, जाबगा गढ़ा, छौना, तिनावली, जागीर, पचौखरा, नरौल, टोहर, धूता ।
4-नदीगांव	,,	नदी गांव, कनासी ।
5-माधोगढ़	,,	सुरवली, हरौली, अटामांव, धमना, मौर्धा, माधोगढ़, मिजौना ।
6-डकोर	,,	नुनवई, सैदनगर, जमरेही, अमखेड़ा, भरसूड़ा, एट, उकोर, इकलासपुर, गोरा, गढ़र अटरिया, बरसार, उरई, कुठौदा, गुढ़ा, हरदोई, गूजस, गिरयान ।
7-जालौन	,,	सहाव, कुसमरा, सिहारीदाउदपुर, सैखपुर वुर्जा, धन्तौली, उरगांव, पर्वतपुरा, भदवां, एदपुर, मोहनपुर, कुदारी, दमा, सहजादपुरा, जालौन, छोलापुर ।

नोट :—परिशिष्ट-2 में संलग्नक गांव की सूची में रबी की अन्य फसलें गेंहू राई/सरसों आलू आदि भी शामिल हैं ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अंता० प्र० सं० 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

संलग्नक

(यांत्रिक दोष से बंद) राजकीय नलकूप (सामान्य)

क्रसं०	जनपद	विकास खंड	ग्राम का नाम	नलकूप सं० एवं समूह	बंदी का दिनांक	दोष का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1-	गोण्डा	रुपाहडीह	शिवगढ़	95 जी०जी०	12-7-91	पम्प दोष
2-	गोण्डा	तदैव	पंचमुखी	138 जी०जी०	11-7-91	मोटर दोष
3-	गोण्डा	तदैव	शाहपुर	125 जी०जी०	10-7-91	तदैव
4-	गोण्डा	पड़णीकृपाल	पकरीकेशधर	67 जी०जी०	17-7-91	तदैव
5-	गोण्डा	तदैव	सोनापार	168 जी०जी०	10-7-91	तदैव
6-	गोण्डा	मुजेहना	विषमभरपुर	201 जीजी०	5-7-91	तदैव
7-	गोण्डा	मुजेहना	माधवगंज	108 जी०जी०	6-7-91	पम्प दोष
8-	गोण्डा	इटियाथौक	लक्ष्मनपुर	42 जी०जी०	11-7-91	मोटर दोष
9-	गोण्डा	तदैव	परसिया महौरिकपुर	21 जी०जी०	10-7-91	तदैव
10-	गोण्डा	गैडासबुजुर्ग	गैडासबुजुर्ग	71 यू०जी०	19-7-91	तदैव
11-	गोण्डा	उत्तरौला	पुरैनियाजार	2 यू०जी०	25-7-91	पम्प दोष
12-	गोण्डा	तदैव	मोहली	65 यू०जी०	27-7-91	तदैव
13-	गोण्डा	रेहरा	हसऊपुर	173 यू०जी०	30-6-91	मोटर दोष

14	,,	तदैव	किशनपुर	92 ,, ,,	18-7-91	तदैव
15-	गोण्डा	तदैव	जगनी	59 यू०जी०	18-7-91	तदैव
16-	गोण्डा	श्रीदत्त गंज	नामरूपुर	7 यू०जी०	22-6-91	तदैव
17-	गोण्डा	तदैव	समवल	51 यू०जी०	22-6-91	तदैव
18-	गोण्डा	तदैव	अगमाबुजुर्ग	121 यू०जी०	12-7-91	पम्प दोष
19-	गोण्डा	तदैव	गुलरहां	47 यू०जी०	14-7-91	मोटर दोष
20-	गोण्डा	तदैव	शिवपुरगंहथ	176 यू०जी०	15-7-91	तदैव
21-	गोण्डा	बलरामपुर	चूल्हामाटी	44 बी०एल०जी०	19-7-91	तदैव
22-	गोण्डा	तरबगंज	घरौरा	8 टी०जी०	29-6-91	तदैव
23-	गोण्डा	तदैव	ठोठेपुर	7 टी०जी०	8-7-91	तदैव
24-	गोण्डा	झंझरी	परसिया	210 जी०जी०	5-7-91	तदैव
25-	गोण्डा	तदैव	उम्मेदजाल	112 जी०जी०	15-7-91	तदैव
26-	गोण्डा	परसपुर	आटा	39 टी०जी०	15-7-91	तदैव
				विश्व बैंक नलकूप		
1-	गोण्डा	--	--	165 यू०जी०	21-6-91	मोटर दोष
2-	गोण्डा	--	--	126 बी०एल०जी०	12-7-91	तदैव
3-	गोण्डा	--	--	127 बी०एल०जी०	21-7-91	तदैव
4-	गोण्डा	--	--	130 बी०एल०जी०	11-7-91	तदैव
5-	गोण्डा	--	--	116 बी०एल०जी०	13-7-91	तदैव

		(विद्युत दोष से बंद)		राजकीय नलकूप (सामान्य)		
1-	गोण्डा	मुझेना	धर्मेई	28 जी०जी०	8-7-91	केबिल दोष
2-	गोण्डा	पडरीकृपाल	महादेवा	30 जी०जी०	16-7-91	ट्रांसफारमर दोष
3-	गोण्डा	तदैव	गडरेवाकला	52 जी०जी०	20-7-91	विद्युत दोष
4-	गोण्डा	इटियाथोंक	ढ़ोगाही	215 जी०जी०	9-7-91	ट्रांसफारमर दोष
5-	गोण्डा	तदैव	परसिया-बहरीपुर	22 जी०जी०	18-7-91	विद्युत दोष
6-	गोण्डा	तदैव	विजयगढ़वा	196 जी०जी०	18-7-91	तदैव
7-	गोण्डा	तदैव	हिन्दनगर	205 जी०जी०	18-7-91	तदैव
8-	गोण्डा	तदैव	पुरेगुरदी	206 जी०जी०	18-7-91	तदैव
9-	गोण्डा	तदैव	सिधयापुर	15 जी०जी०	18-7-91	केबिल चोरी
10-	गोण्डा	तदैव	बेलभरिया	197 जी०जी०	18-7-91	ट्रांसफारमर दोष
11-	गोण्डा	तदैव	लखनीपुर	85 जी०जी०	18-7-91	खम्भा गिर गया
12-	गोण्डा	मनकापुर		143 यू०जी०	15-7-91	विद्युत दोष
13-	गोण्डा				20-7-91	तदैव
14-	गोण्डा				7-7-91	तदैव
15-	गोण्डा	छपिया		118 यू०जी०	14-7-91	तदैव
16-	गोण्डा	झाझरी	बीरपुर	55 जी०जी०	25-6-91	ट्रांसफारमर दोष
17-	गोण्डा	तदैव	बहलोलपुर	73 जी०जी०	15-7-91	तदैव
18-	गोण्डा	तदैव	पिचरा	167 जी०जी०	20-7-91	विद्युत दोष
19-	गोण्डा	तदैव	निविहा	136 जी०जी०	23-7-91	तदैव
20-	गोण्डा	तदैव	परसिया	101 जी०जी०	25-7-91	तदैव

21-	गोण्डा	तरबगंज	घात्ता	79 टी०जी०	6-7-91	तदैव
22-	गोण्डा	बेलसर	लत्ता	4 टी०जी०	10-7-91	केबिल दोष
23-	गोण्डा	हलधरमऊ	नगरा	120 जी०जी०	19-7-91	तदैव
24-	गोण्डा	वजीरगंज		11 टी०जी०	23-7-91	तदैव
25-	गोण्डा	बलरामपुर	नरायनपुर	48 बी०एल०जी०	21-7-91	तदैव
				इन्डोडच नलकूप		
1-	गोण्डा	--	जयनारा	138 बी०एल०जी०	20-3-91	ट्रांसफारमर खराब
2-	गोण्डा	--	लोपनियां	159 बी०एल०जी०	26-7-91	ट्रांसफारमर फयूज उड़ा
3-	गोण्डा	--	दुविहनडीह	173 बी०एल०जी०	8-7-91	तीनों फेज में बिजली नहीं
4-	गोण्डा	--	बगहीसीर	174 बी०एल०जी०	8-7-91	तदैव
5-	गोण्डा	--	भदुहाशंकरपुर	180 बी०एल०जी०	24-6-91	ट्रांसफारमर खराबी
6-	गोण्डा	--	भदुहाशंकरपुर	183 बी०एल०जी०	24-6-91	तदैव
7-	गोण्डा	--	गटेहना	161 बी०एल०जी०	16-7-91	तदैव
8-	गोण्डा	--	सिरसिहवा	171 बी०एलजी०	16-7-91	तदैव
9-	गोण्डा	--	तदैव	175 बी०एलजी०	16-7-91	तदैव
				विश्व बैंक नलकूप		
1-	गोण्डा	--	--	11 बी०एलजी०	21-6-91	टी०/एफ खराब
2-	गोण्डा	--	--	184 यू०जी०	19-7-91	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 38 उत्तर पीछे पृष्ठ– 37 पर)

(अनुलग्नक-क)

वर्ष 1987–88,88–89 तथा 89–90 में एल०टी० मेन्स द्वाराविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्रसं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	विकास खंड	विद्युतीकरण की तिथि	योजना
	1987–88				
1.	जरतपुर	430	वजीरगंज	20.11.87	आर०एम०एन०पी०
2.	चकयान	449	,,	15.12.87	,,
3.	पुरे खेम	440	,,	18.12.87	,,
4.	बानेपुर	400	,,	20.12.87	,,
5.	पुरेखाल	355	,,	18. 1.88	,,
6.	महोलोखीरी	688	छपिया	20.10.87	आर०ई०सी०
7.	पायर खास	694	,,	18.10.87	,,
8.	लाम्बेपुर	758	,,	20.10.87	,,
9.	चान्दारत्तो	831	,,	20. 1.88	,,
10.	सिकहरा	795	,,	18. 2.88	,,
11	.बन्दहरा	792	,,	20. 2.88	,,
12.	मिश्रोलिया	515	मनकापुर	20.10.87	,,
13.	कलेनिया	399	,,	19.10.87	,,
14.	करोहामान	395	,,	18.12.87	,,
15.	जैदवा	486	,,	20. 1.88	,,
16.	रामापुर	429	,,	19. 2.88	,,
17.	कैमो	364	,,	31. 3.88	,,
18.	कन्होवा	365	,,	31. 3.88	,,
	1988–89				
1.	विरहमतपुर	379	वजीरगंज	15.3.89	आर०एम०एन०पी०
2.	जगदीशपुर कटरा	366	,,	15.3.89	,,
3.	परसा तिवरी	771	छपिया	30.3.89	आर०ई०सी०
4.	सोठिया	369	मनकापुर	30.3.89	,,
5.	दुलहिया तिवरी	411	,,	30.3.89	,,
	1989–90				
1.	नगरा बुजुर्ग	752	छपिया	31.3.90	आर०ई०सी०
2.	खनरोपारा	696	,,	31.3.90	,,
3.	हड़हवा	363	मनकापुर	31.3.90	,,
4.	विद्यानगर	367	,,	31.3.90	,,
5.	लक्ष्मणपुर	385	,,	28.3.90	,,

एस/2891

बा०सी० मौर्य
अधीक्षण अभियन्ता ।

नत्थी 'घ'

(देखिये पृष्ठ संख्या 92 पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव में प्राप्त संशोधन जो जुड़े हुये माने गये

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1	श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़) श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री नरेश अग्रवाल, श्री भगवती सिंह-विशारद, श्री गंगाबख्श सिंह तथा श्री हरीचरन यादव	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है:— 1-प्रदेश में अवर्षा के कारण पड़े भंयकर सूखे की स्थिति में प्रदेश के किसानों पर वसूली द्वारा उत्पीड़न कार्यवाही को रोकने के संबंध में ।
		2 प्रदेश में जातिवाद, सम्प्रदायवाद, अल्पसंख्यकवाद, अलगाववाद और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उपाय के संबंध में ।
		3 किसानों को लागत व्यय के हिसाब से कृषि उपज के पर्याप्त लाभकारी मूल्य की घोषणा के संबंध में ।
		4 कृषि लागत व्यय को कम करने के लिये खाद, बीज, बिजली, पानी कीटनाशक दवाओं और कृषि उपकरणों की दरों में कमी की घोषणा के संबंध में ।
		5 मजदूरों को सुविधापूर्वक जीवन यापन करने लायक न्यूनतम मजदूरी के संबंध में ।
		6 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की गारन्टी के संबंध में
		7 चिकित्सा को समाप्त करके राजस्व के वैकल्पिक श्रोतों की व्यवस्था और सम्पूर्ण ढांचे का सरलीकरण के संबंध में ।
		8 मूल्य वृद्धि, जमाखोरी, जखीरेबाजी से जनजीवन त्रस्त होने के संबंध में ।
		9 कृषि उपजों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित नहीं किये जाने के संबंध में ।
		10 नगरीय और ग्रमीण अंचलों में शुद्ध पेय जल संकट के हल के लिये कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

11 सच्चरित्र और शान्तिप्रिय नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिये आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने की सरल प्रक्रिया के संबंध में ।

12 चोरी, डकैती, हत्या लूट, आगजनी और अपहरणों की बढ़ती वारदातों को रोकने के उपाय और निर्बल वर्गों को सुरक्षा की गारन्टी के संबंध में ।

13 प्राइमरी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत बनाने छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रत्येक बड़े गांव मे स्कूल खोलने के संबंध में ।

14 सस्ते दामों पर किसानों को उर्वरक, बिजली, डीजल आदि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

15 14 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में।

16 फसल बीमा योजना पूरे प्रदेश में लागू करने के संबंध में।

17 प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के संबंध में ।

18 नौकरियों पर नयी भर्ती के लिये लगे प्रतिबंध को तत्काल समाप्त करने के संबंध में ।

19 तदर्थ व अंशकालिक अध्यापकों, आयुर्वेदिक व यूनानी डाक्टरों की नौकरियों को विनियमित करने के संबंध में ।

20 अंशकालिक नलकूप चालकों को पूरा वेतन देने के संबंध में ।

21 खराब नलकूपों को ठीक करने एवं नालियों को बनवाने के संबंध में ।

22 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति के अनुरूप स्थापित करने के संबंध में ।

23 बेरोजगार नवयुवकों को नौकरी हेतु साक्षात्कार में जाने के लिये मुफ्त बस यात्रा की घोषणा किये जाने के संबंध में ।

24 चुंगी समाप्त के बाद प्रदेश के स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाये जाने के लिये किसी ठोस नीति की घोषणा के संबंध में ।

25 प्रदेश के सभी गावों का विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

26-प्रदेश में कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी लागू किये जाने के संबंध में ।

27--प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उद्यमों को निजी लोगों के हाथ सस्ते मूल्य पर बेचने की कार्यवाही को रोकने के संबंध में ।"

2-श्री बेनी प्रसाद-वर्मा — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1-प्रदेश में व्याप्त भीषण सूखे से निपटने के लिये किसी ठोस उपाय के संबंध में ।

2-सूखे को दृष्टिगत रखते हुये खाद की बढ़ी हुयी कीमतों के बराबर किसानों को अनुदान दिये जाने के संबंध में ।

3-पीलीभीत में 11 सिख तीर्थयात्रियों की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने और सरकार द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही के संबंध में ।

4-शपथ ग्रहण के तत्काल दूसरे दिन अयोध्या में पूरे मंत्रि-मंडल द्वारा विवादित भूमि पर "मंदिर यहीं बनायेंगे" का नारा संविधान की मर्यादा के विरुद्ध होने के संबंध में ।"

3-श्री राम लखन — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोर्ड उल्लेख नहीं किया है :—

1-संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा अयोध्या में विवादित स्थल पर राममंदिर बनवाने की घोषणा से न्यायालय की उपेक्षा व अवमानना के संबंध में ।

2-प्रदेश में हरिजनों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों पर सामन्तों, पुलिस तथा सवर्णों द्वारा हो रहे उत्पीड़न के संबंध में ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

3–अयोध्या में 30 अक्टूबर व 2 नवम्बर, 1990 को बाबरी मस्जिद बचने व कानून की रक्षा के लिये सुरक्षा बलों द्वारा की गयी कार्यवाही में मृतकों के आश्रितों को एक-एक लाख रुपया सरकारी सहायता देने और कुण्डा प्रतापगढ़ में एक दर्जन हरिजनों व पिछड़े वर्ग के निर्दोष लोगों को पुलिस द्वारा गोली से उड़ा देने के मामले में अभी तक नाम मात्र सहायता देने की भेदभाव पूर्ण कार्यवाही के संबंध में ।

4–प्रदेश के बुनकरों दस्तकारों का ऋण माफी योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपये तक का ऋण अभी तक माफ न दिये जाने के संबंध में ।

5–प्रदेश को सूखा पीड़ित घोषित करने सरकारी व सहकारी बकाया ऋण वसूली रोकने निरन्तर विद्युत आपूर्ति, नहरों में पानी की आपूर्ति, बंद राजकीय नलकूपों को चालू हालत में करने तथा सूखा राहत युद्ध स्तर पर शुरू करने के संबंध में ।

6–राज्य कताई मिल अकबरपुर की तालाबंदी अविलम्ब समाप्त कर मिल चालू करने के संबंध में ।

7–प्रदेश के बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराने तथा उत्पादित माल की सरकारी खरीद के संबंध में ।

8–प्रदेश की सरकारी सेवाओं, शिक्षा संस्थ.ओं तथा राजकीय निगमों में आबादी के अनुसार जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को नौकरियां देने के संबंध में ।

9–बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर के सारे साहित्य छपवाकर उसे प्रदेश के समस्त हरिजन छात्रावासों, पुस्तकालयों, अनुदानित पुस्तकालयों आदि में अनिवार्य रूप से रखने के संबंध में ।

10–किसानों की फसल बीमा के संबंध में ।

11–छोटे किसानों को सस्ती बिजली, पानी, खाद, बीज व उर्वरक उपलब्ध कराने के संबंध में ।

12–निर्बल वर्ग आवास निर्माण में खाना पूरी छोड़कर मजबूत टिकाऊ निर्माण के संबंध में ।

13–प्रदेश में व्याप्त भयंकर सूखे में सस्ते दर पर पर्याप्त खाद्यान उपलब्ध कराने के संबंध में ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

14–प्रदेश में धार्मिक उन्माद से उत्पन्न साम्प्रदायिक हिंसा व असुरक्षा की भावना के संबंध में ।

15–मूल्यवृद्धि एवं जमाखोरी में जनजीवन त्रस्त होने के संबंध में ।

16–कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य घोषित किये जाने के संबंध में ।

17–प्रदेश में श्रमिकों पर हो रहे अत्याचरों के संबंध में ।

18–नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में ।

19–उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, सड़क परिवहन निगम, आदि, सरकारी निगमों में हो रहे लगातार घाटे के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में ।

20–पूरे प्रदेश में ग्राम सभाओं की फालतू पड़ी भूमि आवंटित कर कब्जा दिलाये जाने के संबंध में ।

21–प्रदेश की समस्त हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में ।

22–पीलीभीत में पुलिस द्वारा सामूहिक नरसंहार के संबंध में ।

23–फैजाबाद जनपद के सबसे उपेक्षित ब्लाक भियाव के बंदीपुर में चिकित्सालय निर्माण के संबंध में ।

24–फैजाबाद जनपद के भियाव ब्लाक में टोड़ी नदी से 50 ग्राम सभाओं में जल भराव की समस्या हल किये जाने के संबंध में ।

25–फैजाबाद जनपद के भियाव ब्लाक में राजकीय बालिका उ० मा० वि० खोलने के संबंध में ।

26–जलालपुर विधान सभा के दूलहुपुर बाजर में लगे विद्युत ट्रांसफारमर जल जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।"

4–श्री ऊदल तथा श्री दीनानाथ सिंह यादव		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(1) प्रदेश में अनावर्षण की वजह से बड़े पैमाने पर सूखे से उत्पन्न समस्या के समाधान से नहरों, ट्यबैलों को ठीक से चलाने के संबंध में ।

(2) पचास फीसदी खराब पड़े ट्यबैलों को ठीक करके चालू करने के संबंध में ।

(3) धान के बीज सूख गये हैं और धान की सिचाई नहीं हुई है इससे उत्पन्न विषम परिस्थिति में किसानों को सहायता देने हर प्रकार की वसूली व फीस माफ करने पशुओं के चारे की समस्या को समाधान करने, बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाने के संबंध में ।

(4) अनावर्षण से सम्पूर्ण जायद की फसल समाप्त हो जाने के संबंध में ।

(5) पुरानी सरकार द्वारा सीमेंट निगम की डाला चुर्क चुनार की फैक्टरियां न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुय डालमिया ग्रुप को कौड़ी के भाव बेचने संबंधी सौदे को रद्द करने के संबंध में ।

(ख) हस्तान्तरण होने के पूर्व डालमिया ग्रुप द्वारा कब्जा कर दिये जाने के संबंध में ।

(ग) डालमिया को कब्जा कराने के लिये, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर, पूर्व सरकार द्वारा पुलिस का प्रयोग कर शांति प्रिय मजदूरों के ऊपर गोली वर्षा कर निर्दोष 10 मजदूरों की हत्या कई दर्जन के घायल किये जाने के संबंध में और इस संबंध में आज तक कोई कार्यवाही न करने के संबंध में ।

(6) सरकार की औद्योगिक नीति सैकड़ों बंद मिल कारखाने पड़े और हजारों बेकार मजदूर बंद मिलों के चलाने आदि के संबंध में कोई नीति निश्चित न करने के संबंध में ।

(7) प्रदेश के हथकरघा पावरलूम उद्योग में भीषण तबाही धागों के मूल्य में लगातार वृद्धि और माल की निकासी न होने से हजारों बुनकर मजदूर की भुखमरी से उत्पन्न परिस्थिति के निवारण के संबंध में ।

(8) प्रदेश की कई सरकारी-सहकारी मिलें बंद हैं जिससे उसमें कार्यरत मजदूर बेकार होकर भुखमरी के शिकार हैं उनकी समस्याओं के निदान के संबंध में कोई नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में, कताई मिलों का प्रबंध तक अकुशल हाथों में देने के संबंध में।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(9) जनता और जनप्रतिनिधियों पर निरंकुश शासन व पुलिस के बढ़ते हुये अत्याचार के संबंध में ।

(10) खेती को उद्योग का दर्जा देने के संबंध में तथा कृषकों द्वारा पैदा की गयी जिन्सों का सही मूल्य देने के संबंध में ।

(क) कृषि पैदावार की कीमतें औद्योगिक मूल्यों के समान निश्चित करने के संबंध में ।

(11) प्रदेश की नयी सरकार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद अयोध्या में उस विवादित धर्मस्थल पर जाकर उत्तेजना पैदा करने एवं साम्प्रदायिकता को बिगाड़ने तथा संविधान में उल्लेखित धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों का उल्लंघन करने के संबंध में ।

(12) बालिकाओं को शिक्षा के प्रसार के संबंध में जिन ब्लाकों में एक भी हाईस्कूल, इण्टर कालेज बालिकाओं के नहीं है वहां सरकार द्वारा कालेज खोलने के संबंध में ।

(13) जहां-जहां लोग प्राइवेट तरीके से बालिकाओं के लिये साइंस समेत सभी विषयों की शिक्षा देना चाहते हैं वहां शिक्षा अधिनियम के सेक्शन 94 में तुरन्त सरकार द्वारा मान्यता देने के संबंध में ।

(14) जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में संशोधन करके विधवा माताओं तथा माताओं को अधिकार देने के संबंध में ।

(15) दैवी आपदाओं में किसानों को जो मुआवजा दिया जाता है उस राहत कानून में संशोधन करके शर्तों के मुताबिक राहत देने के संबंध में ।

(16) वाराणसी जिले में 40 से लेकर 50 फीसदी तक राजकीय तथा पब्लिक नलकूपों को ठीक करने के संबंध में ।

(17) स्थान सिंघोरा वाराणसी में एक सब विद्युत स्टेशन बनाने के संबंध में ।

(18) 245 कोल असला विधान सभा क्षेत्र वाराणसी में नाद नदी का पुल सरौय-धरसौला के बीच में तथा कुंडो व सत्तनपुर के बीच में वरुणा नदी में पुल बनाने के संबंध में ।

(क) 245 कोल असला विधान सभा क्षेत्र कठिरांव से नेवादा अनेई मार्ग 2-देवराई से बरवां मार्ग 3-पिंडरा-औदार से गरथमा मार्ग को राज्य मेक्टर में लोक निर्माण विभाग द्वारा लेने के संबंध में ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(19) स्थान गड़खड़ा, 2-जगदीशपुर, 3-ओदार ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने के संबंध में ।"
5	श्री अरविन्द प्रताप सिंह	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-

1-नादेमऊ से खिरिया गिट्टी मार्ग पर डामर लेपन का कार्य कराने के संबंध में ।

2-नादेमऊ से इन्दरगढ़ गिट्टी मार्ग का डामर लेपन कार्य कराने के संबंध में ।

3-महते पुरवा से अल्ला गंज गिट्टी मार्ग डामर लेपन कार्य कराने के संबंध में ।

4-मलगवां से मलगवी सम्पर्क मार्ग का डामर लेपन कार्य कराने के संबंध

5-राजपुर स खरगपुर गिट्टी मार्ग का डामर लेपन कार्य साथ ही इसी मार्ग से बिलन्दरपुर सम्पर्क मार्ग बनाने के संबंध में ।

6-नगरिया पुल से लखरया होकर मिशुर पुर घाट तक ईट सोलिंग मार्ग का गिट्टी व डामर लेपन कार्य करानेके संबंध में ।

7-खड़नी से कठार पुलिया कन्सुआ सकटपुर होकर कंकड़ मार्ग पर गिट्टी व डामर लेपन कार्य कराने के संबंध में ।

8-भावलपुर से मुखड़ा ईट सोलिंग मार्ग पर गिट्टी तथा डामर लेपन कार्य कराने के संबंध में ।

9-कठार से रौसा कंकड मार्ग पर गिट्टी तथा डामर लेपन कार्य कराने के संबंध में ।

10-अहेर से बछज्जापुर मार्ग कच्चा मिट्टी कार्य कराने के संबंध में ।

11-सुखसेनपुर से उगरीपुर का शेष भाग मिट्टी कार्य प करने के संबंध में ।

12-अरिन्द्र नदी मिशुरपुर घाट का पुल निर्माण कराने के संबंध में ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13-इन्द्रगढ़ विधना मार्ग का बराहर के पास पांडू नदी का पुल निर्माण कराने के संबंध में ।
		14-तिवां औसरे मार्ग पर औसरे नदी का पुल निर्माण कराने के संबंध में ।
		15-बंधा नगारिया पर नाला पर सौरिस बिजली नगर के पास पुलिया बनाने के संबंध में ।
		16-लाखझील से नाला टिहुआ तक नाला की लम्बाई 8 किलोमीटर सफाई का कार्य कराने के संबंध में ।
		17-कन्सुआ, सकतपुर, अदमपुर, मारवन लुखरया होकर अरिन्द नदी तक नाला की सफाई कराने के संबंध में ।
		18-सौरिस से नादेमऊ के बीच नलकूपों का निर्माण कराने के संबंध में ।
		19-बिजली विभाग द्वारा निम्न गांवों अहेर, विदाई पुरवा, रूरा, फिरोजपुर नन्दपुर बिरिया हथरइया, नादेमऊ में बिजली कनेक्शन देने के संबंध में ।
		20-हसेरन में 33 के बी० का स्वीकृत बिजली घर का निर्माण करने के संबंध में ।
		21-हसेरन में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पानी व्यवस्था हेतु ओवर सेड टैंक का निर्माण कराने के संबंध में ।
		22-निचली गंगा नहर में खडनी पुल के पास से एक फीडर का निर्माण कार्यो के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"
6-श्री हरिवंश सहाय		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-
		"किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखत का कोई उल्लेख नहीं किया है :-
		1-मंडल कमीशन लागू करने के सम्बन्ध में ।
		2-धर्म निरपेक्षता को कायम रखने के सम्बन्ध में ।
		3-बेतहाशा मंहगाई बढ़ने के सम्बन्ध में ।
		4-खाद का दाम 40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

क्र० सं० प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

5–देवरिया जनपद को सूखा क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में ।

6–स्थानान्तरणों में घोर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद एवं जातिवाद समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

7–गन्ने का दाम 60 रु० प्रति क्विंटल घोषणा करने के सम्बन्ध में ।

8–पिछड़ी जातियों के छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति देने के संबंध में ।

9–चोरी, डकैती, कत्ल, लूट एवं राहजनी रोकने के संबंध में ।

10–बेरोजगारों को काम या बेरोजगारी का भत्ता देने के संबंध में ।

11–नौकरियों में भरती पर लगे रोक को हटाने के संबंध में ।

12–पूर्वी उ० प्र० के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आयोग गठन के संबंध में ।

13–सभी माध्यमिक तथा पूर्व माध्यमिक गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने के संबंध में ।

14–शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किये जाने तथा दोहरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने के संबंध में ।

15–दस हजार तक कर्जे की माफी मे गड़बड़ी की जांच कराने के संबंध में ।

16–सवा छः एकड़ तक के किसानों को सभी प्रकार के कर्जों के माफी के संबंध में ।

17–रबी की फसल आने तक किसानों के ऊपर बकाए धनराशि की वसूली रोकने के संबंध में ।

18–60 वर्ष के सभी वृद्ध व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पेन्शन देने के संबंध में ।

19–कृषि को उद्योग का दर्जा देने के संबंध में ।

20–आर्थिक आधार पर सवर्णों को 5–10 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में ।

21–मंहगाई पर रोक लगाने के लिए दाम बांधों नीति अपनायी जाने के संबंध में ।

22–महिलाओं के उत्थान की सुनिश्चित नीति की घोषणा करने के संबंध में ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

23–कृषि उपजों और कल कारखानों की उपजों में सन्तुलन बनाये रखने संबंध में ।

24–सिचाई की दरों में कमी नहीं किये जाने के संबंध में ।

25–कृषि उपजों का लाभकारी मूल्य दिलाने के संबंध में ।

26–अंशकालिक नलकूप चालकों को पूर्ण वेतनमान देने के संबंध में ।

27–लोक निर्माण विभाग एवं जिला परिषद् की सड़कों पर कार्यरत मजदूर, घेलदार व मेठों को स्थायी करने के संबंध में ।

28–फसल का बीमा योजना लागू करने के संबंध में ।

29–सूखा एवं बाढ़ से निपटने के लिये स्थायी योजना बनाने के संबंध में ।

30–खराब नलकूपों को ठीक करने एवं नालियों को बनानेके संबंध में ।

31–छोटे किसानों को सस्ती बिजली , सस्ता पानी, सस्ती खाद तथा कीटनाशक दवा देने के संबंध में ।

32–महिलाओं तथा हरिजनों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के संबंध में ।

33–सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त या दुरुस्त करने के संबंध में ।

34–देवरिया जनपद में–

(क) कृषि विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में,

(ख) भाटपाररानी को तहसील बनाने के संबंध में,

(ग) सलेमपुर में मुन्सिफी न्यायालय खोलने के संबंध में,

(घ) भाटपाररानी में पेपर मिल खोलने के संबंध में,

(ड) भटनी में नई चीनी मिल के निर्माण को तत्काल चालू करने के संबंध में,

(च) बनकटा में राजकीय कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के संबंध में,

(छ) भाटपाररानी क्षेत्र में मसाला उद्योग स्थापित करने के संबंध में ।

35–जिला देवरिया तहसील सलेमपुर के गांव सोहनपुर, रामपुर, रामपुर बाजार, भिगारी बाजार, बंगरा बाजार तथा

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

घांटी बाजार को टाउन एरिया घोषित करने के संबंध में ।

36–देवरिया जनपद के ब्लाक भटनी के अंतर्गत खतुवा नदी पर खैराट तथा वलुवा अफगान व रायवारी में पक्का पुल बनाने के संबंध में तथा झाही नाले पर बंकुल घाट का पुल बनानेके संबंध में ।

37–दवरिया जिले के बनकटा ब्लाक में विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के संबंध में ।

38–देवरिया जनपद के नूनखार, सठियांव, डूपरी, कुकुर घाटी, रघुनाथपुर भिंगारी बाजार, खामपार, प्रतापपुर तथा सोहनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों का पक्का भवन बनाने के संबंध में ।

39–राज्य विद्युत परिषद् द्वारा देवरिया जिले में ट्रांसफारमर, खम्भे, कण्डक्टर आदि की कमी को दूर करने के संबंध में ।

40–भाटपाररानी क्षेत्र में पालीटेक्निक स्कूल खोलने के संबंध में ।

41–देवरिया जिले के भटनी एवं भाटपाररानी में पेयजल योजना के अधूरे निर्माण को पूरा कर चालू करने के संबंध में ।

42–जंगल पार्टी की समस्या की समाप्ति हेतु देवरिया जनपद उ० प्र० तथा बिहार सीमा के बीच पक्की सड़कों का निर्माण तथा बिजली लगाने के संबंध में ।

43–देवरिया जनपद में प्राइमरी स्कूलों तथा माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के वृद्धि को देखते हुये तत्काल अध्यापकों की भर्ती करने के संबंध में ।

44–देवरिया जनपद के सभी नदियों को गहरा किया जाय तथा उसे पक्की नहरीकरण योजना में बदलने के संबंध में ।

45–देवरिया जनपद के ब्लाक भटनी में खनुवा नदी पर ग्राम विन्दवलिया तथा धर्मखोर दुबे तथा छोटी गंडक नदी पर ग्राम मटिचौरा, सठियांव, तेनुवा तथा बनकटा शिव व बनकटा तिवारी में ठोकर बनाने के संबंध में ।

46–देवरिया जनपद के बनकटा, भाटपाररानी एवं भटनी ब्लाकों के गांवों में प्राथमिकता के आधार पर नलकूप तथा बिजली लगाने के संबंध में ।

47–देवरिया जनपद में वैकुन्ठपुर से भवानीछापर प्रतापपुर-रायपुर बुजुर्ग होते हुये हगपुरा तक बिहार सीमा की

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

वाउन्ड्री पर सड़क को बनाने के संबंध में ।

48-भाटपाररानी जिला देवरिया में खनुवा नदी के किनारे बांध तथा रैगलेटर का कार्य पूरा करने के संबंध में ।

49-भाटपाररानी विधान सभा क्षेत्र में अधूरे सड़कों को पूरा करने के संबंध में ।

50-न्याय पंचायतों के गठन के संबंध में ।

51-देवरिया जिले के बनकटा, भाटपाररानी एवं भटनी ब्लाकों में महिला हाईस्कूल खोलने के संबंध में ।

7-श्री सुरेश प्रताप — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-आगरा मण्डल के सभी जनपदों को पूर्ण रूप से सूखाग्रस्त मानकर पेयजल की विशेष व्यवस्था करने तथा सूखा राहत कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में ।

2-अलीगढ़ जनपद के सुलेमपुर पैट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना के लिये आवश्यक पूर्व संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का विकास करने तथा राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली पहल के संबंध में।

3-प्रदेश में 1500 से अधिक जनसंख्या (सन् 1971)के सभी ग्रामों को पक्का मार्गों से जोड़ने की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप अलीगढ़ जनपद के ग्राम नगरिया पट्टी देवरा तथा ग्राम कपशिया के लिये मार्ग निर्मित करने के संबंध में ।

4-अलीगढ़ जनपद की सिकन्द्रा राऊ तहसील में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना तथा सिकन्दराराऊ नगर में राजकीय डिग्री कालेज खोलने के संबंध में ।

5-रसायनिक उर्वरकों के मूल्य में एक साथ हुई असामान्य वृद्धि के बाद कृषकों को राहत देने हेतु पूर्व मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु विशेष अनुदान की व्यवस्था करने के संबंध में ।

6-अलीगढ़ नगर में रामघाट रोड रेलवे क्रासिंग पर अपरगामी पुल निर्मित करने के संबंध में ।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7–अलीगढ़ जनपद में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध में ।
8	श्री रामस्वरूप वर्मा	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में व्याप्त सूखे से निपटने के लिये प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करना ।

2–खेती में साधन रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं जैसे खेती के औजार, ट्रैक्टर, खाद बीज, डीजल, कीटनाशक औषधियां आदि प्रदेशीय सरकारी करों से मुक्त रखना ।

3–अछूतों, हरिजन व प्रजाजनों के निरादर एवं दरिद्रता का एक साथ नाश करने के लिये सरकारी वन भूमि बंजर आदि पर इंसानी बस्ती बसाना ।

4–आठवें तक की शिक्षा अनिवार्य और सारी शिक्षा मुफ्त, राष्ट्रीय कृत व मानववादी करना ।

5–अमरहट पम्प कैनाल जिला कानपुर देहात के 610 क्यूसेक्स की पम्प नहर के द्वितीय चरण का निर्माण करना तथा प्रदेश की सारी सिंचन योग्य असिंचित भूमि को सींचने के लिये काल वृद्ध योजना बनाना ।

6–बोधिसत्व बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेदकर का सारा साहित्य प्रदेश के हरिजन छात्रावासों, हरिजन पुस्तकालयों अनुदान प्राप्त सरकारी पुस्तकालयों और सरकारी पुस्तकालयों में अनिवार्य रूप से रखा जाना तथा संविधान विरोधी पुस्तकों को जब्त करना ।

7–15 अगस्त, 1947 से पूर्व जो पूजा स्थल जिसका था उसे उसी स्थिति में बहाल रखना ।

8–मण्डल कमीशन रिपोर्ट अविलम्ब लागू करना ।

9–गन्ने के लाभकारी मूल्य किसानों को उपलब्ध कराने सस्ती, चीनी तैयार करने, विदेशी मुद्रा बचाने, हजारों लोगों को काम पर लगाने तथा पैटोल का विकल्प तैयार करने के लिये प्रदेश में व्यापक पैमाने पर चीनी संस्थान (शुगर काम्पलेक्स) स्थापित करना।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10–समस्त सरकारी उपक्रमों को लाभ के साथ जनहित में चलाने के लिये जनता के लिये उनका समाजीकरण किया जाना जिसमें धनदाता (सरकार) उत्पादक (मजदूर आदि) तथा उपभोक्ता तीनों की प्रबन्ध में समान भागीदार हो ।
		11–प्रदेश के समस्त किसानों और कामगारों के सरकारी ऋणों को स्थगित करना और सूखा कार्य काल का ब्याज माफ करना ।
		12–सूखाग्रस्त किसानों के पशुओं के चारे की व्यवस्था करना ।
		13–प्रदेश के हर गांव का विद्युतीकरण पांच वर्ष के अन्दर करना ।
		14–प्रदेश के हर गांव को कच्ची सड़क द्वारा पक्की सड़क से जोड़ना, ताकि हर व्यक्ति जिला केन्द्र तक आसानी से पहुँच सके ।
		15–कत्ल, डकैती, राहजनी और फर्जी मुठभेड़ों पर नियन्त्रण करना ।"
9–धनीराम वर्मा		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ा जावे ।
		2–जिन व्यक्तियों की आय 500 रु० प्रतिमाह से कम है उनके बच्चों की नि:शुल्क वस्त्र एवं भोजन की व्यवस्था की जावे ।
		3–प्रदेश की जिन तहसीलों में महाविद्यालय नहीं है वहां राजकीय महाविद्यालय खोले जावें ।
		4–प्रदेश के समस्त स्थाई मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों, हाईस्कूलों, इण्टर कालेजों को सहायता प्राप्त विद्यालय घोषित किये जावें क्योंकि पिछली सरकार ने इण्टर तक की नि:शुल्क शिक्षा घोषित की थी ।
		5–वित्त विहीन मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों, इण्टर कालेजों को सवित्त मान्यता प्राप्त घोषित किया जावे ।
		6–जूनियर हाई स्कूलों की मान्यताओं की शर्तों में शिथिलता की जावे ।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

7–प्रत्येक सहायता प्राप्त इण्टर कालेज में एकाउन्टेन्ट पद सृजित किया जावे ।

8–समस्त सम्बद्ध प्राइमरी पाठशालाओं को चाहे वे जूनियर हाईस्कूलों से सम्बद्ध हो या हाईस्कूलों एवं इण्टर कालेजों से सम्बद्ध हों उन्हें सहायता प्राप्त घोषित किया जावें क्योंकि राज्य सरकार ने प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क घोषित की थी ।

9–व्यक्तिगत प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित वाचनालयों एवं पुस्तकालयों पर राज्य सरकार को प्रदेश के बजट का 5 प्रतिशत धन व्यय की जावे ।

10–ऐसी सभी ग्रामों का विद्युतीकरण अनिवार्य रूप से करवाया जावे जहां इण्टर कालेज चल रहे हैं भले ही वह उपग्राम हों ।

11–राजवहो में पूर्व निर्धारित क्षमता के अनुसार पानी छोड़ा जावे ।

12–इस वर्ष सूखा के कारण जायद की फसलें एवं धान की फसलें सूख गई हैं अस्तु जायद व खरीफ की फसलों की सिंचाई माफ की जावे ।

13–समस्त बकाया लगान एवं आबपासी माफ की जावे ।

14–प्रदेश के अक्टूबर 1986 के बाद का सभी छोटे दुकानदारों का एवं बैल, भैंस खरीदने से संबंधित तथा 5 एकड़ से कम जोत वाले किसानों का ऋण माफ किया जावे ।

15–प्रदेश के प्रत्येक ग्राम का विद्युतीकरण किया जावे । चाहे ग्राम हो या उपग्राम ।

16–ऋणों की वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही न की जावे न ही खेत और खाने पीने का सामान कुर्क किया जावे ।

17–फसल बीमा अनिवार्य रुप से लागू किया जावे ।

18–प्रत्येक ऐसे ग्रामों में जहां इण्टर कालेज हों चिकित्सालय खोला जावे ।

19–जिन नम्बरी ग्रामों की मतदाता संख्या 250 से अधिक हो गयी है नियमानुसार पृथक ग्राम सभा घोषित की जावे ।

20–नालों की सफाई 15 जून से पहले कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

21–भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदे के अनुसार सबको रोटी सबको काम दिलाया जावे ।

22–प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक कुटीर उद्योग एवं अदालत पंचायत स्तर पर लघु उद्योग एवं ब्लाक स्तर पर बड़ा उद्योग धंधा स्थापित किया जावे ।

23–500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जावे ।

24–वार्षिक परीक्षाओं के समय 24 घण्टे बिजली दी जावे ।

25–प्रत्येक खेत को पानी देने हेतु योजना घोषित करके कार्य आरम्भ किया जावे ।

26–गेहूँ का मूल्य 400 रु० कुन्तल एवं धान का समर्थन मूल्य 300 रु० कुन्तल घोषित किया जावे ।

27–सजपा सरकार द्वारा घोषित प्रत्येक ब्लाक में भूमि सेना का गठन किया जावे ।

28–उद्योग शुन्य तहसीलों में डेयरी फार्म खुलवाये जावे ।

29–हमारे निर्वाचन क्षेत्र विधुना में बहने वाली अहनैया नदी पर ग्राम सलेमपुर के निकट एवं अरिन्द नदी पर पिपरौलिया एवं लखना घाटों पर पुल बनवाये जावे ।

30–शहरी क्षेत्रों की तरह ही देहाती क्षेत्रों में भी प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1 किलो शकर दी जावे ।

31–खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनवाई गयी सड़कों को पक्का कराया जावे ।

32–5 एकड़ से कम भूमि वाले सभी वृद्धों को 150 रु० प्रतिमाह पेन्शन दी जावे ।

33–प्रदेश के सभी विधवाओं एवं अपंगों को अनिवार्य रुप से 150 रु० प्रतिमाह पेन्शन दी जावे ।

34–मंडल आयोग एवं कौशिक आयोग अविलम्ब लागू किया जावे ।

35–भूमिहीन तथा 250 रु० प्रतिमाह से कम आमदनी वाले व्यक्ति को निःशुल्क आवास बनाया जावे ।

36–भिक्षा मांग कर पेट पालने वाली जातियों को स्थाई रूप से बसाया जावे तथा उन्हें योग्यतानुसार रोजगार दिया जावे ।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		37–वर्तमान सरकार के समय में आई फर्जी मुठभेड़ों की बाढ़ को रोका जावे एवं फर्जी मुठभेड़ों की जांच अवकाश प्राप्त किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करवाई जावे ।
'0	श्री शिवलाल पासी	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–आधारीय और प्रमाणित कृषि बीजों रासायनिक उर्वरकों का दाम घटाकर कृषि उपज में गुणात्मक वृद्धि करने के संबंध में ।

2–सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिये ली जाने वाली भूमि का प्रतिकर (मुआवजा) निश्चित कर करोंड़ों रुपए के अवरुद्ध सम्पर्क मार्गों के अविलम्ब निर्माण के संबंध में ।

3–भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की आवंटित कृषि भूमि पर अनाधिकार काबिजों से क्राप कटिंग के आकड़े के आधार पर उपज का मूल्य निश्चित कराकर माल गुजारी की भांति वसूली कराके आवन्टी को प्रतिकर दिलाने के संबंध में ।

4–निश्चित अवधि के भीतर प्रदेश के समस्त विभागों की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के नौकरी के आरक्षित कोटे को पूरा किये जाने के संबंध में ।

5–प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों के (1)ग्राम प्रधान (2) ब्लाक प्रमुख (3) अध्यक्ष जिला परिषद् (4) चेयर मैन टाउन एरिया, (5) अध्यक्ष नगर पालिका (6) नगर प्रमुख, नगर महापालिका जैसे शीर्ष पदों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण नीति लागू किये जाने के संबंध में ।

6–न्याय पंचायत विकास खण्ड और जिला स्तर पर श्रेणीवार आश्रम पद्धति के स्कूल खोले जाने के संबंध में ।

7–प्रत्येक सरकारी/अर्धसरकारी विभागों में होने वाले मिट्टी के काम का ठेका केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आवंटित कर उसके सम्पादन हेतु ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में ।

8–विधान सभा क्षेत्र सलोन जनपद रायबरेली में निम्नलिखित अर्धनिर्मित सड़कों के तारकोल लेपन स्तर तक निर्मित कर पूरा कराये जाने के संबंध में ।

कंपोसंग व्यवस्थापक का नाम

(1) डीह फुर्सत गंज वाया टेकारी दांदू ।
(2) डीह परदसेपुर वाया वीरगंज ।
(3) नसीराबाद सर्रायमानिक वाया खिरनांव वीरगंज ।
(4) गांधीनगर छतोह वाया परईया नमक सार ।
(5) बाबूगंज (सुल्तानपुर) पूरेराई (रायबरेली) वाया अद्दूमऊ ।
(6) नसीराबाद सण्डहा वाया परईया नमकसार ।
(7) पारी धौरहरा वाया गुड़वा हसनपुर ।
(8) रायबरेली प्रतापगढ़ रोड से जौदहा सड़क ।
(9) सलोन ऊंचाहार रोड से ममुनी गोड़वा हसनपुर ।
(10) नसीराबाद कुंअरमऊ वाया बेदौना ।
(11) नसीराबाद सण्डहा वाया परईय नमकसार ।
(12) रायबरेली प्रतापगढ़ रोड से कमाल गंज इच्छन गोड़ा वाया रामपुरकसिहा ।
(13) करहिया बाजार से कानहपुर और बैरमपुर ।
(14) प्रतापगढ़ रोड से किठांवों मोहन गंज तक ।
(15) प्रतापगढ़ रोड से मोहनगंज पालहीपुर धरई पनाह नगर ।
(16) जायस सलोन रोड से साण्डा सैदन, बरवलिया रोड ।
(17) रायबरेली प्रतापगढ़ रोड से मढिया वाया गढ़ी इस्लाम नगर रोड ।

9–जनपद रायबरेली के विकास खण्ड बहादुरपुर और विकास खण्ड छतौह के मट्टन नाले पर -(1) ग्राम मयई आलमपुर (2) हरीरामपुर टिट्रा (3) रजियापुर के पास पुलों के निर्माण के संबंध में ।

10–विकास खण्ड सलोन जनपद रायबरेली में सईनदी के राजघाट पर पुल के निर्माण के संबंध में ।

11–ग्राम सहरी (विन्ध्यागंज) विकास खण्ड सलोन जनपद रायबरेली की पश्चिमी हरिजन आबादी व खेतों से मिले तालाब से सलोन रजबहा को पार कर क्षोभ नाले तक ढाई किलोमीटर नाले के निर्माण के संबंध में ।

12–सलोन रजबहा जनपद रायबरेली अपनी टेल पर सैकड़ों एकड़उपजाऊ भूमि सई नदी को बहा ले जा रही है का 1.5 किलोमीटर टेल पक्का कराने के संबंध में ।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13–गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए ग़रीबों को दिये गये सभी प्रकार के ऋण माफ कराने के संबंध में ।
		14–प्राय: विद्युत लाइन से खेत-खलियान और गांव के गांव जलकर राख हो जाते हैं के प्रभावी बचाव के संबंध में ।
		15–जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सलोन में कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध में ।
		16–(1) मसीरावाद विकास खण्ड छतोह (2) सूची विकास खण्ड सलोन में राजकीय हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में ।
		17–ग्राम कचनावां विकास खण्ड-डीह में सई नदी से लिफ्ट सिचाई योजना के अन्तर्गत पम्प कैनाल निर्मित कराये जाने के संबंध में ।
		18–राजकीय इण्टर कालेज जायस जनपद रायबरेली के हाई स्कूल की कक्षाओं में विज्ञान वर्ग विषय खोले जाने के संबंध में ।
		19–राजकीय इण्टर कालेज जायस रायबरेली के अर्धनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला को पूरा कराये जाने के संबंध में ।
		20–ग्राम भगवान पुर बढ़ईया की हरिजन आबादी के ऊपरी से धौरहरा जा रही विद्युत लाइन हटाये जाने के संबंध में ।
11	श्री बच्चा पाठक	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने संबंध में ।
		2–खाद की कीमत में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को समाप्त करने के संबंध में ।
		3–अत्याधिक मंहगाई और बेरोजगारी के संबंध में ।
		4–स्थानान्तरणों में घोर भ्रष्टाचार के संबंध में ।
		5–कृषि को उद्योग का प्रमुख दर्जा घोषित करने के संबंध में ।
		6–पूर्वान्चल के विकास के संबंध में ।
		7–चोरी, डकैती, कत्ल, व राहजनी रोकने के संबंध में ।
		8–जनपद बलिया में सड़क, उद्योग को ठीक कराने व लगाने के संबंध में ।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
12	श्री राम ललित	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1—जिला बस्ती में विकास खण्ड समटौआ के अन्तर्गत शिवाघाट पुल का निर्माण कई वर्षों से अधूरा है इस पुल के कुल पांच पोल हैं जिसमें तीन पोल तैयार हो गये हैं इस पुल का निर्माण राज्य सेतु निगम द्वारा हो रहा है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है इसकी कार्य पूर्ति मार्च 1990 तक होना था को पूर्ण कराये जाने के संबंध में ।

2—बस्ती जिले में वाल्टरगंज गौर मार्ग पर टिनिच रेलवे स्टेशन से पहले एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कराने के संबंध में ।

3—जनपद बस्ती में सोनहा एक नवसृजित तहसील है । तहसील को जोड़ने वाली निम्न महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण तथा अन्य समस्याओं के संबंध में ।

(क) महनुआ-दसिया 12 किमी० मिट्टी लेपन स्तर

(ख) नरखोरिया से मझारी होते हुए पिरैला 6 किमी० मिट्टी के लेपन स्तर.

(ग) सल्टौवा से रूदलापुर 6 किमी० होते हुए मुड़रवा मिट्टी के लेपन स्तर

(घ) पठखैली से मझौवा 6किमी० समाल सिंह होते हुए आगे तक मिट्टी से लेपन स्तर

4—विकास खण्ड साउघाट में मभौंआमीर से हनुमानगंज 6किमी० मिट्टी से लेपन स्तर ।

5—तरेता से पकरी जई होते आगे तक 8किमी० मिट्टी से लेपन स्तर कराने के संबंध में ।

6—रेरूआ नाले पर पुल बनवाने के संबंध में ।

7—विकास खण्ड समटौवा, रामनगर और सांऊघाट में कुल लगभग 100 नलकूप हैं जिनमें से लगभग 40 नलकूप बंद पड़े हैं को ठीक कराने के संबंध में ।

8—विकास खण्ड समटौवा, रामनगर, सांऊघाट में कम से कम 25 नलकूपों का निर्माण किये जाने के संबंध में ।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

9–सूखे के कारण रामनगर

विधान सभा के तीनों विकास खण्ड क्रमशः सल्टौवा रामनगर, साऊधार में जल स्तर नीचा हो गया है। अतः प्रत्येक गांव में तथा आबादी वाले चौराहों पर दो-दो नलों की व्यवस्था के संबंध में।

10–तीनों विकास खण्ड क्रमशः सल्टोवा, रामनगर, साऊधार सूखे की चपेट में हैं लगभग 80 प्रतिशत की क्षति हुई है जिसकी सूचना जिला अधिकारी द्वारा शासन के पास आई है; अतः तीनों विकास खण्ड सूखाग्रस्त घोषित किये के संबंध में।

11–विकास खण्ड साऊधार में थाना वाल्टरगंज के अन्तर्गत तरेना ग्राम वासियों सिद्धार्थ नगर के खेसहरा थाने की पुलिस द्वारा उत्पीड़न समाप्त करने तथा वहां से पुलिस बल हटाने के संबंध में।

12–विस्तार में कनेक्शन लेने के लिए बिजली के पोल फ्री दिये जाने अथवा 15प्रतिशत रिर्टन की योजना और हो सके तो पोल फ्री दिये जाने के संबंध में।

13–श्री योगेश चन्द मिश्र प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–तहसील ज्ञानपुर व भदोही को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने।

2–भदोही को तत्काल जिला घोषित कर जिलाधिकारी की नियुक्ति की जाय ताकि जनता के विचारों का आदर हो सके।

3–कृषि सिचाई हेतु ज्ञानपुर एम्प कैनाल से जिन गावों में माइनर नहीं गया है उसका सर्वे कराकर तत्काल निर्माण।

4–तहसील ज्ञानपुर व भदोही में ग्रामीण क्षेत्र एवं टाउन एरिया व नगरपालिका में पेय जल की कमी से आम जनता के सामने घोर संकट उत्पन्न हो जाता है। समस्याओं के समाधान हेतु जल निगम के द्वारा आवश्यकतानुसार नलकूप लगाने।

5–प्रत्येक पांच न्याय पंचायतों के बीच में एक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6–दोनों तहसीलों में मलेरिया बुखार का बड़ा प्रकोप है जिसकी वजह से काफी लोग बीमार पड़े हैं उनके खून की जांच कराकर दवा तथा क्षेत्र में डी०डी०टी० का छिड़काव कराने का आदेश देने ।
		7–शिक्षित बेरोजगारों के जीविकोपार्जन हेतु शासन द्वारा समस्याओं को हल कराने के उपाय ।
		8–कालीन उद्योग में कार्यरत मजदूरों के सारे विवादों को तत्काल निपटारा करने हेतु श्रम न्यायालय को आदेश दिया जाय तथा कालीन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु शासन की ओर से उत्पादको को प्रदेश स्तर पर प्रोत्सादन हेतु सुविधा ।
		9–ज्ञान पुर तहसील में एक छोटा पावर हाउस गिर्द बड़ा गांव में तथा भदोही तहसील के ग्राम दरूनहा या गोंडापार में लगाने की व्यवस्था करने के संबंध में ।
		10–काशी नरेश महाविद्यालय ज्ञानपुर में बी० एड० एवं एल०एल०बी० की कक्षायें चलाने के संबंध में ।
		11–पूर्व सरकारों द्वारा अधूरे कामों को पूरा करने हेतु उचित धन आवंटन करने तथा पूर्ण कराने की व्यवस्था करने के संबंध में ।
		12–काशी सहकारी चीनी मिल में कृषकों द्वारा दिये गये गन्ने का मूल्य बकाया तत्काल भुगतान करने का आदेश दिये जाने के संबंध में ।"
14–श्री लीलाराम शर्मा		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने की कोई योजना,

2–पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उचित संशोधन हेतु प्रस्ताव,

3–पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक बेरोजगारी, गरीबी को समाप्त करने तथा पर्वतीय क्षेत्र के विकास की किसी ठोस योजना,

4–पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी-बूटियां, खनिज, पदार्थों के विकास के बारे में,

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5–पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पर्वतीय रोजगार के विकास की रूपरेखा, 6–पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं, लघु जल विद्युत योजनाओं तथा ऊर्जा उत्पादन की योजनाओं को पूरा किये ज़ाने की कोई समयबद्ध योजना, 7–पर्वतीय क्षेत्रों में फलों, लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के संबंध में स्पष्ट उल्लेख ।"
15–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–पूर्वांचल राज्य गठित करने । 2–पर्वतीय विकास परिषद् की भांति पूर्वांचल विकास परिषद् गठित करने । 3–पर्वतीय विकास परिषद् की भांति बुन्देलखण्ड विकास परिषद् गठित करने । 4–बेरोजगार युवकों को रोजगार दिये जाने की गारण्टी । 5–छात्रों के प्रवेश संबंधी कठिनाईयों/समस्याओं के निराकरण । 6–राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने की घोषणा । 7–बढ़ते आंतकवाद को समाप्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने । 8–पीलीभीत हत्याकाण्ड के दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की घोषणा । 9–बढ़ती मंहगाई को रोकने । 10–प्रदेश के सूखाग्रसत जनपदों को सूखागसित घोषित किये जाने, पर्याप्त राहत दिये जाने एवं ग्रामीण मजदूरों में भुखमरी से बचाने संबंधी कार्य । 11–ग्रामीय पेयजल समस्याओं के समाधान ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

12–बलिया जनपद में प्रतिवर्ष बाढ़ से हो रही बरबादी से बचाने के उपाय ।

13–बलिया जनपद में बड़े उद्योग खोलने ।

14–किसानों को खादों की सबसिडी पूर्ववत जारी रखने ।

15–सुरहाातालकों को पर्यटन के न्द्र बनाने ।

16–सूखे के कारण बलिया में शिक्षा शुल्क माफ करने एवं सभी वसूली स्थगित करने ।

17–बलिया के हासनगर और भोजपुर के नैनीजोर भूमि विाद के स्थाई हल ।

18–स्थानीय निकायों में सुधार के लिये नये कानून बनाने का घोषणा ।

19–बलिया में शहीद विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा ।

20–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं छात्रों की सुरक्षा ।

21–वृद्धा, विधवा, विकलांगों के पेंशन में वृद्धि ।

22–समाज के कमजोर वर्ग पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को प्रभावी ढंग से रोकने का उपाय ।

23–मण्डल आयोग को तुरन्त लागू किये जाने की घोषणा ।

24–अल्पसंख्यकों में व्याप्त असुरक्षा की भावना को समाप्त करने ।

25–खेतिहर मजदूरों के पारिश्रमिक में वृद्धि ।

26–शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी तथा तदर्थ कर्मचारियों व शिक्षकों को नियमित किये जाने ।"

16–श्री राम गोविन्द चौधरी	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–	

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–पूरे प्रदेश सहित बलिया जनपद को अकाल क्षेत्र घोषित ।

2–प्रदेश के किसानों को लगान, बिजली का बिल एवं किसान संबंधी लिये गये सभी तरह के कार्यों को माफ करने,

क्र० सं० प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

3–बढ़े हुये खाद के दाम के लिये शत प्रतिशत किसानों कृ सब्सीडी देने,

4–प्रदेश के जिन ग्रामों में सूखे के कारण कुंये सूख गये हैं, हैण्ड पम्प पानी देना बंद कर दिये हैं वहां जनता को टैंकर से पानी के लिये पानी का प्रबंध करने,

5–प्रदेश के मजदूरों खासकर कृषि मजदूरों का भूखमरी से बचाने के लिये तुरन्त राहत कार्य चलाना तथा अनाज बांटने के लिये व्यवस्था करना ।

6–पूरे प्रदेश में ग्रामों में चलने वाली सस्ते गल्ले की दुकानों पर चावल, गेंहू एवं मोटे अनाजों की तत्काल व्यवस्था करना या बेरोजगारी भत्ता देने,

7–शिक्षित बेरोजगार युवकों को तत्काल रोजगार की व्यवस्थ करना या बेरोजगारों भत्ता देने,

8–डिप्लोमा इंजीनियर्स को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराना और जिनकी उम्र के नौकरी के अभाव में बीत चुकी है उनको जब तक नौकरी न मिले उम्र में छूट देने,

9–बी० टी० बेरोजगार युवकों को तत्काल नौकरी देने,

10–आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है उन्हें तत्काल नौकरी दिलाये जाने की व्यवस्था करने,

11–बढ़ी हुयी मंहगाई को तत्काल समाप्त करने,

12–सरकारी नलकूप, निजी नलकूप, नहरें 24 घंटे चालू रहे उसके लिये 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने,

13–प्रदेश के खराब हुये सभी नलकूपों को ठीक करा कर चालू करने,

14–बलिया जनपद के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र में बाहरा नाले पर गौरी प्रसादपुर के बीच पुल निर्माण, सिधौली चकबहाउद्दीन के बीच पुल निर्माण, लकड़ा नाले पर गोपालपुर (मिटिया) उचेड़ा के बीच पुल का निर्माण, सरया चिलकहर (चौकारो) उचेड़ा के बीच पुल का निर्माण, सरया सुल्तानपुर के बीच पुल निर्माण, गोठवा-गोठाई के पास पुल निर्माण के लिये जो पिछली सरकार ने स्वकृति के साथ पैसा का भी प्राविधान कर दिया था उससे तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने,

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15–बलिया जनपद के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक पन्द्रह में ग्राम सभा खडसरा, ग्राम सभा पूर के ग्राम बनकटा । चिलकहर ब्लाक के ग्राम कोढऊपुर, चिलकहर, सरया तथा नगरा ब्लाक के ग्राम सोनापाली में सरकारी नलकूप लगवाने की स्वीकृति के साथ ही धन का भी प्राविधान कर दिया गया था को तत्काल लगवाने की व्यवस्था करने,
		16–बलिया जनपद के रसड़ा चीनी मिल में किसानों के लाखों रुपया के बकाये की तत्काल भुगतान कराने,
		17–बलिया जनपद के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिलकहर के ग्राम सबरा, गोपालपुर जहां सभी कुंये, नल सूख गये हैं जिस कारण पीने का पानी जनता को नहीं मिल रहा है और हा-हाकार मचा हुआ है ।तत्काल टैंकर से पानी की व्यवस्था कराने के संबंध में ।"
17–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री बाबू खां		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–प्रदेश भंकर सूखे की चपेट में हैं । प्रदेश की जनता को मंहगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी की भट्टी में झोंका गया है ।
		2–प्रदेश को विकास की दिशा देने में शासन असमर्थ रहा है ।
		3–शासन द्वारा अल्पसंख्यकों में असुरक्षा एवं भय का वातावरण दूर करने के संबंध में ।
		4–अयोध्या बाबरी मस्जिद की सुरक्षा हेतु कोई उपाय नहीं किये गये ।
		5–ऋण राहत योजना के नाम पर किसानों एवं बुनकरों के साथ धोखाधड़ी की गयी है ।
		6–स्थानान्तरण नीति में परिवर्तन के संबंध में ।
		7–बिजली खाद की बढ़ी दरों ने किसान को झकझोर कर रख दिया है ।
		8–मण्डल आयोग की सिफारिशों को नकारकर सामाजिक न्याय का गला घोंटा गया है ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

9–दलितों, पिछड़ो एवं उच्च वर्ग के निर्धन लोगों के उत्थान हेतु नीति का निर्धारण नहीं किया गया है ।

10–किसानों मजदूरों, राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों एवं छात्रों की समस्याओं के निदान के मार्ग प्रशस्त नहीं किये गये हैं ।

11–कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गयी । डाला, चुर्क, चुनार सीमेंट फैक्ट्रियों में नरसंहार हुआ है ।

12–महिलाओं के उत्थान पर नकारात्मक रवैया अपनाया गया है ।

13–पूरे प्रदेश में पेयजल संकट दूर करने के कोई संकेत नहीं दिये गये हैं ।

14–आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली पूरी तरह विफल हुयी है ।

15–जनपद हरदोई के सर्वाधिक पिछड़े मल्लावां एवं शाहाबाद क्षेत्रों में विद्युत, सड़कों एवं सिंचाई साधनों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को ठीक करने के उपाय नहीं किये गये हैं ।"

18	श्रीमती ज्ञानवती सिंह	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–जिला अलीगढ़ क्षेत्र इगलास में नदी करबन पर नगला बलराम के पास टूटे पुल को बनाने के संबंध में । 2–सैलमपुर गांव कभी पुल नदी करबन नहीं है बनबाने की शीघ्र से शीघ्र प्रयास करने के संबंध में । 3–गांव रजावल के पास का भी टूटे पुल को बनाने के संबंध में । 4–गोंडा-भोरई रोड से नहर हाथरस ब्रांच से कैम्थल पुल से सड़क बिल्कुल टूटी हुयी है को ठीक कराने के संबंध में । 5–इगलास-अलीगढ़ की पक्की सड़क से रजवाहा गांव बसौली तक बनवानी की प्रक्रिया पूर्ण एवं इस पर फिर से मिट्टी और कंकड डलवाकर डामर लेपित किये जाने के संबंध में ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6–गांव रजावल से ढेटा गांव तक सड़क का निर्माण किये जाने के संबंध में ।
		7–गांव बसौली और निधौली जो अलग-अलग क्षेत्र में हैं प्रमुख सड़क से मिलाने के लिये कोई सड़क बनाने के क्षेत्र इगलास के संबंध में ।
		8–लड़कियों के लिये प्राइमरी पाठशालाओं का अत्यधिक अभाव शिक्षा का प्रतिशत शून्य है ।
		9–परिवार कल्याण केन्द्रों का अत्यधिक अभाव तथा फस्ट एड मेडिकल सेन्टर भी कही न होने के संबंध में ।
19	श्री लालजी वर्मा	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–दिन प्रति दिन बढ़ती हुई मंहगाई,

2–प्रदेश की दिन प्रति दिन गिरती हुई, विद्युत उत्पादन एवं विद्युत वितरण में चोरी को रोकने के तथा कृषकों एवं बुनकरों को समय पर विद्युत न दिये जाने,

3–प्रदेश में अवर्षण के कारण भीषण सूखे से 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाने एवं सिचाई हेतु नहरों में पानी न उलपब्ध होने तथा पेयजल के व्यवस्था,

4–प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थाओं में खाली पदों को भरे जाने,

5–श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी,

6–प्रदेश के बुनकरों के कर्जो को माफ किये जाने,

7–सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराये जाने,

8–संविधान की रक्षा शपथ लेने के बाद पूरे मंत्रिमंडल द्वारा शपथ को तोड़ने के बाद स्वतः त्याग-पत्र दे देना चाहिये ।

9–कृषि लागत व्यय को कम करने के लियल खाद्य, बीज, बिजली, पानी, कीटनाशक दवाओं और कृषि उपकरणों की दरों में कमी करने की घोषणा ।

10–मण्डल कमीशन के अनुसार आरक्षण कोटा को पूरा करने के लिये सक्षम कानून ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11-वाराणसी लुम्बनी मार्ग पर टाण्डा (फैजाबाद) में गाघरा नदी पर पुल बनाये जाने तथा 12-बुनकरों को सस्ते दर पर धागा एवं बिजली उपलब्ध कराने के संबंध में ।"
20	श्री राम पाल वर्मा	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-प्रदेश में सूखे की भीषण स्थिति से निपटने में प्रदेश सरकार की असफलता, 2-प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित न करने व राजस्व वसूली स्थगित न करने, 3-प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने, आतंकवाद को रोकने व हरिजन एवं निर्बल वर्ग पर हो रहे अत्याचारों, 4-मंहगाई कम करने व आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की गारण्टी न देने, 5-सिचाई साधनों का अभाव, खराब ट्यूबैलों की मरम्मत न होना किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न किये जाने, 6-जनपद हरदोई के विकास खण्ड-भरावन के अंतर्गत अतरौली में बहुप्रतिक्षित विद्युत उप केन्द्र के निर्माण एवं भटपुर घाट पर गोमती-नदी में पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा न किये जाने, 7-प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों का उत्पीड़न स्थानान्तरण उद्योग नीति के द्वारा करने, तथा 8-शिक्षित बेरोजगारों को जीवन यापन भत्ता न दिये जाने के संबंध में ।"
21	श्री बाबूराम यादव	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-प्रदेश में बदले की भावना से राजनैतिक कार्यकर्ताओं मुख्य रूप से जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाना ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2–मैनपुरी जनपद जो अति पिछड़ा जिला है उसके विकास हेत चीनी मिल की स्थापना, जिले को उद्योग शून्य घोषित करना शासन द्वारा रोकी गयी सड़कों का निर्माण,

3–करहल एवं बरनाहल विकास खण्डों में पीने के पानी के गम्भीर संकट को देखते हुये शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना।"

22 श्री राधेश्याम वर्मा — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपन आभभाषण म निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

1–जनपद बाराबंकी के ब्लाक पूरे डलई के अंतर्गत ज्योडी नाले पर पुल का अविलम्ब निर्माण कराया जाय ।

2–अलियावाद इण्टर कालेज अविलम्ब खोला जाय ।

23–श्री हरदेव सिंह — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

विकास खण्ड निन्दूरा बाराबंकी में राजकीय हाईस्कूल भवन निर्माण एवं कक्षायें खोलने की व्यवस्था की जाय ।"

24–श्री छोटेलाल यादव — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

1–बाराबंकी सुगर मिल का एक करोड़ रुपया किसानों का बकाया रुपया का भुगतान किया जाय ।

2–बाराबंकी स्पिनिंग मिल बाराबंकी में प्रबंधक द्वारा श्रमिकों का शोषण बंद किये जाने के संबंध में ।"

25–श्री राम कृष्ण — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

(1) सीतापुर जिले में विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा में दो वर्षो से स्वीकृत रामगढ़ चीनी मिल के कार्य प्रारम्भ का उल्लेख,

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(2) मछरेहटा जलालपुर पक्का मार्ग जो नीमसाार हरदोई को जोड़ता है रायपुर में सरायन नदी पर पुल बनाने,

(3) बनोमी से मधवापुर होते हुये बनिया मऊ तक पक्का मार्ग व बेतवा वाले पर पुल बनबाने,

(4) सिधौली मिश्रिख रोड से गोदलामऊ होते हुये देखा तक पक्का मार्ग बनाने,

(5) सन्दना सीतापुर में विद्युत सब स्टेशन बनाने,

(6) तखा से बकछरेखा तक पक्का मार्ग बनाने,

(7) नहांइया से कुरसी हिन्डौला तक पेन्टेड सड़क बनाने,

(8) सिधौली मिश्रिख रोड से सहौली होते हुये छूला शिवपुरी तक पक्का मार्ग तथा रसूलपुर में निरई नदी पर पुल बनाने,

(9) मधवा पुर से परसदा होते हुये मछरेहटा तक पेन्टेड मार्ग बनाने,

(10) नीमसार से औरंगाबाद तक शेष मार्ग बनाने

(11) 84 कोसी परिक्रमा जो नीमसार मिश्रिख होते हुये हरदोई जो हरैया घाट का मार्ग व पुल व पीने के पानी हेतु हैण्ड पम्प लगाने,

(12) मछरेहटा में हाई स्कूल का भवन बनाने,

(13) मछरेहटा में इन्टर व डिग्री कालेज खोलने,

(14) औरंगाबाद, सन्दना व मछरेहटा में टाऊन एरिया बनाने,

(15) सन्दना में मंडी परिषद् बनाने,

(16) मछरेहटा विधान सभा क्षेत्र में हरिजन बाहुल्य होते हुये भी गांवों के विद्युतीकरण व पानी हेतु हैण्ड पम्प लगाने,

(17) विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा में सिंचाई हेतु नलकूप लगाने,

(18) विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा में कुचलाई, उमरापुर व तैरवा पम्प नहरों को खत्म करके कलस्टर नलकूपों को लगाने,

(19) औरंगाबाद के दहेलरा होते हुये गोदलामऊ तक मार्ग पक्का कराने,

(20) नहोइया से कोढ़ावा होते हुये इस्माईलगंज तक मार्ग को पक्का कराने,

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(21) डेगर, कुचलाई,सहोली में राजकीय हाई स्कूल खोलने,
		(22) औरंगाबाद में राजकीय हाई स्कूल व इण्टर कालेज खोले जाने,
		(23) वीहट बीरम में राजकीय बालिका इन्टर कालेज खोलने,
		(24) नहोईया व सहौली में प्राथमिक पाठशाला गिर गये हैं बनाने,
		(25) कुचलाई, कुरसी, डेगर, सहोली, बरियवा,भिडौरा देहलरा सेनपुर, सौहगपुर (रामगढ़ पहला) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
		(26) ग्राम प्रधानों को सुरक्षा हेतु शस्त्रों के लाईसेन्स देने,
		(27) सीतापुर जनपद को सूखा ग्रस्त घोषित करने,
		(28) जिला सीतापुर में किसानों व गरीबों का बकाया सरकारी रूपयों की वसूली रोकने, तथा
		29–गोपाल पुर भट्टा से कुचलाई वैसौली होते हुये कनहरिया घाट तक पक्का बनाने का उल्लेख नहीं किया गया है ।"
26–श्री हृदय नारायण दीक्षित	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–	
	"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–	
	1–सरकार राम के नाम पर साम्प्रदायिक उन्माद बढ़ाने और अल्पसंख्यकों को भयग्रसत करने वाले सामाजिक राजनीतिक संगअनों से स्वयं को अलग रखेगी और इन संगठनों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संघर्ष करेगी ।	
	2–इटावा में व उन्नाव जिले में अपराधियों को महिमा मण्डित न करके कानून के बारे में दायरे में लाने की घोषणा	
	3–किसानों को उत्पादन लागत के अनुसार कृषि कार्य में प्रोत्साहन मूल्य दिलाने हेतु उत्पाद के घटकों की कीमत घटाने की घोषणा ।	
	4–सूखे से निपटने की युद्ध स्तर पर किसी कार्य योजना की शुरूआत ।	
	5–बेरोजगार युवकों को सेवायोजित करने के उद्देश्य से रोजगार के नये अवसरों के सृजन की किसी व्यावहारिक नीति की घोषणा ।	

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6–सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में ऊंच नीच व छूआ छूत के विरुद्ध किसी युद्ध स्तरीय कार्यक्रम की घोषणा । 7–अल्पसंख्यकों को भयुमुक्त करने के लिये किसी सुस्पष्ट आश्वासन की घोषणा । 8–मण्डल कमीशन की रपट से नयी सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा । 9–उन्नाव जिले को सूखाग्रसत करने । 10–उन्नाव जिले के पुरवा विधान सभा क्षेत्र की-- (क) सड़कों का निर्माण (ख) पुरवा सामुदायिक स्वास्थय भवन के निर्माण की गति तेज करना (ग) अशोहा में विद्युत पावर हाऊस बनाना (घ) क्षेत्र में डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में ।''
27.	श्री राम औतार शाक्य	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– (1) मैनपुरी ज़नपद को सूखा-क्षेत्र घोषित करने के संबंध में, (2) स्थानान्तरण के संबंध में भ्रष्टाचार होने तथा स्थानान्तरण जातिवाद के ग्रसित होने तथा बदले की भावना से किये जाने के संबंध में । (3) कस्बा भोगांव (336 भोगांव निर्वाचन) क्षेत्र में 100 चारपाई वाला अस्पताल बनाये जाने के संबंध में । (4) ईसन नदी पर ग्राम सलेमपुर पढ़ीना घाट पर क्षेत्र भोगांव में सेतु निर्माण के संबंध में । (5) मैनपुरी जनपद में ही भोगांव से हुमायुंपुर वाया राजघाट काली नदी पर सेतु निर्माण व सड़क निर्माण कर मोहम्मदाबाद क्षेत्र में स्थित बौद्ध तीर्थ संकिसा को जोड़ने के संबंध में । (6) राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रतीक संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जी० टी० रोड वेवर क्षेत्र भोगांव में स्थापित किये जाने के संबंध में । (7) क्षेत्र भोंगांव में चीनी मिल की स्थापना के संबंध में । (8) मैनपुरी जनपद को उद्योग शून्य घोषित किये जाने के संबंध में ।

क्रं० सं०	प्रस्ताव का नाम	संशोधन का रूप

(9) भोगांव क्षेत्र में आलू एवं लहसुन पर आधारित उद्योग स्थापित किये जाने के संबंध में ।

(10) बेवर में डिग्री कालेज (राजकीय) की स्थापना किये जाने के संबंध में ।

(11) भोगांव क्षेत्र में नवीगंज से मुढ़ई तक नवीगंज के कैथो जी तक, बेबर-कझौला-झालू से खरिजा नहर पतरी पर अहमलपुर तक, जी०टी० रोड वेवर-भोगाव के मध्य से पदमपुर छयोकरिया तक, लहलूपुर से ब्योतीखुर्द तक, छाछाजी जी० टी० रोड से न० दीपा होती हुई फर्दपुर-वीलो मार्ग तक, न० बिहारी से फर्थपुर-वीजों मार्ग से वीनापुर होती हुयी सुरजनपुर तक, विछवां-हभूखेड़ा मार्ग से इमाइदपुर होती हुई जरामई नगला-मितकर तक, व वेवर से दिखत, मई, गंगरवाला होती हुई जल्लापुर खदइया तक, वेवर इतावा मार्ग से निकलकर-गढ़िया होती हुई घृतारा तक फर्दपुर वीलो मार्ग से निकलकर अहिरवा, रामनगर नं० शीश होती हुई भोगांव तक, विछवा छन्नू खेड़ा मार्ग निकलकर मरहरी, गनेशपुर शहपुरा, नं० हिम्मत ह५ती बड़ेसुर से निकलकर लहरा तक पक्की सड़कों के निर्माण कराये जाने के संबंध में ।

(12) भोगांव क्षेत्र में बलरामुपर, सुरजननगर, सुल्तानगंज महली खोड़ा, मौजेपुर, गोविन्देपुर भवानी नगर, दलपतिपु पदमपुर छपे, धुतारा, ग्रामों में ट्यूबैल लगाये जाने के संबंध में ।

(13) वेवर ब्रांच नहराव वेवर फीडर पर मौजा तिसौल में नगला शिम्भू ब अन्य ग्रामवासियों की सुविधा हेतु फुटवा पर निर्माण कराये जाने के संबंध में ।

(14) वेबर में तहसील बनाये जाने के संबंध में ।

(15) भोगांव में मुंसिफि खोलने के संबंध में ।

(16) ग्राम नौरंगाबाद क्षेत्र भोगांव में राजकीय जूनियर हाई स्कूल की स्थापना के संबंध में ।

(17) ब्लाक सुलतानगंज में ग्राम महोली खेड़ा में 6 लाख रूपये की लागत से बने पुल का इस्तेमाल करने के लिये उसके दोनों किनारों पर मिट्टी डलवाने तथा भोगांव से इसी पुल से होकर गुजरने वाली कच्ची सड़क को गोविन्देपुर होती हुई पढ़ीना घाट तक पक्की सड़क बनाये जाने के संबंध में ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(18) मैनपुरी जनपद में बिजली से चलने वाले खराब नलकूपों को अविलम्ब ठीक कराने के संबंध में ।

(19) भोगांव विधान सभा क्षेत्र से सूखे के कारण वाटर लेविल नीचे पहुंच जाने के कारण विशेषत: ब्लाक वेवर एवं सुल्तानगंज में जल निगम के हैण्ड पम्प अधिक संख्या में लगाये जाने के संबंधमें ।

(20) भोगांव क्षेत्र में ग्रामीण अंचलों में बिजली की आवश्यकतानुसार आपूर्ति के संबंध में ।

(21) प्रदेश में राजनैतिक दुर्भावना से दुष्प्रेरित होकर पुलिस जुल्म एवं हत्याओं को रोकने एवं फर्जी एनकाउन्टर दिखाकर निर्दोष व्यक्तियों को जान से मारने की जांच कराये जाने के संबंध में ।

(22) ग्राम भोजपुर थाना कुरावली में गंगाराम जाटव व छोटे लाल शाक्य व अन्य जाति के लोगों के घरों की लूटपाट करने तथा उनकी शिकायत पर मुकदमा कायम न किये जाने के संबंध में ।

(23) भोगांव क्षेत्र में अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गो एवं कमजोर लोगों को जान से मारकर भय व आतंक का वातावरण फैलाकर जान से मारे जाने की साजिश के संबंध में ।

(24) भोगांव क्षेत्र में खुले आम कत्ल आम को रोके जाने के संबंध में ।

(25) किसानों की उनकी उपज का लाबकारी मूल्य दिलाने के संबंध में ।

(26) मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में ।

(27) सवर्णो के आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण कौशिक रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में ।

(28) अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गो एवं अनुसूचित जातियों के लोगों के विकास की राष्ट्रीय धारा से जोड़ने के संबंध में'' ।

28-श्री इम्तियाज अहमद — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

(1) बढ़ती हुई साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति, आपसी विद्वेष जिसके कारण समाज टूटने के कगार पर पहुंच गया है ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(2) कानून व्यवस्था की अति चिन्तनीय स्थिति, मजदूर किसान व अन्य मेहनतकश तबको के ऊपर पुलिस की बढ़ती ज्यादतियां तथा प्रदेश के जन जीवन में व्याप्त असुरक्षा एवं दहशत की भावना ।

(3) प्रदेश में कृषि के बाद सबसे बड़े घरेलु उद्योग हथकरघा एवं कुटीर पावरलूम उद्योग की भयंकर तबाही तथा इन उद्योगों में कार्यरत लाखों बुनकरों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की स्थिति, उच्च कोटि के धागों को बुनकरों को सस्ते दरो पर उपलब्ध कराना, एव बुनकरो के तैयार माल की निकासी सुनिश्चित करना ।

(4) पूर्वांचल के सबसे बड़े हथकरघा केन्द्र मऊ नाथ भंजन मे लाखो बुनकरों को तबाही से बचाने एवं हथकरघा कुटीर पावरलूम उद्योगों के संरक्षण के लिये एक छपाई व फिनिशिंग कारखाने की स्थापना ।

(5) प्रदेश में जिसमें मऊ जनपद सर्वाधिक प्रभावित जनपद है व्याप्त भयकर सूखा से प्रभावित किसानों के लिये फौरी राहत कार्यक्रम की घोषणा किसानों के सभी सरकारी व सहकारी देयों की माफी एवं मऊ जनपद को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना ।

(6) प्रदेश में स्थित कताई मिलों के श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण उनके कार्य स्थिति में सुधार एवं उनके वेतन व मंहगाई भत्ते में वृद्धि ।

(7) आजमगढ़ जनपद के संकट ग्रस्त मुबारकपुर स्थित रेशम कपड़ा उद्योग की सुरक्षा ।

(8) प्रदेश के प्रमुख हथकरघा एवं कुटीर, पावरलूम उद्योग मऊ नाथ भंजन में विद्युत की नियिमित आपूर्ति सुनिश्चित करना ।

(9) उ० प्र० हथकरघा निगम की मऊ नाथ स्थित सघन हथकरघा विकास परियोजना से सम्बद्ध बुनकरों एवं प्रदेश की अन्य हथकरघा विकास परियोजनाओं से सम्बद्ध बुनकरों को पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध कराना ।

(10) मऊ जनपद में घाघरा एवं टौस नदियों की बाढ़ से प्रतिवर्ष आने वाली तबाही से बचाने की ठोस योजना ।

(11) मऊ जनपद के मऊ नाथ भंजन नगर में यातायात की बढ़ती समस्या केनिराकरण के लिये टौस नदी पर बने बांध पर सड़क बनवाना एवं उसे नगर के मुख्य मार्ग से जोड़ना ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(12) मऊ जनपद के कोपागंज नगर में कृषि उत्पादन मंडी समिति भवन की स्थापना एवं उसे मुख्य सड़क से जोड़ना ।

(13) मऊ नगर के पश्चिमी इलाके में एक बड़े जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित करना ।

(14) मऊ जनपद के फतेहपुर मडाव स्थित ताल व रतनपुरा ब्लाक स्थित गाड़ा व इटौवा तालों व बसनही नाल से प्रतिवर्ष होने वाली लाखो एकड़ किसानों की फसलों की बर्बादी ।

(15) मऊ नाथ भंजन नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित रेवले क्रासिंग पर यातायात के लिये पुल बनाना ।

(16) नवसृजित जनपद मऊ के मुख्यालय मऊ नाथ भंजन नगर के समाज के कमजोर तबको के लिये आवासीय कालोनियों का निर्माण ।

(17) मऊ नगर में एक कन्या बालिका महाविद्यालय एवं रतनपुरा कोपागंज व परदहा ब्लाकों में कन्या इण्टर कालेजों की स्थापना ।

(18) मऊ जनपद में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों का त्वरित विद्युतीकरण ।

(19) मऊ जनपद के कोपागंज व परदहा ब्लाकों में जो अपि पिछड़े हैं, सड़कों का निर्माण करना व कच्ची सड़कों को पक्की बनाना ।

(20) मऊ जनपद में रतनपुरा ब्लाक स्थित ठैचा बाजार में पशु अस्पताल व ठैचा के दक्षिण टौस नदी पर रिंग बास बनाना ।

(21) मऊ जनपद के परदहा ब्लाक में जिसका बहुत बड़ा भाग ऊसर है, में भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करके ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना ।

(22) मऊ नगर की सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिये एक बड़े कम्युनिटी हाल तथा नगर में एक बड़े पार्क की स्थापना ।

(23) प्रदेश की शीर्षस्थ बुनकर सहकारी संस्था यूपिका द्वारा विगत 4 वर्षो से वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित न करना बुनकरों के इस संस्था पर वर्षो से लम्बित देयों का भुगतान न करना तथा बुनकरों के तैयार माल की नियमित खरीददारी एवं अच्छे धागों की आपूर्ति न करना ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(24) मऊ जनपद के कोपागंज ब्लाक में ग्राम चिस्तीपुर स्थिति चौड़े नाले पर पक्के पुल का निर्माण एवं कोपागंज ब्लाक में ही छोटी सरयू नदी की खुदाई करके हजारों हेक्टेयर फसलों को बरबाद होने से बचानाा ।

(25) मऊ जनपद के कोपागंज ब्लाक में शारदा सहायक की शाखा चौबेपुर ड्रेन की हेड प्वाइन्ट पर खुदाई करके किसानों को बरबादी से बचाने के संबंध में ।"

29-श्री डा० बृजभानयादव प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1 पूरे प्रदेश में अनावृष्टि है, अतः पूरा प्रदेश सूखाग्रस्त घोषित करके सूखा राहत पहुंचाने के संबंध में ।

2 भयंकर गर्मी के कारण कुयें तथा जलाशय का स्तर गिर जाने से उत्पन्न गंभीर पेय जल संकट के निदान के संबंध में ।

3-किसानों की इस दयनीय अवस्था में भी उर्वरकों का दाम 50 प्रतिशत बढ़ने से कृषकों में उत्पन्न हुये असंतोष के निराकरण के संबंध में ।

4-प्रदेश में सूखे के कारण फैली हुयी महामारी तथा इसके निदान के संबंध में ।

5-प्रदेश में अल्प संख्यक समुदाय में सुरक्षा की भावना स्थापित करने के संबंध में ।

6-इलाहाबाद जनपद में सैदाबाद-सिरसा मार्ग पर गंगा नदी में पुल बनवाने के संबंध में ।

7-भदोही क्षेत्र में कालीन बुनकरों को काम न मिलने के कारण फैली भुखमरी के संबंध में ।"

30-श्री विक्रमजीत मौर्य प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

1-यह कि पूरे प्रदेश में इस समय भीषण सूखे का संकट है । पूरा प्रदेश सूखा घोषित किया जाय तथा सूखा राहत कार्य अविलम्ब चालू किया जाय ।

2-सूखे से इलाहाबाद जिले में भीषण पेय जल की समस्या बनी हुई है । विशेष रूप से हमारे क्षेत्र प्रतापपुर में कुयें का पानी बिल्कुल सूख गया है । पेय जल की समस्या का तुरन्त समाधान किया जाय ।

3-विद्युत आपूर्ति गांवों में कम से कम 18 घंटे प्रतिदिन की जाय ।

4-स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया जाय कि हैजें बीमारियों की रोक थाम की जाय ।

5-खाद का दाम बढ़ने से रोका जाय ।

6-पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये जाये कि वे निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करें ।

7-क्षेत्र में प्रतापपुर में स्थित बरना नदी की खुदाई अविलम्ब चालू करायी जाय ।

8-क्षेत्र प्रतापपुर में वारी से जंघई के बीच अधूरे पुल का निर्माण तुरन्त कराया जाय ।

31 श्री मुन्ना चौहान — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1-जनपद देहरादून के चकराता वि० स० क्षेत्र (उ० प्र० का सर्वाधिक जनजाति आवादी वाला क्षेत्र) में जनजाति के लोगों को सूखे से राहत हेतु खाद्यानों में राज्य सहायता ।

2- जनपद-देहरादून के तहसील चकराता (इस क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत आवादी जनजाति की है) में प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की अनुपस्थिति की समस्या तथा स्थानीय युवक/युवतियों की अध्यापकों के पद पर नियुक्ति ।

3-देहरादून-विकास नगर मुख्य मार्ग पर पुलों का निर्माण ।

4-नया चकराता टाउन बसाना (प्लान बनाकर) तथा मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में विकास ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

5–जनपद देहरादून में भदरास (तहसील-देहरा) तथा रामताल गार्डन, नागथात, थाना डांडा व अन्य रमणीय स्थानों का पर्यटन की दृष्टि से विकास ।

6–जनपद-देहरादून के पछवाइन क्षेत्र तथा चकराता क्षेत्र में एक-एक महाविद्यालय खोलना ।

7–जनपद के पछवाइन क्षेत्र के विकास खण्ड-सहसपुर तथा विकास नगर में सघन विद्युतीकरण ।

8–जनपद के विकास खण्ड विकास नगर तथा सहसपुर में आसानपार क्षेत्र की पेयजल समस्या ।

9–विकास नगर पालिका क्षेत्र में सीवर लाइन ।

10–तहसील चकाराता (जहं पर लगभग 90 प्रतिशत जनजाति आवादी है) में एक आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना ।

11–पछवाइन क्षेत्र में (जनपद-देहरादून) में बोक्सा एवं अन्य जनजातियों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना ।

12–जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर में चिलियों लिफ्ट सिचाई योजना निर्माण ।

13–जाटोवाला (वि०ख० विकासनगर, जनपद-देहरादून) सिचाई नहर निर्माण ।

14–नागथात में लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण ।

15–पजीटीलानी क्षेत्र के समीपवर्ती ग्रामों की पेयजल योजना निर्माण ।

16–जनपद-देहरादून के तहसील-देहरादून के बिन्हार व कण्डी क्षेत्रों में सड़क निर्माण ।

17–जनपद-देहरादून के पछवाइन क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य ।

18–सेवला माजरा रोड से प्रतीतपुर धर्मावाला, आइवाला, मटकमाजरी से कुल्हाल सम्पर्क मार्ग निर्माण ।"

32–श्री स्वामी नाथ यादव

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न लिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–उत्तर प्रदेश के किसानों के राहत के लिये कोई ठोस योजना बनाई जाय ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2-देवरिया जनपद सहित पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय ।

3-पूरे प्रदेश में सूखे को देखते हुये राहत योजना शुरू करनेकी व्यवस्था की जाय तथा सम्पूर्ण सरकारी देयों की वसूली तत्काल बंद करायी जाय ।

4-देवरिया जनपद में छोटी नदी गण्डक के चुनकी घाट पर पुल का निर्माण कराया जाय जहां पूर्व में शिलान्यास हो चुका है ।

5-देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील के मुन्सिफी न्यायालय की स्वीकृति हो चुकी है । उसे तत्काल देवरिया से सलेमपुर स्थानान्तरित कराया जाय ।

6-सलेमपुर तहसील (देवरिया) के लारा में कागज का कारखाना प्रस्तावित है इसे लगाने हेतु राज्य सरकार कार्य शुरू करने की व्यवस्था करे ।

7-घाघरा नदी (देवरिया) के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाय ।

8-देवरिया रेलवे क्रासिंग के पश्चिमी ओवरब्रीज का निर्माण तत्काल पूरा कराया जाय ।

9-सलेमपुर (देवरिया) के मझाली रज में प्रस्तावित 30 शैया के अस्पताल का शुभारम्भ कराया जाय ।

10-भटनी से सलेमपुर (देवरिया) की सार्वजनिक निर्माण की सड़क को पक्की बनायी जाय ।

11-सवरेजी, नोनापार, दनउर-नोनापार तथा नोनापार से सलेमपुर की सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पक्की बनायी जाय तथा अधूरे निर्माण को पूरा किया जाय ।

12-देवरिया को सबसे पिछड़ी तहसील सलेमपुर के सब गांवों का विद्युतीकरण कराया जाय ।

13-मुसैला से मईल तथा सोनूघाट से बरहज की सड़क को जोड़ने वाली सड़क भलुअनी से महुई श्रीकान्त तक पक्की बनवायी जाय ।

14-दनउर के उसरहवा, मड़पही, मालीबारी बड़का गांव, नरगा, मझौलीराज भगड़ा, छोटका गांव, सलेमपुर क्षेत्र के सभी गांवों में सिंचाई की व्यवस्था हेतु नलकूप लगाया जाय ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15-सेवायोजन कार्यालय को सलेमपुर (देवरिया) स्थापित कराया जाय ।"
33	श्री किशोरीलाल यादव (जौनपुर)	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-पूरे प्रदेश में कक्षा 9 एवं 10 में विज्ञान अनिवार्य किया गया है, परन्तु अभी तक विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति न किये जाने के संबंध में,

2-पूर्वाचन में जो पिछड़े जिले हैं, उनके समुचित विकास के लिये कोई ठोस कदम उठाने का जिक्र नहीं है, हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के विकास एवं उनकी सुरक्षा के संबंध में यह जिक्र नहीं किया गया है कि किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जायेगी ।

3-माध्यमिक तथा उच्चतर कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदेश की समस्या विकराल है, उनके प्रदेश के लिये न तो यह जिक्र किया गया है, किस प्रकार प्रवेश दिलाया जायेगा, और न ही नये विद्यालय खोलने का उल्लेख किया गया है ।

4-शिक्षा की क्या नीति होगी, इसके बारेमें कोई जिक्र नहीं किया गया है । पूरे प्रदेश में शिक्षित, बेरोजगारों के लिये किस प्रकार से रोजगार दिया जायेगा [ ], इसका कोई जिक्र नहीं है । पिछड़े ब्लाकों एवं आदिवासी इलाकों में चिकित्सा की क्या पद्धति अपनायी जायेगी कि उनको उचित रूप से दवा बगैरह मिल सके, इसके बारे में कोई जक्र नहीं किया गया है । विद्युत उत्पादन और वितरण में जो असमानता है, उसको कैसे पूरा किया जायेगा इसका कोई जिक्र नहीं है ।

5-जौनपुर जिले में विधान सभा क्षेत्र मंडियांह, जो अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, जिसमें आज तक केवल 20 कि०मी० पिच रोड है और पेयजल की गम्भीर समस्या है, उसके लिये बजट में कोई प्राविधान किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

6--अप्रैल, 90 में जनपद बस्ती में रैपुरा विषाक्त भोजन काण्ड में मृतक कर्मचारी के सामूहिक बीमा योजना की धनराशि जो चेक सं० 2211074 दिनांक 9--4-91 द्वारा कमिश्नर, गोरखपुर को

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

उपलब्ध कराया गया है, का भुगतान मृतक के उत्तराधिकारी को तुरन्त करा दिया जायेगा ।

7-वर्ष 1988 के ग्राम केशवापुर, डाकखाना बमनी, तप्पा बां सखोर साऊ घाट, ब्लाक, जनपद-बस्ती के ग्राम वासियों द्वारा कृषि कार्य हेतु लिये गये कर्जो को 10,000 के सीमा की माफी के आदेशानुसार कर्ज माफ कर संबंधित कर्जदारों को अवगत कराया जायेगा ।

8-अभियोजन निदेशालय उ० प्र० चतुर्थ श्रेणी, कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु जून 91 में लिये गये साक्षात्कार के आधार पर 24-6-91 के बाद जारी नियुक्ति आदेश निरस्त कराकर चयन प्रक्रिया पुनः करायी जायेगी ।

9-शासन के निदेश, जो पत्रांक 2042/91 गोपन-7 दि० 9-5-91 द्वारा पुलिस अधीक्षक, बस्ती को निर्गत किया गया, की अपेक्षानुसार ग्राम सभा-डिड़ौहा, थाना क्षेत्र सदर कोतवाली, बस्ती के आम रास्ते के अतिक्रमण आदि बाधाओं को तुरन्त हटवाया जायेगा ।

10-उद्यान निदेशक, उ० प्र० के पद पर वर्तमान कार्यकारी निदेशक के विरुद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशित अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुये उनकी तुरन्त जांच करायी जायेगी ।''

34-श्री दीनानाथ सिंह यादव — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखत का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1-(क) वाराणसी जनपद के गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में विगत कई वर्षो से चली आ रही गम्भीर पेयजल समस्या एवं इस समय अनावर्षाण से और भी गम्भीर हो गयी, पेयजल समस्या के निवारण के संबंध में ।

(ख) ज्ञानपुर पम्प कैनाल के प्रथम फीडर को अवर्षण से फसल सिचाई की गम्भीर समस्या उत्पन्न होने के बावजूद, पूरी शक्ति न चलाये जाने के संबंध में ।

(ग) ज्ञानपुर पम्प कैनाल के द्वितीय फीडर की नहर विगत कई वर्षो से अधूरी पड़ी होना तथा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान इस अधूरी नहर को पूरा करने के लिये जमीन न छोड़े जाने के संबंध में ।

क्रं० सं० प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

2–सूखे के तबाही की हालत में सुल्तानपुर जनपद के सदर तहसील के कर्मचारियों द्वारा कर्ज वसूली के नाम पर बगैर वारन्ट ग्राम केवटड़ी के सुशील कुमार व अन्य युवकों की लाठी डन्डों से मार-मारकर हड्डी तोड़ने तथा इस घटना के विरोध में धरना पर बैठे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में ।

3–बरेली जिले की मवाईगंज विधान सभा क्षेत्र के हरिहरपुर मटिला और फैसुल्लापुर ग्रामों के आस-पास के 15 गांवों से अल्पसंख्यक मुसलमानों के पलायन तथा मेरठ व मुरादाबाद के एक-एक गांव एवं आजमगढ़ के लालगंज कस्बे में हुये सांप्रदायिक दंगों के संबंध में ।

4–कुमाऊं व गढ़वाल मण्डल के जिलों को सम्मिलित करके "स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद्" का गठन भौलिग मताधिकार के आधार पर करने के संबंध में ।"

35–श्री भारत सिंह रावत– प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–समस्त उ० प्र० पर्वतीय क्षेत्र सहित सूखाग्रस्त घोषित करना

2–सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन विसंगतियों का निराकरण करना ।

3–आंचलिक शिक्षकों एवं आंचलिक डाक्टरों की सेवायें समायोजित करना ।

4–पर्वतीय क्षेत्र में भू-स्खलन के कारण अवरुद्ध सड़कों, गदेरे पर पुल परियोजनाओं का शीघ्र निर्माण करना ।

5–पहाड़ी जिलों में मोटरयान कर समाप्त करना ।

6–पर्वतीय क्षेत्र हेतु नए पुल परियोजनाओं के शीघ्र विद्युत उत्पादन का निर्माण करना ।

7–सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से दूर पर्वतीय क्षेत्र में उचित मूल्य पर खाद्यान्न की करना ।

8–पर्वतीय क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लगाना ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9–पर्वतीय क्षेत्र में सरकारी सेवाओं में पर्वतीय संवर्ग लागू करना ।
		10–पर्वतीय क्षेत्र की द्रुतगति से विकास के लिये पर्यटन, उद्यानीकरण एवं जड़ी बुटियों की खेती करना व वन औषधि आधारित कुटीर उद्योग की स्थापना करना ।
		11–पृथक पर्वतीय योजना आयोग का गठन करना ।
		12–पर्वतीय विकास के महत्वपूर्ण विभागों के कार्यालयों को लखनऊ व इलाहाबाद से पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरित करना । जैसे कृषि, शिक्षा आदि ।
		13–पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी व भूमि बंदोबस्त कार्य शीघ्र करना ।
		14–तराई क्षेत्र को उग्रवादियों के आतंक व भय से मुक्ति दिलाने के लिये पी० ए० सी० एवं पुलिस को शीघ्र आधुनिक हथियार देना ।"
36–श्री विजय पाल सिंह		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर सरकारी ऋण की वसूली को स्थगित करने किसानों को गन्ने की बकाया कीमत का भुगतान मिलों से कराने, गांवों का विद्युतीकरण कराने का कोई उल्लेख नहीं किया है । न तो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने के लिये नये स्कूलों को मान्यता देने तथा अध्यापकों की नियुक्ति से प्रतिबंध हटाने एवं अल्प संख्यकों के उत्थान एवं उनके हितों की सुरक्षा की गारन्टी का उल्लेख नहीं किया है और ना ही इस बात का उल्लेख किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का निर्माण विवादित स्थल से अलग कराया जायेगा । न तो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं पीलीभीत काण्ड, धोलरी काण्ड (मुजफ्फरनगर), निठोला कांड (मेरठ) का कोई उल्लेख नहीं कियाहै और ना ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैन्च की स्थापना का कोई उल्लेख किया है । पर्यावरण की स्वच्छता हेतु क्या उपाय किये जायेंगे इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया है ।"

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
37	श्री निरवेन्द्र कुमार	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न लिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

1-जनपद लखीमपुर खीरी, तहसील निघासन के दुधवा नेशनल पार्क के समीप सुहेली नदी के दक्षिण किनारे किनारे ऊंचे बांध की व्यवस्था की जाय ।

2-निघासन तहसील के बड़े भूमि जोतदारों की सीलिंग मुक्त भूमि की अपीलें जिला प्रशासन द्वारा कराई जाय ।

3-निघासन, तहसील में लेखपालों द्वारा बड़े जोतदारों की सीलिंग फाइलें बनवायी जांय ।

4-चकबंदी विभाग द्वारा बदुवा, गकलीया, परिहन, मनकपुर, ब्लाक पलिया, ब्लाक निघासन दरवेशा खालसा जसगर, ब्लाक रमिया बेहड़ दरेरी, मझरा पूरठा इत्यादि गांवों में बड़े जोतदारों के चक रकबे से नकशे पर बड़े बनाये गये हैं, तथा पट्टेदारों की भूमि के चक रकबों में छोटे बनाये गये हैं ।

5-निघासन तहसील खीरी में हरिजन बस्तियों एवं मुहल्लों में बिजली नहीं पहुंचाई गयी है ।

6-तहसील निघासन खीरी के राजस्व अभिलेखों में ग्राम मून, मुजुर्म, मुजहा, सुमेरपुर, रामीनगर, बिक्रमबन, गसरौरा, हंशनगर, गंगानगर, सूरतनगर, खमरिया, इत्यादि की हजारों एकड़ ग्राम समाज एवं सीलिंग की भूमि जो गुप्त तरीके से बन विभाग द्वारा गजट करा ली गयी को गजट से खारिज किया जाय । इस प्रकार की कुछ भूमि पर भूमिहीन खेतीहर मजदूर काबिज चले आ रहे हैं ।

7-तहसील निघासन खीरी में रोडवेज की बसे दिल्ली से तिकोनिया तथा लखनऊ से निघासन होते हुये खजुरिया तक चलायी जाय ।

8-तहसील निघासन खीरी में शारदा नदी, घाघरा नदियों का कटाव (भूमि) पत्थरों की ठोकरें बंधवा कर रोका जाय ।

9-तहसील निघासन खीरी में सिंगाही से सिंगही से होकर जाने वाली पी० डब्लू० डी० मार्ग पर, निघासन से जनपद खीरी को जोड़ने वाला पचपेड़ी घाट पर पुल, बरहनपुर से खैरीगढ़ जाने वाले मार्ग पर पुल नौरंगाबाद से देवरी जाने वाली मार्ग पर पुल, चन्दन चौकी पारू क्षेत्र चन्दन चौकी गांव के मध्य पुल बनाये जायं ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10–तहसील निघासन खीरी शिक्षा में समस्त उत्तर प्रदेश से पिछड़ा है वहां शिक्षा संस्थायें खोली जायं ।
		11–तहसील निघासन खीरी में शुद्ध पेयजल सामूहिक योजना अभी तक नहीं चलाई गयी है । बिकौलिया, नांगवा, ब्लाक पलिया तथा ब्लाक निघासन में बम्हनपुर, निघासन तथा ब्लाक रमिया बेहड़ में बेरिया में उक्त योजना चलायी जाय ।
		12–तहसील निघासन खीरी में भूमि ऊंची और नीची होने के कारण किसान सिंचाई अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं । भूमि के समतलीय करण की योजना चलायी जाय ।"
38	श्री पूरन प्रकाश	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा सभी संवर्गों में पूरा करने के संबंध में ।
		2–उर्वरक की कीमतों में कमी करने के संबंध में ।
		3–10,000 रुपये तक के कर्जे की माफी के संबंध में ।
		4–जनपद मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के निर्माण के संबंध में ।
		5–जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में हैण्ड पम्प एवं पेयजल योजना के संबंध में ।
		6–ग्राम मगौर्रा में कन्या हाई स्कूल खोलने के संबंध में ।
		7–चुरमुरापोरी में प्राइमरी पाठशाला का निर्माण कराये जाने के संबंध में ।
		8–बरारी में कन्या प्राइमरी पाठशाला व बालकों के स्कूल में विद्यालय की छत के निर्माण के संबंध में ।
		9–प्रदेश को सूखा गस्त घोषित करने तथा राहत कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में ।
		10–बछगांव के कोथरा, कोथंरा से गोवधून, रिफाइनरी गेट नं०-9 से छड़गांव से धनगांव, सतोहा से जुनसुटी, कोसी खुर्द से ऊमरीरामपुर, धनगांव से मुरुदू तथा बरारी से ऊड़पुर तथा बेरी से बोल सड़कों के निर्माण के संबंध में ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11–रैपरा जाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में ।"
39–श्री दल सिंगार यादव		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–अभिभाषण में मंडल आयोग की कहीं चर्चा नहीं की गयी है । जिससे प्रदेश के पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय किया गया है ।

2–जनपद आजमगढ़ सूखा बाढ़ दोनों से पीड़ित है । उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है ।"

40–श्री इस्लाम साबिर तथा श्री मो० मुकीम		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–अल्प संख्यकों को सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

2–अल्पसंख्यकों को ताजियादारी की रसम पूरी नहीं करने देने पर क्या किया जा रहा है ।

3–बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ।

4–मंहगाई पर अंकुश लगाने के लिये क्या उपाय खोजे जा रहे हैं ।

5–बिक्रीकर के सरलीकरण की दिशा में क्या किया जा रहा है ।

6–गरीबों के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ।

7–वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन किये जायेंगे ।

8–बुनकरों, दस्तकारों एवं शिल्पियों के लिये विकास के कौन से मापदण्ड अपनाये जायेंगे ।

9–प्रदेश में फैली साम्प्रदायिकता पर रोक लगाने के लिये क्या किया जा रहा है ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10–सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त एवं दुरस्त बनाने के लिये क्या किया जा रहा है ।
		11–महिलाओं, हरिजनों एवं अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने की क्या कार्यवाही की जा रही है ।
		12–सूखा, विद्युत एवं जल प्रबंध के बारे में कुछ नहीं कहा है
41	–श्री खालिद गौरी	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखत जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–ग्रामीण युवकों तथा शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने अथवा उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में,
		2–1990 में रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हुये प्रदेश व्यापी दंगों के दौरान मारे गये लोगों की विधवाओं को पेंशन देने तथा जिनके मकान या दुकानें नष्ट हुई को मुआवजा देने के संबंध में,
		3–आतंकवादियों से निपटने के नाम पर राजनीतिक विरोधियों को फर्जी मुठभेड़ों में मारने के प्रयास नहीं किये जायेंगे के संबंध में ।
		4–अभिभाषण में अयोध्या में मंदिर निर्माण करानेका संकल्प तो है परन्तु प्रदेश में अनेकों मस्जिदों तथा गुरुद्वारों को जिनका निर्माण जिलों के प्रशासन ने रोक रखा है, के निर्माण कराने की कोई उचित व्यवस्था किये जाने या गारन्टी दिये जाने के संबंध में,
		5–जवाहर रोजगार योजना के धन के उचित व्यय, दुरुपयोग रोकने तथा उसकी देखरेख हेतु किसी उचित व्यवस्था के संबंध में ।
		6–मण्डी समितियों के प्रजातांत्रिक ढंग से संचालन हेतु समितियों के चुनाव कराये जाने के संबंध में,
		7–लघु सिंचाई कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने तथा सूखे से निपटने हेतु नये नलकूप लगाये जाने की किसी योजना के संबंध में,
		8–प्रदेश के लघु तथा सीमान्त कृषकों के राजस्व लगान तथा सिंचाई कर माफ किये जाने के संबंध में,

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

9–प्रदेश में सूखा को देखते हुये लगान माफ किये जाने के संबंध में,

10–ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर मिलावट किये गये डीजल की बिक्री पर रोक तथा निरीक्षण की किसी योजना के संबंध में ।

11–प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में फर्जी राशनकार्डो की जांच तथा उन्हें समाप्त अथवा निरस्त किये जाने के संबंध में ।

12–तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों, इंजीनियरों तथा डाक्टरों आदि को रोजगार की गारण्टी दिये जाने के संबंध में,

13–प्रदेश की प्रत्येक तहसील स्तर पर एक डिग्री कालेज तथा ब्लाक स्तर पर एक इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में ।

14–जनपद हरदोई के पिहानी विधान सभा क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याओं के संबंध में :–

(क) पिहानी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों में खराब पड़े सिंचाई नलकूपों को शीघ्र ठीक कराया जाना,

(ग) पिहानी में निर्मित मण्डी स्थल में भी शीघ्र मण्डी चालू किया जाना,

(घ) पिहानी नगर में सड़कों तथा नालियों के निर्माण कराया जाना,

(च) ब्लाक टोडर पुर के गांव सिकन्दरपुर बाजार व ग्राम जमूरा के जल भराव से निपटने हेतु ड्रेन बनाये जाने की योजना,

(छ) पिहानी कस्बे के विभिन्न मुहल्लों में प्रकाश व्यवस्था ठीक कराने की योजना,

(ज) पिहानी नगर में जल निगम की अर्द्ध निर्मित ओवरहेड टंकी को तुरन्त चालू कराया जाना,

(झ) पिहानी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नहरों तथा अल्पिकाओं की समुचित सफाई (डीसिल्टिंग) कराये जाने की कोई योजना जिससे नहर की छोर तक पानी पहुंच सके ।"

42–श्री विश्वनाथ — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–सबके लिये समान शिक्षा व्यवस्था लागू करना ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2–कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों खाद्य, बीज व दवा के मूल्यों में रियायत व कर मुक्त करना ।

3–शिक्षा को हाई स्कूल तक बालक-बालिकाओं के लिये मुक्त व अनिवार्य करना ।

4–पिछड़े, दलितों और अल्प संख्यकों को 60 प्रतिशत आरक्षण देना ।

5–देवरिया जिले को बाढ़ से निजात दिलाने के लिये स्थायी हल निकालना ।

6–पूरे प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित करना तथा समस्त वसूली मुल्तवी करना व उसे ब्याज मुक्त करना ।

7–देवरिया जिले के झरही नाले को रिंग बांध बनाकर बाढ़ से बचाना व भूमि को उपज योग्य बनाना ।

8–कृषि उपज का उचित मूल्य प्रदान करना कारखाने में निर्मित सामानों का दाम लागत के आधार पर तय करना ।

9–भ्रष्टाचार, लूट डकैती व पुलिस जुल्म से मुक्त करना ।

10–देवरिया जिले में गन्ना मिल लगाना ।

11–पूर्वी उ० प्र० को पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करना ।''

43–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश के बज ट का 50 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित करने के बारे में ।

2–ग्रामीण युवकों के गैर राजनीतिक संगठन, युवक मंगल दलों तथा महिला मंगल दलों को पर्याप्त महत्व तथा इस कार्य हेतु अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में ।

3–ग्रामीण गरीब किसानों, दस्तकारों और मजदूरों के 90 हजार रुपये तथा ऋणों की माफी के संबंध में ।

4–इलाहाबाद जनपद के झूंसी विधान सभा क्षेत्र के सभा ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

5–झूंसी विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की कमी को देखते हुये 25 नलकूपों की एक श्रृंखला का निर्माण करनेके संबंध में । खासकर कतवारुपुर मलखानपुर, लीलापुर, मुरारपट्टी, चकिया कटयारो तेन्दुई, पूरे सूरदास. बधवाताहिरपुर, कटियारी, गारापुर चक कासीराम, कुमौला, बसौंधा, देवापुर, कैथवल, जौधरी आदि ग्रामों में नये नलकूप लगवाने के संबंध में ।

6–झूंसी विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में पेयजल की पर्याप्त सुविधा प्रदान करने के संबंध में विशेष रूप से रिहेंया में पेयजल योजना एवं अन्दावां पेयजल योजना में एक और नलकूप बनाने संबंध में ।

7–झूंसी विधान सभा क्षेत्र की झूंसी छेता पट्टी सिकन्दरा मार्ग, जी०टी० रोड विरगापर भण्डोंर मार्ग, टटिहरा मार्ग कनिहार मार्ग, सुदनीपुर कला मार्ग, तारडीह मार्ग तथा बाबूगंज चिलौड़ा मार्ग पर लेपन कार्य की स्वीकृति के संबंध में, साथ ही गन रौता नाले पर वलीपुर-खेवराजपुर के बीच रपटा बनवाने के संबंध में तथा झूंसी कोहना और हवेलिया की सड़क के मरम्मत एवं नाली निर्माण के संबंध में ।

8–वहरिया ब्लाक के सिकन्दरा और बहादुरपुर ब्लाक में बालिकाओं के इण्टर मीडिएट तक की शिक्षा व्यवस्था के संबंध में ।

9–झूंसी, देवरिया, गारापुर कमलानगर, कनैहरी चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु धन आंवटन के संबंध में ।

10–फूलपुर तहसील के शेरडीह और अतरसुहयां मलखानपुर ग्रामों में चकबंदी कराने के बारे में ।"

44–श्री महेन्द्र सिंह भाटी — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–ग्रेटर नोएडा हेतु प्रस्तावित भू-अधिग्रहण में 20 प्रतिशत विकसित भूमि किसानों को फ्री-होल्ड दी जायेगी,

2–प्रस्तावित ग्रेटर नोएडा भू-अधिग्रहण से प्रस्तावित किसानों के बच्चों को अनिवार्य रूप से औद्योगिक इकाइयों में रोजगार दिया जायेगा,

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

3–ग्रेटर नोएडा में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवासाय पट्टे अन्यथा 30 डब्लयू० एस० मकान बना कर दिया जायेगा ।

4–जनपद गाजियाबाद को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जायेगा,

5–बिजली आपूर्ति 18 घंटे की जायेगी,

6–मंडल आयोग की सिफारिशें तुरन्त लागू की जायेगी,

7–ग्रामीण विद्युतीकरण शीघ्र पूर्ण किया जायेगा,

8–कन्या वैदिक इण्टर कालेज, दादरी जनपद गाजियाबाद के समीप शराब ठेका तुरन्त हटाया जायेगा,

9–एन० टी० सी० पी० दादरी में रेलवे साईडिंग हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा समान होगा ।

10–सूरज पुर औद्योगिक क्षेत्र एवं एन०टी० पी० सी० में अलग थानों की स्थापना होगी ।

11–नोएडा में 5 लाख की आबादी में मात्र 26 उप निरीक्षक एवं 104 सिपाही हैं, नोएडा की पोलिसिंग दिल्ली के पैटर्न पर की जायेगी,

12–सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में आई०टी०आई० संस्थान एवं सरकारी अस्पताल मजदूरों हेतु खोला जायेगा,

13–सूरजपुर एवं प्रस्तावित ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के लिये मकान निर्माण किये जायेंगे ।"

45–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–क्षेत्र सिकन्दराबाद के कस्बा दनकौन पर यमुना नदी पर मझावल के प्रस्तावित पुल जो हरियाणा व उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, का निर्माण तुरन्त किया जायेगा,

2–जनपद बुलन्दशहर को सूखा ग्रस्त घोषित किया जाय ।

3–क्षेत्र सिकन्दराबाद के भवनहीन प्रा० पाठशालाओं का निर्माण तथा 1000 आबादी वाले ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खुलवायी जायेगी,

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

4–ग्रेटर नोएडा हेतु प्रस्तावित अधिग्रहण में 20 प्रतिशत विकसित भूमि किसानों को फ्री होल्ड दी जायेगी,

5–प्रस्तावित ग्रेटर नोएडा भू-अधिग्रहण से प्रस्तावित किसानों के बच्चों को अनिवार्य रूप से औद्योगिक इकाईयों में रोजगार दिया जायेगा,

6–ग्रेटर नोएडा में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के आवासीय पट्टा अन्यथा ई० डब्ल्यू० एस० मकान बनाकर दिया जायेगा,

7–20–5–91 को हुये दंगे में कस्बा सिकन्दराबाद में जो लोग मारे गये अलावा जिन लोगों की दुकान व मकान जलकर राख हो गयी, उनको उचित मुआवजा दिया जायेगा,

8–किसानों की बिजली की आपूर्ति 18 घंटे दी जायेगी,"

46–श्री श्याम नारायन तिवारी

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–अनुसूचित जाति की सूची में मुस्लिम वर्ग के अंसारी नदफा, भंगी आदि जातियों को रखे जाने हेतु कार्यवाही की जायगी ।

2–फरेन्दा क्षेत्र में जहां सिचाई के साधन नहीं के बराबर हैं सरकारी नलकूप गांव में लगाये जायेंगे ।

3–फरेन्दा क्षेत्र के गांव में पीने के पानी के लिये जल निगम के नल लगवाये जायेगें और विद्युतीकरण कराया जायेगा ।

4–फरेन्दा क्षेत्र में जहां हर वर्ष भयंकर बाढ़ की तबाही होती है चितापुर, घोघी, नरावा, लेहरा, पलदइया, रोहिन बंधे बनवाये जायगें एवं अधूरे कामों को पूरा करवाया जायेगा ।

5–घानी बाजार राप्ती नदी पर तुरन्त पीपे का पुल बनवाकर मेहदावल तक सड़क बनाई जायेगी ।

6–आनन्द नगर को नगर पालिका घोषित किया जायेगा ।

7–फरेन्दा व नौतनवां तहसीलों को गौरखपुर जिले में ही रखा जायेगा ।

8–लक्ष्मीपुर के दक्षिण के गांवों को फरेन्दा तहसील में तथा कौलहई के उत्तर के गांवों को नौतनवां तहसील में रखा जायेगा ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

9–सीलिंग के कानून को प्रभावी बनाकर जमीन चोरों से जमीन निकालकर गरीबों में बांटी जायेगी एवं फर्जी लंबित मुकदमों को खत्म किया जायेगा ।

10–जंगल में टागिया काश्तकारों को जहां रह रहे हैं उनको जमीन व मकान दिया जाये उसे रेवन्यू माना जायेगा और उन्हें भूमि पर हक दिया जायेगा उनके मकान बनवाये जायेंगे ।

11–वन निगम समाज वानिकी और जंगल विभाग में काम करने वाले ठूठ लिपिकों मालियों और कर्मचारियों को स्थायी किया जायेगा ।

12–स्वास्थ्य रक्षकों और आंगन बाड़ी में कार्यरत महिलाओं और दाइयों को स्थायी किया जायेगा ।

13–मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों को अनुदान सूची में रख दिया जायेगा ।

14–बृजमनगंज मोहनगढ़ से सहजनवां बाबू तक मनिकोरा से दाही रोहिन नदी तक और कवलदह से लालपुर तक की सड़कों को पक्का कराया जाये और सभी पुलों को बनाया जायेगा रतनपुर से डदवार होते हुये फरेन्दा घानी मार्ग तक सड़क पक्की करायी जायेगी ।

15–फरेन्दा घानी और बृजमनगंज के चिकित्सालयों को उच्च स्तर देकर सभी आधुनिक सुविधा संपन्न कराया जायेगा तथा महादेवा दुबे, मैया फरेन्दा, लेहरड़ा, सहजनवां, बाबू ताल्ही मोहनपुर, कोल्हुई और हरपुर में सरकारी चिकित्यालय खोलवाया जायेगा ।

16–उर्दू मदरसों को सरकारी अनुदान दिलाया जायेगा ।

17–आंशिक नलकूप चालकों को स्थायी कराया जायेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जायेगा तथा होमगार्डस को स्थायी करके वेतन बढ़ाया जायेगा ।"

17–श्री राम रतन सिंह — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण म निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में व्याप्त सूखे की स्थिति होते हुये भी प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित नहीं किया गया और किसानों से लगान, सिंचाई व अन्य

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

देयों की वसूली रोकने एवं किसानों पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने का कोई उल्लेख नहीं कियाहै ।

2-प्रदेश के किसानों द्वारा प्रदेश की चीनी मिलों को बेचे गये गन्ने का बकाया मूल्य जो लगभग 117 करोड़ रु० है की अदायगी कबतक सरकार करायेगी का उल्लेख नहीं किया है ।

3-प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं कियाहै ।

4-प्रदेश में कार्यरत ईमानदार परिश्रमी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की कोई ठोस योजना का उल्लेख नहीं किया है ।

5-प्रदेश में सिचाई एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की योजना का उल्लेख नहीं किया है ।

6-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराने एवं बिजली कटौती रोकने की कोई ठोस योजना का उल्लेख नहीं किया है ।

7-श्रमिकों के शोषण को रोकने के संबंध में निर्धारित नियमों एवं कानून को सख्ती से लागू कराने की किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं किया है ।

8-उत्तर प्रदेश राज्य महिला कर्मियों को, आवास भत्ते के संबंध में केन्द्र के समान भत्ते की नीति का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

9-प्रदेश में बेरोजगार नव जवानों को रोजगार देने अथवा बेकारी भत्ता देने की योजना का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

10-विधवाओं एवं वृद्धों को पेंशन प्रदान करने हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

11-राम जन्म भूमि एवं बाबरी मस्जिद अयोध्या गोंडा-बिजनौर आदि दंगों में हुये घायल व्यक्तियों तथा मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता देने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

12-किसानों की फसलों एवं पशुओं की बीमा योजना का उल्लेख नहीं किया है ।

13-जनपद सीतापुर के लिये कांग्रेस सरकार द्वारा बनायी गयी, "आदर्श योजना" पर काम शुरू कराने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

क्र० सं० प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

14–सीतापुर जिले के विधान सभा क्षेत्र "मिश्रिख के विकास" के संबंध में निम्नांकित कार्यों को कराये जाने का उल्लेख नहीं किया है:–

(क) गोमती नदी के दधनामऊ घाट पर बन रहे पुल के अधूरा काम को पूरा कराने तथा कठिना नदी के चिरहला घाट तथा गोमती नदी के कुल्लहाघाट पर पक्के पुल बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

(ख) सिंचाई के लिये नये नलकूप बनाने तथा पुराने नलकूपों परनालियों के बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

(ग) गोमती नदी पर प्रस्तावित खासपुर पम्प कैनाल का काम शुरू कराये जाने का उल्लेख नहीं किया है ।

(घ) जिला योजना द्वारा प्रस्तावित चौरासी कोसीय, नैमिषारण्य मिश्रिख" परिक्रमा मार्ग को पक्का कराये जाने तथा यात्रियों को समुचित सुविधा सुलभ कराने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

(ङ) विधान सभा क्षेत्र के अंदर निम्नलिखित कच्चे एवं खडन्जा मार्गों को पक्का कराये जाने का भी उल्लेख नहीं किया है :–

1–गुरसंडा-ढकिया कला मार्ग
2–अरथाना-हेमपुर मार्ग
3–बरगावां-मेंगलगंज मार्ग
4–दधनामऊ-आंट मार्ग
5–नैमिषारण्य-आंट मार्ग
6–पिसांवा-बीहटगौंर मार्ग
7–नेरी-सहतीनगर मार्ग
8–भकुरहाघाट-भिढौरा घाट आदि मार्ग ।

15–औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, पिसांवा में ही प्रशिक्षार्थियों का सत्र चलाने एवं इमारत बनाने का उल्लेख नहीं किया है ।

16–पिसांवा के राजकीय हाई स्कूल खोलने तथा राजकीय हाई स्कूल बिहटगौर की इमारत बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

17–राज्य सरकार द्वारा बनाये गये "मिश्रिख तीर्थ" में पानी की निकासी की योजना का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18–"नैमिषारण्य मिश्रिख" के प्रस्तावित सौन्दर्यीकरण योजना पर कार्य कराने का कोई उल्लेख नहीं किया है । 19–मिश्रिख, पिसांवा, जलालपुर एवं नैरी के राजकीय अस्पतालों से गरीबों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं किया है । 20–मिश्रिख में बन रही "मंडी" जिस पर 10,00,000 (दस लाख) रुपया व्यय हो चुका है के पड़े अधूरे काम को पूरा कराये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है ।"
48–श्री अखिलेश		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–पूर्वी उ० प्र० के विकास क संबंध में । 2–किसानों के उत्पादन लागत घटाने के संबंध में । 3–उ० प्र० बढ़े हुये बिजली के रेट विशेष कर किसानों के निजी नलकूपों को समाप्त कर सस्ते दर पर बिजली देने के संबंध में ।"
49–श्री सुखदेव, श्री अंगद तथा श्री उमाकान्त यादव		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है । (1) इस सरकार ने धर्मोन्माद का वातावरण पैदा कर जनता के बीच नफरत के बीज बोये हैं । (2) दलितों, पिछड़े एवं अल्प संख्यकों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिये कोई ठोस नीति प्रस्तुत करने के संबंध में । (3) प्रदेश का विकास की दिशा देने में दिशा हीनता के संबंध में । (4) पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में हैं एवं पीने के पानी तक के लिये जनता त्रस्त होने के संबंध में ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(5) प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह जाने के संबंध में ।

(6) मंहगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी के संबंध में ।

(7) बाबरी मस्जिद की रक्षा हेतु समुचित उपाय किये जाने के संबंध में ।

(8) हरिजन उत्पीड़न की कार्यवाइयों के व्यापक रूप लेने के संबंध में ।

(9) शिक्षित बेरोजगारों के संबंध में ।

(10) प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र निजामाबाद (आजमगढ़), लालगंज (आजमगढ़), खुटहन (जौनपुर) आदि में विद्युत, सड़कों, सिचाई साधनों, चिकित्सा स्वास्थ्य आदि से संबंधित सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की रूप रेखा प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही विकास की दिशा देने संबंधी नीति निर्धारित करने के संबंध में''

50—श्री दिवाकर विक्रम सिंह — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

1—गृहकर और चुंगीकर की समाप्ति तथा जलकर की दरों में कमी करने के संबंध में,

2—दुकानदार तथा खरीदकार दोनों का उत्पीड़न तथा शोषण करने वाले बिक्रीकर की समाप्ति करने के संबंध में,

3—अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के आरक्षण के पूरे कोटे की पूर्ति करने के संबंध में,

4—पिछड़े वर्गों के संबंध में मंडल आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन करने के संबंध में,

5—लागत खर्चों के हिसाब से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के संबंध में,

6—कृषि उत्पादों के दामों को मूल्य सूचकांक से जोड़ने के संबंध में,

7—किसानों के कर्जों की माफी दिलाने के संबंध में,

8—फसलों और पशुओं के बीमा की योजना के संबंध में,

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

9–किसानों की अभिगृहीत की जाने वाली भूमि की बाजार भाव से एक मुश्त नकद कीमत और ऐसे विस्थापित परिवारों को वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था के संबंध में,

10–जिला-परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव में अनियमितता पर नियंत्रण करने के उपाय के संबंध में,

11–बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने अथवा बेरोजगारी का जीवननिर्वाह भत्ता देने के संबंध में.

12–उत्पादन और रोजगार परक शिक्षा नीति के संबंध में,

13–सर्व सामान्य जनता को सस्ते दामों पर जीवन के दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था के संबंध में,

14–पुलिस की निरंकुशता और पुलिस द्वारा निर्दोष तथा निरपराध नागरिकों की हत्या और हिंसा पर नियंत्रण करने की कार्यवाही करने के संबंध में,

15–किसानों के लिये खाद्य, बीज, बिजली, कीटनाशक औषधियों तथा कृषि उपकरणों के दाम कम करने के संबंध में,

16–किसानों के कृषि उत्पादनों का प्रोत्साहन एवं लाभप्रद मूल्य प्रदान करने के संबंध में,

17–कृषि को उद्योग मानकर उद्योगों को मिलने वाली सुविधायें किसानों को प्रदान करने के संबंध में,

18–सम्पूर्ण प्रदेश में फसलों एवं पशुओं के बीमा की योजना के संबंध में,

19–बिक्री-कर की समाप्ति के संबंध में

20–गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधा आदि पेयजल व्यवस्था के संबंध में,

21–मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के संबंध में,

22–प्रदेश के 1,12,561 ग्रामों में निवास करने वाली 76.69 प्रतिशत (जन संख्या) और 71.4 प्रतिशत लोगों की आजीविका का सहारा देने वाली कृषि के समुचित तथा समन्वित विकास के लिये 24 प्रतिशत की अति न्यून धनराशि को बढ़ाकर योजनाओं के कुल परिव्यय की कम से कम 70 प्रतिशत धनराशि निर्धारित तथा आरक्षित करने के संबंध में,

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		23-भूमि अधिग्रहण की दशा में भूमि के मुआबजे के भुगतान के दिन बाजार भाव से अधिग्रहीत भूमि का एक मुश्त नगद मूल्य और ऐसे विस्थापित किसान परिवारों के पुर्नवास की व्यवस्था तथा एक एकड़ के छोटे किसानों की भूमि अधिग्रहण करते समय यथा संभव भूमि के बदले भूमि देने की नीति की घोषणा के संबंध में ,
		24-5 एकड़ तक की अनार्थिक जोत वाले छोटे और निर्धन किसानों के ऊपर वर्षो से लदे चले आ रहे सरकारी तथा सहकारी कर्जो की समाप्ति की घोषणा के संबंध में,
		25-''ग्राम स्वराज'' परिकल्पना को सरकार रूप देने तथा न्यायपूर्ण एवं उत्तरदायी प्रशासन किसान के द्वार तक पहुंचाने हेतु ''ग्राम सचिवालय'' की पद्धति चालू करने की घोषणा के संबंध में,
		26-पीलीभीत में 10 सिखों के मारे जाने के संबंध में,
		27-वर्षो से लम्बित स्थानीय निकायों के चुनाव कराये जाने की घोषणा के संबंध में ।''
51	श्री विजय सिंह राणा	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-
		''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-
		1-इस समय सम्पूर्ण प्रदेश भयंकर सूखा की चपेट में और विगत पांच वर्ष से अनवरत सूखा की चपेट में है पर प्रदेश में इस सूखे की भंयकर समस्या से निपटने के लिये कोई प्रभावी और स्थायी समाधान नहीं खोजे जाने के संबंध में,
		2-विभिन्न धर्म, जाति और सम्प्रदायों के इस प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिये समुचित व्यवस्था करने के संबंध में,
		3-आगरा और मथुरा जनपद में निरन्तर जल स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है एवं किसानों के लिये फसल की सिंचाई करना तो दूर, पीने के लिये पानी की एक-एक बूंद प्राप्त करनेके लिये जनता तरस रही है उसे पानी उपलब्ध कराने और जलस्तर को यथावत बनाये रखने के लिये कारगर उपाय करने के संबंध में,
		4-बढ़ती हुई मंहगाई की बीच खाद की कीमतों के बढ़ जाने से किसानों के लिये जीवन यापन करना दूभर हो गया है उस स्थिति में

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

यह सरकार किसानों की समस्या का समाधान किस प्रकार कर पायेगी इसके लिये कोई कारगर उपाय किये जाने के संबंध में ।

5–आगरा में यातायात की समस्या के समाधान के लिये आगरा नगर की ऊपरी परिधि का रिंग रोड बनाये जाने के संबंध में।

6–आगरा में किसानों को व्यावसायिक फसल प्रदान करने के लिये वहां फलोपयोग स्थापित करना एवं गन्ना मिल की स्थापना वहां की नितांत अपेक्षित आवश्यकता पर सरकार ने उसे दूर करने के लिये कोई स्पष्ट योजना के संबंध में ।

7–आगरा पर्यटन के विकास के लिये यह एक सिविल एयरपोर्ट स्थापित किया जाना चाहिये उसके लिये केन्द्रीय सरकार हमेशा से प्रदेशीय सरकार जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निर्दिष्ट कर रही है ।''

52 श्री दिनेश चन्द्र सोनकर — प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–चायल में मनौरी एवं परखाश में पानी की टंकिया बनाने एवं बनी हुयी टंकियों में जनरेटर लगवाने के संबंध में ।

2–चायल में चखा भरवारी मार्ग में काजू होते हुये वेनी राम कटरा मोड़ तक की एवं पुरखाश से मोहम्मदाबाद (केवट पुरवा) तक की एवं उजीहिनी से गौसपुर होते हुये उमरच्छा तक की एवं तिल्हापुर मोड़ से औघन घाट तक की सड़क बनाने,

3–चायल में उद्योग शून्यता समाप्त करने हेतु किसी बड़े कारखाने की स्थापना,

4–चायल तहसील जिसका मुख्यालय शहर में स्थित है उसे ग्रामीणों के सुविधा हेतु 4 चायल के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने,

5 चायल में सिंचाई की समस्या के निराकरण हेतु और क्षेत्रों में अधिक से अधिक ट्यूबैल लगवाने,

6–चायल में विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित गांवों में विद्युतीकरण कराने,

7–चायल के नेवादा ब्लाक में वेनी राम कटरा मोड़ से रामपुर जाने वाली सड़क पर बीच में पड़ने वाली ससुर खदेरी नदी पर एवं कसेन्दा से बलहेपुर जाने वाली सड़क पर बीच में पड़ने वाली

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

ससुरखबेरी नदी पर पुल बन जाने,

8-चायल में इन्दिरा आवासों एवं निर्बल वर्ग आवासों के निर्माण केलिये किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराने,

9-चायल के ब्लाक मूरतगंज नेवादा एवं चायल में उच्च स्तर के चिकित्सायलयों के निर्माण,

10-पूरे पदेश के जिला परिषद्ों में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने एवं जिला परिषदों को और अधिक आय का साधन उपलब्धे कराने एवं अनुदान देने, तथा

11-गत माह, मई 1991 में चायल के सराय आकिल कस्बे में हुये दंगों में मारे गये लोगों के परिवारों की, लूटी एवं जलायी गयी दुकानों के मालिकों में आत्मविश्वास जगाने एवं समुचित मुआवजा देने के संबंध में ।"

53-श्री हरेन्द्र सिंह

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्रदेश के एक लाख बारह हजार पांच सौ इकसठ ग्रामों मे निवास करने वाली लगभग 77 प्रतिशत जनसंख्या और 71.4प्रतिशत लोगों की आजीविका का सहारा देने वाली कृषि के समुचित तथा समन्वित विकास के लिये 24 प्रतिशत की अति न्यून धनराशि को बढ़ाकर योजनाओं के कुल परिव्यय की कम से कम 70 प्रतिशत धनराशि निंर्धारित तथा आरक्षित करने की घोषणा।

2-किसान के सारे लागत खर्चे, किसान के पूरे परिवार के परिश्रम और उनकी भूमि के मूल्य के ब्याज को जोड़कर किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य देने की घोषणा ।

3-प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को उनका बकाया गन्ना मूल्यब्याज सहित का भुगतान तुरन्त कराने ।

4-खाद -बीज, बिजली-पानी, कीटनाशक दवाओं, कृषि यंत्रों तथा कृषि के काम में आंने वाली सारी चीजों की आधी करके लागत-व्यय घटाने की घोषणा ।

5-दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने की घोषणा ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6–प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी पाठशाला खोलने की घोषणा तथा जूनियर हाई स्कूल खोलने की घोषणा ।
		7–मंडल आयोग में कुर्मी, मुसलमान, गूजर तथा जाट को सम्मिलित करने की घोषणा ।
		8–जनपद मुजफ्फरनगर में उमरपुर, हरड़, पुरकाशी कूल तथा मीरापुर में नये चीनी मिल स्थापित करने की घोषणा ।
		9–पुलिस की निरंकुशता और पुलिस द्वारा निर्दोष तथा निरपराध नागरिकों की हत्या और उत्पीड़न को रोकने की घोषणा ।
		10–विधान सभा क्षेत्र बघरा जनपद मुजफ्फरनगर में बड़ा उद्योग (कृषि आधारित) खोलने की घोषणा ।
		11–कृषि उत्पादन को दामों को मूल्य सूचकांक से जोड़ने की घोषणा ।
		12–जनपद मुजफ्फरनगर में बधरा लालूखेरी तथा थाना वन में डिग्री कालेज खोलने की घोषणा ।
		13–जनपद मुजफ्फरनगर के बघरी विधान सभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम सभा में पीने के पानी की व्यवस्था कराने के संबंध में ।
		14–जनपद मुजफ्फरनगर की कृष्णा नदी का हिण्डन नदी तथा सिलाकर ड्रेन में प्रदूषित जल के कारण फैली बीमारियों को रोकने के संबंध में ।
		15–ग्राम बन्ती खेड़ा, कैड़ी, सोनता रल्लूपुर जनपद मुजफ्फरनगर में कृष्णा नदी के कारण हो रही कटान को रोकने के संबंध में तथा कृष्णा नदी पर बंदी खेड़ा में ही पुल का निर्माण प्रारम्भ कराने के संबंध में ।
		16–जनपद मुजफ्फरनगर के बधरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मसवार, कुरम ली हिरानबाणा तथा बधरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में ।
		17–बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने के संबंध में ।"
54–श्री बलराम यादव		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–सम्पूर्ण प्रदेश भयंकर सूखे से प्रभावित होने के बावजूद सरकार सूखे से निपटने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

तत्काल सूखे से निपटने हेतु नहरों में पर्याप्त सिंचाई हेतु पानी, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति, राजकीय नलकूपों का सुचारु रूप से संचालन तथा ग्रामीण खेतिहर मजदूरों के भरण पोषण हेतु तुरन्त टेस्ट वर्क चलाये जाने के संबंध में ।

2-रासायनिक उर्वरकों की भारी मूल्य वृद्धि से कृषि उत्पादनों में भयंकर कमी होगी । उसकी क्षतिपूर्ति का कोई भी उपाय न करने के संबंध में ।

3-मंडल आयोग रिपोर्ट को तत्काल क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में ।

4-पूर्वांचल केविकास हेतु आर्वटित 30 करोड़ रुपये विशेष धनराशि को बढ़ाकर 100 करोड़ किये जाने के संबंध में ।

5-आजमगढ़ जनपद में किसी भी स्तर का कोई उद्योग नहीं है। जिसके कारण यह पूर्वांचल में भी सबसे गरीब एवं पिछड़ा जिला है । इसे उद्योग शून्य घोषित किये जाने के संबंध में।

6-अतरौलिया जनपद आजमगढ़ म प्रस्तावित चीनी मिल लगायी जाय ।

7-जनपद आजमगढ़ के क्षेत्र अतरौलिया में छोटी सरजू नदी के ग्राम बसहिया सिकन्दरपुर के बीच तथा भीमाकोल राजे सुल्तानपुर के बीच पुल निर्मित किये जाने के संबंध में ।

8-स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, बाबा बरुआ दास स्मारक जू० हा० स्कूल वाजिदपुर ब्लाक कोयलसा, बाबा मुसई दास स्मारक जू० हाई स्कूल भगवानपुर मरैव, मरेया, ब्लाक अतरौलिया जू० हा० स्कूल भाटेपुर तथा जू० हा० स्कूल चक चौबे विकास खण्ड अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को तत्काल अनुदान सूची पर लिये जाने के संबंध में ।

9-विकास खण्ड अतरौलिया के ग्राम परमेश्वरपुर चितीपुर, देहुला सरकार देहुला, देहुला सल्तमत, देहुला शोभा, तथा बौहड़ा, रामपुर आदि को प्रभावित करने वाले कईली ताल में जल निकासी हेतु व्यवस्था किये जाने के संबंध में ।

10-विकास खण्ड अतरौलिया, कोयलसा तथा अहरौला में औद्योगिक केन्द्र स्थापित करके प्रशिक्षण देकर लघु उद्योग स्थापित किये जाने के संबंध में ।

क्रं० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11–निर्माणाधीन 132 के०बी० उपकेन्द्र कोयलसा जनपद आजमगढ़ का निर्माण तुरन्त पूर्ण कराये जाने के संबंध में ।
		12–जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अतरौलिया के बुनकर बाहुल्य क्षेत्र ग्राम नीरयांव, नवामामपुर तथा गोजीपुर बहिगवां को पावर लूमों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाने संबंध में।"
55	श्री सुरेन्द्र सिंह तथा श्री गामा राम शास्त्री	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–प्रदेश में जुलाई माह में अवर्षण के कारण उत्पन्न भीषण सूखे के निराकरण के संबंध में ।
		2–प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु नलकूपों हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में ।
		3–किसानों, बुनकरों एवं गरीबों को स्वीकृत सरकारी ऋणों की माफी की आप घोषणा के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त ऋणों के लिये प्रताड़ित किये जाने के संबंध में ।
		4–उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन की डाला इकाई को निजी क्षेत्र में स्थानान्तरण के कारण उत्पन्न श्रमिक बेरोजगारी के संबंध में ।
		5–गाजीपुर जनपद के भोजापुर, पंसरवा, नखतपुर, पिपरीडीह मार्ग पर भैंसही नदी पर नखतपुर घाट पर पक्का पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में ।
		6–गाजीपुर जनपद की नन्दगंज सिहोरी शुगर मिल पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के संबंध में ।
		7–गाजीपुर नगर पालिका के निर्वाचन के संबंधमें ।
		8–गाजीपुर जनपद में कासिमाबाद की तहसील घोषित करने के संबंधमें ।
		9–विधान सभा तथा रायल होटल के बीच चौराहे तथा विधान भन के गेट नं०-5 के मध्य बने अवैध टैम्पो-टैक्सी तथा बस स्टैण्ड को हटाये जानेके संबंध में ।

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

10–जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में 132 के०बी०ए० तथा सिंगेरा बहादुरगंज, भोजपुर, बरेसर, देवकली, रामपुर मांझा बहरियाबाद, काठवारा स्थानों पर 33 के०बी०ए० के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में।

11–विकास खण्ड बाराचौर में गर्ल्स हाईस्कूल खोले जाने के संबंध में।

12–प्रदेश में तराई क्षेत्र में बढ़ते हुये आतंकवाद एवं निर्दोष नागरिकों की निरन्तर होती हत्याओं के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में।"

विधान परिषद

पी०एस०यू०पी० (आर० आर०)–3 विधान सभा–19-9-91–813 (फो० कम्पो०)।